खण्ड-371, अंक-1
सोमवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1907
(29 जुलाई, 1985 ई0)

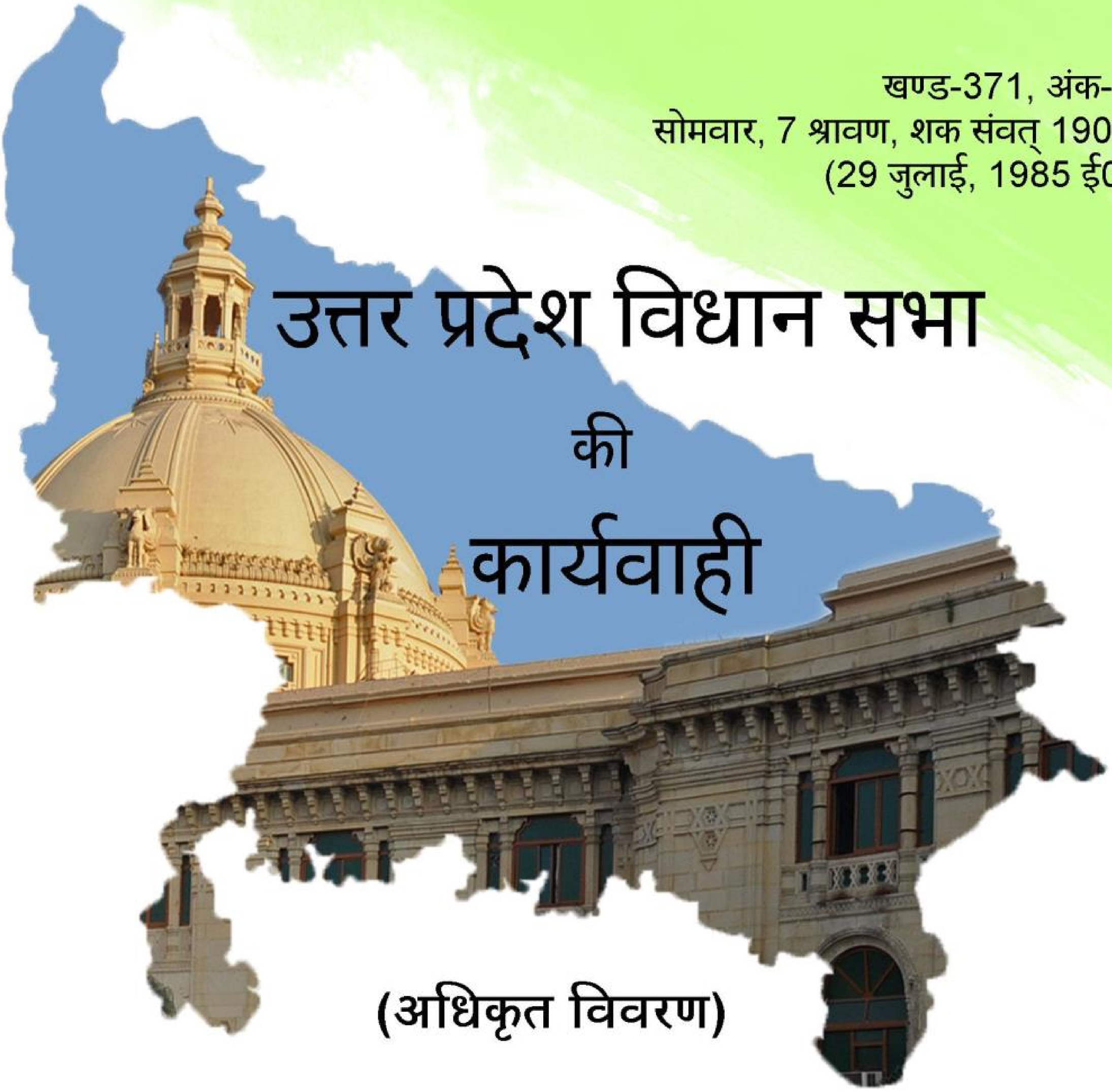

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 371 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	2–108
प्रश्नों के उत्तर न आने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न ..	109–111
नियम 301 की सूचना का समय से उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	111
डुमरियागंज बस्ती में जलभराव से आवागमन अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
बांदा जनपद में पुलिस द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
फिरोजाबाद आगरा में पशुओं की भयंकर बीमारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
फैजाबाद में थिरुआ नाला के पट जाने से बाढ़ आने एवं करोड़ों की सम्पत्ति की हानि का भय होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
मौरावां, कस्बा उन्नाव के निकट लखनऊ मार्ग पर गहना पुल की स्थिति दयनीय होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
शारदा सहायक, फैजाबाद परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू की जन्मस्थली भोरगंज, इलाहाबाद में वेश्यालय चलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	116
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	116
विधान सभा की कार्यवाहियों की प्रतियां समय से न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	117
श्रीमती कटोरी देवी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत उठाई गयी सूचना का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	118–122
बांदा जनपद में जनता पार्टी के कार्यालय में पुलिस द्वारा छापा मारने तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में निर्धारित वक्तव्य न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	123–125
सदन में अंग्रेजी में छपे साहित्य के वितरण पर औचित्य का प्रश्न	126
किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड अकबरपुर, फैजाबाद के लाइसेंस के नवीनीकरण एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जनपद में एक सहकारी चीनी मिल लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका ..(उपस्थापित की गयी) ..	127

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के वेतनक्रमों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित की गयी) .. 127

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 127–138

1985–86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–55–विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग (स्वीकृत) 138–162

अनुदान संख्या 60––संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या 61––संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर), अनुदान संख्या 62––संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) तथा अनुदान संख्या 63–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) जारी 162–179

उपाध्यक्ष विधान सभा के निर्वाचन तिथि की सूचना 179

अनुदान संख्या 60––संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या 61––संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर), अनुदान संख्या 62––संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) तथा अनुदान संख्या 63––संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) 179–184

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 184

लखनऊ के थाना हुसैनगंज के अन्तर्गत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक रिक्शा चालक के शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर जला देने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 184–186

लखनऊ के थाना तालकटोरा के प्रभारी पुलिस निरीक्षक द्वारा राजकुमार की पुलिस कस्टडी में निर्यम हत्या करके शव गायब कर देने की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 186–191

नत्थियां 192–200

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अशोक सेहरा, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
काजी कलीमुर रहमान, श्री (आजमगढ़)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
गंगा स्वरूप मटनागर, श्री (सीतापुर)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
चन्द्र सेन, श्री (जौनपुर)
जगदीश नारायन, श्री (हमीरपुर)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगवीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
नरेन्द्र सिंह कुंवर, (सहारनपुर)
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री (कानपुर)
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फजल मसूद, श्री (देवरिया)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बलराम यादव, श्री (आजमगढ़)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बसन्त सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
बालेश्वर, श्री (देवरिया)
भगवती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
भगवा दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
मंगलदेव, श्री (गोण्डा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मुहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र शर्मा, श्री (मेरठ)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लक्षन, श्री (गोरखपुर)
राम लाल पुत्र लल्लू, श्री (सीतापुर)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विमला राकेश, ,श्रीमती (सहारनपुर)
वीर बहादुर सिंह (गोरखपुर)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शारदा प्रसाद बिन्द, श्री (वाराणसी)
शिरोमणि भाई, श्री (बांदा)
शिव नारायण मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलहाबाद)
सत्य प्रकाश विकल, श्री (आगरा)
सन्तन बड़थ्वाल, श्री (चमोली)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हर्ष वर्धन, श्री (गोरखपुर)

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिये जाने पर विचार

**1—श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य नहीं है जबकि शिक्षकों को उक्त सुविधा अनुमन्य है? यदि हां, तो सरकार की इस दोहरी नीति का औचित्य क्या है? क्या सरकार शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

जी हां।

शासन द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

इस बारे में पिछली बार भी सवाल किया था, उस समय भी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि एक ही संस्था में शिक्षक और शिक्षणेतर दोनों श्रेणी के लोग काम करते हैं, फिर इस मामले पर तत्काल निर्णय न लेने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उत्तर में कहा है कि विचार किया जा रहा है, आप कुछ समय और दे दीजिये।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैंने एक वर्ष पहले सवाल किया था, तब भी यही कहा गया था कि विचार कर रहे हैं। यह सम्पूर्ण प्रदेश के शिक्षणेतर कर्मचारियों का सवाल है, नीति सम्बन्धी मामला है।

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री राजेन्द्र गुप्त की रुचि पर लिया गया।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, शीघ्रता से विचार किया जा रहा है।

श्री मित्रसेन–

क्या प्रदेश सरकार पर इनकी पेन्शन स्वीकृत करने पर कोई वित्तीय भार पड़ेगा?

श्री अध्यक्ष–

इस सवाल से यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री बदन सिंह–

इस सवाल के उत्तर के सन्दर्भ में मा0 शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो विचार कर रहे हैं यह विचार किसी शिक्षा शास्त्रियों के आयोग के द्वारा किया जा रहा है या अन्य कोई समिति बनायी जायगी?

श्री सिब्ते रजी–

शासन के स्तर पर विचार हो रहा है।

ट्राइसेम योजना को नागर क्षेत्रों में लागू किये जाने पर विचार

**2–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ट्राइसेम योजना नागर क्षेत्रीय निर्बल वर्ग के लिए प्रदेश में लागू न करने का क्या कारण है? क्या सरकार नागर क्षेत्रों में भी यह योजना लागू करने की कृपा करेगी?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

ट्राइसेम अर्थात् "स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण की योजना" भारत सरकार द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अत्यन्त निर्धन परिवारों के त्वरित उत्थान के दृष्टिकोण से बनाई गई है। योजना का आधा व्यय भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अतः इस योजना को नागर क्षेत्रों में चलाये जाने का निर्णय राज्य स्तर पर नहीं लिया जा सकता है।

अभी कोई विचार नहीं है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वतः स्वीकार किया है कि यह योजना गरीब, अत्यन्त गरीब और बेरोजगार लोगों को सहायता देने के लिए ग्रामीण अंचल में चलाई जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो गरीबी गांवों में है, उसी तरह से उससे कम बेरोजगारी और गरीबी शहरों में नहीं है। यह बात दूसरी है कि केन्द्र सरकार के पैसे से यह योजना चलाई जा रही है। माननीय मंत्री जी, क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार से यह संस्तुति करेगी कि ट्राइसेम योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित न रह कर इसे नागर क्षेत्र में भी कर दिया जाय?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य तथा पूरे सदन को यह विदित है कि गांवों में रहने वाले जो शिक्षित बेरोजगार हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं तथा ऐसे अन्य लोग हैं, जिनको गांवों में काम के अवसर सुलभ नहीं हो पा रहे थे और वे शहरों की ओर भाग रहे थे, उन्हें गांवों में ही उद्योग धन्धे लगाने, व्यापार कर सकने, शिल्पकारी का काम कर सकने के लिये, भारत सरकार ने केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही इस योजना को लागू किया है।

जहां तक नागर क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों के कल्याण के लिए कदम उठाने का प्रश्न है, माननीय सदन को ज्ञात है कि इन क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए 6000/- की सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना छोटा-छोटा उद्योग-धन्धा लगा सकें, अपना व्यापार बढ़ा सकें और शिल्पकारी को बढ़ावा दे सकें। नागर क्षेत्र में रहने वाले गरीबों और बेरोजगारों की उपेक्षा नहीं की गई है।

श्री राजेन्द्र गुप्त –

मान्यवर, मैं यह तो आरोप नहीं लगा सकता । शायद माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाये हैं कि ट्राईसेम योजना क्या है ? माननीय मंत्री जी पत्रावली देख लें । माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं । मेरी सूचना को सही मानते हुए कि ट्राइसेम योजना रोजगार नहीं देती, अपितु रोजगार प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने की भूमिका प्रदत्त करती है । जैसे, एक लड़की टाइप सीखना चाहती है । जब वह टाइप इंस्टीट्यूट में एक निर्धारित अवधि 2 महीने, 4 महीने व 6 महीने के लिए टाइप सीखने जायेगी तो उसे 100/- रुपये तथा जो ट्रेनिंग ले रहा है उसे 50/- रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा। जब वह लड़की टाइप सीख लेगी तो वह अपने पैरों पर खड़े होकर टाइप का काम कर सकती है। वैसे ही यदि कोई टेलर का काम सीख लेता है तो वह टेलरिंग कर सकता है। रोजगार का अवसर तो उसे ग्रामीण अंचल में ही प्राप्त होगा। यह योजना मात्र प्रशिक्षण के लिए है। माननीय मंत्री जी की समझ में और मेरी समझ में विषमता है । शहरों में भी बेरोजगार व गरीब लोग हैं उनके पास फीस देने के लिए पैसे तक नहीं हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं । ऐसी स्थिति में इस योजना का विस्तार शहरों तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी के विचार और मेरे विचार जो सदन में मैंने बताये हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं है। ट्राइसेम योजना में प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाता है उन बेरोजगार लोगों को जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। जो प्रशिक्षणार्थी हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो हमारी एकीकृत ग्राम्य विकास योजनायें हैं उसमें कुल प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में से 40 प्रतिशत लोगों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करा कर, छूट देकर रोजगार कराया जाता है और बाकी जो हैं प्रशिक्षणार्थी वे बैंकों आदि से ऋण लेकर अपनी

गरीबी मिटाने के लिए कार्यक्रम चला सकते हैं। इसलिए विचारों में कोई अन्तर नहीं है। इससे शहरों की ओर जो पलायन हो रहा था, वह न हो और गांव में भी वे रोजगार कायम करें। जो लोग वंशानुगत कार्य कर रहे थे, उसको अच्छे ढंग से कर सकें।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस ट्राइसेम योजना का आधार आर्थिक है या गांव और शहर है? यदि गांव और शहर है तो क्या यह सही नहीं है कि गरीबों के बीच में फूट डालने का औचित्य क्या है?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)–

श्रीमन् सम्मानित सदस्य अवगत हैं कि ट्राइसेम योजना सार्वदेशिक है। इसका अर्थ ही "ट्रेनिंग फार रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लायमेन्ट" इसलिए उसका नाम ट्राइसेम चल गया, इसका आधार ही ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की ओर बढ़ाना है। अब प्रश्न है कि नगरीय क्षेत्र के जो गरीब हैं उनके लिए क्या योजना है। तो इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य अवगत हैं कि प्रदेश की ओर से, केन्द्र की ओर से कई योजनायें हैं ट्रेनिंग की जैसे डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेन्टर हैं, उनके माध्यम से, खादी ग्रामोद्योग, स्माल स्केल सेल्फ इन्स्टीट्यूट हैं, उनके माध्यम से प्रशिक्षण का काम चलता था। अपने राज्य में भी स्टेट इण्टर प्रीन्योर डेवलपमेन्ट कार्यक्रम चलता था। इसके तीन सेन्टर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में और खोल रहे हैं। इससे अधिकाधिक लाभ होगा। इसके अतिरिक्त दो और योजनायें हैं, जो शिक्षित बेरोजगारों के लिए हैं, वे भले ही ट्रेनिंग की न हों लेकिन ट्रेनिंग भी उसमें सम्मिलित है, पच्चीस हजार तक है, जिन्होंने आवेदन दिये हैं, उसमें कितने लोग इसमें ट्रेन हुए हैं, मैं समझता हूं कि जितने अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बनी-बनाई स्कीम मांगी है दूसरी योजना पिछले वर्ष शुरू की है ठीक इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि मा0 सदस्य, सीतापुर ने अभी कहा और मा0 सदस्य, हरदोई ने भी कहा। गांव और शहरों के लिए ट्रेनिंग से भी आगे जाकर 6,000 रु0 तक की योजना स्टेट बैंक और दूसरी बैंकों के सहयोग से शहरी क्षेत्र में चालू की है। जैसे कि कोई वाशिंग मशीन लगाना चाहता है या बारबरिंग करना चाहता है या फोटो स्टेट कापी इत्यादि की यूनिट लगाना चाहता है, ऐसे जो छोटे-मोटे उद्योग लगा सकते हैं उनके लिए 6,000 रु0 तक की योजना चालू की है। इसमें ब्याज पर सबसिडी देते हैं, रुपया बैंक देती है। यह योजना विशेष महत्व की है। हम अवश्य भारत सरकार से प्रयास करेंगे कि इन योजनाओं के सम्बन्ध में और कुछ कर सकें तो प्रसन्नता होगी। जो हमारी योजना है, इसका भी मूल्यांकन करेंगे कि छः हजार रु0 वाली योजना कैसी चल रही है। हमने संस्थागत वित्त विभाग से कहा है कि इसका मूल्यांकन करें। अभी इस योजना को चले 8 महीने ही हुए हैं, साल भर हो जाने के बाद मूल्यांकन करके और गति देने का प्रयास करेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थिति में सुधार हेतु नयी परिवहन योजनाओं पर विचार

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है ? यदि हां, तो उसके सुधार के लिए नयी परिवहन योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है तथा नयी योजना कब से लागू कर दी जायेगी ?

परिवहन मंत्री (राजकुमार संजय सिंह)—

यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्य में कई दिशाओं में सुधार लाना आवश्यक है और इस ओर निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं । मुख्यतः नियोजित ढंग से निष्प्रयोज्य बसों के स्थान पर नयी बसों का क्रय, खराब बसों की शीघ्र मरम्मत, कार्यशालाओं की उत्पादन वृद्धि, बसों के चलन में समन्वित समय-सारिणी, प्रशासनिक सुदृढ़ता, इत्यादि पहलुओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे सुधार के संबंध में जो-जो बिन्दु बिचारणीय हैं उसमें क्या आपके विभाग ने कोई ऐसी भी योजना पर विचार किया है जैसे कि आब-कारी विभाग में शराब की दुकानों के ठेके दिये जाते हैं उसी तरह से आपने भी कुछ रूट्स को ठेके पर देने के लिए विचार किया है ?

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी ने जो सुधार का प्रयास किया है अपने मंत्रित्व काल में तो क्या उसके तहत कोई ऐसी भी व्यवस्था की है कि जो लम्बी यात्रा की गाड़ियां हैं जो कानपुर और बलिया जाती हैं जिनके शीशे टूटे हुए हैं जिसके कारण यात्री भीगा करें और जिनकी छतों पर लाल रंग लगा हुआ है जो कि पानी के टपकने से यात्रियों के कपड़े भी लाल कर देता है : मैं कल बलिया से आ रहा था तो मेरा कुर्ता रंग गया, उसे मैं आपके पास भिजवा दूंगा । क्या ऐसा सुधार आपने किया है ?

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है बल्कि इसको ठीक कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री त्रिलोक चन्द—

अभी सरदार सिंह जी ने पूछा था बसों की हालत के बारे में तो हालत तो रोडवेज की और प्राइवेट बसों की दोनों की ही खराब है । अभी कुछ दिन पहले

आपका वक्तव्य आया था जिसमें कि आपने बयान दिया था कि आप इसकी नीति में परिवर्तन कर रहे हैं । तो आपने वह बयान क्या सोच कर दिया था जबकि आज आप यहां कह रहे हैं कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा । क्या आपका वह बयान सही था या जो आज आप कह रहे हैं, वह सही है ?

राजकुमार संजय सिंह–

मैं समझता हूं कि मा0 सदस्य को कुछ भ्रम हो गया है । मैंने यह नहीं कहा कि नीति में परिवर्तन नहीं हो रहा है । हम समझते हैं कि बहुत शीघ्र ही इसके डिसेन्ट्रलाइजेशन करने की व्यवस्था हो रही है जिसमें कि मरम्मत, कार्यशालाओं में उत्पादन की वृद्धि, बसों के चलन में समन्वित समय-सारिणी, एडमिनिस्ट्रेशन आदि की व्यवस्था ठीक की जा सकेगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जैसा कि अभी कहा कि बसें बहुत जर्जर स्थिति में हैं तो क्या आपने नई बसों की व्यवस्था की है क्योंकि यह एक कल्याण-कारी व्यवस्था है इसमें हानि होने की कोई सम्भावना नहीं है। क्या आप लम्बे रूट की बसेज को रोक कर लोकल रूट पर बसों को चलाने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं करेंगे, तो क्या प्राइवेट बसों को चलाने के लिये निर्देश जारी करेंगे?

राजकुमार संजय सिंह–

जैसा कि सदस्यों का विचार है, बसों की व्यवस्था को ठीक करने के लिये पल्लवन ट्रांसपोर्ट तामिलनाडु की स्टडी करायी गयी थी, उसकी रिपोर्ट आ गयी है । अगली 13 तारीख को बजट के दिन उत्तर प्रदेश की ट्रान्सपोर्ट पालिसी का अनाउन्स-मेन्ट होगा। यू0पी0एस0आर0टी0सी0 को किस प्रारूप में लाना है यह घोषणा उस दिन हम करेंगे। लम्बे रूट और शार्ट रूट की बसें अभी तक हाल में कोई नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, न इसकी कोई पालिसी है अभी तक। अगली 13 तारीख को इसकी घोषणा होगी, उसके बाद क्रियान्वयन किया जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब 13 तारीख को पूरी पालिसी तो बताने को कह रहे हैं तो कृपा करके अब आगे चलें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला परिषदों में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को स्थायी न किये जाने का कारण

*1–श्री उदयवीर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों में 10 वर्षों से अधिक, कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं?यदि हां, तो क्यों? उक्त चिकित्साधिकारियों को अब तक स्थायी कर दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

केवल चार जिलों में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी अस्थाई हैं। चूंकि इनके पास एम0बी0बी0एस0 की डिग्री नहीं थी इन्हें शासनादेश संख्या 1086 क/33-1-188/64 दिनांक 25-4-67 द्वारा सृजित एकीकृत चिकित्सालयों में केवल अस्थाई रूप से ही आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति किया जा सकता था एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री के अभाव में इन्हें स्थाई नहीं किया जा सका। ऐसे चिकित्साधिकारियों को रिक्त होने वाले आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के पदों पर स्थानान्तरित करके उनकी सेवाएं यथाशीघ्र नियमित करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

माध्यमिक शिक्षकों का विनियमितीकरण

*2–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 19-8-75 का-1/78 दिनांक 18 अप्रैल, 1978 एवं विनियमितीकरण नियमावली, 1979 संख्या–19-8-75-1-का-1 लखनऊ दिनांक 14 मई, 1979 को शासन ने निर्गत किया था ? यदि हां, तो 5-6 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक माध्यमिक शिक्षकों का विनियमितीकरण क्यों नहीं हुआ और 15-20 वर्षों की सेवा के बाद भी अध्यापकों के नियुक्ति पत्र क्यों निर्गत नहीं हुए ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापकों/ अध्यापिकाओं का विनियमितीकरण किया जा चुका है और नियुक्ति के आदेश निर्गत हो चुके हैं।

एल0 टी0 वेतनक्रम के 150 अध्यापकों/अध्यापिकाओं को छोड़ कर, जिनके अभिलेख अपूर्ण या अप्राप्त हैं, के विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और आदेश शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं। शेष 150 मामलों में भी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायी जा रही है।

सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के विनियमितीकरण के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या माननीय मंत्री जी जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापकों का विनियमितीकरण किया जा चुका है। इसी संदर्भ में, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पर्वतीय अंचल के 119 विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर प्रधानाचार्य नहीं हैं, तो मेरा सीधा प्रश्न है कि विनियमितीकरण जब अध्यापकों का हो गया है तो उनको प्रोन्नति करके प्रधानाचार्य के पद पर न भेजने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

जैसा कि मैंने बताया अध्यापकों के विनियमितीकरण और उनकी नियुक्ति के प्रकरण पर विचार चल रहा है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि एल0 टी0 वेतनक्रम में 150 अध्यापक और अध्यापिकाओं को छोड़कर बाकी सभी का विनियमितीकरण हो गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अध्यापक बारह-बारह और चौदह-चौदह साल एक ही पद में काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति उनकी योग्यतानुसार करेंगे तथा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनको प्रवक्ता का ग्रेड या सीनियर ग्रेड क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री सिब्ते रजी–

स्नातक वेतनक्रम में 753 पुरुष और 456 महिलाओं के बारे में आदेश निर्गत किये जा चुके हैं और उनका विनियमितीकरण हो गया है। लगभग 185 पुरुष और महिला प्रत्येक को मिलाकर उनके सम्बन्ध में पत्राचार चल रहा है और पूर्ण कागज नहीं प्राप्त हो सके हैं इस कारण उनकी ज्येष्ठता के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार नहीं हो सका है और स्पष्ट आदेश दे दिये गये हैं। लगभग 2 महीने में यह क्रम पूरा हो जायगा।

शिवपति इण्टर कालेज, शाहरतगढ़ में परगनाधिकारी, नौगढ़ द्वारा छात्रों को परीक्षा में बैठने के आदेश लिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

*3–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधानाचार्य शिवपति इण्टर कालेज, शाहरतगढ़ ने 827 छात्रों में से केवल 55 छात्रों को नियमानुसार परीक्षा में बैठने से अवरुद्ध किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिन छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका गया था उन छात्रों को परगनाधिकारी नौगढ़ ने प्रधानाचार्य को आदेश दिया कि किसी छात्र को परीक्षा से न रोका जाय और उनका प्रवेश पत्र तत्काल दे दिया जाय? यदि हां, तो क्या परगनाधिकारी नौगढ़ ने परिषद् के नियम और प्रधानाचार्य के अधिकारों का अपहरण करके अपने पद का दुरुपयोग करके छात्रों को गलत ढंग से परीक्षा में बैठाया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा परगनाधिकारी नौगढ़ के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रधानाचार्य ने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1985 के 55 छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका था।

जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त सूचना के अनुसार इससे शाहरतगढ़ में तनावपूर्ण एवं विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी। फलस्वरूप परगना मजिस्ट्रेट ने स्थिति को और बिगड़ने से रोकने तथा जनशान्ति को कायम रखने हेतु जाब्ता फौजदारी की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की। परगना मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती के न्यायालय में प्रधानाचार्य द्वारा निगरानी दायर की गयी और स्थगन आदेश हेतु निवेदन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-3-1985 को निरस्त कर दिया गया। निगरानी न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री सुखपाल पान्डे –

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है । यह जो उत्तर दिया है यह दूसरा उत्तर दिया है । मैंने पूछा था कि क्या परगनाधिकारी, नौगढ़ ने ,प्रधानाचार्य को आदेश दिया था किसी छात्र को परीक्षा से न रोका जाय और उन्हें प्रवेश पत्र दे दिया जाय, लेकिन इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया ।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो परगना अधिकारी नौगढ़ ने आदेश दिया था कि छात्रों को प्रवेश पत्र दे दिया जाय ? क्या वह परीक्षा नियमावली के विरुद्ध है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी –

मान्यवर, विद्यार्थियों को रोकने का अधिकार प्रधानाचार्य को अधिनियम के अध्याय 12, विनियम 5 के अंतर्गत है । किन्तु इस मामले के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई थी । 20-3-85 को उनके खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हो गया था । परगना अधिकारी ने जब हालत बिगड़ती हुई देखी तो ला एन्ड आर्डर बनाये रखने के लिए उन्होंने इस तरह के आदेश दिये कि किसी विद्यार्थी को रोका न जाय । इस आदेश के विरुद्ध प्रधानाचार्य डिस्ट्रिक्ट जज बस्ती के यहां गये और उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश रोक दिया जाय ।

डिस्ट्रिक्ट जज ने इस आदेश के स्थगन को नहीं माना, लेकिन इसकी रिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ी है और अभी यह पता नहीं चला कि किस अधिकारी ने उस आदेश का पालन नहीं किया । मान्यवर, चूंकि यह मामला डिस्ट्रिक्ट जज के यहां विचाराधीन है, इसलिए इस पर और अधिक चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा । कौन दोषी था, इसी ईश्यू पर मुकदमा है । जब वह फैसला हो जायेगा उसके बाद यह निर्धारित किया जा सकेगा कि किसकी गलती से यह हुआ ।

श्री सुखपाल पान्डे –

कोर्ट में तो मामला दूसरे बिन्दु पर गया है . . . . (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह –

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्थिति विस्फोटक हो गई थी इसलिए परगनाधिकारी ने हस्तक्षेप किया । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बोर्ड की परीक्षाओं के फलस्वरूप यदि यह स्थिति विस्फोटक हो जाय कि ज्यादा लड़के फेल हो जायं तो क्या जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद का हस्तक्षेप आप मुनासिब मानेंगे?

श्री सिब्ते रजी –

मान्यवर, बड़ी विनम्रता से मैंने निवेदन किया कि न्यायालय के सामने यह मुद्दा है । वह कर सकते थे या नहीं, उसके निर्णय के बाद ही मैं समझता हूं कि कोई मत व्यक्त किया जा सकता है ।

श्री कौशिक रमा शंकर –

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है कि मामला न्यायालय में है बल्कि प्रश्न यह है कि क्या परगनाधिकारी नौगढ़ ने जो अधिकार उसको प्राप्त है उन अधिकारों के रहते यह आदेश दिया । परगनाधिकारी ने ऐसे आदेश कैसे निर्गत कर दिये जो उसके अधिकार क्षेत्र

में नहीं आता । यदि इस तरह के आदेश होते रहे तो जो अधिनियम शिक्षा विभाग के अंतर्गत है वह सारे के सारे खतम हो जायेंगे ? मैं मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि शासन इस संबंध में क्या यह मानता है कि परगनाधिकारी ने जो आदेश निर्गत किये, वह ठीक थे ?

श्री अध्यक्ष –

वह कह चुके हैं कि यह मामला न्यायालय के सामने चला गया ।

श्री सुखपाल पान्डे –

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पथराव के भय से इस सदन में बाहरी लोगों का प्रवेश बन्द करा देंगे ? . . (व्यवधान) । मिसाल के तौर पर मैं यह बात कह रहा हूं । वहां पर नियम के विरुद्ध परगनाधिकारी ने 55 छात्रों को प्रवेश करने के लिए आदेश दिया और यह कहा कि नहीं दोगे तो मैं बन्द करा दूंगा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो जाय तो आप ऐसे आदेश करेंगे । इसी तरह के वहां पर आदेश हुए हैं । नियम के विरुद्ध सख्ती के आधार पर आप कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं? . . . (व्यवधान)।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा –

मान्यवर, जो परीक्षा नियमावली है उसमें यह दिया हुआ है कि किसको यह अधिकार है कि परीक्षा में बैठने से रोके और किसको एलाउ करे।

मान्यवर, एक छोटा सा प्रश्न माननीय मंत्री जी से किया कि क्या परीक्षा नियमावली में प्रधानाचार्य को अधिकार है कि वह किसी को बैठने से रोके या परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि मामला न्यायालय के सामने है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमने परीक्षा नियमावली में पूछा है कि क्या उनको यह अधिकार है या नहीं ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, शिक्षा नियमावली के अन्तर्गत अध्याय 12 के विनियम 5 में प्रधानाचार्य को अधिकार है कि 3 सप्ताह पहली नोटिस देकर यदि कोई विद्यार्थी उनके हिसाब से कमजोर है तो उनको वह रोक सकते हैं । मान्यवर, यहां पर झगड़ा इस बात का ही है । परगना अधिकारी को जो पत्र दिया गया उसमें 21 मार्च, 85 से परीक्षा प्रारम्भ हो रही है और 20-3-85 को उनसे यह कहा गया कि आपको रोल नम्बर नहीं दिया जायेगा । मेरे विभाग का यह मामला है यदि न्यायालय में न गया होता और उनकी प्रतिष्ठा और मर्यादा की बाढ़ न होती तो मैं कोई प्रयास करता और अपने विभाग के प्रधानाचार्य की स्थिति बताता । चूंकि इसी बिन्दु पर निर्णय होना है तीन सप्ताह पहले नोटिस दी गयी या नहीं और परगना अधिकारी ने दफा 144 प्रयोग किया उसके अन्तर्गत उनको अधिकार था या नहीं। तो जब तक इसमें न्यायालय कोई निर्णय न ले ले शासन की ओर से कोई विचार व्यक्त नहीं किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री सुखपाल पाण्डे के खड़े होने पर) इसमें काफी स्पष्टीकरण आ चुका है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि जो प्रधानाचार्य ने छात्रों को रोका था वह नियमानुकूल था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न इसमें नहीं उठता है । मामला कोर्ट में है उन्होंने बताया ।

रानीखेत तहसील में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

*4–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में रा0 उ0 मा0 विद्यालय एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में सन् 1981 से सन् 84 तक किन-किन विषयों के अध्यापक नहीं हैं जिससे छात्रों की परीक्षा पर कुप्रभाव पड़ा है ? क्या सरकार तत्काल अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

कथित अवधि में रानीखेत तहसील में रा0उ0मा0 विद्यालयों एवं इण्टर कालेजों में निम्नलिखित विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त थे :–

(1)	प्रवक्ता समाजशास्त्र का	1 पद
(2)	,, भौतिकशास्त्र का	2 पद
(3)	एल0टी0 सामान्य	7 पद
(4)	,, विज्ञान-गणित	14 पद
(5)	,, जीव विज्ञान	2 पद
(6)	,, कृषि	2 पद
(7)	,, भाषा	1 पद
(8)	सी0टी0 भाषा पंजाबी का	1 पद
(9)	सीटी0 सामान्य का	1 पद
	कुल	31 पद

जी हां, प्रयत्नशील हैं ।

31 रिक्त पदों में से 10 पदों की व्यवस्था हो चुकी है और शेष 21 पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है । सम्प्रति कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रश्न का एक भाग पढ़ना चाहता हूं मैंने पूछा है कि सन् 1981 से सन् 1984 तक किन-किन विषयों के अध्यापक नहीं हैं जिससे छात्रों की परीक्षा पर कुप्रभाव पड़ा है ? तो मेरे प्रश्न की मूल भावना यह है कि जो कुप्रभाव उनकी पढ़ाई में पड़ा है पिछले तीन सालों में उसका कोई विवरण प्राप्त करायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, कुप्रभाव का इन टोटैलिटी चारों तरफ देखने से कोई निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल है । क्योंकि कुछ विद्यालय जहां पर अध्यापक नहीं थे वहां परीक्षाफल अच्छा रहा बनिस्पत वहां के जहां अध्यापक थे परीक्षाफल खराब रहा । शासन का प्रयास यही है कि जो रिक्तियां हैं उनको भरा जाय । आप जानते हैं कि पहाड़ों पर तदर्थ नियुक्ति के लिए शासन से आदेश दिये गये हैं किन्तु उच्च न्यायालय से उस पर स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है। जैसे ही स्थगन आदेश समाप्त हो जायेंगे वहां पर नियुक्तियां फिर हो जायेंगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, अभी दोनों बार मंत्री जी ने कहा कि पद भरने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं साफ जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा में नये पद सृजित करके उनकी नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो यह कहना कि प्रयत्न कर रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, यह सवाल पहाड़ी क्षेत्रों से तालुक रखता है उसके सम्बन्ध में मई में शासन ने निर्णय लिया है कि तदर्थ नियुक्ति करके वहां रिक्त पद भर दें।

श्री राम जन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, वर्ष 1981 से 1984 तक कई विषयों के अध्यापक नहीं रहे, तो मैं जानना चाहता हूं कि अध्यापक भेजे ही नहीं गये या जिनको भेजा गया वह गये ही नहीं ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, यह तो नियुक्तियों के मामले में जहां कि नियुक्ति होती है वहां जाते हैं, कभी-कभी इक्सेप्शनल केसेज में ऐसा होता है कि कोई बीमारी के कारण नहीं जाता है। साधारणतया ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं साफ जानना चाहता हूं कि अध्यापक नियुक्त किये गये कि नहीं?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि तदर्थ नियुक्ति के आदेश दिये गये लेकिन उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से रोक दिये गये हैं, तो इसमें समय लगेगा। इसलिये क्या मंत्री जी जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको प्रवक्ता के पद पर और जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनको प्राचार्य के पदों पर प्रोन्नति देकर रिक्त स्थानों को भरेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

जिन श्रेणी के अध्यापकों का मा0 सदस्य ने जिक्र किया वह स्थगनादेश उच्च न्यायालय से लेकर आये हैं, इसलिये इसमें और निर्णय लेने का प्रश्न नहीं है।

आर्य विद्यालय जूनियर हाईस्कूल, ऊंचा गांव, रसमई के अध्यापकों द्वारा अनशन तथा मांगें

*5–श्री मुस्त मन्द अली खां (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के कार्यालय के सामने आर्य विद्यालय जू0 हा0 स्कूल ऊंचा गांव रसमई के अध्यापकों ने दिनांक 11-4-85 से अनशन किया था? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या थी? शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की? अध्यापकों के वेतन रोकने के लिए कौन अधिकारी दोषी थे? शासन ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां। अध्यापकों की मुख्य मांग फरवरी, 84 से उनके रोके गये वेतन भुगतान की थी। मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा के आदेश दिनांक 31 मई, 1985 द्वारा वेतन भुगतान के निर्देश दे दिये गये और वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

इसका परीक्षण कराया जा रहा है और उसके पश्चात् ही उत्तरदायित्व निर्धारित करना संभव हो सकेगा।

क्षेत्र समिति खैराबाद जिला सीतापुर की बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के अनुपस्थित होने के विरुद्ध कार्यवाही

*6–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को इसकी जानकारी है कि क्षेत्र समिति खैराबाद, जि0 सीतापुर की बैठक जो दिनांक 4-4-85 को आहूत थी, उपस्थित प्रधानों के आग्रह पर इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि जिला स्तर का कोई भी अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं था? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी के लिए क्षेत्र समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेना अनिवार्य हो। किन्तु जब क्षेत्र समिति संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी से क्षेत्र समिति की बैठक में उपस्थित रहने हेतु प्रार्थना करे तो वह बैठक में उपस्थित होगा। जो जिला स्तरीय अधिकारी बावजूद सूचना के क्षेत्र समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हुए उसके बारे में जांच करके नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा गंभीर है और इससे दोनों पक्ष के माननीय सदस्य सहमत हैं कि क्षेत्र समितियों की बैठकों में जिलास्तरीय अधिकारी नहीं जाते हैं और

न उनके प्रतिनिधि ही जाते हैं। नियमानुसार जिस पत्र का हवाला मैं देना चाहता हूं, उसकी फोटो स्टेट कापी सदन के पटल पर भेज दिया है, कि खैराबाद, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिला सीतापुर में है, वहां प्रमुख क्षेत्र समिति, खैराबाद के एजेन्डे में साफ लिखा है कि–"प्रमुख क्षेत्र समिति खैराबाद के निर्देशानुसार क्षेत्र समिति खैराबाद की एक आवश्यक बैठक दिनांक 4 अप्रैल, 1985 को 11 बजे प्रातः विकास खण्ड मुख्यालय के सूचना केन्द्र में आहूत किया जाना निश्चित किया गया है। क्षेत्र समिति के सभी सदस्यों से उपरोक्त बैठक में उपस्थित होकर मीटिंग की कार्यवाही सफल बनाने हेतु समस्त सदस्यों की उपस्थित वांछनीय है। बैठक में यदि जिला स्तरीय अधिकारी भाग नहीं लेंगे तो क्षेत्र समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी।"

चूंकि जिला स्तरीय अधिकारी मीटिंग में कभी नहीं जाते थे, इसलिये साफ लिखना पड़ा कि यदि अधिकारी नहीं आयेंगे तो बैठक स्थगित हो जायेगी। मेरे पास ब्लाक प्रमुख का पत्र है जो डी0 एम0 को लिखा गया है। बैठक 11 बजे शुरु हुई और ढाई बजे तक मैं बैठक में उपस्थित था लेकिन वहां कोई अधिकारी नहीं गया। बैठक स्थगित कर दी गई, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिला अधिकारी को निर्देशित किया कि उस पर जांच करें और रिपोर्ट दें? क्योंकि सारा प्रकरण एजेण्डा और ब्लाक प्रमुख की चिट्ठी सब उनके पास है, तो अब कौन सी वह कार्यवाही करके जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, क्षेत्र समितियों की बैठक में अधिकारियों को जाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। यह सभी माननीय सदस्यों की भी राय है, सब एक मत हैं और शासन की भी मंशा है और इसीलिए नियमों में भी प्राविधान किया गया है कि अधिकारियों को जाना चाहिए क्षेत्र समितियों की बैठक में, किन्तु यह विचार करना होगा कि प्रदेश के जिलों में कहीं 25 और कहीं 28 क्षेत्र समितियां हैं तथा हर दूसरे महीने क्षेत्र समितियों की बैठक होना अनिवार्य है। जिला स्तर के सभी अधिकारी सभी बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तो महीने में 20/25 दिन उनके इसी में लग जायेंगे, जबकि जिला स्तर पर भी तमाम समितियां हैं, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी रहते हैं मानीटरिंग समितियां होती हैं, साथ ही विभाग का काम और कार्यालय का काम भी उन्हें देखना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अब आप सम्बन्धित नियम भी देखें, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र समितियों की कार्यवाहियों की संचालन नियमावली, 1962, इसके नियम 25, उपधारा (2) में लिखा हुआ है- "शासन के निम्नलिखित अधिकारी या जिला स्तर के अधिकारी अथवा जिला की जिला परिषद् का कोई अधिकारी या पदाधिकारी क्षेत्र समिति की किसी विशेष बैठक में उपस्थित हो सकता है और जब क्षेत्र समिति उससे प्रार्थना करें तो वह उसकी बैठक में उपस्थित होगा और क्षेत्र समिति के कार्यों के सम्बन्ध में ऐसा परामर्श और ऐसी सहायता दे सकता है जो आवश्यक हो या जिसकी उससे अपेक्षा की जाए।" फिर आप उसमें देखें कि अधिकारी कौन-कौन है:–सहायक अभियन्ता (नहर), सहायक अभियन्ता (नलकूप), सहायक अभियन्ता (सार्वजनिक निर्माण विभाग), जिला सिविल सर्जन या उसका नामांकिनी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक वन अधिकारी, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, जिला पशुधन अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी

व जिला कृषि अधिकारी आदि। तो मान्यवर, क्षेत्र समिति अगर विशेष रूप से उल्लेख करे कि जिला स्तर के फलां-फलां अधिकारी की आवश्यकता है और उसको आना चाहिए तो वह आ सकते हैं, उनको आना चाहिए । जहां तक सीतापुर का प्रकरण है, एजेन्डे को देखें, तो इस एजेन्डे में यह तो लिखा है कि यदि जिला अधिकारी भाग नहीं लेंगे तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख किसी का नहीं है । अब आप उस बैठक में लिये जाने वाले विषयों की सूची देखें, तो—राशन कार्ड वितरण की प्रगति पर विचार एवं सुझाव, खरीफ अभियान की सफलता पर विचार, विकास खण्ड के कार्यरत कर्मचारियों के यात्रा भत्ता एवं अन्य देय भत्तों पर विचार, नि:शुल्क बोरिंग एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट पर विचार। यह चार मामले हैं, जिन पर उस दिन की क्षेत्र समिति की बैठक में विचार होना था और उसके लिए जो अधिकारी बुलाए गये वह हैं, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, सीतापुर, परियोजना निदेशक, सीतापुर, जिला विकास अधिकारी, सीतापुर, प्रबन्ध निदेशक, सामाजिक वानिकी, सीतापुर, अध्यक्ष, भागीरथ बैंक, सीतापुर, पशुधन विकास अधिकारी, खैराबाद, प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सीतापुर, अधिशासी अभियन्ता, नहर विभाग, सीतापुर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर । तो इस तरह आप देखें सारे अधिकारियों को उसमें बुलाया गया है। अब यह विचार करना है कि हर दूसरे महीने बैठक होगी और सारे अधिकारियों को उसमें बुलाया गया है, तो क्या शासन के सारे अधिकारी क्षेत्र समितियों की बैठक में ही सारे महीने घूमते रहें और अन्य कोई काम न हो, तब तो ठीक है, लेकिन यह तो आपको और सदन को निर्णय करना है ।

लेकिन अगर जैसा कि नियमों में है किसी विशेष कार्य के लिये किसी जिला स्तर के अधिकारी की आवश्यकता है और अगर उसी अधिकारी को बुलाया जाय और अगर वह उपस्थित न हो तो उसको नियमानुसार सजा दी जा सकती है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, यह जो सूचना भेजी गयी थी उसमें कुछ अधिकारियों को सिर्फ सूचनार्थ भेजी गयी थी और कुछ अधिकारियों को उस बैठक में निमंत्रित किया गया था। माननीय मंत्री जी ने एक्ट पढ़कर सुनाया तो उसके बाद शासनादेश भी जारी हुए हैं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि जिला स्तर का अधिकारी स्वत: बैठक में न पहुंच सके, असमर्थ हो तो उसका प्रतिनिधि वहां जा सकता है। तो जिन अधिकारियों से काम था और जिनको बुलाया गया, यदि वह अधिकारी नहीं गये तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने के लिए तैयार है। मान्यवर, जब जिला स्तर के अधिकारी बैठक में नहीं होते हैं तो जिले के विकास के लिए जो योजना भेजते हैं उनकी जानकारी नहीं मिल पाती है और क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि जो अधिकारी स्वत: वहां नहीं जा सकते तो उनके स्थान पर उनका प्रतिनिधि जाय जिससे अद्यावधिक जानकारी मिल सके और निस्तारण हो सके ? क्या ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, शासन का यह निश्चित मत है कि क्षेत्र समिति में जिस विभाग के अधिकारी की आवश्यकता है वह जरूर पहुंचे। इसके लिये मैंने विभाग से कहा है कि कड़े निर्देश जिला अधिकारियों को भेजे जायं । बैठक में उस अधिकारी को जाना चाहिये या उसका नामिनी जाय इसके लिये मैंने कहा है कि इसका कड़ाई से पालन हो । मैंने जिलाधिकारी सीतापुर से कहा है कि जिन अधिकारियों को जाना चाहिये था वह नहीं पहुंचे तो क्या कारण है । अगर वाजिब कारण दिखायी नहीं देता है तो कार्यवाही भी होगी ।

[सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 1985 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

डेरी विकास विभाग में मैनेजमेन्ट ट्रेनीज की समाप्त सेवायें तथा ट्रेनीज की सेवा काल में वृद्धि

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग ने क्लास 'दो' के 17 मैनेजमेंट ट्रेनीज की सेवायें समाप्त कर दी हैं एवं अन्य अनेक ट्रेनीज के ट्रेनिंग काल में वृद्धि कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब समाप्त हुई सेवाओं को बहाल एवं ट्रेनिंग काल में हुई वृद्धि को समाप्त कर उन्हें स्थाई करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)–

जी नहीं, विभाग ने नहीं, अपितु जुलाई, 1983 से 28 अगस्त, 1984 तक प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ की सेवा शर्तों के अनुसार तथा दिनांक 29-8-84 से "उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन तथा दुग्ध संघ केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1984" लागू होने के बाद 1 मई, 1985 तक उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार उक्त सेवा के 17 नहीं बल्कि 19 मैनेजमेन्ट ट्रेनीज की सेवा समाप्त की गई और 22 के सेवा काल में वृद्धि की गयी ।

19 में से 6 ट्रेनीज प्रशिक्षण काल में ही स्वयं बिना त्याग पत्र दिये अथवा कार्यमुक्त हुये सेवा छोड़कर चले गये । 13 ट्रेनीज का कार्य एवं आचरण न तो प्रशिक्षण काल में सन्तोषजनक रहा और न उन्हें प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण के उपरान्त अपेक्षित दक्षता एवं निपुणता प्राप्त करने के मापदण्ड के अनुरूप पाया गया।

22 ट्रेनीज प्रशिक्षण अवधि में अपेक्षित कार्यकुशलता एवं दक्षता प्राप्त करने में आंशिक रूप से सफल रहे । सुधार की संभावना को देखते हुए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्ड के अनुसार 6 माह का अवसर और प्रदान किया गया।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमानुसार एक वर्ष के प्रशिक्षण के उपरान्त मैनेजमेंट ट्रेनीज का अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं मासिक कार्य तथा आचरण रिपोर्ट तीनों के आधार पर किया जाता है । अनुवीक्षण में अनुउत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की सेवायें समाप्त

कर दी जाती है तथा आंशिक रूप में सफल होने वाले प्रशिक्षणार्थियों निके कार्य में सुधार की सम्भावना रहती है, के प्रशिक्षण काल में वृद्धि कर दी जाती है। नियमों में निकाले गये प्रशिक्षणार्थियों को पुनः सेवा में रखने अथवा बढ़ाये हुये प्रशिक्षण काल में कमी करने का प्राविधान नहीं है तथा ऐसा करना संस्था के हित में भी नहीं है ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो हमारा डेरी विकास विभाग है गुजरात की भांति आनंद पद्धति पर हमारी सरकार का चलाने का इरादा है और उसके लिए केन्द्र सरकार से पैसा भी मिला है। इसमें जो सेवा में आते हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, वैसा किसी भी विभाग में नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, मुझे निजी जानकारी है कि श्री भीम सिंह, डिप्टी मैनेजर जो डेरी में थे, उन्हें विभाग से निकाल दिया गया था, इस विभाग के विशेष सचिव श्री बृजेश कुमार जो कि सर्वेसर्वा हैं, उनसे वह मिले, तो उन्होंने 6 महीने तक, उस अधिकारी को चक्कर कटवाये, फिर उन्हें सेवा में ले लिया गया और उन्हें लालकुआं जोकि माननीय मुख्य मंत्री का क्षेत्र है, यह कह कर भेजा गया कि तुम विभाग के सबसे अच्छे अधिकारी हो। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं, उसका बहुत अच्छा काम है । मान्यवर, इनके यहां कार्य का कोई मापदण्ड नहीं है । बृजेश कुमार जी जब जिसे चाहते हैं, तो निकाल देते हैं और जब जिसे चाहते हैं रख लेते हैं । मान्यवर, जिस तरह से भीम सिंह की सेवा समाप्त करने के बाद पुनः रखा गया था, उसी तरह से 19 जो अन्य निकाले गये मैनेजमेंट ट्रेनीज हैं, उन्हें पुनः रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर जी नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि जब इनका चयन किया जाता है, तो दो साल तक ट्रेनिंग में रखा जाता है । दो साल की ट्रेनिंग में इनको 1350 रु0 की धनराशि मासिक दी जाती है । दूसरे साल में जब वह आते हैं, तब उन्हें 1750 रु0 मासिक दिया जाता है । जब ये पास कर लेते हैं और यदि 50 प्रतिशत से कम नम्बर ये पाते हैं, तो इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और यदि 50 से 60 के बीच नम्बर पाते हैं, तो 6 महीने का कार्यकाल इनका बढ़ाया जाता है। और वे योग्य घषित किये जाते हैं । दो साल के बाद फिर वे मैनेजर हो जाते हैं । इसलिए जो निकाले हुए हैं, उनको रखने का कोई प्राविधान नहीं है। जो हमने निकाले हैं, उसमें से श्री श्रीशकान्त और श्री अजय सिंह ठाकुर ये दोनों उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किये, इन दोनों व्यक्तियों की रिट खारिज हो गयी और इनका जाना वैध घोषित किया गया। इसलिए इनको दोबारा रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो 50 प्रतिशत से कम नम्बर पाते हैं उनको निकाल दिया जाता है, बाकी जो इससे ऊपर 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच नम्बर पाते हैं, उनको रख लिया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर यह नम्बर देता कौन है?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, अनुवीक्षण सेवा नियमावली की धारा 5 के अन्तर्गत गठित प्रशासनिक समिति द्वारा इसका चयन किया जाता है। उसके अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक होते हैं, उनका एक नामिनी इसमें होगा और मिल्क आयुक्त का एक नामिनी होगा और उसमें विभिन्न विषय वस्तु के विशेषज्ञ होते हैं, जोकि चयन करते हैं और जब परीक्षा होती है, तो वे नम्बर देते हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, पूरा उत्तर नहीं आया। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के लोग ही इसमें इक्सपर्ट्स हैं या इसके लिए कोई बाहर से इक्सपर्ट्स बुलाये जाते हैं?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, विभाग के ही लोग होते हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है।

आई0 टी0 कालेज, लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आई0 टी0 कालेज के सिलसिले में अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी केन्द्र, छात्राओं के शारीरिक शोषण एवं आर्थिक घोटाले की शिकायतें अप्रैल, 1985 में प्रकाश में आयीं? यदि हां, तो इतने गम्भीर आरोपों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री सिब्ते रजी–

अप्रैल, 1985 से पूर्व ही इस प्रकार की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई थी।

जांच की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था आई0 टी0 कालेज के सिलसिले में, अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी केन्द्र, छात्राओं के शारीरिक शोषण एवं आर्थिक घोटाले की शिकायतें अप्रैल में प्रकाश में आयीं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि शिकायतें प्रकाश में आयीं, तो श्रीमन्, अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी केन्द्र जैसी गम्भीर शिकायतों के बारे में महीनों बीत गये और जांच का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिकायतें जो शासन के सामने आयीं वह किसकी ओर से आयीं उसमें स्पष्ट क्या-क्या शिकायतें थीं और जो जांच हुई है वह किस स्टेज तक पहुंची है।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो शासन की नजर में शिकायतें आयीं वह ज्यादातर अखबार और समाचार पत्र के जरिए से आयी और शासन ने अपने दायित्व को पूरा करने के लिए इसमें तीन तरह की जांच नियुक्त की। एक जांच बोर्ड के द्वारा, जो झगड़ा हुआ उनके द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में, शिकायत अनुसंधान को

दी गई 9-4-85 को। उसके बाद आई0 टी0 कालेज में जो शिकायतें देखी गईं, और समाचार पत्रों से शासन को मिलीं उसके बारे में अपराध अनुसंधान विभाग को 20-4-85 को जांच के आदेश दिये गये। यह जांच चल रही है। इसके अतिरिक्त जो शारीरिक और इस तरह की बातें आयी थीं, जिससे सम्मान को ठेस पहुंचती है, उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से एक महिला अधिकारी को नियुक्त किया। जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में, जो आरोप लगाये गये थे कि छात्राओं के जो आवासी हैं, वहां गलत किस्म की बातें होती हैं, वह आरोप गलत पाये गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो भी शिकायतें आयी हैं अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी केन्द्र से, उसमें जांच किससे करा रहे हैं? तथा उसमें शिकायतें क्या हुई हैं?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, जितने आरोप लगे हैं उनकी जांच सी0 आई0 डी0 के जरिये कराई जा रही है। मान्यवर, यह गोपनीय जांच है और यदि उन आरोपों के बारे में ज्यादा कहा जायेगा तो वह जनहित में उचित नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी केन्द्र की बात कही गई है। तमाम ऐसे देश हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, दोस्ताना है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन देश या विदेश के बारे में जासूसी प्राप्त हुई?

श्री सिब्ते रजी–

यह जांच के बाद बताया जा सकता है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस देश का जासूसी केन्द्र था? अब कितने जासूसी केन्द्रों की जांच चल रही है?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकरण में बहुत सी बातें अखबार में समाचार पत्रों में छपी हैं कि वहां जो प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई वह स्वयं विदेशी नागरिक थी, तो वह किस प्रकार नियुक्त की गई?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर दे चुके हैं कि सी0 आई0 डी0 से जांच करा रहे हैं।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मैंने प्रधानाचार्य के बारे में पूछा है?

श्री राजेन्द्र गुप्त–

इससे पहले भी विधान सभा में यह प्रश्न उठ चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी का मामला है। सी0 आई0 डी0 को सन्दर्भित किया गया है। इसमें दूसरे प्रान्तों और दूसरे देशों का मामला है। क्या सी0 आई0 डी0 इसकी जांच करने में सक्षम होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे कि इस मामले की जांच सी0 बी0 आई0 से करा ली जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सी0 बी0 आई0 से जांच कराने के लिए यह मामला केन्द्र सरकार को सन्दर्भित न करने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद कुछ कहा जा सकता है।

*3–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[24वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट (संस्थागत) की परीक्षाओं के अपूर्ण परीक्षाफल

*4–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 1983-84 के हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट (संस्थागत) के परीक्षाफलों में कुल कितने परीक्षाफल अपूर्ण थे? इनमें से पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में कितने परीक्षाफल रोके गये ? इन परीक्षाफलों को अतिशीघ्र घोषित करते हुए भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या-क्या स्थायी कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैंने परीक्षाफल के बारे में पूछा था यह मामला 83-84 से सम्बन्धित है, उत्तर आया सूचना एकत्रित की जा रही है। लेकिन जो मैंने यह पूछा था कि इन परीक्षाफलों को अतिशीघ्र घोषित करते हुए भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या स्थायी कार्यवाही की गयी है। मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है उसके बारे में बता दें और परीक्षाफल कब तक घोषित हो जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, हमारा माध्यमिक बोर्ड सतत प्रयास कर रहा है कि परीक्षाफल शीघ्र घोषित हों। इस प्रश्न में जो सूचना मांगी है, उसके बारे में मैंने अनुरोध किया कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम्य विकास विभाग में पुनरीक्षित स्टाफिंग पैटर्न स्वीकृत किये जाने पर विचार

*5–श्री मित्रसेन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया है? यदि हां, तो क्या इसका लाभ कर्मचारियों को मिल चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम्य विकास विभाग में 31-5-82 से स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया था जिसे बाद में वित्त विभाग के निर्देशों से स्थगित कर दिया गया है।

जी हां, कतिपय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है जिसके कार्यान्वयन को 7-12-83 से स्थगित कर दिया गया है।

पुनरीक्षित स्टाफिंग पैटर्न स्वीकृत करने का मामला वित्त विभाग के परामर्श हेतु शासन में विचाराधीन है।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर में ही आपस में विरोधाभास है। 23-5-82 को लागू किया गया और 7-12-83 को खत्म हो गया। मंत्री जी ने कहा वित्त विभाग के निर्देश से रोक दी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय लागू किया गया, उस समय वित्त विभाग की अनुमति नहीं ली गयी थी? यदि नहीं ली गयी थी, तो लागू कैसे किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वित्त विभाग की अनुमति से लागू किया गया था किन्तु लागू करने के बाद कुछ अन्य विभाग के कर्मचारियों ने इसमें आपत्ति प्रगट की, उसके बाद उसका परीक्षण करने के बाद वित्त विभाग ने स्थगित कर दिया कि अभी लागू न किया जाय। पुनर्विचार हो रहा है।

(इस समय 12 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पीठासीन हुए)

उसके सिलसिले में मैंने जवाब दिया कि इस पर वित्त विभाग पुनर्विचार कर रहा है और बहुत शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस पर जल्द ही विचार हो जायेगा। क्या वित्त विभाग ने अपनी अनुमति दे दी है इसलिए लागू करने में जल्दी हो जायेगी या अभी अनुमति लेना बाकी है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, वित्त विभाग से विचार-विमर्श हो रहा है उन्होंने कुछ क्वैरी मांगी है और वह उनको दी गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्टाफिंग पैटर्न की बात कही है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्टाफिंग पैटर्न क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जिला विकास कार्यालय में जो पे स्केल स्वीकृत की गयी उसमें जिला स्तर के अन्य कार्यालयों के समान जिला विकास कार्यालय के प्रधान लिपिक को भी वही वेतनमान दिया जाय। बाद में वित्त विभाग ने कहा कि जिले में डिवीजन के आफिस हैं जैसे पी0 डब्लू0 डी0 में डिवीजन के आफिस हैं इसी पैटर्न पर उनको भी मिलना चाहिए। उस पर भी विचार-विमर्श हुआ। उस पर कई क्वैरी वित्त विभाग ने की, ग्राम्य विकास से सूचना भी मांगी और इस पर विचार हो रहा है कि किसके समान उनका होना चाहिए।

फैजाबाद डिपो में ओवरहेड टैंक का पुनर्निर्माण

*6–श्री अवधेश प्रसाद (अनुपस्थित)–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद स्थित फैजाबाद डिपो में ओवरहेड टैंक 4 लाख रुपये की लागत में किस सन् में निर्मित हुआ है जो अभी तक बेकार पड़ा है तथा आवंटित धन का गलत रूप से व्यय होने के कारण ओवरहेड टैंक सही ढंगसे नहीं बन पाया और अभी तक चालू नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

राजकुमार संजय सिंह–

फैजाबाद डिपो कार्यशाला में ओवरहेड टैंक पम्प हाउस एवं पाईप लाइनों का कार्य वर्ष 1979 में 56 हजार रुपये की लागत से पूर्ण किया गया । बाद में पम्प लगाने पर देखा गया कि उपलब्ध नलकूप प्रयोग लायक नहीं था अतः पुनः नलकूप के निर्माण उपरान्त यह जल सुविधा 19-4-85 को पूर्णकर प्रयोग के लिये उपलब्ध है । कार्य को सम्पन्न कराने में पर्याप्त सावधानी न दिखाये जाने के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है ।

पब्लिक जूनियर हाईस्कूल ऊमथरी (निथुरी) जनपद बस्ती में त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत संस्कृत/उर्दू अध्यापकों का वेतन का भुगतान

*7–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पब्लिक जूनियर हाईस्कूल ऊमथरी (निथुरी) जनपद बस्ती में त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत संस्कृत/उर्दू अध्यापकों का वेतन शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1-7-77 से अब तक भुगतान नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों और कौन दोषी है? क्या मंत्री जी अविलम्ब वेतन भुगतान कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, पता नहीं क्यों मंत्री जी को क्या परेशानी है कि जितने प्रश्न मैंने इस सदन में किये हैं सबमें केवल इतना उत्तर है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह

आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि यह सत्र समाप्त होने के पहले इस प्रश्न का उत्तर इसी सत्र में देने की कृपा करेंगे या इस प्रश्न का उत्तर देने में भी अपने विभाग से सूचना एकत्र करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि यह उनकी योग्यता का परिचायक है कि उन्होंने हमेशा ऐसे वृहत आकार के प्रश्न दिये हैं कि उसमें उसी तरह से उत्तर देना होता है, जब भी समय आयेगा उसकी सूचना दी जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा –

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री का विभाग बिल्कुल अक्रमण्य हो गया है । हमारे 6 प्रश्न हैं और सब में यही उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । आपकी पीठ से भी इस प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है कि इस तरह के उत्तर न दिया करें ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर केवल यह है कि माननीय सदस्य विस्तत प्रश्न करते हैं । मान्यवर, बहुत थोड़े में यह प्रश्न है कि क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पब्लिक जूनियर हाई स्कूल ऊमथरी (निथुरी) जनपद बस्ती में त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत संस्कृत/उर्दू अध्यापकों का वेतन शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1-7-77 से अब तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कौन दोषी है? क्या मंत्री जी अविलम्ब भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह टालू मिक्सचर जवाब देकर अब तक सदन को गुमराह करते रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, बताना चाहता हूं कि यह सवाल माननीय मंत्री जी से 14-5-85 को पूछा गया था, लेकिन अब तक सूचना ही मांगी जा रही है। इनको इस्तीफा देना चाहिए। केवल एक स्कूल से जरा सी सूचना मंगा कर यह नहीं दे सके। मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें कि भविष्य में इसके लिए कोई तिथि निश्चित कर दें। ये हर प्रश्न पर कहते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है। पता नहीं कहां से इन्होंने टाल् मिक्सचर का यह आधार ढूंढ लिया है।

श्री अधिष्ठाता –

यह प्रश्न 15 दिन बाद स्वयं आ जायगा ।

शिक्षा अधीक्षक, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के कार्यालय में कतिपय लिपिकों द्वारा गम्भीर अनियमिततायें किये जाने की जांच

*8–श्री किरन पाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द किशोर, लिपिक, श्री ओ0 पी0 चन्द्र लिपिक, श्री बाबू लाल गुप्त, मुख्य लिपिक कार्यालय शिक्षा अधीक्षक, खुर्जा जनपद बुलन्दशहर को गंभीर अनियमितताओं व घोटाले के संबंध में वर्ष 1975 में की गई जांच के दौरान दोषी पाया गया था तथा उक्त तीनों व्यक्ति इस संबंध में कई महीने

जिला कारागार, बुलन्दशहर में बंद भी रहे? यदि हां, तो उक्त तीनों को निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी –

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिव हर्ष किसान पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बस्ती में प्राधिकृत नियंत्रक की स्वीकृति से क्रय की गई एम्बेसडर कार

*9–श्री राम सरन तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शिव हर्ष किसान पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बस्ती विगत ढाई वर्षों से प्राधिकृत नियंत्रक की देख रेख में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त कालेज के प्रयोग हेतु प्राधिकृत नियंत्रक की स्वीकृति से एक पुरानी अम्बेसडर कार रु0 92490.62 में क्रय की गई है ? यदि हां, तो उसे खरीदने हेतु प्राधिकृत नियंत्रक ने क्रय से पूर्व विधिवत् वित्तीय स्वीकृति दी थी ? यदि नहीं, तो उक्त अम्बेसडर कार किसके आदेश से किस फर्म से क्रय की गई तथा उक्त कार के क्रय का औचित्य क्या है ?

श्री सिब्ते रजी –

जी हां ।

नई अम्बेसडर कार 86480 रु0 29 पै0 में क्रय की गई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य स्थगन की दूरियां बस्ती व गोण्डा जनपद में महाविद्यालय की भूमि की व्यवस्था के दृष्टिकोण से कार खरीदी गई है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कार खरीदी गयी। इस विद्यालय में लड़कों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। पाली में क्लासेज चलती हैं। बहुत बड़ा स्कूल है। अधिक से अधिक एडमीशन होते हैं और कार की खरीद के लिए कारण क्या बताया गया है कि कार्य स्थानों की दूरियां, बस्ती व गोण्डा जनपद में महाविद्यालय की भूमि की व्यवस्था के दृष्टिकोण से कार खरीदी गयी है। और इस पर प्राधिकार नियंत्रक ने भी आदेश दे दिया। तो मान्यवर, यह बताएं कि क्या इस भूमि व्यवस्था के लिए विद्यालय के पास कोई ट्रैक्टर भी उपलब्ध है। खेती के लिए ट्रैक्टर जरूरी है कि कार।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, वैसे तो यह इस प्रश्न का अनुपूरक नहीं बनता। लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं तो सूचना एकत्र करके भेज दी जायगी।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, ये जानबूझ कर रायबरेली के एक व्यक्ति को, जो भ्रष्ट है, शराब पीता है, अय्यासी करता है और लड़कियां लाता है, उसे इन्होंने प्रिंसिपल बना दिया है . . . .

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किया जाता है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

आई0 टी0 कालेज, लखनऊ को सोसायटी को दिया गया अनुदान

*10–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आई0 टी0 कालेज लखनऊ की सोसायटी पंजीकृत नहीं है तथा लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस सोसायटी को मान्यता नहीं दी है फिर भी करीब 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में विभाग दे रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सोसायटी के पंजीयन का नवीनीकरण 9 अक्तूबर, 1983 तक था।

विश्वविद्यालय द्वारा सोसायटी को मान्यता नहीं दी जाती है। सोसायटी को अनुदान नहीं दिया जाता है। किन्तु कालेज के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु "वेतन संदाय खाते" में पोषण अनुदान दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुस्लिम निस्वां हायर सेकेण्डरी स्कूल, सीतापुर के प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं का वेतन

*11–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुस्लिम निस्वां हायर सेकेण्डरी स्कूल, सीतापुर के प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं को मई, 1983 से अब तक वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? वेतन कब तक दिला दिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, आप कृपा करके मेरा प्रश्न देखें। 15-5-85 को यह प्रश्न है, 2 माह पूर्व इसे शासन के पास भेजा गया। यह सूचना तो मान्यवर, टेलीफोन से एकत्र की जा सकती है। सचिवालय स्थित इनके उप सचिव ही डी0 आई0 ओ0 एस0 से फोन पर यह पूछ सकते थे कि क्या यह सही है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें किस बिन्दु पर सूचना एकत्र की जा रही है?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, कभी-कभी सूचना प्राप्त हो जाती है, परन्तु उसके बाद भी उत्तर जब देना होता है तो उसमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। अगर उससे संतोष नहीं होता है, तो उसमें क्वेरीज की जाती हैं। यहां यह कह दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

अभी माननीय मंत्री जी ने योग्यता की बात कही थी। माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी के सवाल में और माननीय गुप्त जी के सवालों में उन्होंने एक सा उत्तर दिया। मान्यवर, क्या योग्यतम सदस्यों के योग्यतम उत्तर के लिए योग्यतम मन्त्री जी इस प्रश्न के उत्तर को स्थगित करने की कृपा करेंगे?

श्री अधिष्ठाता–

इसका उत्तर 15 दिन के बाद स्वयं ही आ जायेगा।

विशम्भर नाथ इण्टर कालेज रतनपुर, गोरखपुर की संस्थागत परीक्षाओं का बदला गया परीक्षा केन्द्र

*12–श्री हर्ष वर्धन (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशम्भर नाथ इण्टर कालेज रतनपुर, गोरखपुर की संस्थागत छात्राओं का परीक्षा केन्द्र नौतनवां स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज में निश्चित था परन्तु परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 घण्टे पूर्व उक्त परीक्षा केन्द्र बदला गया? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नये स्थान पर परीक्षा कराने हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रश्न-पत्र, परीक्षा के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व नौतनवां गोरखपुर में उपलब्ध हुये? इस स्थिति में नये केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी कौन है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

चाचा नेहरू बाल मंदिर हाई स्कूल आंवला, बरेली में स्थाई प्रधानाचार्य का रिक्त पद

*13–श्री कमल किशन पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चाचा नेहरू बाल मंदिर हाई स्कूल आंवला (बरेली) में स्थाई प्रधानाचार्य का पद सन् 1980 से ही रिक्त चल रहा है? यदि हां, तब आज तक आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया किस आधार पर रुकी हुई है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां। विद्यालय के प्रबन्धक ने प्रधानाचार्य के पद का अधियाचन जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली को अप्रैल, 1985 में भेजा। जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा उक्त अधियाचन का प्रस्ताव दिनांक 6-5-85 को सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा प्रश्नगत पद पर चयन हेतु 20-7-85 को विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।

श्री कमल किशन पाण्डेय–

मान्यवर, रिक्ति 1980 में हुई है, सन् 1985 में इसे भेजा गया है। यह 5 वर्ष का जो विलम्ब हुआ है, क्या उसके सम्बन्ध में मैनेजमेंट से कोई पूछताछ की है?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, यह प्रश्नगत विद्यालय जो है 1974 में हाईस्कूल हुआ था। फरवरी, 1980 को इसे अनुदान सूची पर लाया गया। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली ने अपने पत्र दिनांक 15-5-81 द्वारा विद्यालय के अध्यापक श्री आफताब अहमद को, जिनका एल0 टी0 ग्रेड में 1-2-80 से विनियमतीकरण जनवरी, 1981 में किया गया था, प्रधानाचार्य के पद पर समायोजित किया गया। श्री आफताब अहमद का समायोजन नियमानुकूल नहीं था। यह अनियमितता 1983 में प्रकाश में आयी। दिनांक 27-7-83 को नये डी0 आई0 ओ0 एस0 ने प्रबन्धक को अधि-याचन के लिए लिखा। उसके बाद कई पत्र उन्होंने इस सम्बन्ध में लिखे, अधियाचन करने के सम्बन्ध में, लेकिन प्रबन्धतन्त्र ने सहयोग नहीं दिया। फिर एकल संचालन भी कराया गया। तब प्रबन्धक ने अधिचयन सम्बन्धी कागजात अप्रैल, 1985 में जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली को प्रेषित किये। उन्होंने तुरन्त ही सम्बन्धित कागजात सेवा आयोग को भेज दिये। जैसा कि मैंने बताया माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा प्रश्नगत पद पर चयन हेतु 20 जुलाई, 1985 को विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।

अब इस प्रकरण में जिस स्तर पर देरी हुई है, और किसी बदनीयती से देरी की गई है या जो स्थिति है, उसको मैं जांच करवाऊंगा और जो अधिकारी दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बरेली में ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पद

*14–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में 25 ग्राम सभा सचिवों की रिक्तियों को भरने हेतु 5 अगस्त, 1984 को परीक्षाएं हुई थीं? यदि हां, तो परीक्षाफल घोषित करके अभी तक चयन प्रक्रिया पूरी न करने का क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

जनपद बरेली में पूर्व में तदर्थ रूप से नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को इन रिक्त पदों पर समायोजन करने का मामला विचाराधीन था।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज तिलहर, शाहजहांपुर में हरिजन छात्रों की शिक्षण शुल्क क्षतिपूर्ति अनुदान

*15—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज तिलहर, शाहजहांपुर ने वर्ष 1976-77 से वर्ष 1983-84 तक हरिजन छात्रों की शिक्षण शुल्क क्षतिपूर्ति का जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से 41036·27 रुपये प्राप्त किये हैं किन्तु शिक्षण शुल्क का 80 प्रतिशत वेतन वितरण खाते में तथा छात्रनिधियों का अंश छात्र निधियों के खाते में जमा नहीं किया है? यदि हां, तो शासन प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री सिब्ते रजी—

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा हरिजन छात्रों की शिक्षण शुल्क क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान सीधे विद्यालय के प्रबन्धक को किया गया।

मूल अभिलेखों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक को मार्च 31, 1984 को लिखा गया, किन्तु प्रबन्धक ने दिनांक 1-12-84 को स्मरण कराने के उपरान्त भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये। तदुपरान्त 17 जुलाई, 1985 को प्रबन्धक को अनुदान से संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रबन्धतंत्र द्वारा हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कितनी धनराशि छात्र निधियों में तथा कितनी वेतन वितरण खाते में जमा की गयी। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी को दिनांक 20-7-85 को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे इस संस्था के लेखों का आडिट कर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

प्रदेश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या को कम करने हेतु उपाय

*16—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सन् 1971 की जनगणना के समय प्रदेश में अनपढ़ लोगों की 6 करोड़ 91 लाख की संख्या बढ़ कर वर्ष 1981 की जनगणना के समय 8 करोड़ 5 लाख हो गयी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस अवधि में अनपढ़ लोगों की संख्या को नियंत्रित और कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जी नहीं।

इस हेतु उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रयास किये गये। फलतः वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों की संख्या में लगभग 1 करोड़ 11 लाख की वृद्धि हुई।

प्रदेश के बजट में प्राथमिक शिक्षा को आवंटित धनराशि

*17—श्री कल्याण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक प्रदेश के बजट में शिक्षा मद के लिए स्वीकृत धनराशि में से प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी एजूकेशन) पर प्रति योजना में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई? क्या यह सच है कि प्राइमरी शिक्षा को आवंटित धनराशि का प्रतिशत प्रतियोजना घटता गया है? यदि हां, तो घटोत्तरी का प्रतिशत क्या है और उसके कारण क्या है?

श्री सिब्जे रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद वाराणसी में पंचायत सेवकों की नियुक्ति के संबंध में मांगे गये आवेदन पत्र

*18—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में अक्तूबर, 1982 में पंचायत सेवकों की नियुक्ति के संबंध में पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो पंचायत राज अधिकारी के खाते में आवेदन शुल्क के रूप में कितनी धनराशि जमा हुई? क्या उनकी परीक्षायें करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

रु0 33,222 मात्र जमा हुये थे।

जी नहीं।

अपरिहार्य कारणों से तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा परीक्षायें स्थगित कर दी गई थीं।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटहेरी में अन्त्योदय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच

*19—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटहेरी में अन्त्योदय योजना में हुये भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता की लिखित शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी, फैजाबाद के आदेश पर शिकायतों की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री हरी राम ने भीटी ब्लाक के रिउना, मदारभारी और तरसावां ग्रामों में मौके पर जाकर किया था और शिकायतों को सत्य पाया था? क्या इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी फैजाबाद को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-1-84 का पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और अभी तक मामले में एफ0आई0आर दर्ज न कराने के लिये कौन दोषी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा मामले की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से कराई गयी थी । उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में लाभार्थियों को डनलप गाड़ी आदि के प्रकरण पर अभिलेखों को समुचित छानबीन व स्थलीय सत्यापन अपर जिलाधिकारी (विकास) से कराने का सुझाव दिया था । अपर जिलाधिकारी (विकास) की रिपोर्ट के अनुसार केवल मदारभारी के श्री बरसाती पुत्र खेलावन को डनलप गाड़ी, लकड़ी व्यापारी द्वारा आपूर्ति नहीं की गई है। दिनांक 18-1-84 का कथित पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ था । सम्बन्धित लकड़ी व्यापारी के विरुद्ध तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा थाना अकबरपुर में दिनांक 28-1-80 को ही रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी जिस पर विवेचना के बाद न्यायालय में मुकदमा चला किन्तु 10-5-84 को न्यायालय जे0एम0 तृतीय ने सम्बन्धित व्यापारी मुनेश्वर प्रसाद पुत्र राम अभिलाख, निवासी अकबरपुर को बरी कर दिया ।

प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों को विशेष अनुदान एरियर एवं बोनस तथा विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान का भुगतान

*20–श्री रजनी कान्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों को 1984-85 के लिये विशेष अनुदान एरियर एवं बोनस तथा विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1983 तक वर्गीकृत प्रथम श्रेणी के लिपिक, परिचारकों के पद स्वीकृत कर उनका भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलिया में एन0 आर0 पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन

1–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में एन0 आर0 पी0 के अंतर्गत स्वीकृत योजनायें धनाभाव के कारण अधूरी है या प्रारम्भ नहीं हो रही है ? यदि हां, तो उक्त योजनायें कब तक शुरू कर दी जायेंगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1985-86 में बलिया जनपद को 48 लाख रुपये की पहली किश्त अवमुक्त की जा चुकी है । जिला से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1984-85 में आरम्भ किये गये तथा अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु ही बलिया जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कार्यदायी विभागों को पहली किश्त अवमुक्त की गयी है।

जनपद बलिया में भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाएं

2—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में कितने प्राइमरी पाठशाला भवन विहीन हैं, इन्हें किस पचवर्षीय योजना तक भवन प्रदान करने का, सरकार का विचार है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

3—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[उरे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया के अध्यापकों पर किए जा रहे उत्पीड़न संबंधी शिकायती पत्र

4—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपाररानी, देवरिया के प्राध्यापकों ने अपने संघ की स्थानीय इकाई के माध्यम से अपने विरुद्ध किए जा रहे उत्पीड़नों के संबंध में निरन्तर आपसे शिकायतें की है? यदि हां, तो प्रबन्धतंत्र द्वारा अध्यापकों पर किए जा रहे उत्पीड़न से राहत दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

मंत्री शिक्षक संघ मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरिया के शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे ।

शिकायतों के आधार पर कालेज में प्रबन्धक को उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई है ।

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया में प्राक्टर तथा प्रबंधक से रिश्ता

9067

5—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपाररानी, देवरिया का प्राक्टर कौन है ? क्या यह सज्जन उक्त पद के लिए वैध है तथा इनका वर्तमान प्रबंधक से क्या रिश्ता है?

श्री सिब्ते रजी—

विगत सत्र में श्री राम नयन मिश्र प्राक्टर थे । सम्प्रति कोई नहीं है । महाविद्यालयों में प्राक्टर के पद के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है । यह प्रबन्धक के सगे भाई है ।

जिला देवरिया के विकास खण्डों को कच्ची व पक्की सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

6—श्री रणजीत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 में जिला देवरिया के किन-किन विकास खण्डों को कितनी-कितनी धनराशि कच्ची व पक्की सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित की गयी थी, उसमें से संबंधित विकास खण्डों में कितनी-कितनी धनराशि खर्च करके कितना-कितना निर्माण कराया गया तथा शेष सड़कों पर जहां मिट्टी डालने का काम हो चुका है और वहां कब तक खड़न्जा लगवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1984-85 में जिला देवरिया के विकास खण्डों को विकास खण्डवार कच्ची व पक्की सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि, उसके विपरीत व्यय की गयी धनराशि तथा कराये गये कार्य का विवरण संलग्नक में अंकित है । जिन सड़कों पर मिट्टी का कार्य हो चुका है उन पर धन की उपलब्धता के अनुसार सोलिंग का कार्य किया जा सकेगा ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 192 पर।)

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपाररानी, देवरिया के प्रबंध तंत्र के विरुद्ध कार्यवाही

7—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपाररानी, देवरिया का वर्तमान प्रबंध तंत्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 के अनुसार वैध है ? यदि वैध नहीं है, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 में प्रबन्ध तंत्र के गठन एवम् अनुमोदन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के दयानन्द इण्टर कालेज अमृतापुर के छात्र छात्राओं को इण्टर एवं हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जाना तथा परीक्षा केन्द्र दूर किये जाने का कारण

8—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 की 21 मार्च से प्रारम्भ होने वाली हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षा में जनपद फर्रुखाबाद के दयानन्द इण्टर कालेज, अमृतपुर के लगभग सभी छात्र छात्राओं को इण्टर एवं हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका गया, यद्यपि उनका परीक्षा शुल्क जमा था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कितने छात्र एवं छात्राएं हैं जिन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका गया है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

9–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दयानन्द इण्टर कालेज, अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद के बोर्ड की वर्ष 1985 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हाई स्कूल एवं इण्टर के लगभग 400 छात्रों का परीक्षा केन्द्र अमृतपुर से हटाकर 30 किलोमीटर दूर, शहर फर्रुखाबाद में कर दिया गया जिसके कारण छात्र, छात्राओं को शहर में परीक्षा के दिनों में आवास सुविधा न मिल सकने के कारण भारी असंतोष रहा और ऐसी धारणा है कि सैकड़ों निर्धन छात्र एवं छात्राएं आवास की व्यवस्था न कर सकने के कारण परीक्षा देने से वंचित रह गये ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

10–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षा केन्द्र स्वयं दयानन्द इण्टर कालेज, अमृतपुर ही न बनाकर अथवा समीप राजेपुर ब्लाक में ही स्थित महात्मा गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, राजेपुर में करके उन निर्धन विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था न करने का क्या कारण था?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सिरौली, जनपद बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल के अधूरे भवन के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

11–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिरौली, विकास खण्ड दरियाबाद, जनपद बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल का भवन विगत 5 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है? क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बाराबंकी को 16-3-85 को कोई पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो अधूरे भवन निर्माण को पूरा करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती में लगाये गये बायोगैस संयंत्रों को सही ढंग से कार्य न करने के बारे में पत्र

12–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 14 सितम्बर, 84 बाबत विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती में लगाये गये बायोगैस संयंत्रों के सही ढंग से कार्य न करने के बारे में श्री के0 के0 रंघर, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बायोगैसों को ठीक कराये जाने के बारे में विभाग द्वारा

अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सत्य है कि संयुक्त सचिव ने उपरोक्त बायोगैसों की जांच प्रशिक्षण केन्द्र चरगवां, गोरखपुर के द्वारा विशेषज्ञ दल भेजकर कराया है? यदि हां, तो विशेषज्ञ दल की आख्या क्या है और उपरोक्त बायोगैसों के ठीक से न काम करने के बारे में कौन दोषी है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय विधायक का पत्र जो वस्तुतः दि0 24-9-83 का है, शासन को प्राप्त हुआ है। इस मामले में जांच कराने एवं खराब संयंत्रों को ठीक कराने हेतु तार द्वारा दि0 27-9-83 को आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र चरगवां, गोरखपुर को निर्देश भेजे गये तथा जिला विकास अधिकारी, बस्ती को भी पत्र भेजा गया था।

जी हां।

विशेषज्ञ ने यह विचार व्यक्त किया है कि संबंधित संयंत्रों का निर्माण कार्य त्रुटिपूर्ण है जिसके लिये मिस्त्री दोषी पाया गया है।

श्री दीनानाथ सिंह, सहायक प्रध्यापक, प्राइमरी पाठशाला हरिपुर, जिला बलिया के विरुद्ध आरोपों की जांच

13–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दीनानाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय राम एकबाल सिंह, सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, हरिपुर, ब्लाक दूबहड़ परगना, जिला बलिया के विरुद्ध अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, 307 आई0 पी0 सी0 के जघन्य अपराध आदि के गम्भीर आरोप हैं? क्या यह भी सही है कि स्थानीय विभागीय अधिकारियों की उदासीनता व उपेक्षा के कारण उक्त सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्या शासन ऐसे सहायक अध्यापक का कहीं स्थानान्तरण कर शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दंडित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ पट्टी, ढखवा राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अवैधानिक बसों के आपरेशन को रोकने हेतु कार्यवाही तथा बुकिंग आफिस पट्टी की आय में गिरावट

14–श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ पट्टी, ढखवा राष्ट्रीयकृत मार्ग पर भारी संख्या में अवैधानिक ढंग से निजी बसों के आपरेशन के कारण उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों का चलना करीब-करीब बन्द हो गया है? यदि हां, तो शासन अवैधानिक बसों के आपरेशन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है?

राजकुमार संजय सिंह–

जी नहीं । प्रतापगढ़-पट्टी ढखवा मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा 14 अप व 14 डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं एवं प्रतापगढ़-पट्टी-चान्दा कादीपुर मार्ग के दस स्थायी परमिटों से आच्छादित निजी बसें प्रतापगढ़-पट्टी एवं चान्दा से दोधारघाट तक सक्षम प्राधिकरण उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ से अधिकार पत्र प्राप्त करके चलायी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अनधिकृत संचालन का प्रयास करने वाली बसों को समय-समय पर चेकिंग करके उनका नियमानुसार चालान करके मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जाता रहा है।

15–श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अवैधानिक बसों के आपरेशन के कारण बुकिंग आफिस पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की आमदनी पिछले 5 वर्षों से निरन्तर घटती जा रही है? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

राजकुमार संजय सिंह–

यह सही नहीं है कि बुकिंग आफिस पट्टी की आय में गत वर्षों से गिरावट आयी है। केवल वर्ष 1981-82 व 1982-83 में आय में कुछ गिरावट अवश्य आयी थी, जिसका कारण यह था कि बलबई से पट्टी वाया चान्दा मार्ग के आपरेटरों ने पट्टी-प्रतापगढ़ राष्ट्रीयकृत भाग पर कोरीडोर प्रतिबन्ध के साथ परमिट जारी करने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे और तद्नुसार संभागीय परिवहन प्राधिकरण, फैजाबाद द्वारा परमिट जारी कर दिये गये थे और निजी बसों का संचालन राष्ट्रीयकृत भाग पर होने लगा था । बाद में दिनांक 19-3-83 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह याचिकायें खारिज कर दिये जाने पर प्रश्नगत निजी बसों का संचालन बन्द हो गया और इससे पट्टी स्टेशन की आय में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

आर0 एन0 तिवारी, निलम्बित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखंड, बस्ती के विरुद्ध शिकायतों की जांच

16–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एन0 तिवारी, निलम्बित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण प्रखंड बस्ती के विरुद्ध किन-किन जनपदों में सरकारी धन के दुरुपयोग एवं गबन के मामले जांच के दौरान पाये गये तथा उनसे सम्बन्धित अन्तिम जांच आख्या क्या है और कुल कितने धन के दुरुपयोग का मामला शासन के प्रकाश में आया है? क्या यह सही है कि वह रिश्वत के बलबूते पर सारे मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी शिकायत सरकार को प्रश्नकर्ता ने पत्र लिखकर किया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री आर0 एन0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, के प्रखण्ड वाराणसी, बस्ती एवं फर्रूखाबाद से संबंधित कार्यकाल में सरकारी धन के दुरुपयोग एवं गबन संबंधी विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुयीं ।

प्रखण्ड वाराणसी में श्री आर0 एन0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता ह्यूम पाइप के क्रय के निमित्त मु0 6,55,000 रुपये की धनराशि को अवरुद्ध करने के साथ ऊंची दरों पर दरी क्रय करने के निमित्त मु0 11,628 रु0 की शासकीय क्षति पहुंचाने एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये।

नियम 301 के अंतर्गत की गयी शिकायत की जांच के फलस्वरूप प्रखण्ड बस्ती में 289-योजनान्तर्गत निर्मित गौर से टिनीच सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग कार्य में मु0 65,720/- रु0 की शासकीय क्षति के विरुद्ध श्री तिवारी अधिशासी अभि0 की आंशिक रूप से प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये ।

प्रखण्ड फर्रूखाबाद के कार्यकाल के दौरान श्री तिवारी, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध 13.27 लाख रुपये के अनावश्यक एवं अनौचित्यपूर्ण रूप से हयूम पाइपों के क्रय से संबंधित आरोप स्थापित पाये गये ।

कुल 20,59,348/- रुपये के शासकीय धन को अवरुद्ध करने से सम्बन्धित प्रकरण प्रकाश में लाये गये। जनपद फर्रूखाबाद से सम्बन्धित प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है। अवशेष प्रकरणों पर अनुशासनिक जांच प्रगति में है।

यह सही नहीं है। समस्त प्रकरणों पर अनुशासनिक जांच प्रारम्भ कर दी गयी है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखंड, बस्ती को आवंटित धनराशि तथा व्यय

17—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण प्रखण्ड बस्ती को वर्ष 83-84 में 289 के अन्तर्गत जो 17 लाख रुपये की धनराशि सरकार द्वारा दी गई थी, वह धन किन-किन कार्यों पर कितना-कितना खर्च किया गया ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने इस धन के प्राप्त होने की जानकारी से जिलाधिकारी, बस्ती को अथवा मा0 विधायकों की जिला कमेटी को भी अवगत कराया था? यदि नहीं, तो उपरोक्त धन के अपने मनमाने ढंग से खर्च करने का क्या आधार है? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1983-84 में बस्ती प्रखण्ड को प्रश्न में उल्लिखित धनराशि (17 लाख रुपये) व्यय की गयी ।

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस धन के प्राप्त होने की जानकारी जिलाधिकारी बस्ती अथवा माननीय विधायकों की जिला कमेटी को नहीं दी गयी क्योंकि यह आवंटन क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत एवं पुलिया निर्माण हेतु प्राप्त हुआ था और यह जानकारी देना आवश्यक नहीं था ।

उपरोक्त आवंटन से 21 क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत, पुलिया निर्माण एवं सोलिंग का कार्य सम्पन्न कराया गया। ऐसे मार्गों की सूची व कार्य का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 194 पर)

अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ प्रोन्नति एवं तदर्थ नियुक्त अध्यापकों का नियमितीकरण किये जाने के संबंध में कार्यवाही

18—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ प्रोन्नति एवं तदर्थ नियुक्त अध्यापकों को उन्हीं सेवा शर्तों में कार्यरत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की तरह राजाज्ञा सं0 19-5-81 कार्मिक-1 लखनऊ, दिनांक 22-3-84 के अन्तर्गत नियमितीकरण नहीं किया गया है? इस सन्दर्भ में गत नवम्बर माह में हुए आन्दोलन के समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री वीरसेन के लिखित आश्वासन को अब तक क्रियान्वित न करने का क्या कारण है ? इन्हें कब तक नियमितीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

मौलिक रिक्तियों में जिला विद्यालय निरीक्षकों/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं द्वारा विज्ञापन के माध्यम से गुणांकों के आधार पर चयन करके सीधी भर्ती से नियुक्त तदर्थ अध्यापकों जिनके स्थान पर आयोग द्वारा चयन न किया गया हो, के नियमितीकरण हेतु आवश्यक व्यवस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1985) द्वारा कर दी गई है।

स्व0 श्री रनबीर सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला औलीना, जनपद बुलन्दशहर की पारिवारिक पेंशन तथा पुत्र द्वारा नौकरी दिये जाने संबंधी आवेदन पत्र पर कृत कार्यवाही

19—श्री किरन पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रनबीर सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला औलीना, विकास खण्ड लखौटी, जनपद बुलन्दशहर का स्वर्गवास उनके सेवाकाल में ही 10-10-82 को हो गया था ? यदि हां, तो उनकी विधवा को आज तक पारिवारिक पेंशन न दिये जाने का क्या कारण है? क्या स्व0 श्री रनबीर सिंह के पुत्र श्री जगबीर सिंह ने अपने पिता के विभाग में किसी नौकरी के लिए आवेदन दे रखा है? यदि हां, तो शासनादेशों के तहत उनको उपयुक्त नौकरी न दिये जाने का क्या कारण है? विधवा को पारिवारिक पेंशन तथा पुत्र को विभाग में नौकरी कब तक दे दी जायेगी?

श्री सिब्ते रजी—

उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र विलम्ब से प्राप्त होने के कारण ।

जी हां।

चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण।

पारिवारिक पेंशन का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। उनके पुत्र को नौकरी में लिया जाना पद की उपलब्धता एवं ऐसे अन्य प्रकरणों की संख्या पर निर्भर है।

जनपद गाजीपुर के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक

20—श्री अफजाल अंसारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के कितने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16(डी) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक 31 मार्च, 1985 तक कार्यरत हैं? क्या जनपद में कोई ऐसा भी विद्यालय है जहां उक्त धारा में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक 5 वर्ष से अधिक से कार्य कर रहा है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत है?

श्री सिब्ते रजी—

केवल एक विद्यालय, डा0 एम0 ए0 अन्सारी, इण्टर कालेज यूसुफपुर गाजीपुर में।

जी हां। उपर्युक्त विद्यालय ऐसा ही है। इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 घ (4) के अन्तर्गत।

ग्राम्य विकास विभाग को आवंटित धनराशि तथा व्यपगत हुई धनराशि का कारण

21—श्री कल्याण सिंह तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 84-85 में ग्राम्य विकास विभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्यपगत हो गई और व्यपगत होने के कारण क्या हैं? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 195 पर)

22—श्री कल्याण सिंह—

[दि0 15-7-85 को अतारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूलों के भवन व शिक्षण सामग्री का अभाव

23—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी में कितने और कौन-कौन प्राइमरी स्कूल व जू0 हा0 स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्रों के बैठने के लिए भवन, शिक्षण सामग्री का अभाव है? क्या यह सही है कि इस जनपद के 50 प्रतिशत स्कूलों के भवन नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार भवन निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय प्राइमरी पाठशाला, जमशेदपुर, इलाहाबाद के भवन निर्माण किये जाने विषयक श्री बलवीर सिंह दबथुआ, एम0 एल0 सी0 का पत्र

24—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा राज्य मंत्री को सम्बोधित राजकीय प्राइमरी पाठशाला जमशेदपुर, ब्लाक सैदाबाद, इलाहाबाद के भवन निर्माण किये जाने विषयक श्री बलवीर सिंह दबथुआ एम0 एल0 सी0 का दिनांक 21 मई, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब तक भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा जनपद में कानपुर मार्ग से कामरी जारऊआ पटरा तक बने जिला परिषद् के मार्ग की मरम्मत हेतु अनुदान

25—श्री विजय सिंह राणा—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में कानपुर मार्ग से कामरी जारऊआ पटरा तक बने जिला परिषद् के मार्ग की मरम्मत के लिए विशेष अनुदान दिये जाने के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-5-83 का कोई पत्र मिला? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आगरा में जिला परिषद् की सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु आवंटित धनराशि

26—श्री विजय सिंह राणा—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में जिला परिषद् की सड़कों की मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 81-82, 82-83, 83-84, 84-85 में शासन द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद आगरा में जिला परिषद् की सड़कों की मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए प्रश्नगत वित्तीय वर्षों में शासन द्वारा निम्न विवरण के अनुसार धनराशि स्वीकृत की गई है :—

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि रुपयों में
81-82	6,79,878
82-83	1,91,878
83-84	1,96,878
84-85	2,31,878
योग	13,00,512

हरदोई के जिला विद्यालय निरीक्षक के भ्रष्ट व अनियमित कार्यों के विरुद्ध शिकायती पत्र

27—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम किशोर द्विवेदी, प्रवक्ता रसायन, व मंत्री मा0 शिक्षक संघ नरपति सिंह इन्टर कालेज, माधोगंज, हरदोई द्वारा हरदोई के जिला विद्यालय निरीक्षक के भ्रष्ट व अनियमित कार्यों के विरुद्ध एक शिकायती पत्र शिक्षा मंत्री व शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद, उ0 प्र0 को अक्टूबर, 1984 के दूसरे सप्ताह में भेजा गया? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां। प्रश्नगत शिकायती पत्र शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को मूलरूप में जांच हेतु भेजा गया है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

विकास कार्यों के पुनरीक्षण एवं आंकलन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक तिमाही होने का आदेश

28—श्री मित्रसेन तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों के पुनरीक्षण एवं आंकलन हेतु जिला डी0 आर0 डी0 ए0 ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक नियमानुसार तिमाही होने का शासन का आदेश है? यदि हां, तो गत अक्टूबर, 1984 से मई, 1985 तक जनपद फैजाबाद में उक्त अभिकरण की बैठक न होने का क्या कारण है? और उसके लिए कौन लोग दोषी हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। अक्टूबर, 1984 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक हुई थी। दिसम्बर, 1984 से मार्च, 1985 तक लोक सभा तथा विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के कारण माननीय सदस्यों के सुझाव पर कि अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी चुनाव कार्य में व्यस्त रहेंगे, बैठक नहीं बुलायी गयी। इसके लिए कोई दोषी नहीं पाया गया है।

हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

29—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि 1984 में अधिक संख्या में हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1499 दिनांक 8-8-84 मिला है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है? क्या पत्र में लिखे अनुसार विधायकों, उच्च अधिकारियों व विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अलीगढ़ जनपद में प्रधानाचार्य, अध्यापक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

30—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जनपद में कितने प्रधानाचार्य, अध्यापक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 1979 में हुये पुनरीक्षण के आधार पर वेतन निर्धारण दिनांक 15-5-83 तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है तथा 6 वर्ष की अवधि में भी वेतन निर्धारण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्व0 श्री शिव स्वरूप सिंह, अध्यापक, कालविन इन्टर कालेज, महमूदाबाद जिला सीतापुर के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन तथा अवशेष वेतन का भुगतान किये जाने संबंधी कार्यवाही

31—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कालविन इण्टर कालेज, महमूदाबाद (अवध) जिला सीतापुर में सेवारत रहते 16-12-81 को दिवंगत हुए एक अध्यापक (श्री शिव स्वरूप सिंह) के आश्रितों को अब तक उनकी पारिवारिक पेंशन, जी0 पी0 एफ0 तथा सी0 पी0 एफ0 अवशेष वेतन का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गैर सरकारी सहायता एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशासनिक योजना लागू किये जाने पर विचार

32—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मंडल में ऐसे गैर सरकारी सहायता एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कौन-कौन हैं जहां अभी तक प्रशासनिक योजना (नवीन संशोधित) लागू नहीं हो सकी है ? लागू न हो पाने का क्या कारण है तथा कब तक लागू हो जायेगी?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद में की गयी गंभीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र तथा मंत्री पद पर आसीन श्री राम लखन वर्मा को कार्यवाहक प्रबन्धक बनाये जाने का औचित्य

33—श्रीमती शारदा देवी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर जनपद फैजाबाद में की गयी गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में क्रमशः मुख्य मंत्री एवं शिक्षा निदेशक को सम्बोधित पत्र दिनांक 10-1-85 तथा

11-3-85 पृष्ठांकन के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों में उल्लिखित मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा क्या सरकार सम्पूर्ण शिकायतों की निष्पक्ष जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

34–श्रीमती शारदा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विद्यालय के पूर्व प्रबन्धक की मृत्यु दिनांक 13-10-83 के उपरान्त विद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति में मंत्री पद पर आसीन श्री राम लखन वर्मा को बगैर मंत्री पद से त्यागपत्र दिये ही विद्यालय की नियमावली में उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके स्कीम आफ एडेमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कार्यवाहक प्रबन्धक बनाकर सरकार से उनके हस्ताक्षर द्वारा वेतन आदि लाखों रुपये की धनराशि आहरित करने की शक्ति दी गई ? यदि हां, तो क्या स्कीम आफ एडेमिनिस्ट्रेशन जूनियर हाई स्कूल स्तर पर लागू है? यदि नहीं, तो इस प्रकार की अनियमितता पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद में फैजाबाद तथा अकबरपुर डिपो में बसें आवंटित करने के संबंध में कार्यवाही

35–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के फैजाबाद डिपो तथा अकबरपुर डिपो की बहुत सी बसें अत्यधिक जर्जर अवस्था में हैं और कई बसें लम्बे अर्से से मरम्मत हेतु केन्द्रीय कार्यशाला में पड़ी हैं तथा दोनों ही डिपो पर चालकों परिचालकों समेत अन्य कर्मचारियों की कमी है जिसके परिणाम स्वरूप कई सेवायें तरह से प्रभावित हो रही हैं ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और जनता की परेशानियों तथा क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अकबरपुर तथा फैजाबाद डिपो के लिए प्राप्ति संख्या में नई बसें आवंटित करने तथा आवश्यक स्टाफ तैनात करने हेतु सरकार कार्यवाही करेगी ?

राजकुमार संजय सिंह–

जनपद फैजाबाद के फैजाबाद डिपो में 85 बसों का बेड़ा है, जिनमें से 15 बसें नीलामी के लिए निर्धारित अवधि पूरी कर चुकी हैं। अकबरपुर डिपो में 25 बसों का बेड़ा है, जिनमें 5 बसें नीलामी की अवधि पूरी कर चुकी हैं । फैजाबाद डिपो की केवल दो बसें केन्द्रीय कार्यशाला में मरम्मत हेतु खड़ी हैं। अकबरपुर डिपो की कोई बस केन्द्रीय कार्यशाला में नहीं है।

पीक सीजन में चालकों एवं परिचालकों की अत्यधिक अनुपस्थित के कारण संचालन व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिये सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को परिचालक संवर्ग से अल्पकालीन रिक्तियों में नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया था, जिससे स्थिति नियंत्रित रही ।

फैजाबाद क्षेत्र के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण करने के लिये 25 नई बसों का आवंटन कर दिया गया है, जिनमें से 8 बसें उन्हें मिल चुकी हैं। शेष 17 बसें शीघ्र ही क्षेत्र में पहुंच जायेंगी।

फैजाबाद शहर से माया बाजार के बीच प्राइवेट बसों को चलाने पर विचार

36—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में फैजाबाद शहर से माया बाजार (महराजगंज) के बीच में चलने वाली सभी प्राइवेट बसों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और इन बसों के न चलने से यात्रियों को बड़ी कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिए फैजाबाद से माया बाजार के बीच में पर्याप्त संख्या में रोडवेज की बसें चलाने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

राजकुमार संजय सिंह—

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश दिनांक 4-6-85 के आधार पर माया बाजार से पुनः जलालुद्दीन नगर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्राइवेट गाड़ियां कारीडोर प्रतिबन्ध के साथ चलाई जा रही हैं। प्रश्नगत मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा भी 17 अप व 17 डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के अग्रिम आदेश होने के उपरान्त ही परिवहन निगम द्वारा इस ओर आगे विचार सम्भव होगा।

प्रदेश में दुधारू पशुओं की नस्लों के सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

37—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में दुधारू पशुओं की नस्लों की सुधार में कितने कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र हैं और आने वाले दिनों में इसके विस्तार की क्या योजना है ?

श्रीमती बेनी बाई—

प्रदेश में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार हेतु 746 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 1915 उप केन्द्र कार्यरत हैं।

केन्द्रों की संख्या के विस्तार का कोई कार्यक्रम नहीं है। अगर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इन केन्द्रों पर तरल वीर्य के प्रयोग के बजाय अतिहिमीकृत वीर्य के प्रयोग की योजना रखी गई है।

जनपद अल्मोड़ा के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति तथा वेतन न दिये जाने का कारण

38—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1984 में अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में सर्वश्री राम सिंह त्रिपाठी, रमेश चन्द्र त्रिपाठी, दीपचन्द्र कांडपाल, दिलीप सिंह कुमैया, कविदत्त पांडे आदि कुछ अध्यापकों

की नियुक्ति की गई थी, किन्तु तभी से आज तक कार्यरत रहने के बावजूद भी कोई वेतन उन्हें नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इन अध्यापकों को अविलम्ब वेतन दिलाने के निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जनपद में प्राइमरी पाठशाला और जू0 हा0 स्कूल के भवन निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

39–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री सुख पाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 76-77 से लेकर 84-85 तक प्रा0 पा0 और जू0 हा0 स्कूल के भवन निर्माण हेतु कुल कितना धन किन-किन विभागों को निर्माण करने के लिए कब-कब दिया गया और उनमें से कितने भवन कब-कब बनकर शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित हुए ? क्या यह सत्य है कि संबंधित विभागों ने जिन्हें निर्माण करना था समय से धन प्राप्त करने के बावजूद भवन नहीं बनाये और अब 6-7 वर्ष के अन्दर लागत खर्च बढ़ जाने के कारण भवन बनने को तैयार नहीं हैं ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या मंत्री जी उन विभागों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर टाण्डा, फैजाबाद के प्रधानाचार्य व प्रबन्ध तंत्र के खिलाफ आरोप पत्र

40–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कमल किशोर आजाद सदस्य किसान उ0 मा0 विद्यालय पकड़ी भोजपुर टाण्डा फैजाबाद के प्रधानाचार्य व प्रबंध तंत्र के खिलाफ आरोप पत्र के साथ दिनांक 21-5-85 का श्री बेनी प्रसाद वर्मा व श्री अवधेश प्रसाद विधायक का लिखा पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आरोपकर्ता से साक्ष्य लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आसरे शुक्ल, सहायक अध्यापक, ईश्वर संस्कृत पाठशाला, जनपद बस्ती के वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में कार्यवाही

41–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 177 के उत्तर के संदर्भ में क्या मा0 शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे शुक्ल का बकाया वेतन किस वर्ष का था और प्रबन्धक द्वारा कब प्राप्त किया गया था ? शासन

द्वारा दिया गया वेतन प्रबन्धक द्वारा संबंधित अध्यापक को भुगतान न करके अपने पास रोके रखने और कागज में फर्जी भुगतान दिखा देना कानून के विरुद्ध है ? यदि है तो क्या मंत्री जी दोषी प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हाई स्कूल के विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने पर विचार

42–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1984-85 में हाई स्कूल में कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

वित्तीय वर्ष 1984-85 में किसी विद्यालय को अनुदान सूची पर नहीं लिया गया ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण किसी विद्यालय को अनुदान सूची पर नहीं लिया जा सका ।

ड्रिल मास्टरों, व्यायाम शिक्षकों, पी0टी0 मास्टरों के पदों को समाप्त करके प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर स्थापित करने का आदेश

43–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी राजाज्ञा संख्या 8831×15-(5)-77-449/76, दिनांक 16 जून, 1978 के अनुलग्नक 'ख' में ड्रिल मास्टरों, व्यायाम शिक्षकों, पी0 टी0 मास्टरों के पदों को समाप्त करके उन्हें योग्यतानुसार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर स्थापित करने का जो आदेश निर्गत किया था और जिसके अनुपालन में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 8073/15(5)-77-278 दिनांक 28 जुलाई, 1978 द्वारा उक्त पदों को समाप्त करके उक्त राजाज्ञा के अनुसार संबंधित सभी अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करने का आदेश निर्गत किया था, का अनुपालन जनपद फैजाबाद में आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों को दंडित करने और उक्त राजाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और राजाज्ञा के अनुपालन न होने से विभाग पर जो अधिक व्यय भार पड़ा है उसे किससे वसूल किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया डिपो में कुल बसें

44–श्री रणजीत–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम देवरिया डिपो में कुल कितनी बसें हैं, उनमें से कुल कितनी चालू हालत में हैं?

व शेष किन-किन खराबियों के कारण बन्द हैं व उनकी मरम्मत पर कुल कितने धन की आवश्यकता है तथा उसे उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के देवरिया डिपो में 109 निगम की अपनी तथा 6 अनुबंधित बसें कुल 115 सम्बद्ध हैं ।

निगम की 109 बसों में 66 बसें चालू हालत में हैं तथा शेष 43 बसें निम्न कारणों से आफ रोड हैं–

25 बसें इंजिन, टायर, बैट्री, एफ0आई0 पम्प रेडियेटर, गियर बाक्स, रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल, प्रोपेलर शाफ्ट, सेल्फ डाइनमों, हेड लाइट तथा बाड़ी की खराबी के कारण वृहद मरम्मत हेतु खड़ी हैं। 8 बसें क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर को एक लाख कि0मी0 संचालन के उपरान्त नियमित रख-रखाव हेतु भेजी गयी हैं।

4 बसें एलेन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर को बाडी रिनोवेशन तथा 3 लाख कि0मी0 संचालन के उपरान्त मेंटीनेंस हेतु भेजी गयी हैं।

डिपो में 6 बसें नियमित रखरखाव तथा रनिंग डिफैक्ट के मरम्मत हेतु हैं।

नियमित रख-रखाव के अतिरिक्त आफ रोड बसों का आन रोड करने के लिये अनुमानित कुल रु0 12.50 लाख की आवश्यकता है। इस धनराशि की आपूर्ति निगम द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों द्वारा की जा रही है।

जिला देवरिया के ग्रामीण अभियन्त्रण शाखा के अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोपों की जांच

45–श्री रणजीत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के ग्रामीण अभियंत्रण शाखा के किन-किन अभियन्ताओं के विरुद्ध वर्ष 84 व 85 में किन-किन आरोपों की जांच जिला स्तर या प्रदेश स्तर पर करायी गयी अथवा करायी जा रही है और जांच का परिणाम क्या है तथा आरोपों से संबंधित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वित्तीय वर्ष 84-85 की अवधि में श्री सी0 पी0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं श्री उमाशंकर पाण्डेय, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देवरिया के विरुद्ध क्रमशः श्री रामशरण पाण्डेय, श्री नरेन्द्र कुमार शाही एवं श्री के0 के0 सिंह, देवरिया के शिकायती पत्र जांच हेतु प्राप्त हुए थे जिनके अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं भाई-भतीजे-वाद/जाति-वाद संबंधी आरोप लगाये गये हैं।

उपरोक्त शिकायती पत्रों की जांच टेक्निकल आडिट सेल द्वारा की जा रही है।

46—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[दि0 22-7-85 को तारांकित प्रश्न सं0 13 द्वारा उत्तरित]

बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा के विरुद्ध शिकायती पत्र

47—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद एटा के ग्राम प्रधान की ओर से 27-1-85 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिसमें नियुक्ति संबंधी अनियमितताओं का उल्लेख है? यदि हां, तो अनियमितताये क्या है? क्या अनियमितताओं की जांच करवायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्या विलास संस्कृत पाठशाला धर्म सिंहवा बाजार, जनपद बस्ती की मान्यता समाप्त न करने का कारण तथा स्वीकृत अनुदान की जांच

48—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1978 तथा उसके पूर्व वर्षों से विद्या विलास संस्कृत पाठशाला धर्म सिंहवा बाजार, जनपद बस्ती से कोई भी छात्र संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ? यदि हां, तो उपरोक्त संस्कृत पाठशाला की मान्यता समाप्त न करने का कारण क्या है ? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त आदर्श विद्या-विकास संस्कृत पाठशाला को किन परिस्थितियों में वार्षिक अनुदान स्वीकार किया गया ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कराकर, जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बस्ती द्वारा निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति

49—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 83-84 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बस्ती द्वारा निर्माण हेतु कौन-कौन से कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुए थे ? उन कार्यों का कितना-कितना एस्टीमेट था और किन-किन कार्यों हेतु कितना-कितना धन एन0 आर0 ई0 पी0 द्वारा स्वीकृत हुआ था? क्या सरकार यह बतायेगी कि कौन-कौन सा कार्य कितना-कितना पूर्ण हुआ और कितना-कितना कार्य रहा तथा कितना-कितना धन प्रत्येक कार्य पर खर्च हुआ और कितना अवशेष बचा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में 83 मार्गों पर 113.57 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य, 8.54 कि0 मी0 सोलिंग तथा 201 पुलियों का कार्य डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा स्वीकृत किया गया था। इन कार्यों की प्राकलित धनराशि रु0 57.30 लाख थी। मिट्टी के कार्य सोलिंग/पुलिया निर्माण हेतु एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत रु0 57.51 लाख डी0 आर0 डी0 ए0 बस्ती द्वारा आवंटित था। स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध 111 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य 8.54 कि0मी0 सोलिंग तथा 201 पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तथा 2.57 कि0मी0 मिट्टी, 0.5 कि0मी0 सोलिंग का कार्य अवशेष रहा। स्वीकृत धनराशि 57.51 लाख के विरुद्ध 53.27 लाख रु0 व्यय हुआ तथा 4.24 लाख अवशेष रह गया।

जू0 हा0 स्कूल धर्म सिंहवा बाजार, जनपद बस्ती के चौकीदार श्री सुखराज यादव को सेवा निवृत्त न किये जाने का कारण

50–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जू0 हा0 स्कूल धर्म सिंहवां बाजार, जनपद बस्ती के चौकीदार सुखराज यादव की नियुक्ति मार्च, अप्रैल, 1951 में हुई थी ? यदि हां, तो नियुक्ति के समय उसकी आयु क्या थी और अब तक रिटायर न किये जाने का कारण क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

51–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

मत्स्य विकास कार्यकर्ता के पदों पर की गयी नियुक्तियां

52–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या पशुपालन मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग में गत वर्ष मत्स्य विकास कार्यकर्ता के पदों की नियुक्ति हुई ? यदि हां, तो मछुआ समुदाय के कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती बेनी बाई–

जी हां, कुल 36 पदों पर नियुक्तियां की गयीं जिसमें मछुआ समुदाय के छः अभ्यर्थियों का चयन हुआ।

प्राइवेट स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां एवं निर्धारित आरक्षण कोटा

53–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्राइवेट स्कूलों में जो अध्यापकों की नियुक्तियां की जा रही हैं, उसमें हरिजनों का कोटा निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो उसकी पूर्ति का क्या लक्ष्य है और कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के जूनियर तथा प्राइमरी स्कूलों में हरिजन कोटा

54—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों का हरिजन कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद्, बरेली में कर निर्धारण का कार्य अतिरिक्त मुख्य अधिकारी द्वारा कराये जाने के निर्देश

55—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बरेली में कर निर्धारण का कार्य शासनादेश संख्या 6078-क/33-1-72 दिनांक 3 अक्तूबर, 1972 के विपरीत कार्य अधिकारी से न कराकर अतिरिक्त मुख्य अधिकारी कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त शासनादेश का अनुपालन कराने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

वर्णित शासनादेश सुझाव मात्र है । विभव एवं सम्पत्ति कर के संबंध में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट, 1922 के अधीन निर्मित जिला परिषद् बरेली के अपने रूल्स हैं जो उत्तर प्रदेश गजट में दिनांक 10-3-28 तथा 26-7-80 को प्रकाशित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति अधिनियम की धारा 120 के अनुसार अब भी प्रभावी हैं उक्त अधिनियम व नियम तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट 1922 के अन्तर्गत निर्मित जिला परिषद् बरेली के विभव एवं सम्पत्ति कर के नियम-3 के अनुसार कार्य अधिकारी का कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण कर निर्धारण का कार्य परिषद् के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी को जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद् बरेली द्वारा दे दिया गया है । जिससे जिला परिषद् की आय में वृद्धि हुई है ।

आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज तिलहर शाहजहांपुर में आर्थिक अनियमितताएं एवं आडिट किये जाने हेतु निर्धारित तिथियां

56—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज तिलहर (शाहजहांपुर) में गम्भीर आर्थिक अनियमितताएं अपनाकर विगत पांच वर्षों में लाखों रुपये के अनुदान एवं कालेज की आय को जाली बिलों आदि के भुगतान में दर्शाकर गोल माल किया गया है ? यदि हां, तो इस गम्भीर अनियमितता का उत्तरदायी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी–

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर ने वर्ष 1983 में इस विद्यालय का पैनल निरीक्षण में किया । पैनल निरीक्षण में यह स्पष्ट किया कि प्रबंधक ने दिनांक 29-11-83 को एक एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जिसके अनुसार विद्यालय के रिकार्ड को मिस-प्लेस बताया । अतः जाली बिलों आदि के भुगतान की स्थिति स्पष्ट न हो सकी । अब पुनः विद्यालय का गत पांच वर्षों का विशेष आडिट दिनांक 23-7-85 से प्रारम्भ किए जाने हेतु तिथियां निर्धारित हैं ।

जांचोपरान्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

57–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या यह भी सही है कि इस कालेज का विगत पांच वर्षों से सम्पूर्ण आडिट भी नहीं हुआ है जिसके कारण लाखों रुपए के गबन पर पर्दा पड़ा हुआ है? क्या शासन शीघ्र इस कालेज का विगत पांच वर्षों का आडिट करा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

विद्यालय का विगत पांच वर्षों से विभागीय आडिट पार्टी द्वारा आडिट नहीं हुआ है ।

इस विद्यालय का गत पांच वर्षों का विशेष आडिट दिनांक 23-7-85 से प्रारम्भ किये जाने हेतु तिथियां निर्धारित हैं ।

जनपद जौनपुर के कौशिल्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराजगंज में प्रधानाचार्य के पद पर चयनित श्री राम कुमार यादव को नियुक्त न करने का औचित्य

58–श्री जंग बहादुर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के कौशिल्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराजगंज, जौनपुर के प्रधानाचार्य के पद पर श्री राम कुमार यादव को आयोग द्वारा चयनित किया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त पद पर श्री यादव को नियुक्त न कर तदर्थ प्रधानाचार्य को अब तक वेतन देते हुए अपने पद पर बनाये रखने का क्या औचित्य है? तदर्थ प्रधानाचार्य को अब तक वेतन देते हुए अपने पद पर बनाये रखने अनुमोदित किया गया और वेतन दिया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम्य विकास अधिकारियों के रिक्त पद तथा प्रशिक्षित अधिकारियों को समायोजित किये जाने के संबंध में कार्यवाही

59–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में ग्राम्य विकास अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं प्रदेश में कितने ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण के उपरान्त बेकार बैठे हुए हैं ? क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों पर बेकार बैठे हुए प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों को समायोजित करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में ग्राम विकास अधिकारियों के कोई पद रिक्त नहीं हैं। वर्तमान समय में सत्र जून, 81 से जून, 83 के 270 तथा दिसम्बर, 81 से दिसम्बर, 83 सत्र के 706 प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारी जिनकी कुल संख्या 976 है, ग्राम विकास अधिकारियों के पद रिक्त न होने के कारण अब तक समायोजित नहीं किये जा सके हैं। उक्त सभी प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों को विभाग में समायोजित किये जाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

देवरिया जिले के ग्रामीण अंचलों में पिछड़े तथा निर्बल वर्ग के परिवारों को प्रदान की गयी आवासीय सुविधाएं तथा आवंटित धनराशि

60–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के ग्रामीण अंचलों में वित्तीय वर्ष 82-83, 83-84 तथा 84-85 में पिछड़े तथा निर्बल वर्ग के कितने परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान की गयी तथा किन-किन क्षेत्रों में ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भूमि आवंटित की गई व अन्य क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गयीं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत अवधियों में देवरिया जनपद के ग्रामीण अंचलों में पिछड़े तथा निर्बल वर्ग के परिवारों को जो सुविधायें प्रदान की गयी उनका ब्यौरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 197 पर)

61–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 84-85 में देवरिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है और अब तक (मई, 85) किन-किन मदों में कितनी धनराशि व्यपगत हो गई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वित्तीय वर्ष 84-85 में देवरिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों की आवासीय सुविधा हेतु 6,51,200/- रु0 की धनराशि आवंटित की गयी थी। कोई धनराशि व्यपगत नहीं हुई।

प्रदेश में दुग्ध वृद्धि हेतु उठाये गये कदम

62–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में दुग्ध वृद्धि के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रीमती बेनी बाई–

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से गायों में उद्वर्गीकरण (अपग्रेडिंग) के अतिरिक्त संकर प्रजनन एवं भैंसों में उच्च कोटि के भैंसा सांडों द्वारा प्रजनन कार्य को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि गायों एवं भैंसों में दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले आनुवांशिक गुणों का समावेश हो सके। साथ ही दुग्ध उत्पादन स्तर को बनाये रखने के लिए चारा विकास कार्यक्रम, संतुलित आहार का उत्पादन तथा रोग नियंत्रण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन का निर्धारण

63–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति पर पेंशन गणना हेतु उनके द्वारा राजकीय सेवा में आने से पूर्व की गई गैर-सरकारी सेवा को भी जोड़ कर पेंशन की राशि निर्धारित की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उनके द्वारा पूर्व में की गई राजकीय सेवा की अवधि पेंशन गणना जोड़कर पेंशन निश्चित की जा सके और एकरूपता स्थापित हो सके?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ब्लाक कटेहरी, गांव सभा रामपुर बनेथू में निर्मित निर्बल वर्ग आवास में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

64–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मा0 मुख्य मंत्री उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का दि0 18-1-84 का पत्र शासन को मिल गया है? क्या यह सत्य है कि उक्त शिकायती पत्र के आधार पर ब्लाक कटेहरी की गांव सभा रामपुर बनेथू में निर्मित निर्बल वर्ग आवास में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच का कार्य तत्कालीन जिलाधिकारी, फैजाबाद ने जिला पशुधन अधिकारी को सौंपा था? यदि हां, तो जिला पशुधन अधिकारी, फैजाबाद की जांच आख्या और प्रशासन द्वारा दोषी लोगों को दण्डित करने हेतु अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय विधायक का पत्र दि0 18-1-84 जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ।

जी हां।

जिला पशुधन अधिकारी की जांच आख्या एवं उनकी संस्तुति पर अन्तिम रूप से कराई गयी तकनीकी जांच आख्या की प्रतिलिपि संलग्न† है। अन्तिम जांच आख्या एवं लाभार्थियों के प्रार्थना पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) में यह कहा गया है कि

†छापी नहीं गई ।

सभी आवासों के पूर्ण होने के बारे में संबंधित व्यक्तियों को कोई शिकायत नहीं है और वे निर्माण कार्य से संतुष्ट हैं।

65–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री घनश्याम पाण्डेय, अध्यापक, बेसिक शिक्षा परिषद् को क्षेत्र समिति गुरसराय, जिला झांसी में वरिष्ठ उप ब्लाक प्रमुख के पद पर निर्वाचित किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

66–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बेसिक शिक्षा परिषद् का अध्यापक क्षेत्र समिति का सदस्य या पदाधिकारी नहीं हो सकता है? यदि हां, तो श्री घनश्याम पाण्डेय, अध्यापक, बेसिक शिक्षा परिषद् क्षेत्र समिति गुरसराय, जिला झांसी में वरिष्ठ उप ब्लाक प्रमुख के पद पर कैसे निर्वाचित होकर गत दो वर्षों से कार्य कर रहे हैं? क्या शासन को इसकी जानकारी पूर्व से ही है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है? क्या शासन श्री घनश्याम पाण्डेय तथा उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

झांसी जिले के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में विकास खंड अनुसार गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजनायें

67–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड अनुसार कितने और कौन-कौन से गांव मुख्य मार्गों से पक्के सम्पर्क मार्गों द्वारा जुड़े हैं, कितने और कौन-कौन से गांव कच्चे सम्पर्क मार्गों द्वारा जुड़े हैं तथा कितने और कौन-कौन से गांव अभी तक मुख्य मार्गों से सम्पर्क मार्ग द्वारा नहीं जोड़े जा सके हैं? ऐसे ग्रामों को शीघ्र सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? क्या ये ग्राम 1985-86 वित्तीय वर्ष में सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ दिये जायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

झांसी जिले के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में विकास खंड मोंठ के 32 गांव, विकास खंड बामौर के 21 गांव, विकास खंड गुरसरांय के 15 गांव मुख्य मार्गों से पक्के संपर्क मार्गों द्वारा जुड़े हैं विकास खंड मोंठ के 4, विकास खंड बामौर के 13, एवं विकास खंड गुरसरांय के 14 गांव कच्चे सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं।

विकास खण्ड मोठ के 67 एवं विकास खण्ड बामौर के 67 एवं विकास खंड गुरसराय के 38 गांव सम्पर्क मार्ग द्वारा नहीं जोड़े जा सके हैं। ऐसे सम्पर्क मार्ग राष्ट्रीय

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत बनाये जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जिला योजना मण्डी समितियों एवं विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध बजट के अनुसार सम्पर्क मार्ग बनाने की योजनायें हैं । वर्ष 1985-86 में गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की योजनायें वित्तीय संसोसनों पर निर्भर करेगी ।

बटलर पैलेस कालोनी, लखनऊ के तालाब को लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा पर्यटन विभाग को हस्तान्तरण करने का कथित प्रस्ताव

68—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ शहर में स्थित बटलर पैलेस कालोनी का एक तालाब जो मत्स्य पालन विभाग के पास है, को लखनऊ विकास प्राधिकरण को अथवा पर्यटन विभाग को स्थानान्तरित करने पर सरकार विचार करेगी, जिससे कि उसमें एक नलकूप लगाया जा सके और उसकी गन्दगी भी दूर की जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई —

लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा पर्यटन विभाग का कोई प्रस्ताव हस्तान्तरण हेतु प्राप्त नहीं हुआ । अतः विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुखवीर, प्राविधिक सहायक, भूगर्भ सर्वेक्षण संगठन की पूर्व नियुक्ति को निरन्तरता प्रदान करने संबंधी कार्यवाही

69—श्री कल्याण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-5-85 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें भूगर्भ सर्वेक्षण संगठन में श्री सुखवीर प्राविधिक सहायक की पूर्व नियुक्ति को निरन्तरता (कन्टीन्यूटी) प्रदान करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? निर्णय कब तक कर दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । वर्तमान में तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगे होने के कारण श्री सुखवीर कार्य प्रभारित कर्मचारी को प्राविधिक सहायक के पद पर तदर्थ नियुक्ति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक कटहेरी स्थित प्राइमरी पाठशाला अशरफपुर बरवी के नवनिर्मित भवन के जर्जर हो जाने की टेकनिकल जांच

70—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के ब्लाक कटहेरी में स्थित प्राइमरी पाठशाला अशरफपुर बरवी का नव-निर्मित भवन इतना अधिक जर्जर है कि उसके नीचे छात्रों/छात्राओं को बैठाया जाना खतरनाक है ? यदि हां, तो उक्त भवन का टेकनिकल (आडिट) सेल से जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने तथा भवन निर्माण में हुए व्यय की वसूली संबंधित दोषी लोगों से करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्षेत्र समितियों की बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति की शिकायत

71—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में विभिन्न विभाग के अधिकारीगण क्षेत्रीय समितियों की बैठकों की उपेक्षा कर रहे हैं और उनमें प्रायः अनुपस्थित रहते हैं? क्या इस बारे में विकास खण्ड मया, भीटी तथा कटहेरी की क्षेत्र समितियों द्वारा अपनी बैठकों में प्रकट किये गये रोष और पारित किये गये प्रस्तावों की जानकारी शासन को मिल गई है? यदि हां, तो क्षेत्र समिति कटहेरी द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी बैठक दिनांक 20-5-85 में पारित प्रस्ताव के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्षेत्र समितियों की बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थित की शिकायत जिला स्तर पर प्राप्त हुई थी। मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के पत्र संख्या 2390/आ0लि0/प्रमुख-बैठक/85 दिनांक 13-6-85 द्वारा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के स्वयं निर्धारित तिथि एवं समय पर भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया है । साथ ही भविष्य में अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की चेतावनी भी दी गयी है।

प्रदेश में कुल राष्ट्रीयकृत मार्ग एवं उन पर चलने वाली प्राइवेट बसें

72—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में नोटिफाइड (रूट) कुल कितने किलोमीटर हैं और उन पर राज्य परिवहन निगम की कितनी बसें चलती हैं तथा प्रदेश में नान नोटिफाइड रूट कुल कितने किलो-मीटर हैं और उस पर कुल कितनी प्राइवेट बसें चलती हैं ? क्या सरकार नोटिफाइड रूट पर भी प्राइवेट बस चालकों को बसें चलाने की छूट देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजकुमार संजय सिंह–

पूरे प्रदेश में कुल राष्ट्रीयकृत मार्ग 22174 किलोमीटर है। राज्य सड़क परिवहन निगम की 4526 अपनी तथा 1120 अनुबंधित बसें अर्थात कुल 5646 बसें संचालित हैं।

प्राइवेट बसों की कुल संख्या तथा कुल अराष्ट्रीयकृत मार्गों के किलोमीटर की सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बस चालकों को बसे चलाने की छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि परिवहन निगम राष्ट्रीकृत मार्गों पर प्रयाप्त संख्या में बस सेवाएं संचालित कर रहा है।

सीतापुर जिले के खैराबाद, लहरपुर, रेउसा एवं बेहटा ब्लाकों में गोबर गैस प्लान्टों के अधूरे पड़े रहने की कथित शिकायत

73–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सीतापुर जिले में बन रहे गोबर गैस की योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण खैराबाद, लहरपुर, रेउसा एवं बेहटा ब्लाकों में गोबर गैस के प्लान्ट अधूरे पड़े हैं? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्न में उल्लिखित ब्लाकों में कथित भ्रष्टाचार के कारण गोबर गैस प्लान्टों के अधूरे पड़े रहने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित ब्लाकों में बायोगैस संयंत्रों के शत-प्रतिशत स्थानीय सत्यापन हेतु जिलाधिकारी द्वारा समुचित निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद की अनियमित ढंग से मान्यता दिलाने संबंधी कार्यवाही

74–श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम सरन–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर जनपद फैजाबाद को हाई स्कूल स्तर की मान्यता उ0प्र0 इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1821 अध्याय 7 परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता की धारा 3-छ के अंतर्गत विद्यालय की प्रशासन योजना निर्देशक द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त प्रदान की गयी है? यदि हां, तो क्या प्रशासन योजना में जिन दो वरिष्ठतम अध्यापकों का नाम प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्यों के रूप में भेजा गया उनका चुनाव प्रशासन योजना की धाराओं में निहित प्रतिबंधों के अनुसार वरिष्ठता सूची की एक-एक प्रति प्रत्येक अध्यापक को प्रबंधक द्वारा देने के उपरान्त किया गया? यदि नहीं, तो निदेशक द्वारा असंवैधानिक रूप से प्रशासन योजना अनुमोदित करके तथा उक्त विद्यालय को अनियमित ढंग से मान्यता दिलाने पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती के रामनगर विकास खण्ड में न्याय पंचायतवार लाभान्वित परिवार

75–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 से लेकर वर्ष 84-85 तक आई0आर0डी0 योजना के अंतर्गत बस्ती जनपद के रामनगर विकास खण्ड में न्याय पंचायत वार कितने परिवार लाभान्वित हुए? क्या यह सही है कि रामनगर ब्लाक की कई न्याय पंचायतों में आज तक किसी भी ग्राम के किसी परिवार को आई0आर0डी0 योजना से लाभ नहीं प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका दोषी कौन-कौन है? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

जनपद बस्ती के रामनगर विकास खंड में वर्ष 1980–81 से वर्ष 1984–85 तक कुल 1473 परिवार लाभान्वित हुए, जिसका न्याय पंचायतवार विवरण निम्न प्रकार है :

1–रामनगर	294
2–नरखोरिया	144
3–भानपुर	141
4–कलन्दर नगर	195
5–सगरा	72
6–तुषायल	139
7–पड़ोखर	119
8–घोसड़	151
9–थुम्हवा पाण्डे	73
10–परसादगया	86
11–शंकरपुर	59
योग–	1473

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण हेतु जी0पी0आ0 पार्क पर धरना

76–श्री बदन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ (तदर्थ) ने अपनी तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण हेतु दिनांक 2 मई, 1985 से जी0पी0 आ0 पार्क में धरना दिया था? यदि हां, तो अब तक उनकी सेवाओं का नियमितीकरण न करने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

हां। तदर्थ अध्यापकों के नियमितीकरण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1985) द्वारा कर दी गई है।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी, भोजपुर जनपद फैजाबाद के वर्तमान प्रधानाध्यापक की सेवा पुस्तिका में स्थायी प्रधानाध्यापक अंकित करके सरकारी अनुदान का दुरुपयोग करने संबंधी कार्यवाही

77–श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम सरन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी, भोजपुर जनपद फैजाबाद के वर्तमान प्रधानाध्यापक की सेवा पुस्तिका में दिनांक 16-7-76 से एक वर्ष के परीक्षण काल पर दिखाकर दिनांक 16-7-77 को संवैधानिक तौर पर स्थायी प्रधानाध्यापक अंकित करके वेतन वितरण अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल, 82 से मई, 84 तक अनियमित ढंग से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनका वेतन आहरित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकारी अनुदान का इस प्रकार दुरुपयोग करने के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद के ज्येष्ठतम अध्यापक श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा को असंवैधानिक तरीके से प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रखने के विरुद्ध कार्यवाही

78–श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम सरन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद में पूर्व प्रधानाध्यापक श्री राम सहाय मिश्र के दिनांक 15-7-76 को अपने पद से त्यागपत्र देने के उपरान्त विद्यालय के ज्येष्ठतम अध्यापक श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा को दिनांक 16-7-76 को बिना चयन किए तदर्थ आधार पर संस्था के प्रधान पद पर प्रबन्ध तंत्र द्वारा नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या उ0प्र0 इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 1966 संस्था के प्रधान को तदर्थ नियुक्त को नियमतः स्वीकार करती है? यदि नहीं, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद के पत्रांक शि0स0 1997/80-81 दिनांक 9-7-80 के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार उपरोक्त प्रधानाचार्य के खिलाफ धोखाधड़ी व असंवैधानिक तरीके से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत रखने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कु0 गीता रानी, मो0–मलकंठ पोस्ट बिलग्राम, हरदोई को चित्रकला प्रयोगात्मक परीक्षा के प्राप्तांक न उपलब्ध कराये जाने का कारण

79–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कु0 गीता रानी पुत्री श्री दीन दयाल वर्मा, मो0 मलकंठ, पोस्ट–बिलग्राम, हरदोई रो0 नं0 951 ने एन0 एन0 डी0 गर्ल्स कालेज, कानपुर, हरदोई (यूनिवर्सिटी कानपुर) केन्द्र से बी0ए0 फाइनल की परीक्षा वर्ष 1984 में दी थी ? यदि हां, तो अब तक अंक उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक उपलब्ध करा दिया जायगा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

चित्रकला प्रयोगात्मक परीक्षा के प्राप्तांक न होने के कारण अंक पत्र नहीं भेजा जा सका । अभ्यर्थी द्वारा विशेष परीक्षा शुल्क रु0 50/- जमा करने पर परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर दिया जायेगा और अंक पत्र भी प्रेषित कर दिए जायेंगे ।

जिला परिषद् झांसी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत औषधालय तथा दवाओं पर प्रतिवर्ष व्यय

80–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् झांसी के द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने और कहां-कहां औषधालय चलाए जा रहे हैं और उनमें से कितनों में कब से चिकित्सक नहीं हैं ? प्रत्येक औषधालय की दवाओं के लिए प्रतिवर्ष कितना धन दिया जाता है? क्या शासन अधिक धन देने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला परिषद् झांसी में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 औषधालय स्वीकृत हैं जिनके अधीन वर्तमान में ग्राम बघेरा, पूछ, तालौड, पण्डवाहा, ककवारा, अक्सेव, भानपुरा एवं मगरपुर में औषधालयों का संचालन परिषद् द्वारा किया जा रहा है ।

2–निम्नांकित 6 औषधालय सम्मुख अंकित तिथि से रिक्त हैं:–

1–रक्सा	31-7-1977
2–उल्दन	24-5-1980
3–परसुधा	1-11-1975
4–नोटा	31-5-1976
5–एवनी	30-6-1977 10-6-84 से 19-4-85 को छोड़कर
6–रामनगर	1-3-1985

3–जिला परिषद् द्वारा अपने सीमित निजी संसाधनों से ही आयुर्वेदिक औषधियों की व्यवस्था की जाती है विगत तीन वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1–1982-83	4,743-00	527-00
2–1983-84	4,372-00	485-77
3–1984-85	4,734-00	526-00

शासन द्वारा इन औषधालयों के संचालन हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों में साक्षरता का प्रतिशत

81–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों में जिलावार साक्षरता की क्या स्थिति है तथा शेष प्रदेश के बावन जिलों में जिलावार साक्षरता की क्या स्थिति है ? बुन्देलखण्ड तथा शेष प्रदेश में साक्षरता कुल औसत में कितना अन्तर है ?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पांचों जिलों में जिलावार साक्षरता का प्रतिशत निम्नानुसार है :–

1–झांसी	36.71
2–जालौन	35.87
3–हमीरपुर	26.27
4–बांदा	23.04
5–ललितपुर	20.82

शेष 52 जिलों की साक्षरता की स्थिति से संबंधित विवरण संलग्न है ।

बुन्देलखण्ड तथा शेष प्रदेश में साक्षरता के कुल औसत में 1.36 प्रतिशत का अन्तर है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 197 पर।)

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता श्री अशोक कुमार अग्रवाल को प्रतिनियुक्ति पर अधिशाशी अभियन्ता के पद पर लेने का आधार

82–श्री दीप नारायण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में वरिष्ठ यांत्रिक अभियन्ता होते हुए भी सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता श्री अशोक कुमार अग्रवाल की प्रतिनियुक्ति पर अधिशासी अभियन्ता के पद पर लेने का क्या आधार है? क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी कार्य में उतनी रुचि नहीं लेते जितनी कि विभागीय अधिकारी? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे समस्त अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग वापस करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु पात्र सहायक अभियन्ता उपलब्ध न होने के कारण अगस्त, 1984 में सिंचाई विभाग से श्री अशोक कुमार सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था। प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी संगठन का कार्य करने में पूर्ण रुचि लेते हैं। फिर भी विभाग में उपयुक्त एवं अर्ह अधिकारी उपलब्ध होने पर यथासमय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को उनके पैत्रिक विभाग को वापस किये जाने पर विचार किया जाता है।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय मार्गों पर बसों को पुनः चालू किये जाने पर विचार

83–श्री भीखा राम–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में एक बस सुबह छः बजे आजमगढ़ से सरायमीर दीदारगंज होकर के जौनपुर जाती थी और शाम को पुनः उसी रास्ते से आजमगढ़ वापस आती थी तथा एक बस आजमगढ़ से शाम चार बजे सरायमीर सिकरौर कौरा गहनी होते हुए चितारा में रात्रि को नाईट हाल्ट करती थी, पुनः उसी रास्ते सुबह आजमगढ़ जाती थी तथा एक बस सिकरौर से सुबह सटिर्नगंज बरदह होते हुए वाराणसी जाती थी और पुनः उसी रास्ते से सिकरौर वापस आती थी? यदि हां, तो उपरोक्त तीनों बसें किन परिस्थितियों में बन्द कर दी गयी हैं और पुनः कब तक चला दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजकुमार संजय सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में पंचायत सेवकों के पद पर हरिजन एवं अनुसूचित जाति का कोटा तथा रिक्त स्थान

84–श्री भीखा राम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पंचायत सेवकों के पद पर हरिजन एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो कोटा कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

85–श्री भीखा राम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पंचायत सेवकों के 100 से अधिक स्थान रिक्त हैं? यदि हां, तो उस पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं। केवल 80 मौलिक पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्तियां यथाशीघ्र की जायेंगी।

प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में उर्दू विषय

86—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय महाविद्यालय हैं और क्या यह सही है कि केवल एक रजा डिग्री कालेज, रामपुर (महिलाओं के महाविद्यालयों को छोड़कर) में ही उर्दू विषय है? क्या यह सही है कि 82-83 में चार महाविद्यालय खोले गये हैं उनमें उर्दू विषय नहीं है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

कुल 48,

जी नहीं,

केवल 3 राजकीय महाविद्यालय खोले गये जिनमें उर्दू विषय नहीं है,

ऐसी मांग न प्राप्त होने के कारण ।

जनपद इटावा में बालाहार योजनान्तर्गत पंजीरी की ढुलाई का ठेका

87—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा में बालाहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में पंजीरी की ढुलाई का ठेका किसके नाम और किस दर से प्रति कि0 मी0 का ठेका हुआ? क्या ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसका भुगतान मय ब्याज के दिलायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

कोई ठेका नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सावित्री बाजपेयी उप बालिका निरीक्षिका, मैनपुरी के विरुद्ध श्री राम सिंह भू0 पू0 एम0 एल0 सी0 का शिकायती पत्र

88—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सावित्री बाजपेयी उप बालिका निरीक्षिका, मैनपुरी में सेवारत हैं और इनके विरुद्ध श्री राम सिंह भू0 पू0 एम0 एल0 सी0 ने 1982-83 में उनको शिकायती पत्र भेजा था? उसके आधार पर बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने शिकायती पत्र के तथ्यों को सही मानते हुए दिनांक 9-5-83 को जांच आख्या आवश्यकीय कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया में प्राइमरी स्कूलों के पुर्ननिर्माण हेतु कृत कार्यवाही

89–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में कितने प्राइमरी स्कूल पेड़ के साये में चल रहे हैं तथा कितने स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त होकर जान लेवा हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके निर्माण के लिए कोई कदम उठा रही है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

90–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

जिला चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और नैनीताल में कार्यरत वन पंचायत निरीक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने संबंधी कार्यवाही

91–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और नैनीताल में कार्यरत वन पंचायत निरीक्षकों का वेतनमान अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सन् 1979 से अभी तक पुनरीक्षित नहीं किया गया है? यदि हां, तो कब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम आदेश हो जायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

अन्तिम आदेश होने की कोई निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है।

जिला परिषद्, गोरखपुर में कार्यरत जूनियर इंजीनियर को सेवारत होने की तिथि तथा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेकर सेवा में आने से संबंधित शिकायतें

92–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार जांच कर बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् गोरखपुर में वर्तमान समय में कौन-कौन जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं तथा इनकी योग्यता क्या है? इनमें से कौन-कौन अनुसूचित जाति अन्तर्गत किस उप जाति के हैं तथा कब से सेवारत हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्तमान समय में जिला परिषद् गोरखपुर में चार जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्नवत है :–

नाम	योग्यता	अनु0 जाति उप जाति	सेवारत होने की तिथि
1–श्री चन्द्र प्रकाश लाल	डिप्लोपा सिविल इंजीनियरिंग	(सामान्य) वर्ग	15-1-59
2–श्री कैलाश नाथ खरबार	,,	अनु0 जाति (खरबार)	26-4-82
3–श्री राम कृपाल	,,	अनु0 जाति (चमार)	24-2-83
4–श्री राम नयन	,,	अनु0 जाति (चमार)	19-7-83

93–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार यह भी जांच कर बताने की कृपा करेगी कि इसमें से किन-किन जे0 ई0 के विरुद्ध अपनी जाति कम कर (पिछड़ी जाति) छिपाकर खरबार (अनुसूचित जाति) बीच में लिखने व फर्जी प्रमाण पत्र लेकर सेवा में आने से संबंधित शिकायतें जिलाधिकारी गोरखपुर व शासन को माह जनवरी, 85 से अब तक पूर्व विधायक एवं सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ग्राम व पो0 बिशुनपुरा गोरखपुर ने भेजा है और अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। श्री कैलाश नाथ खरबार जू0 ई0 के विरुद्ध भूतपूर्व विधायक एवं सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ग्राम व पोस्ट बिशुनपुरा, गोरखपुर का दिनांक 13-1-1985 का शिकायती पत्र जिलाधिकारी गोरखपुर को प्राप्त हुआ था। शासन को कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा शिकायती पत्र की जांच तहसीलदार महराजगंज द्वारा करायी गयी। शिकायतें निराधार पायी गयी। तहसीलदार महराजगंज ने श्री कैलाश नाथ खरबार की उप जाति खरबार की पुष्टि की है।

कु0 फहमीदा खातून को उर्दू अध्यापिका के रूप में नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

94–श्री हरिशंकर तिवारी बिलगामी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कु0 फहमीदा खातून की उर्दू अध्यापिका के रूप में नियुक्ति जू0 हा0 स्कूल धियर महोलिया हरदोई में की गई जहां कोई भी छात्रा उर्दू की नहीं है? यदि हां, तो शासनादेश की अवहेलना करने में बे0 शि0 अधि0 (महिला) हरदोई के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

एतमादपुर, जनपद आगरा में बस स्टेशन व डिपो के निर्माण कराने पर विचार

95–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के एतमादपुर में बस स्टेशन न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अधिक परेशानी होती है और एतमादपुर तहसील का मुख्यालय होने से सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं जनता को आवागमन में अत्यधिक असुविधा है? क्या सरकार एतमादपुर पर बस स्टेशन व डिपो के निर्माण करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजकुमार संजय सिंह–

एतमादपुर जनपद आगरा में परिवहन निगम द्वारा किराये के कमरे में बस स्टेशन स्थापित है जहां कुर्सी मेज व बेंच का प्रबन्ध है तथा कमरे के आगे एक शेड भी बना हुआ है।

बस स्टेशन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है।

आगरा में परिवहन निगम द्वारा निर्मित 4 डिपो कार्यशाला होने तथा एतमादपुर से निर्धारित मानदण्ड 50 बसों का दैनिक संचालन न होने के कारण एतमादपुर में डिपो के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम, आगरा के कार्यालय से क्षेत्रीय अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद की कथित गायब फाइलें

96–श्री बदन सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम, आगरा के कार्यालय से क्षेत्रीय अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण परिवाद की फाइलें वर्ष 1982 में गायब हो गयी हैं? यदि हां, तो कैसे?

राजकुमार संजय सिंह–

जी नहीं। क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा के कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद की कोई फाइल वर्ष 1982 में गायब नहीं हुई।

जनपद लखनऊ के प्राथमिक शिक्षकों का पी0एफ0, राष्ट्रीय बचत बांड, सी0 टी0 डी0 आदि कटौतियों के गायब लेखे

97–श्री भगौती सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों का पी0 एफ0, राष्ट्रीय बचत बांड, सी0 टी0 डी0 आदि कटौतियों का कोई लेखा कार्यालय में नहीं है? यदि हां, तो अध्यापकों को उसका भुगतान कैसे किया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका हरदोई के सेवा निवृत अध्यापक श्री विष्णु दयाल त्रिपाठी को पेंशन न दिये जाने का कारण

98–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णु दयाल त्रिपाठी अध्यापक दिनांक 30 जून, 1981 को नगरपालिका, हरदोई से सेवा निवृत्त हुए? यदि हां, तो उन्हें राजाज्ञा संख्या 5187/15151-7979/77, दिनांक 8-3-78 के अनुसार पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

99–श्री चन्द्र भान मौर्य–

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्र0 सं0 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलिया से बंगाल के विभिन्न स्थानों के लिए जारी किये गये बसों के परमिट

100–श्री मैनेजर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया से बंगाल के विभिन्न स्थानों पर कितनी बस (कोच) फरवरी, मार्च, अप्रैल एवं मई, 85 में ले जाने के लिए कितने परमिट जारी किये गये और उससे कितने धन की आय क्रमशः शासन को प्राप्त हुई?

राजकुमार संजय सिंह–

बलिया से बंगाल के विभिन्न स्थानों के लिए फरवरी में 4 गाड़ियों को 8 परमिट, मार्च में 4 गाड़ियों को 5 परमिट, अप्रैल में 4 गाड़ियों को 8 परमिट व मई में 5 गाड़ियों को 10 परमिट निर्गत किये गये हैं।

इन परमिटों से शासन को कोर्ट फी-स्टैम्प के रूप में रु0 155/- परमिट शुल्क के रूप में रु0 372/- तथा यात्रीकर के रूप में रु0 2,254/- की आय हुई है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा चयनित किये अध्यापकों में विकलांगों के लिए आरक्षण व्यवस्था

101–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा चयनित किये जाने हेतु अध्यापकों में विकलांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो दिनांक 7-7-84 को "रोजगार समाचार" में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 5/84-85 में विकलांगों के लिए आरक्षित पद निर्धारित न करने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद क्षेत्र के विभिन्न डिपों में आवंटित नई बसें

102—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1980 लगायत 1984 के दौरान राजकीय परिवहन निगम की जितनी भी नई बसें फैजाबाद रीजन के नाम पर आवंटित की गई हैं उनमें से अधिकांश अमेठी तथा सुल्तानपुर डिपों को भेज दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप अकबरपुर तथा फैजाबाद डिपो की सेवाओं पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो दोषपूर्ण आवंटन के लिए कौन दोषी है और उसे दण्डित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

राजकुमार संजय सिंह—

फैजाबाद क्षेत्र को वर्ष 1980 से 1984 तक कुल 151 नई बसें उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका फैजाबाद क्षेत्र के विभिन्न डिपो में निम्नवत आवंटन किया गया है:—

फैजाबाद डिपो	33 नई बसें
सुल्तानपुर डिपो एवं अमेठी	55 नई बसें
प्रतापगढ़ डिपो	8 नई बसें
गोण्डा डिपो	23 नई बसें
बलरामपुर डिपो	19 नई बसें
अकबरपुर डिपो	13 नई बसें
योग	151 नई बसें

सुल्तानपुर एवं अमेठी डिपो को नई गाड़ियां ओवरएज फ्लीट के प्रतिस्थापन हेतु दी गयी। फैजाबाद तथा अकबरपुर डिपो को भी नई गाड़ियां ओवरएज फ्लीट के प्रतिस्थापन हेतु उसी अनुपात में दी गयी। वर्तमान में नई गाड़ियां जो एक लाख कि0 मी0 से कम संचालित हुई हैं, की संख्या सुल्तानपुर में अमेठी सहित 8, फैजाबाद डिपो में 15 तथा अकबरपुर डिपो में 8 है जब कि इन डिपो की कुल फ्लीट क्रमशः 79, 84 तथा 26 है, जिससे स्पष्ट होता है कि फैजाबाद तथा अकबरपुर में उनकी कुल फ्लीट के अनुपात में नई गाड़ियों की संख्या अधिक है। अतः नई गाड़ियों की कमी से फैजाबाद तथा अकबरपुर डिपो के संचालन में कुप्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

रटौल से देहली यातायात मार्ग पर राजकीय परिवहन निगम की बस बढ़ाने के संबंध में पत्र

103—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रटौल से देहली यातायात मार्ग पर एक राजकीय परिवहन निगम की बस बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें दिनांक 20-5-85 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

जी हां । सदस्य महोदय का दिनांक 24-5-85 का पत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत मार्ग पर एक बस दिनांक 24-10-82 से संचालित की जा रही है । दिनांक 20-3-84 से एक ही बस से 2अप और 2डाउन ट्रिप संचालित हुए । सदस्य महोदय का पत्र प्राप्त होने पर एक ही बस द्वारा अब तीन अप और तीन डाउन ट्रिप संचालित किये जा रहे हैं, जो यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए प्रर्याप्त है । इस रूट पर वर्तमान में बस बढ़ाने की कोई योजना नहीं है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मंल्लावा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री बेचे लाल को आर्थिक सहायता व अन्य देयों के भुगतान

104–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के श्री रमेश चन्द्र अवस्थी, उ0 मा0 विद्यालय मंल्लावा में श्री बेचे लाल ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 25 नवम्बर, 1974 से 10 मार्च, 1980 तक कार्य किया तथा सेवा अवधि के दौरान ही वह अपंग हो गया? यदि हां, तो क्या उसे आर्थिक सहायता प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि श्री बेचे लाल के अन्य देयों जैसे बीमा आदि की धनराशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम तिन्दोला, जनपद बाराबंकी में प्राइमरी पाठशाला के पुर्ननिर्माण पर विचार

105–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तिन्दोला, जनपद बाराबंकी में प्राइमरी पाठशाला (बालक) काफी जीर्ण शीर्ण दशा में है ? यदि हां, तो सरकार शीघ्र इसकी मरम्मत अथवा दूसरा भवन पाठशाला हेतु बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आवेदित संस्थाओं को इण्टरमीडिएट व हाई स्कूल की मान्यता दिये जाने पर विचार

106–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981, 1982, 1983 में आवेदित संस्थाओं को इण्टरमीडिएट व हाई स्कूल की मान्यता नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट के संस्थागत व व्यक्तिगत छात्र एवं छात्राओं के रोके गये परीक्षाफलों का निस्तारण

107—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 की बोर्ड की परीक्षा का हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट के संस्थागत व व्यक्तिगत छात्र एवं छात्राओं के परीक्षा-फल रुके हुए हैं ? यदि हां, तो कब तक जारी किये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

वर्ष 1984 की बोर्ड की परीक्षा के 4270 प्रकरण अब भी विभिन्न कारणों से रुके हुये हैं । विधिक कार्यवाही/प्रतिबन्धों की पूर्ति होते ही इनका निस्तारण कर दिया जायेगा ।

बांदा जनपद में ब्लाक प्रमुख एवं उप ब्लाक प्रमुख के पद

108—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में कितने ब्लाक प्रमुख एवं उप ब्लाक प्रमुख हैं जो दो-दो पदों पर आसीन हैं ? और क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बांदा जनपद में 5 ब्लाक प्रमुख एवं 5 उप ब्लाक प्रमुख ने अब तक प्रधान पद का चार्ज नहीं दिया है । उन्हें दिनांक 31-7-85 तक चार्ज दिये जाने की अंतिम नोटिस दिनांक 5-7-1985 को दी गयी है : दिनांक 31-7-85 तक चार्ज न देने वाले ब्लाक प्रमुखों एवं उप ब्लाक प्रमुखों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

बांदा जनपद के राजकीय कन्या इण्टर कालेज, करबी की सफाई कर्मचारी श्रीमती शान्ती के वेतन बढ़ाने संबंधी कृत कार्यवाही

109—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के राजकीय कन्या इण्टर कालेज, करबी की सफाई कर्मचारी श्रीमती शान्ती पत्नी मुन्ना लाल को विगत 6-7 वर्षों से केवल पचीस रुपये मासिक वेतन मिलता है ? यदि हां, तो वेतन बढ़ाने की उनकी मांग पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ? पूरे प्रदेश में स्कूल कालेजों के सफाई कर्मचारियों की वेतन स्थिति क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

110—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मुख्य व्यवस्थापक पंचायत उद्योग, हापुड़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की मांग

111—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधानों तथा संयुक्त समिति पंचायत उद्योग विकास खण्ड हापुड़ जनपद गाजियाबाद के सदस्यों ने मुख्य व्यवस्थापक पंचायत उद्योग हापुड़ के विरुद्ध दिनांक 1-2-84 को भ्रष्टाचार की शिकायतें जिलाधिकारी, गाजियाबाद से की थी ? यदि हां, तो क्या पूरे प्रकरण की जांच कराई गयी? यदि हां, तो उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जांच जारी है ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के गठन की कार्यवाही तथा विज्ञप्ति

112—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक वर्ष पूर्व शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड गठित हो जाने के पश्चात भी सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन न करने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के गठन की कार्यवाही 19-11-84 को सम्पन्न हुई थी परन्तु 22-11-1984 को ही बोर्ड के गठन के विरुद्ध उ0 प्र0 मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा-12 (2) के अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्राप्त हो जाने के कारण बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकी ।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, मिर्जापुर से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आनन्द (गुजरात) भ्रमण गये हुये प्रतिनिधियों की सूची तथा व्यय की गई धनराशि

113—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा 29 मई, 1985 से आयोजित कृषक भ्रमण का कार्यक्रम जो एफ0बी0डी0 रामनगर, वाराणसी से डेरी कोआपरेटिव फेडरेशन आनन्द (गुजरात) तक था उसमें कितने ग्रामीण समितियों के प्रतिनिधियों को भ्रमण कराया गया, उनका नाम और पता क्या है तथा शासन द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिए कितना धन दिया गया था, प्रति व्यक्ति कितना धन खर्च किया गया ? क्या यह सच है कि शासन द्वारा स्वीकृत धन में क्षेत्र पर्यवेक्षक श्री कन्हैया सिंह, एफ0बी0डी0 रामनगर, वाराणसी हजारों रुपये का घपला किये हैं? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती बेनी बाई—

29 मई, 1985 से आयोजित कृषक भ्रमण कार्यक्रम एफ0बी0डी0, रामनगर, वाराणसी से नहीं अपितु दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, लि0 मिर्जापुर से राष्ट्रीय डेरी

विकास बोर्ड, आनन्द (गुजरात) तक था जिसमें 21 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के कुल 33 प्रतिनिधियों को भ्रमण कराया गया।

उपरोक्त सभी 33 प्रतिनिधियों के नाम एवं पते संलग्नक "क" के अनुसार हैं।

शासन नहीं अपितु प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिये कुल 12,026.00 रुपये स्वीकृत किया गया था।

प्रति व्यक्ति पर कुल 353.56 रु0 खर्च किये गये।

जी नहीं।

क्योंकि उक्त भ्रमण में खर्च की गई धनराशि पूर्णतः भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा एवं प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही खर्च की गई है जिसमें प्रति व्यक्ति 228,.83 का किराया 76.24 रुपये प्रशिक्षण व्यय तथा 40.00 रुपये प्रति व्यक्ति 4 दिन का दैनिक भत्ता सम्मिलित है तथा शेष बस तथा टैक्सी का किराया है। श्री कन्हैया सिंह, क्षेत्र पर्यवेक्षक का किराया तथा 145.00 रुपये यात्रा भत्ता भी कुल 12,026.00 रुपये में सम्मिलित है। भारतीय डेरी निगम व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन, लखनऊ को करेगा।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 198 पर।)

पर्यवेक्षक पद हेतु प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

114—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3 मई, 1985 को सहायक क्षेत्र पर्यवेक्षक पद हेतु प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 में कितने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था? क्या उसमें श्री सुभाष चन्द्र सिंह आत्मज श्री भागवत सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम नीवी पो0 कोलना जनपद मिर्जापुर का भी साक्षात्कार लिया गया था? यदि हां, तो उसमें चयन की प्रक्रिया क्या थी? चयनित सूची में श्री सुभाष चन्द्र सिंह आत्मज श्री भागवत सिंह का सहायक क्षेत्र पर्यवेक्षक पद हेतु क्यों नहीं चयन किया गया? और उसमें स्वतंत्रता सेनानी के कितने आश्रित अभ्यर्थी थे? क्या सरकार गुप्तचर विभाग से उन सबकी सत्यापन करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती बेनी बाई—

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ में सहायक क्षेत्र पर्यवेक्षक पद के साक्षात्कार के लिये विभिन्न तिथियों में कुल 2664 अभ्यर्थी बुलाये गये थे जिसमें दिनांक 3 मई, 1985 को 228 अभ्यर्थी बुलाये गये थे जिनमें से 127 अभ्यर्थी उक्त तिथि को साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुये।

जी हां।

लिखित परीक्षा व तदुपरान्त साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की गई योग्यता क्रमानुसार बनी सूची से चयन किया गया।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु 26 पद आरक्षित थे। इस श्रेणी के कुल 94 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुये। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर योग्यता क्रमानुसार बनी सूची के प्रथम 26 अभ्यर्थियों को चुना गया। श्री सुभाष चन्द्र सिंह का नाम योग्यता सूची में नीचे होने के कारण उनका चयन नहीं किया गया।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 139 अभ्यर्थी में से 94 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए जिनमें से 26 का चयन किया गया ।

जी नहीं।

उक्त श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी जिनका मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन भी किया गया है। नियुक्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करते समय पुनः सक्षम अधिकारी के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ली जाती है एवं मूल प्रमाणपत्र से मिलान किया जाता है। अतः गुप्तचर विभाग से जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत अरौल बस स्टेशन चालू कराने तथा कानपुर से ककवन तक सिटी बस चलवाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

115—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 14 मार्च, 1985 से 21 मार्च, 1985 के मध्य उन्हें किसी विधायक का पत्र जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत अरौल का बस स्टेशन चालू कराने तथा कानपुर से ककवन तक सिटी बस चलवाने सम्बन्धी प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

राजकुमार संजय सिंह—

जी नहीं।

अरौल नव-निर्मित बस स्टेशन चालू करने एवं इटावा, वेवर-फर्रुखाबाद डिपो की बसें वहां रोकने सम्बन्धी श्री हनुमान प्रसाद कुरील, विधायक का पत्र दिनांक 12-4-85 प्राप्त हुआ था।

अरौल में एक बुकिंग लिपिक को तैनात कर सभी बसों को रोकने और बुकिंग की व्यवस्था सुलभ करा दी गयी है।

कानपुर-ककवन सिटी बस चलाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस मार्ग का कानपुर-बिल्हौर-19 किमी0 भाग राष्ट्रीयकृत तथा शेष बिल्हौर-ककवन 14 किमी0 भाग अराष्ट्रीयकृत है। निगम को संम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा निजी बस स्वामियों की आपत्ति पर परमिट स्वीकृत नहीं किये गये हैं। बिना परमिट बस सेवा चलाना संभव नहीं है।

सीमान्त, जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान मुनस्यारी विकास खंड को विभाजित करने हेतु विचार

116—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान मुनस्यारी विकास खंड को विभाजित करने हेतु क्वीटी में 120 दिनों तक जनता ने क्रमिक अनशन किया था? यदि हां, तो जनपद पिथौरागढ़ के बड़े-बड़े विकास खंडों को विभाजित करने हेतु सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

कोई नहीं।

वर्तमान में किसी नये विकास खण्ड सृजित करने का प्रस्ताव नहीं है।

उत्तराखण्ड (पर्वतीय जनपदों) में प्रशासनिक व विकास की इकाइयों को छोटे किये जाने की मांग

117–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि उत्तराखण्ड (पर्वतीय जनपदों) में वहां की भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहां की प्रशासनिक व विकास की इकाइयों (विकास खंडों) को छोटे किये जाने की मांग सरकार से उत्तराखंड क्रान्तिदल तथा लो0स0 दल द्वारा लगातार की जाती रही है? यदि हां, तो व्यापक जनहित में सरकार क्या विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

वर्तमान में किसी नये विकास खण्ड सृजित करने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

118–श्री हफीज भारती–

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा बरेली मार्ग पर कोतवाली थानान्तर्गत निजी बस से दुर्घटना

119–श्री सरदार सिंह–

क्या परिवहन मंत्री की जानकारी में है कि दिनांक 6-9-84 को मथुरा जनपद में मथुरा बरेली मार्ग पर कोतवाली थानान्तर्गत निजी बस से नगला महावत एवं गांव गौसना के दो युवक मारे गये हैं? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है? शासन ने मृतकों के परिवारजनों की क्या सहायता की? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन मृतकों के परिवारों की आर्थिक मदद करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजकुमार संजय सिंह–

जी हां। दिनांक 6-9-84 को मथुरा जनपद में मथुरा-बरेली मार्ग पर कोतवाली थानान्तर्गत दिन में 1.30 बजे प्राइवेट बस संख्या यू0पी0क्यू0 3373 से पैट बाजार यमुना पार स्थान पर एक दुर्घटना हुयी, जिसमें निम्न दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी:–

(1) श्री सोबरन सिंह, निवासी-नगला-महापति थाना-राया, जिला मथुरा।

(2) श्री हीरा लाल निवासी-गोसना थाना-राया जिला-मथुरा।

थाना कोतवाली मथुरा की सूचना के अनुसार चालक बस तेजी से चला रहा था जिससे श्री सोबरन सिंह मय साइकिल के कुचल गये। इसके पश्चात् इस बस ने एक अन्य बस यू0एस0आ0 9514 को टक्कर मारी जिसके पीछे आ रहे श्री हीरा लाल भी कुचल गये। घटना की तिथि को यह मोटर बगैर परमिट थी तथा इसका यात्रीकर भी जमा नहीं

था, अतएव शासन द्वारा बस यात्री बीमा योजना के अन्तर्गत नियमानुसार कोई आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है। मृतकों के उत्तराधिकारी मोटर वेहिकिल्स एक्ट की धारा-92 (ए) तथा धारा-110 ए के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके वाहन स्वामी तथा वाहन के बीमा कर्ता से मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

जनपद आगरा और तहसील फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बेसिक प्राइमरी स्कूलों के जीर्ण और क्षतिग्रस्त भवन

120—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा और तहसील फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित बेसिक प्राइमरी स्कूलों के जीर्ण और क्षति-ग्रस्त भवनों तथा नए भवनों के निर्माण हेतु धन वर्ष 1982-83 व 83-84 में ग्रामीण सेवा अभियंत्रण (आर0 ई0 एस0) संस्था को दिया गया था ? यदि हां, तो कितने भवनों की मरम्मत हुई और कितने नए भवनों का निर्माण किया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय, पशुपालन विभाग में सांख्यकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में अनि-यमितताएं तथा देय प्रत्यावर्तित वेतनमान

121—श्री मोहम्मद रिजवानुलहक तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, पशुपालन विभाग में सांख्यकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में मनमानी अनियमितताएं बरत कर कनिष्ठ कर्मचारियों को ज्येष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन सिद्धान्तों के अनुसार ?

श्रीमती बेनी बाई—

संबंधित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया गया है ।

122—श्री मोहम्मद रिजवानुलहक तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-8-80 को जो कर्म-चारी अनौपचारिक नियम अपनाकर प्रत्यावर्तित किये गये थे उनको उक्त दिनांक से ही प्रत्यावर्तित पद पर प्रत्यावर्तित वेतनमान में वेतन दिया गया परन्तु दिनांक 7-1-84 को शासन के आदेशानुसार जिन कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित किया गया उनको उक्त दिनांक से ही प्रत्यावर्तित वेतनमान में वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती बेनी बाई—

दिनांक 5-8-80 तथा दिनांक 7-1-84 का प्रत्यावर्तित कर्मचारियों को प्रत्या-वर्तन की तिथि से प्रत्यावर्तित वेतनमान में ही वेतन दिया गया है ।

सुभाष चन्द्र इण्टर कालेज, छीतपुर-इलाहाबाद में स्वीकृत प्रशासन योजना तथा रजिस्ट्रार सोसाइटी के यहां पंजीकरण

123–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभाष चन्द्र इण्टर कालेज, छीतपुर, इलाहाबाद में स्वीकृत प्रशासन योजना के अनुसार कालेज प्रबन्ध समिति में अध्यापकों के 2 प्रतिनिधि पिछले 10 वर्षों से कोई नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

124–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में सुभाषचन्द्र इण्टर कालेज, छीतपुर इलाहाबाद को संचालित करने वाली विद्या प्रचारिणी समिति वर्ष 1975 के बाद रजिस्ट्रार सोसाइटीज के यहां न पंजीकृत है, न नवीनीकृत है ? यदि हां, तो संस्था को नियम के विरुद्ध अनुदान किस आधार पर मिलता जा रहा है ? ऐसी उक्त परिस्थितियों में क्या सरकार कालेज में प्राधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं, संस्था पंजीकृत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में व्यक्तिगत प्रबन्धतंत्र में चलने वाले इण्टर, हाई स्कूलों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के शिक्षकों को चेक द्वारा कोष से वेतन देने पर विचार

123–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यक्तिगत प्रबंधतंत्र में चलने वाले इण्टर कालेजों, हाई स्कूलों तथा जूनियर हाई स्कूलों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के शिक्षकों को भी सरकार चेक द्वारा सरकारी कोष से वेतन का विचार कर रही है ? ऐसे विद्यालयों की प्रदेश में कुल कितनी संख्या है तथा इसमें कितने कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी है? इनमें वेतन भुगतान में कितना रुपया वार्षिक व्यय होता है ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर में व्याप्त गंभीर आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमिततायें, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

126–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर में व्याप्त गम्भीर आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताओं के फलस्वरूप जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर ने प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

हेतु अपने कार्यालय पत्रांक आडिट विविध 1895-97/81-82 दिनांक 16-5-81, पत्रांक लेखा इकाई/3833-35/81-82 दिनांक 7-4-81 तथा पत्रांक शि0 सं0/5271/82-83, दि0 10-8-82 द्वारा शासन से संस्तुति की है और अपने कार्यालय पत्रांक शि0 सं0/13192/82-83 दिनांक 23-2-83 तथा पत्रांक ई-2/1073-74/81-82, दिनांक 11-5-82 द्वारा यह भी बता दिया है कि मा0 उच्च न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है जो प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करता हो? यदि हां, तो शासन कब तक साधिकार नियंत्रक नियुक्त कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्ध समिति के विरुद्ध वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अधीन साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति की गयी थी। उप शिक्षा निदेशक द्वारा प्रबन्धक से मामले से संबंधित अभिलेख मांगे गये। किन्तु प्रबंधक द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इसी बीच प्रबंधक द्वारा प्रशासन योजना में संशोधन करने के विरुद्ध स्थानीय न्यायालय में वाद दायर करके दिनांक 15-9-83 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया।

प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध अब पुनः वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की कार्यवाही मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, बरेली को प्रस्तावित की गयी है।

127–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 वी0 एम0 इंटर कालेज, तिलहर जिला शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार, गंभीर आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताओं की कितनी शिकायतें शासन तथा विभाग को विगत दो वर्षों में प्राप्त हुयी हैं? वे शिकायतें क्या-क्या हैं और उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

विगत दो वर्षों में अनेक शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(1) प्रबन्ध समिति के चुनाव के सम्बन्ध में।

(2) प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) शिक्षण शुल्क का 80 प्रतिशत वेतन वितरण खाते में जमा न किया जाना।

(4) आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच।

(5) अवैधानिक रूप से विज्ञान शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री लाल प्रभात चन्द्र की प्रबन्धक पद की मान्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में, आदि।

प्राप्त शिकायतों के आधार पर विद्यालय में वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की धारा 6(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिनांक 16-5-81 को उप शिक्षा निदेशक, बरेली को की। इसी बीच प्रबन्धक द्वारा शासन योजना में संशोधन करने के विरुद्ध स्थानीय न्यायालय में वाद दायर करके दिनांक 13-9-83 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया।

प्रबन्ध तन्त्र के विरुद्ध अब पुनः वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की धारा 6(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की कार्यवाही मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, बरेली को प्रस्तावित की गयी है।

नेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल, बाराबंकी की मान्यता हेतु स्कूल की दिखायी गयी सम्पत्ति

128—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल, बाराबंकी की मान्यता हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र में जनपद के ग्राम न्योला करसुंडा प0 व त0 नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की भूमि नं0 34, 38, 72, 768, 769, 1225 व 1127 उक्त स्कूल की सम्पत्ति दिखलाई गई थी? यदि हां, तो क्या उपरोक्त भूमि अभी भी स्कूल की सम्पत्ति है?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल, बाराबंकी की शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं अनुरक्षण अनुदान की धनराशि

129—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 से वर्ष 1980 तक नेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल बाराबंकी की शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं अनुरक्षण अनुदान की कितनी धनराशि 1-2-84 से 31-3-84 के बीच विद्यालय प्रबंधकों द्वारा प्राप्त की गई थी ? क्या उपर्युक्त धनराशि संबंधित शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों को भुगतान कर दी गई है ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका फैजाबाद द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि के बीच रु0 1,10,493.00 की धनराशि प्रबन्धक द्वारा प्राप्त की गयी।

उक्त धनराशि में से कुछ धनराशि प्रबन्धक द्वारा शिक्षिकाओं को भुगतान करना बताया गया है परन्तु शिक्षिकाओं ने उक्त धन प्राप्त न करने का दावा किया है। अतः मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका फैजाबाद द्वारा प्रकरण में शिक्षा निदेशक से विशेष सम्प्रेक्षण किये जाने का अनुरोध किया है।

मथुरा जनपद के बेसिक अध्यापकों को मकान भत्ता दिये जाने पर विचार

130—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के बेसिक अध्यापकों को मिलने वाला मकान भत्ता माह नवम्बर/दिसम्बर, 84 व जनवरी, 85 में रोक दिया था ? यदि हां, तो क्यों ? माह फरवरी, 85 में पुनः भत्ता देने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

शासन के तत्कालीन आदेशों के कारण जनपद मथुरा के बेसिक अध्यापकों का केवल दिसम्बर, 1984 व जनवरी, 1985 का मकान भत्ता रोका गया था, जो शासन के पुनरीक्षित आदेशों के उपरान्त पुनः अनुमन्य कर दिया गया ।

श्री केशर सिंह, प्रधानाध्यापक का आधारिक विद्यालय बंसाई, विकास क्षेत्र जहरीखाल (गढ़वाल) से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने संबंधी आवेदन पत्र

131—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशर सिंह, प्रधानाध्यापक का आधारिक विद्यालय बंसाई विकास क्षेत्र जहरीखाल (गढ़वाल) से अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने की जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी के पत्रांक बे0 शि0/1292/84-85, दिनांक 21 जुलाई, 1984 के द्वारा पौड़ी क्षेत्र के तत्कालीन विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी को दी गई थी? यदि हां, तो श्री केशर सिंह को उक्त विद्यालय से कब कार्यमुक्त किया गया है और उनके द्वारा नवीन विद्यालय में कार्यभार कब ग्रहण किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस अनुशासनहीनता के प्रति क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

श्री केशर सिंह, प्रधान अध्यापक आ0 विद्यालय बंसाई (जहरीखाल) ने स्थानान्तरण निरस्त करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को एक आवेदन पत्र दिया था । उस में उल्लिखित पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल ने उक्त अध्यापक को वर्ष 84-85 के लिए आदर्श विद्यालय बंसाई में ही कार्यरत रहने की अनुमति दे दी थी। किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी एवं चमोली के बेसिक विद्यालयों में गांव शिक्षा समितियों का गठन, बैठकें तथा निर्णयों/सुझावों के क्रियान्वयन हेतु सरकार की व्यवस्थाएं

132—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 6ठें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के आदेश संख्या बे0 शि0 परि0/9325-9518/एक-12/78-79 दिनांक 21 अगस्त, 1978 के जारी होने के बाद जनपद पौड़ी एवं चमोली के बेसिक विद्यालयों में गांव शिक्षा समितियों का गठन कब किया गया

और समितियों की बैठकें नियमानुसार किए जाने और उनके निर्णयों/सुझावों के क्रियान्वयन हेतु सरकार की क्या व्यवस्था है ? क्या यह सत्य है कि गांव समितियों की बैठकें नियमित नहीं होती हैं और उनकी कार्यवाही पर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है और गांव शिक्षा समिति के मुख्य-मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य क्या-क्या हैं तथा नियमित बैठकें आमंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत संचालित बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की कार्यवाही

133–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कुल कितने बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूल हैं ? इनमें कितने ऐसे स्कूल हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं और शेष में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण क्या हैं तथा कब तक इन अवशेष स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति होने की सम्भावना है ?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 144 जूनियर हाई स्कूल हैं। इनमें से 107 विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं तथा शेष 37 विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं हैं। अवशेष स्कूलों में जब पद स्वीकृत होंगे तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ।

वाराणसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से संबंधित मामले

134–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से संबंधित कितने ऐसे मामले हैं जो पिछले 9-10 वर्षों से जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में अनिर्णीत पड़े हैं ? क्या इनमें श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उ0 मा0 विद्यालय, विश्वनाथ गली वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री शिवादत्त शुक्ल की सेवा समाप्ति का भी मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसका निर्णय करने में विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम हरखपुर कौड़हा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के कुटुम्ब रजिस्टर में कथित जालसाजी

135–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरखपुर कौड़हा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के कुटुम्ब रजिस्टर में क्या नान्हू, पुत्र मंगरू जाति हरिजन दर्ज था जिसकी जांच 17-8-76 में श्री राम पियारे सुमन के प्रार्थना पर संबंधित अधिकारी द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र में क्या आरोप थे और जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? क्या यह सही कि 17-8-76 के पूर्व संबंधित व्यक्ति ने अपनी जाति हरिजन लिखा रखा था जब कि उसी कुटुम्ब रजिस्टर में उसकी स्त्री की जाति मुस्लिम दर्ज थी? इस जालसाजी के लिए कौन-कौन अधिकारी व व्यक्ति दोषी हैं?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र उपलब्ध न हो सकने के कारण आरोपों को बताना संभव नहीं है । जांचोपरान्त यह पाया गया कि नान्हू, पुत्र मंगरू मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं । अतः परिवार रजिस्टर में इनका धर्म ''मुसलिम'' संशोधन करके अंकित करने का आदेश दिनांक 14-2-77 संबंधित पंचायत सेवक को दिया गया ।

जी नहीं, बल्कि पति-पत्नी दोनों की जाति 17-8-76 से पूर्व परि0 चमार अंकित थी ।

कोई जालसाजी नहीं की गई है जिससे किसी अधिकारी व व्यक्ति के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा की प्राथमिक पाठशालाओं की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

136–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की प्राथमिक पाठशालाओं की मरम्मत हेतु वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में कितनी-कितनी धन-राशि आवंटित की गयी थी? क्या इस धनराशि को बेसिक शिक्षाधिकारी श्री पाण्डेय ने नियम के विरुद्ध जिला परिषद् मथुरा को न देकर स्वयं ही व्यय किया था? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन आदेशों के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

मथुरा जनपद की प्राथमिक पाठशालाओं की मरम्मत हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी:–

वर्ष	धनराशि रु0 में
1981-82	9,15,000-00
1982-83	5,40,000-00
1983-84	9,37,000-00

श्री पान्डे ने रु0 2,94,556/- की धनराशि का व्यय उप विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया था।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कृष्ण चैतन्य इण्टर कालेज नन्दगांव (मथुरा) में प्रधानाचार्य का आयोग से चयन

137–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण चैतन्य इण्टर कालेज नन्दगांव (मथुरा) में प्रधानाचार्य का चयन आयोग से हो गया है ? यदि हां, तो अभी तक उसे कार्यभार ग्रहण न कराने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रथम वरीयता प्राप्त व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण न करने तथा पैनल की अवधि समाप्त हो जाने के कारण ।

श्री छोटे लाल, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, जिला शाहजहांपुर द्वारा पुनः सेवा में लिये जाने संबंधी शिकायती पत्र

138–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी 85 में श्री छोटेलाल भू0 पू0 सहायक अध्यापक जिला शाहजहांपुर ने प्रश्नकर्ता विधायक की संस्तुति के साथ कोई आवेदन पत्र शिक्षा निदेशक, कैम्प कार्यालय लखनऊ को इस आशय का दिया था कि उन्हें भी राजाज्ञा के अनुसार पुनः सेवा में लिया जावे ? यदि हां, तो इस आवेदन पत्र में तथ्य क्या थे ? उपरोक्त हरिजन भू0 पू0 सहायक अध्यापक को कब तक सेवा में ले लिया जायगा और इस शिथिलता के लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां

139–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाईस्कूल हैं जहां स्वीकृत पदों के अनुसार 31 मार्च, 1985 तक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है ? इसके प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक स्वीकृत पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति हो सकेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में 326 प्राइमरी तथा 51 जूनियर हाई स्कूलों में 31 मार्च 1985 तक स्वीकृत पदों के मानक के अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकी है । वांछित संख्या में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण ये रिक्तियां भरी नहीं जा सकी हैं । इसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है । बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर ही मानक के अनुसार नियुक्ति की जा सकेगी ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था संबंधी समायोजन प्रस्ताव

140—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों में 1982-83 में अध्यापकों की व्यवस्था संबंधी समायोजन प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को कब प्रस्तुत किया गया और उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा समायोजन प्रस्ताव पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं ? और समायोजन आदेश कब निर्गत किए गए हैं ? शिक्षा सत्र के माह से अधिक समय व्यतीत होने पर भी समायोजन स्थानान्तरण न कर, विद्यालयों में समुचित शिक्षण व्यवस्था न करने के प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

141—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों के ऐसे कितने अध्यापक/अध्यापिकाएं हैं जो विगत दस वर्षों से अधिक समय तक एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं ? इनके इतने लम्बे समय तक एक ही विद्यालय में बने रहने का औचित्य क्या है तथा इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने की दिशा में सरकार की नीति क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती शिवदेई देवी, पत्नी स्व0 श्री महावीर सिंह अध्यापक, प्राइमरी स्कूल बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त करने के संबंध में कृत कार्यवाही

142—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के पत्रांक बे0 शि0 प0/6931-34/उक-2121/81-82, दिनांक 8 मई, 81 के द्वारा श्रीमती शिवदेई देवी, पत्नी स्व0 श्री महाबीर सिंह, अध्यापक, प्राइमरी स्कूल बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल को मृतक के आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर किसी विद्यालय में नियुक्त करने के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी से 10 दिन के अन्दर आख्या मांगी गयी थी? यदि हां, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और वांछित आख्या परिषद् को कब तक प्रस्तुत की गई है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

आख्या निर्धारित समय के अंदर उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

143—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक बे0सि0प0/12248-49/एक-10140-1983-84 दिनांक 8-6-83 द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को श्रीमती शिवदेई पत्नी स्व0 श्री महावीर सिंह, अध्यापक प्राइमरी स्कूल बहेड़ाखाल पौड़ी को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं? यदि हां, तो क्या श्रीमती शिवदेई देवी को नियुक्त कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन्हें नियुक्त किए जाने की संभावना है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जी नहीं। जनपद पौड़ी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई पद रिक्त न होने के कारण नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी। यह पद की उपलब्धता तथा ऐसे अन्य प्रकरणों की संख्या पर निर्भर करता है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल भवनों के निर्माण हेतु कार्यवाही

144—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माण हेतु स्थल चयन करने की क्या प्रक्रिया है? क्या भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व भूमि स्थल का निरीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

अभी सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कतिपय विकास खण्डों में प्राइमरी पाठशालाओं में स्वीकृत पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति

145—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0 खं0 द्वारीखाल के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल कांडी भरग्वाडीखाल, बांगी तथा विकास खंड कलजीखाल के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल महादेव सैण, भटकोटी और चोपड़ा में कब से मात्र एक-एक अध्यापक ही कार्यरत हैं? इन विद्यालयों में शासन द्वारा स्वीकृत मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति न करने के कारण क्या हैं और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक इन विद्यालयों में शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रश्नगत विकास खण्डों के प्राइमरी पाठशाला काण्डी में 2 अध्यापक दिसम्बर 83 से कार्यरत हैं तथा शेष पाठशालाओं की स्थिति निम्नवत् है:–

विद्यालय का नाम	अध्यापकों की संख्या	वर्ष
प्राइमरी पाठशाला भखाडीखाल	1	नवम्बर 1983
प्राइमरी पाठशाला बांगी	1	नवम्बर 1980
प्राइमरी पाठशाला महादेवसेण	1	जुलाई 1984
प्राइमरी पाठशाला भटकोटी	1	जुलाई 1984
प्राइमरी पाठशाला चोपड़ा	1	जुलाई 1984

प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है, जिसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति संभव होगी। इसके लिये कोई निश्चित समयावधि बताना, फिलहाल संभव नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड कलजीखाल के अंतर्गत दिउसी जूनियर हाई स्कूल के भवन पुनर्निर्माण

146–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0खं0 कलजीखाल के अंतर्गत दिउसी जूनियर हाई स्कूल भवन कब ध्वस्त हुआ और इस विद्यालय भवन के पुनः निर्माण हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक इस विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण संभव हो सकेगा?

श्री सिब्ते रजी–

विद्यालय भवन ध्वस्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाई स्कूल दिउसी के चौकीदार की मृत्यु, आश्रितों को अवशेष देयकों का भुगतान

147–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0 खं0 कलजीखाल के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल दिउसी के चौकीदार (स्व0 श्री गोविन्द राम) की मृत्यु कब और कहां हुई है और उनके अवशेष देयकों का भुगतान उनकी पत्नी श्रीमती फगुणी देवी को करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक अवशेष देयकों का भुगतान होने की संभावना है?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत चौकीदार की मृत्यु मई 1978 में हुई थी। उन्हें तत्कालीन नियमों के अनुसार कोई पेंशन देय नहीं थी और न ही इनसे सामूहिक बीमा, भविष्य निधि की कटौती की जाती थी। अतः इनकी पत्नी को किसी प्रकार का अवशेष देय नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

148–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी जूनियर हाई स्कूलों में 5-5 एवं सभी प्राइमरी स्कूलों में कम से कम दो दो अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने का प्राविधान है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति नहीं है? इसके कारण क्या हैं और इनके लिए कौन उत्तर-दायी हैं तथा कब तक स्वीकृत मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने की सम्भावना है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में 51 जूनियर हाई स्कूल तथा 326 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां मानक के अनुसार अध्यापक नियुक्त नहीं हो पाये हैं। अध्यापकों द्वारा पदोन्नति स्वीकार न करने तथा जनपद में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण ये पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं। 1985-86 में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही नियुक्तियां सम्भव होंगी।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों में असमानता

149–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रत्येक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चतुर्थ श्रेणी के कितने पद तथा बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में कितने पद स्वीकृत हैं? इस असमानता के कारण क्या हैं और सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है? सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए कब तक उक्त स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के एक समान पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी?

श्री सिब्ते रजी–

इस जनपद के प्रत्येक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद सामान्यतः स्वीकृत हैं। पांचवीं तथा छठीं पंचवर्षीय योजना में खुले परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई पद स्वीकृत नहीं हुआ है। पूर्व से ही संचालित प्रत्येक परिषदीय स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी का केवल एक-एक पद स्वीकृत है। यह असमानता दोनों प्रकार के विद्यालयों की प्रकृति व प्रक्रिया में भिन्नता होने के कारण है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल भवनों का निर्माण

150—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल भवन हैं जो विगत डेढ़ वर्ष से निर्माणाधीन चले आ रहे हैं और अभी तक उनका निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है? इस विलम्ब के कारण क्या हैं तथा विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी हैं? इन विद्यालय के भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण कर पठन पाठन के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त स्थानों में तदर्थ नियुक्तियों पर विचार

151—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 1984-85 में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त स्थानों की पूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन तदर्थ नियुक्तियों पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फजले रहमानियां हाई स्कूल पचपेड़वा, जनपद गोण्डा के प्रबन्धक श्री इम्तियाज अहमद द्वारा अल्पसंख्यक स्वरूप घोषित करने हेतु दाखिल की गयी गलत नियमावली हेतु कृत कार्यवाही

152—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि फजले रहमानियां हाई स्कूल पचपेड़वा जनपद गोण्डा के प्रबन्धक श्री इम्तियाज अहमद ने अल्पसंख्यक स्वरूप घोषित करने के लिए जो नियमावली दाखिल की है तथा नियमावली जिसके आधार पर मान्यता विद्यालय को मिली थी वह भिन्न है ? यदि हां, तो गलत नियमावली शासन में दाखिल किसने की? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

153—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि फजले रहमानियां हाई स्कूल पचपेड़वा, जनपद गोण्डा को हाई स्कूल मान्यता जिस भवन के आधार पर मिली थी उसको वहां के प्रबन्धक श्री इम्तियाज अहमद ने भारी मूल्य लेकर बेच दिया है? यदि हां, तो क्या प्रबन्धक महोदय ने पहले से उसकी कोई अनुमति शासन से ली है? यदि नहीं, तो शासन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती के बकाये वेतन का भुगतान

154–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती ने अपने पत्र संख्या 5298/83-84 दिनांक 3-1-84 द्वारा उप विद्यालय निरीक्षक बस्ती को उनके वर्ष 1980-81 के चार माह के बकाये वेतन का भुगतान यथाशीघ्र किये जाने हेतु आदेशित किया है? यदि हां, तो क्या इस बकाये वेतन का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मेहन्दूपार जनपद बस्ती को स्टाक बुक के आधार पर सम्पूर्ण चार्ज दिलाने के संबंध में कार्यवाही, वेतन रोके जाने का औचित्य, राजकीय धन का व्यपहरण

155–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 2रें सोमवार के अता0 प्र0 संख्या 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय जब जू0 हा0 स्कूल मेहन्दूपार विकास खण्ड सांधा जनपद बस्ती में स्थानान्तरित होकर आये तो उन्हें स्टाक बुक के अनुसार स्पष्ट चार्ज नहीं दिया गया था जिसके बारे में श्री उपाध्याय ने तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक विकास खंड सांधा से कई बार अनुरोध किया था ? क्या यह भी सत्य है कि तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक विकास खण्ड सांधा ने दिनांक 31-3-80 को जू0 हा0 स्कूल महेन्दूपार वि0 खण्ड सांधा के निरीक्षण के समय अपनी निरीक्षण आख्या के बिन्दु 10 पर अपनी टिप्पणी "विद्यालय का चार्ज स्पष्ट नहीं है विवाद श्री जयराम मिश्र भू0 पू0 प्रधानाध्यापक तथा राम लखन शुक्ल सहायक अध्यापक के मध्य है" अंकित किया है? यदि हां, तो क्या अपने 31-3-80 के निरीक्षण के बाद तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने स्टाक बुक के आधार पर सम्पूर्ण चार्ज दिलाने की कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

156–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय तत्कालीन प्रधानाध्यापक, जू0 हा0 स्कूल मेहन्दूपार, विकास क्षेत्र सांधा जनपद बस्ती के जू0 हा0 स्कूल से संबंधित अभिलेखों (जो उनके पास उपलब्ध हों) की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा दिनांक 9-1-81 को उनके बस्ती कार्यालय पर तथा दिनांक 19-9-81 को तहसील मुख्यालय बांसी में कराई थी? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती द्वारा कोई अनियमितता

पायी गयी थी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो अक्टूबर, 80 से जनवरी, 81 तक का वेतन उस समय तथा अब तक रोके जाने का औचित्य क्या है, जबकि फरवरी, 81 से श्री उपाध्याय का वेतन पुनः दिया गया है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

157–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 संख्या 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या यह सत्य है कि दिनांक 16-1-81 को श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय तत्कालीन प्रधानाध्यापक, जू0 हा0 स्कूल महेन्दूपार ने अभिलेखों की आडिट जांच तहसील मुख्यालय बांसी पर कराया था? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? क्या कोई राजकीय धन का व्यपहरण आडिट जांच के समय प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो यह व्यपहरण किस समय का है और किस अधिकारी की जांच द्वारा इसे पाया गया?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

158–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 2रे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उपाध्याय को फरवरी, 75 तथा जुलाई, 76 से अक्टूबर, 76 तक के बकाये वेतन का भुगतान कब और किस माध्यम से किया गया है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जब्बाद अली, सहायक अध्यापक को बकाये वेतन का भुगतान दिलाने के संबंध में कृत कार्यवाही

159–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 संख्या 174 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भुगतान कब और किस माध्यम से किया गया तथा सितम्बर, 81 एवं जुलाई, 82 का वेतन अब तक न भुगतान करने पर किसी को दोषी न पाये जाने का आधार क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक श्री अम्बिकामणि त्रिपाठी जूनियर हाई स्कूल एकडिंगवा के बकाया वेतन, भविष्य निधि, पेंशन इत्यादि देयों का भुगतान कराने की व्यवस्था

160–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 176 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जुलाई, 79 में शासन ने जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत सहायक अध्यापकों

के इण्टर पास तथा गैर इन्टर पास सहायक अध्यापकों का वेतनमान शासनादेश द्वारा एक रूप करके 660/- रु0 प्रतिमाह निश्चित किया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल एकडिंगवा, जनपद बस्ती (सेवा निवृत्त) को 1 जुलाई, 1979 से 30 जून, 80 तक 660/- रु0 प्रति माह वेतन न देकर केवल 460/- रु0 प्रति माह वेतन दिये जाने का कारण क्या है? उपरोक्त सहायक अध्यापक को दिया गया भविष्य निधि तथा उनको बनायी जा रही पेंशन में अन्तिम वेतन 660/- रु0 न मानकर 460/- रु0 आधार मानने का कारण क्या है? क्या मंत्री जी इस त्रुटि को भी दूर करके बकाया वेतन तथा भविष्य निधि एवं पेंशन सही ढंग से बनवाकर भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

161--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 176 के उत्तर से संबंधित क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बिका मणि त्रिपाठी सहायक अध्यापक (सेवा निवृत्त) को माह दिसम्बर, 1966, जुलाई, 1968, नवम्बर, 1969 तथा अप्रैल, मई तथा जून 1970 का वेतन भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो अब तक वेतन भुगतान न करने का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

162--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 संख्या 176 के उत्तर के सदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी की नियुक्ति 1 अगस्त, 1949 को हुयी थी तथा 30 वर्ष 10 माह सेवा करने के उपरान्त 30 जून, 80 को सेवा निवृत्त हुए ? यदि हां, तो 30 वर्ष 10 माह कार्य करने के उपरान्त भविष्य निधि केवल 2310 रु0 37 पैसा ही बनाये जाने का आधार क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जी0 आई0 सी0 शाहाबाद, जिला रामपुर के सहायक अध्यापक श्री साबिर हसन खां के जी0पी0एफ0 तथा पेंशन रोके जाने का कारण

163--मुहम्मद आजम खां--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी0. आई0 सी0 शाहाबाद जिला रामपुर के सहायक अध्यापक श्री साबिर हसन खां जो कि दिनांक 7-6-79 को रिटायर हुए हैं, को किन कारणों से जी0 पी0 एफ0 की अदायगी अभी तक नहीं हुई तथा पेंशन के आदेश हो जाने के बाद भी पेंशन की रकम रोक देने के क्या कारण हैं ? सरकार कब तक इसकी अदायगी की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी, अपूर्ण परीक्षाफलों की स्थिति

164–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1984 में क्रमशः कुल कितने-कितने अभ्यर्थी संस्थागत तथा निजी रूप में प्रविष्ट हुए और उनमें से कितने कितने अभ्यर्थियों के परीक्षाफल अभी अपूर्ण हैं तथा यह अपूर्ण परीक्षाफल कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

31 अक्टूबर, 1984 तक सभी अपूर्ण परीक्षाफल पूर्ण कर दिये गये थे । परीक्षाफल घोषणा की तिथि को अपूर्ण परीक्षाफलों की स्थिति निम्नवत् रही :–

परीक्षा का नाम	सम्मिलित संख्या	घोषणा की तिथि को अपूर्ण की सं0
(क) इण्टर संस्थागत	3,44,488	97,929
व्यक्तिगत	1,20,210	13,891
(ख) हाईस्कूल		
संस्थागत	7,69,440	1,45,510
व्यक्तिगत	2,63,005	35,584

राजकीय हाई स्कूल, गैरखेत विकास खण्ड स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा में विज्ञान, गृह विज्ञान, कला व गणित विषय के अध्यापकों के रिक्त पद

165–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय हाई स्कूल गैरखेत पत्रालय गैरखेत वि0 खण्ड स्याल्दे जनपद अल्मोड़ा में 1981 से जून 85 तक विज्ञान, गृह विज्ञान, कला व गणित विषय के अध्यापक नहीं हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है तथा परीक्षाफल पर कुप्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो सरकार अविलम्ब अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

इस हाई स्कूल में गृह विज्ञान के अध्यापक का पद नहीं है । शेष रिक्त पदों पर व्यवस्था की जा रही है ।

जिला अल्मोड़ा, तहसील रानीखेत के कतिपय राजकीय हाई स्कूल/इंटर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

166—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गैरखेत, राजकीय हाई स्कूल, बिनौली सलेड़, राजकीय इण्टर कालेज, उत्तमछानी, राजकीय इण्टर कालेज, द्योलीखेत, राजकीय इण्टर कालेज, फुगीलासीन, राजकीय इण्टर कालेज, दवायल, राजकीय इण्टर कालेज, स्यालदे, तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में किन-किन विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के पद रिक्त हैं और कब से हैं तथा कब तक भरे जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

1—रा0उ0मा0 विद्यालय गैरखेत में गत सत्र के अन्त तक कोई पद रिक्त नहीं रहा ।

2—रा0हा0 स्कूल, बिनौली स्टेट में स्नातक वेतनक्रम का एक पद 4-2-84 से रिक्त है ।

3—रा0इं0का0, उत्तमसाणी में स्नातक वेतनक्रम (कृषि) का एक पद 31-12-81 से रिक्त है।

4—रा0इं0का0, कुलीलाखेत में स्नातक वेतनक्रम (विज्ञान-गणित) का पद 29-3-84 से रिक्त ।

5—रा0 इं0 का0, दवेलीखेत में स्नातक वेतनक्रम के तीन पद (कृषि) सामान्य एवं विज्ञान गणित के पद क्रमशः 16-11-83, 12-9-84 एवं 6-11-84 से रिक्त ।

6—रा0 इं0 का0, दवायल सल्ट में प्रवक्ता (भौतिक) का पद 16-8-83 से रिक्त है, स्नातक वेतनक्रम (सामान्य) के दो पद 24-3-84 एवं 27-4-84 से रिक्त हैं ।

7—रा0इं0का0, स्याल्दे में स्नातक वेतनक्रम के दो पद 9-2-84 एवं 8-12-84 से रिक्त हैं।

शीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद पिथौरागढ़ में बी0टी0सी0 (बालिका) प्रशिक्षण हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिलाओं का चयन

167—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में 1982 में बी0टी0सी0 (बालिका) के प्रशिक्षण हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने के आधार पर कितनी महिलाओं का चयन किया गया ? क्या इस संबंध में सुश्री शकुन्तला बोरा ग्राम लेलू (पिथौरागढ़) तथा अन्य लोगों द्वारा जिलाधिकारी बी0एस0ए0 मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका तथा शिक्षा निदेशक को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि उक्त चयन जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर हुये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1982 में बी0टी0सी0 (बालिका) प्रशिक्षण हेतु तीन परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिलाओं का चयन किया गया था ।

इन महिलाओं का चयन जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर होने के संबंध में सुश्री शकुन्तला बोरा ग्राम लेलू (पिथौरागढ़) का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था । पिथौरागढ़ के निवासियों से इस संबंध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे ।

शिकायतों की जांच जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ द्वारा की गई थी और जांच आख्या जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ द्वारा शिक्षा सचिव को दिनांक 22 मई, 1983 को प्रेषित की गई। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की रिपोर्ट पर उक्त प्रशिक्षणार्थियों का बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष का परीक्षाफल रजिस्ट्रार विभागीय परिक्षायें, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा रोक दिया गया था जिसके विरुद्ध प्रशिक्षणार्थियों ने मा0 उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दिया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 1985 को दिये गये आदेशानुसार दिनांक 22 जुलाई, 1985 की परीक्षाफल समिति की बैठक में तीनों प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है ।

उ0 प्र0 प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, पिथौरागढ़ के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित ज्ञापन पर कार्यवाही

168–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, जनपद पिथौरागढ़ के जनपदीय अध्यक्ष (नारायण दत्त भट्ट) द्वारा प्रेषित पर्वतीय क्षेत्र के प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में 1-11-82 का ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षकों की पेंशन की धनराशि बैंक अथवा डाक द्वारा पहुंचाने की मांग

169–श्री काशी सिंह ऐरी –

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बेसिक शिक्षकों को अपनी अल्प पेंशन राशि को लेने के लिए अपने-अपने जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस अल्प राशि को बैंक या डाक द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी, जिससे पेंशन पाने वाले इन शिक्षकों के धन व समय की बचत हो सके ? यदि हां, कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय जनपदों के अध्यापकों के रिक्त पद न भरे जाने से हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट के परीक्षाफलों पर प्रभाव

170—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 81-82, 82-83 तथा 83-84 में पर्वतीय जनपदों के इण्टर व हाई स्कूल के बोर्ड की संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षाओं की प्रतिशत सफलता क्रमशः कितनी रही ? क्या यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त जनपदों में उपरोक्त कक्षाओं के अध्यापकों के पदों के न भरे जाने का परीक्षाफल पर बुरा प्रभाव पड़ा ? यदि हां, तो उपरोक्त जनपदों में इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, अल्मोड़ा के चौखुटिया अधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर कार्यवाही

171—श्री काशी सिंह ऐरी —

क्या शिक्षा मंत्री प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, जनपद अल्मोड़ा के द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक अधिवेशन चौखुटिया (जनपद अल्मोड़ा) में दिनांक 23 सितम्बर, 84 को पारित प्रस्तावों की प्रति (पत्रांक 475/तीन/84-85) दिनांक 2 अक्टूबर, 1984 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुयी? यदि हां, तो उनके 16 सूत्रीय मांगों पर क्रमशः क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा एस0 पी0 एल0 तथा आटो के आधार पर परीक्षाफल रोके जाने की कथित कार्यवाही

172—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षा सत्र 83-84 में प्रकाशित इण्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल की संस्थागत परीक्षाओं में एस0 पी0 एल0 आटो के आधार पर कुछ परीक्षाफल रोके गये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा इस वर्ग के छात्रों के परीक्षाफल तुरन्त घोषित करने, इस प्रकार की गल्तियों को भविष्य में स्थायी रूप से रोकने के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो [illegible]

श्री सिब्ते रजी —

एस0 पी0 एल0 तथा आटो के आधार पर कोई भी परीक्षाफल रोका नहीं गया [illegible] कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरगोविन्द पंत राजकीय इन्टर कालेज, द्वेवयाल जिला अल्मोड़ा में अध्यापकों के रिक्त पद

173—श्री काशी सिंह ऐरी —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरगोविन्द पंत-राजकीय इण्टर कालेज द्वेवयाल, विकास खण्ड सल्ट, जनपद अल्मोड़ा में जनवरी, 1980 से सितम्बर, 1984 तक प्रधानाचार्य सहित 9 अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ? क्या सरकार शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्मोड़ा जनपद में कन्या प्राइमरी विद्यालयों के भवन

174—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अल्मोड़ा में कितने भवन कन्या प्राइमरी विद्यालयों के बने हैं, कितनों में शिक्षण कार्य चल रहा है तथा कितने भवन खाली पड़े हैं? क्या सरकार रिक्त भवनों का उपयोग विद्यालय हेतु करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

13 विद्यालयों में शिक्षण कार्य चल रहा है। तथा 4 खाली पड़े हैं।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी जनपदों के राजकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षायें

175—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत पांच शिक्षा सत्रों में जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षायें क्रमशः किन-किन तिथियों में सम्पन्न की गयीं, ये तिथियां लिखित परीक्षाओं से पूर्व थीं या बाद में? सरकार भविष्य में इन प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लिखित परीक्षाओं से पूर्व अवश्यमेव सम्पन्न कराने के लिए क्या-क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक (भूगोल) के पद पर नियुक्ति

176—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रांक 1141/116-आर0ए0-62-63 दिनांक 24-10-63 के द्वारा जिन 15 अभ्यर्थियों का सहायक अध्यापक (भूगोल) विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के पदों के लिए चयन किया गया था, उनमें से केवल 9 को ही नियमित रूप से नियुक्त किया गया

और शेष 6 को नियमित नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि लोक सेवा आयोग से वे भी चयनित हो गये थे ?

श्री सिब्ते रजी–

लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र दिनांक 24-10-63 में सहायक अध्यापक (भूगोल) के पदों हेतु मुख्य सूची में 7 तथा अतिरिक्त सूची में 7 अभ्यर्थिओं की अनुशंसा की थी। मुख्य सूची के समस्त 7 अभ्यर्थियों की नियुक्ति 12-11-62 को शिक्षा निदेशालय द्वारा की गई। इसी बीच एक और नया पद सृजित हो गया। अतः अतिरिक्त सूची के प्रथम अभ्यर्थी की नियुक्ति उक्त नव सृजित पद पर कर दी गई। एक वर्ष से अधिक अवधि के व्यतीत होने के कारण अतिरिक्त सूची के शेष 6 अभ्यर्थियों की नियुक्ति संभव न हो सकी ।

पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों के प्रान्तीयकरण से प्रभावित सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापक

177–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में हाई स्कूल व इण्टर कालेजों के प्रान्तीयकरण किए जाने के फलस्वरूप कितने सी0 टी0 ग्रेड के शिक्षकों को पद अवनत कर जे0 टी0 सी0 ग्रेड में नियुक्ति दी गई? इन शिक्षकों को पद अवनत करने का क्या कारण रहा, जबकि प्रान्तीयकरण की राजाज्ञाओं में ऐसा करने का कोई भी निदेश नहीं है?

श्री सिब्ते रजी–

प्रान्तीयकरण के समय निर्धारित अर्हतापूर्ण न करने के कारण तत्समय लागू आदेशों के अनुसार उनकी जे0टी0सी0 ग्रेड में नियुक्ति की गयी। पुनः राजाज्ञा दिनांक 4-6-1981 के अनुसार 223 शिक्षकों को निर्धारित अर्हता की पूर्ति पर सी0टी0 ग्रेड अनुमन्य किया गया।

पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय हाई स्कूलों व इण्टर कालेजों में प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

178–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान में कितने राजकीय हाई स्कूल व इण्टर कालेजों में प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों के पद कब से किस कारण रिक्त पड़े हुए हैं? इन पदों की रिक्तियों की पूर्ति कब तक की जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामदास प्रसाद सिंह, प्रवक्ता रा0 इ0 का0 देवलीखेत, अल्मोड़ा को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से सम्बद्ध किये जाने की अवधि का वेतन आदि का भुगतान

179–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदास प्रसाद सिंह, भू0 पू0 प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज स्याल्दे (अल्मोड़ा) वर्तमान प्रवक्ता रा0इ0का0 देवलीखेत में कार्यरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद से सम्बन्धित किये गये हैं? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों विद्यालयों में इन्होंने कितने समय अनुपस्थित रहते हुये वेतन भत्ता प्राप्त किया? ऐसा क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां। दोनों विद्यालयों में दिनांक 13-7-83 से दिनांक 22-6-84 की अवधि में अनुपस्थित रहते हुये उन्हें वेतनादि का भुगतान किया गया क्योंकि इस अवधि में इन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय से कतिपय हाई स्कूल/इण्टर कक्षाओं की पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में पुस्तक लेखन आदि का कार्य सम्पादन करने हेतु सम्बद्ध किया गया था।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद में अंक पत्र प्रमाण-पत्र हिन्दी कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराये जाने का प्रश्न

180–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा इण्टर व हाई स्कूल परीक्षाफल व प्रमाण-पत्र आंग्ल भाषा में कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य हेतु देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर का उपयोग करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

हां।

हिन्दी का कम्प्यूटर रखने वाली कम्प्यूटर फर्मों द्वारा परीक्षाओं के सिस्टम को विकसित कर लिये जाने के पश्चात् ही परीक्षाओं के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों को हिन्दी के कम्प्यूटर से तैयार कराया जाना संभव हो सकेगा।

पर्वतीय क्षेत्र में बी0टी0सी0 वेतनमान में कार्यरत अध्यापकों का स्थायीकरण व पदोन्नति

181–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1967, 1968 और 1969 से जो अध्यापक और अध्यापिकायें पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में बी0टी0सी0 वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें अभी तक किन कारणों से स्थायी एवं पदोन्नत नहीं किया गया है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा में उ0प्र0 राज्य सड़क निगम का डिपोवार हानि-लाभ, कार्यरत बसों आदि का विवरण

182–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में विगत तीन वर्षों में डिपोवार क्रमशः कितना हानि लाभ अर्जन किया? इन डिपो में क्रमशः कितनी यात्री बसें कार्यरत रहीं? पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार वहां और अधिक डिपो खोलने पर विचार कर रही है यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजकुमार संजय सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में डिपोवार विगत तीन वर्षों में हानि तथा लाभ एवं कार्यरत बसों का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	(–) हानि/लाभ (+) (रुपए में)	कार्यरत बसों की संख्या
	1––पिथौरागढ़ डिपो	
1982–83	.. 17,84,903.93(–)	54
1983–84	.. 18,82.121.71(–)	54
1984–85	.. 10,30,866.27(–)	48
	2––अल्मोड़ा डिपो	
1982–83	.. 3,35,134.80(–)	10
1983–84	.. 4,33,150.10(–)	12
1984–85	.. 3,97,505.80(–)	15
	3––रानीखेत डिपो (जनपद अल्मोड़ा)	
1982–83	.. 10,68,315.40(–)	34
1983–84	.. 19,77,192.40(–)	34
1984–85	.. 13,32,584.90(–)	32

पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ही अल्मोड़ा में डिपो कार्यशाला का निर्माण वर्ष 1983 में किया गया।

पिथौरागढ़ जनपद के लोहाघाट में डिपो वर्कशाप खोलने का निर्णय लिया जा चुका है तथा भूमि अध्यापित करने की कार्यवाही पूरी हो चुकी है।

पिथौरागढ़ जनपद में पर्वतीय मानक के अनुसार प्राइमरी पाठशालाओं की आवश्यकता

183–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसीलवार अब भी पर्वतीय मानक के अनुसार कुल कितने प्राइमरी पाठशालाओं की आवश्यकता है? इन तहसीलों में इन्हें क्रमशः कब तक पूरा कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उग्रसेन इण्टर कालेज, इलाहाबाद के प्रवक्ता श्री राम गोपाल संड को स्वीकृत पेंशन

184–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या सरकार को ज्ञात है कि उग्रसेन इंटर कालेज, इलाहाबाद के प्रवक्ता (श्री राम गोपाल संड) को मात्र रुपया 60/- पेंशन दिनांक 23-11-84 को स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पेंशन को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री सन्ड ने लाभत्रयी योजना का वरण किया है जिसके अंतर्गत नियमानुसार अनुमन्य दरों पर ही उन्हें पेंशन स्वीकृत की गयी है ।

श्री वैद्य भगवानदीन बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नानपारा, जिला बहराइच की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा शिक्षा निदेशक की जांच रिपोर्ट

185–श्री राजेन्द्र गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 1ले मंगल के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के ता0 प्र0 सं0 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशक की जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी–

शिक्षा निदेशक द्वारा करायी गयी जांच में आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

श्री भीक चन्द्र, अवकाश प्राप्त अध्यापक, नगर क्षेत्र मथुरा को पेंशन का भुगतान

186–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां से पेंशन पाने वाले (श्री भीक चन्द्र) अवकाश प्राप्त अध्यापक नगर क्षेत्र मथुरा की पेंशन रोक दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब इस अध्यापक को पेंशन देना प्रारम्भ कर देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

श्री भीकचन्द्र को उन्हें देय पेंशन दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शम्भू प्रसाद कोठियाल, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कालेज, नन्दप्रयाग, चमोली का निलम्बन तथा निलम्बित अवधि के अवशेष वेतन का भुगतान

187–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से श्री शम्भू प्रसाद कोठियाल, सहायक अध्यापक, रा0 इण्टर कालेज, नन्दप्रयाग, जिला चमोली को दिनांक 20-6-81 को उप निदेशक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया और फिर उनको निलम्बित कर दिया गया तथा पुनः 14-5-82 को उनका निलम्बन समाप्त कर दिया गया, तो निलम्बन के समय का जो वेतन का अवशेष है उसका भुगतान 30-4-85 तक क्यों नहीं किया गया और कौन अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी है तथा उन्हें इसके लिये क्या दण्ड दिया गया है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम बरन निवासी ग्राम कोलवा जनपद बाराबंकी के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

188–श्री राम सागर–

क्या शिक्षा मंत्री (बेसिक शिक्षा) को ज्ञात है कि दिनांक 15-11-84 को मा0 सदस्य ईश्वर शरण विद्यार्थी एवं बलबीर सिंह द्वारा संस्तुत श्री राम बरन पुत्र शालिक ग्राम कोलवा, परगना रुदौली, जनपद बाराबंकी का शिकायती-पत्र शिक्षा सचिव, जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी को तथा सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ऊदल) द्वारा संस्तुत संलग्न पत्र दिनांकित 19-11-84 का माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं ? जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

संदर्भित शिकायती-पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी एवं सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् को प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य शिकायतें निम्नलिखित थी :–

(1) श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी, इंचार्ज अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला कोलवा द्वारा फर्जी टी0सी0 निर्गत किया जाना ।

(2) प्रवेश रजिस्टर में पूर्व अंकित नाम को खुरच कर शिकायतकर्ता का नाम अंकित किया जाना ।

(3) श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी, इं0 अध्यापक द्वारा विद्यालय से बहुधा अनुपस्थित रहना और पूरे सप्ताह का हस्ताक्षर बनाया जाना ।

(4) टी0सी0 छात्र या संरक्षक को न देकर अन्य व्यक्ति को दिया जाना।

उक्त शिकायतों की जांच सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षका रुदौली द्वारा कराई गई और जांच से उक्त बिंदु 3 और 4 का आरोप सिद्ध होता है । जांच के आधार पर श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी को निलम्बित कर दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

स्वर्गवासी श्री हरस्वरूप, अवकाश प्राप्त हेड मास्टर, प्राइमरी पाठशाला, एआदनगर, जिला गाजियाबाद की विधवा को पारिवारिक पेंशन

189–श्री किरनपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हर स्वरूप, रिटायर्ड हेड मास्टर, प्राइमरी पाठशाला, एआदनगर, डाकखाना बाबूगढ़ जिला गाजियाबाद का स्वर्गवास 7-12-68 को हो गया था तथा इनकी विधवा श्रीमती परसन्दी देवी को लाभत्रयी योजना दिनांक 17 दिसम्बर, 1965 लखनऊ की धारा-34 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन न दिये जाने का क्या कारण है तथा पारिवारिक पेंशन कब से दी जाने लगेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री करन सिंह, चपरासी, कार्यालय डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, मेरठ की विधवा को पारिवारिक पेंशन तथा अन्य देयों का भुगतान

190–श्री किरनपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री करन सिंह चपरासी, कार्यालय डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स मेरठ 31-1-78 को सेवा निवृत्त हुए थे तथा 10-1-1979 को उनका स्वर्गवास हो गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इनकी बीमा की धनराशि तथा ग्रेच्युटी की धनराशि अभी तक इनकी विधवा श्रीमती जमुना देवी को नहीं मिली है और उन्हें पारिवारिक पेंशन भी मिलनी शुरू नहीं है? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? श्रीमती जमुना देवी को समस्त देय धनराशि तथा पारिवारिक पेंशन कब तक दिला दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

किन्तु सेवानिवृत्ति की तिथि 13-1-79 (न कि 31-1-78) तथा स्वर्गवास की तिथि 10-11-79 (न कि 10-1-79) है ।

उनकी बीमा की धनराशि का भुगतान न होने का कारण दावे की वांछित प्रतियां उनकी विधवा से प्राप्त न होना है । ग्रेच्युटी की धनराशि का अधिकार पत्र महालेखाकार द्वारा 17-12-84 को जारी कर दिया गया है । पारिवारिक पेंशन भी महालेखाकार के पत्र दिनांक 17-12-84 द्वारा उनकी विधवा को दिनांक 11-11-79 से स्वीकृत कर दी गयी है । भुगतान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

बुलन्दशहर जनपद के कतिपय ग्रामों में जूनियर हाईस्कूल व प्राइमरी पाठशाला के भवनों का निर्माण

191–श्री किरनपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलंदशहर की तहसील बुलंदशहर के अंतर्गत ग्राम सालाबाद धमेड़ा तथा चितसोना निन्वाना, ग्राम धगेड़ा कोरत में क्रमशः जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं के भवन का निर्माण 30 जून, 1984 तक पूर्ण होना निश्चित था? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों के भवनों के अब तक निर्माण न होने के क्या कारण हैं? उक्त विद्यालय के भवन कब तक निर्मित हो जायेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मुनउव्वर अली, शिक्षा अधीक्षक खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर की विधवा को पारिवारिक पेंशन तथा अन्य देयों का भुगतान

192—श्री किरन पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुनउव्वर अली, शिक्षा अधीक्षक खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर का 27 सितम्बर, 1980 को स्वर्गवास हो गया था? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा मुश्तिजा खातून को समस्त देय धनराशि तथा पारिवारिक पेंशन नहीं मिली है? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक सभी भुगतान कराकर पारिवारिक पेंशन दिला दी जायेगी?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद जनपद के ग्राम सभा मेवापुर मुताल के देवगांव में प्राइमरी पाठशाला

193—श्री रमेश चन्द्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिले के प्रत्येक ब्लाक की प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल खोले जाने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है? यदि हां, तो ग्राम सभा मेवापुर मुताल के देवगांव, जिला फैजाबाद में प्राइमरी स्कूल कब तक खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी, अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल एकडंगवा, बस्ती को पेंशन की स्वीकृति

194—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी सहायक अध्यापक (सेवा निवृत्त) जूनियर हाई स्कूल एकडंगवा जिला बस्ती की नियुक्ति 1 अगस्त, 1949 को हुई थी तथा 30 जून, 1980 को वह सेवा निवृत्त हुए इस प्रकार कुल 30 वर्ष 10 माह कार्य करने के उपरान्त यह सेवा निवृत्त हुए हैं ? क्या यह भी सही है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी का पेंशन 30 वर्ष 10 माह के वेतन तथा सेवाकाल के आधार पर न बनाकर केवल 30 वर्ष के सेवाकाल के आधार पर ही बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गाजीपुर जनपद के मान्यता प्राप्त स्कूल व कालेज तथा विद्यालय भवनों का निर्माण

195—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने स्कूल और कालेज हैं और कितनों को मान्यता मिली हुई है तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितने मान्यता प्राप्त स्कूल ऐसे भी हैं जिनके भवन ही नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिए भवन निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मकतबों में बेसिक शिक्षा तथा इन पर होने वाला व्यय

196–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कितने मकतब हैं जिनमें दीनी तालीम के साथ-साथ दर्जा 5 तक की बेसिक शिक्षा दी जाती है ? मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाइज इन पर सरकार की ओर से क्या खर्च आता है ?

श्री सिब्ते रजी –

सूचना समस्त जिलों से एकत्र की जा रही है जिसमें अभी समय लगेगा ।

वाराणसी जनपद के हसनपुर के प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल के भवनों की मरम्मत

197–श्री मित्रसेन –

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाईस्कूल व प्राइमरी स्कूल स्थान हसनपुर ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी की इमारत का वारंडा टूट कर छत विहीन हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त इसको बनवा देगी ?

श्री सिब्ते रजी –

जी हां, जांच में दोनों विद्यालयों के भवन जीर्ण शीर्ण दशा में पाये गये हैं। इनकी मरम्मत धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

वाराणसी जनपद के प्राइमरी पाठशाला, राजपुर के भवन का पुनर्निर्माण

198–श्री मित्रसेन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला राजपुर ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी की इमारत की दीवाल व उसकी छत फट गयी जिससे छात्रों की जान का खतरा बन गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर जिलाधीश/चेयरमैन जिला परिषद् वाराणसी को आदेश देगी कि जल्द से जल्द उक्त इमारत को बनवा दें? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, विद्यालय भवन मरम्मत योग्य नहीं है। इसका पुनर्निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

199–200–श्री काजी कलीमुर रहमान–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आजमगढ़ जनपद के सेवा निवृत प्राइमरी अध्यापकों को पेंशन की स्वीकृति तथा अन्य देयों का भुगतान

201—श्री काजी कलीमुर रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में प्राइमरी अध्यापक जो आज से चार पांच वर्ष पूर्व से वर्ष 1984 तक की अवधि में सेवा निवृत्त हो गए हैं, उनकी पेंशन, प्राविडेंट फंड तथा अन्य धनराशि जो देय है, आज तक उन्हें नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

202—श्री काजी कलीमुर रहमान—

क्या यह भी सही है कि अध्यापकों के बार-बार कहने पर कार्यालय कोई कार्यवाही नहीं करता है ? यदि हां, तो इस लापरवाही का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

203—श्री काजी कलीमुर रहमान—

क्या सरकार आजमगढ़ जिले के ऐसे सेवा निवृत्त अध्यापकों के समस्त बकाया धनराशि पेंशन आदि दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा, वाराणसी के श्री भृगुनाथ मिश्र को सेलेक्शन ग्रेड, श्री अम्बिका दत्त पाठक की संस्कृत प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति तथा श्री राम अधार शास्त्री को सेवावृद्धि के सम्बन्ध में श्री ऊदल भूतपूर्व सभापति लोक लेखा समिति के पत्र

204—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा, वाराणसी की प्रबन्ध समिति ने श्री भृगुनाथ मिश्र को गलत एवं अनियमित तरीके से बहुत पहले ही सेलेक्शन ग्रेड दे दिया और 50 रु0 की बढ़ोतरी दे दिया ? जिस पर आडिट ने आपत्ति की और ज्यादा लिए गए धन को रिकवर करने का आदेश दिया है? क्या यह सही है कि इस संबंध में भू0 पू0 सभापति लोक लेखा समिति श्री ऊदल ने एक पत्र मा0 शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को 13-4-85 को लिखा है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? क्या रुपया वापस कराया गया अथवा नहीं?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

205—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा जिला वाराणसी की प्रबंध समिति ने श्री अम्बिका दत्त पाठक को संस्कृत के प्रवक्ता के पद पर प्रमोशन अर्सा दो वर्ष से करके अनुमोदन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के पास भेजा है ? क्या यह सही है कि उक्त पद के लिये शिक्षा आयोग को अधियाचन आज तक नहीं भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

206—श्री राम सजीवन—

क्या यह सही है कि इस गलत प्रमोशन के बारे में भू0 पू0 सभापति, लोक लेखा समिति श्री ऊदल ने मा0 शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को 13-4-85 व निदेशक को 6-4-85 को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पूरे कार्यवाही का विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

207—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा वाराणसी में संस्कृत के भू0पू0 प्रवक्ता राम आधार शास्त्री ने रिटायरमेंट सन् 80 या 81 में गलत एवं फर्जी सार्टिफिकेट देकर प्रबन्ध समिति से एक वर्ष का कार्यकाल बढ़वा लिया था और सर्विस बुक में भी कटिंग करके जन्म तिथि को एक वर्ष कम करके लिखा लिया है ? क्या यह सही है कि भू0 पू0 सभापति, लोक लेखा समिति श्री ऊदल ने इस संबंध में मा0 शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को तथा शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को 6-4-85 को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर रुपया वसूल करेगी और गलत कार्य करने का मुकदमा चलायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा जनपद फैजाबाद की अध्यापिका कु0 करुणा वर्मा को वेतन भुगतान

208—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा जिला फैजाबाद की एक अध्यापिका कु0 करुणा वर्मा द्वारा निदेशक शिक्षा विभाग को 20-12-84 को अथवा उसके आस पास इस आशय का शिकायती पत्र मिला है जिसमें यह कहा गया था कि विद्यालय द्वारा उन्हें 18-11-79 से 5-3-81 के बीच का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें वेतन दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद से प्राप्त आख्या के अनुसार कु0 करुणा वर्मा प्रश्नगत अवधि में संस्था की सेवा में नहीं थी। अतः उक्त अवधि का वेतन भुगतान उन्हें नहीं किया गया है ।

सीतापुर जनपद के राजकीय इण्टर कालेजों तथा राजकीय दीक्षा विद्यालयों के अध्यापकों को चयन वेतनमान

209–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के राजकीय इण्टर कालेजों तथा राजकीय दीक्षा विद्यालयों में स्नातक और प्रवक्ता वेतनक्रम में कार्यरत ऐसे कितने अध्यापक हैं, जिन्हें अपने वर्तमान वेतन में कार्य करते 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं परन्तु अभी तक चयन वेतनमान नहीं दिया गया है ? विलम्ब का कारण क्या है तथा कब तक चयन वेतनमान दे दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

कोई नहीं ।

विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में निष्प्रयोज्य लोहे की कुर्सियां तथा स्लेटें

210–श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के प्रांगण में लगभग 1500 लोहे की फोल्डिंग कुर्सियां तथा लगभग 6000 स्लेटें पिछले एक वर्ष से निष्प्रयोज्य पड़ी हुई हैं ? क्या यह सही है कि सामग्री की नीलामी होने वाली है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो इनके रखने का उद्देश्य क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार

211–श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कितने शिक्षक 31 मार्च, 85 तक बेरोजगार थे ।

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नों के उत्तर न आने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, अफसोस की बात है कि जब भी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित प्रश्न होते हैं तो 95 प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर आता है "सूचना एकत्रित की जा रही है।" इससे साफ-साफ जाहिर यह होता है कि जितनी शिकायतें होती हैं, भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, उन सबको यह सरकार जानबूझकर दबाना चाहती है। मान्यवर, मेरे चार प्रश्न थे, सभी का उत्तर दिया गया है, सूचना एकत्र की जा रही है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। मैंने प्रश्न किया था कि राज्य शिक्षा मंत्री को संबोधित राजकीय प्राइमरी पाठशाला जमशेदपुर, ब्लाक सैदाबाद, इलाहाबाद के भवन निर्माण किये जाने विषयक श्री बलबीर सिंह दबथुआ एम0एल0सी0 का दिनांक 21 मई, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो कब तक भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है। इसका उत्तर दिया गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, पिछले सत्र में भी यही परम्परा रही थी। तब से यह परम्परा चली आ रही है, जो एक बहुत खतरनाक बात है। मान्यवर, आप इन मंत्रियों पर अंकुश लगावें और इन्हें निर्देश दें कि भविष्य में प्रश्नों का जवाब इस तरह का नहीं आना चाहिए। आप भी जानते हैं कि मान्यवर, एक प्रश्न पर कितना पैसा खर्च होता है। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नियमावली के तहत हम लोगों को जो अधिकार मिला है, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, उसकी आज क्या दशा हो रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। आज शिक्षा विभाग से जितने प्रश्नों का उत्तर आया है, मेरा अनुमान है कि लगभग 90 प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर आया है, सूचना एकत्र की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें। सूचना एकत्र करने का एक पोर्टफोलियो अलग कर दिया जाय, ताकि रोजमर्रा की यह परेशानी न रहे। इसी विभाग से सम्पर्क किया जायेगा। शिक्षा मंत्री को ही इसका जिम्मेदार मंत्री बना दिया जाय। माननीय मंत्री जी एक माननीय सदस्य के प्रश्न का अभी उत्तर दे रहे थे कि यह माननीय सदस्य की योग्यता का सबूत है। यदि यह माननीय सदस्य की योग्यता का सबूत है तो अयोग्यता का क्या सबूत है, इसे माननीय मंत्री जी बता दें। दूसरा जो यह कह दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर इसका स्वतः ही उत्तर आ जायेगा, तो वह यही आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है और तब तक सत्र भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नों का सही उत्तर न देने की शासन की नीति है और जो अधिकार हमको मिला है, उसके ऊपर एक प्रकार से प्रहार किया जा रहा है। आखिर यह सिलसिला कब तक रहेगा, इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहेंगे और एक अलग पोर्टफोलियो की बात मैंने कही है, इसका एक अलग से विभाग खोल दिया जाय।

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, अध्यक्षपीठ से जो करण जारी किए गये हैं, उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि आप करण-31 को देखें। आज प्रश्न काल के दौरान 80 फीसदी प्रश्नों के जो उत्तर दिये गये हैं, उन सब पर कार्यवाही अवैधानिक हो गई है। इसमें आपके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पीठ से व्यवस्था दी गई है कि "यदि किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो ऐसे उत्तर का आशय यह हो जायेगा कि सरकार उस प्रश्न को स्थगित करना चाहती है।" इसका औचित्य क्या है, और इसकी निन्दा की क्या बात है, वह अलग है। इसके आगे कहा गया है कि "ऐसा स्थगन केवल दो सप्ताह के लिए होगा और दो सप्ताह का स्थगन अंतिम माना जायेगा। दो सप्ताह के बाद प्रश्न पुनः कार्य सूची में रखा जायेगा और उसी दिन शासन की ओर से अवश्य ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि उसका उत्तर दे दिया जाय। यदि उस समय भी अंतरिम उत्तर देना अनिवार्य हो जाय तो उनके साथ संक्षेप में उसके कारण भी लिखे होने चाहिए।" अब मान्यवर, श्री राम चन्द्र बक्श सिंह का प्रश्न 210 देखें। यह एक बार स्थगित हो चुका है और आज 15 दिन बाद पुनः स्थगित हो रहा है। दुबारा स्थगित किये जाने हेतु मंत्री जी को कारण स्पष्ट करना चाहिए था। इसलिए करण 31 के आधार पर जितने भी प्रश्न दुबारा स्थगित किये गये हैं, मेरे विचार से सब अवैधानिक हो गये हैं, इस तरह से 23 ऐसे प्रश्न हैं जो दुबारा स्थगित किये गये हैं, इसी तरह से मेरे प्रश्न के उत्तर में भी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। यह आपके मुख से निकली हुई, आपके मुख से मेरा तात्पर्य अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों से है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

प्रश्न संख्या 210 ही नहीं, दो और हैं, 128 और 211 भी दूसरी बार स्थगित किये गये हैं और उत्तर है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी के उत्तर देने का क्या यही तरीका है। इससे तो अच्छा यह होगा कि आप अपने प्रश्न विभाग को निर्देश कर दें कि शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्नों के साथ उसके तीन उत्तर भी छाप दिया करें कि "सूचना एकत्र की जा रही है," "विचार हो रहा है" "जांच हो रही है।"

(व्यवधान)

इस तरह से तो प्रश्नों का दूसरा कोई महत्व ही नहीं रहेगा।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह तो सूचना एकत्र करने की बात की जा रही है। लेकिन मेरा तो उत्तर ही बिल्कुल गलत दिया गया है। मैंने पंचायती राज मंत्री जी से प्रश्न किया कि क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में कानपुर मार्ग से कामरी जारुआ पटरा तक बने जिला परिषद् के मार्ग की मरम्मत के लिए विशेष अनुदान दिये जाने के संदर्भ में मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-5-83 का कोई पत्र मिला? उत्तर है जी नहीं। मुख्य मंत्री जी के यहां जो रजिस्टर खुला है उसमें यह चढ़ा हुआ है और उसमें चढ़ कर वह पंचायत राज सचिव के यहां गया है लेकिन उत्तर आ रहा है कि जी नहीं। और आगे देखिये, विशेष अनुदान दिये जाने के लिए कहा गया कि क्योंकि पत्र नहीं मिला इसलिए प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के यहां चढ़ा हुआ है, वहां से फिर यह पंचायत राज मंत्री, सचिव के यहां आया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए गलत उत्तर दिया जा रहा है। मैं इसकी व्यवस्था के रूप में, विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं कि जब यह पत्र चढ़ा हुआ है, मौजूद है, आदेश हो कर गये हैं, और मंत्री जी कह रहे हैं कि प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जो गलत सूचना दी गई है कि सूचना नहीं मिली, प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल गलत दे रहे हैं, इसलिए कम से कम इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। आपकी इस संबंध में क्या व्यवस्था है?

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, सुन लें, बड़ा गंभीर मामला है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें। एक बार बुलाने के बाद यदि आवश्यकता होगी, तो दुबारा भी सुन लूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, बाद में सुन लूंगा।

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

आपने संसदीय कार्य मंत्री जी को जवाब देने के लिये बुलाया है, इसलिये पहले सुन लें ताकि वे एक साथ सारी बातों का जवाब दे सकें।

(अनुमति दिये जाने पर)

आज जैसा कि हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना हमारा अधिकार है। निश्चित रूप से जैसा कि मा0 शिक्षा मंत्री ने कहा था कि प्रश्न लम्बे होते हैं, जिनका उत्तर देने में सूचना एकत्र करनी पड़ती है, सही है, किन्तु आज की कार्य सूची में मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या-63 देख लें। मैं इसकी ओर मा0 शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह एक नीतिगत प्रश्न था, इसमें किसी प्रकार की सूचना एकत्र करने का सवाल नहीं है। मैंने पूछा है कि राजकीय कर्मचारी अगर राजकीय सेवा में आने से पूर्व प्राइवेट सेवा में रहा हो तो रिटायरमेंट पर उसकी दोनों सेवाओं को जोड़कर पेंशन दी जाती है, इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति राजकीय कर्मचारी रहा हो, लेकिन बाद में किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पहुंच जाता है, तो क्या सेवा निवृत्ति के समय राजकीय सेवा की गणना करेंगे या नहीं? इसके उत्तर में मा0 मंत्री जी ने कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसी प्रकार आज मेरे 5 प्रश्न थे, उन सबमें यही कहा गया है। इस संबंध में करण संख्या-13 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जैसा गुप्त जी ने कहा, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि एक बार के स्थगन के बाद दुबारा भी अंतरिम उत्तर देना अनिवार्य हो जाय तो उसके साथ संक्षेप में उसका कारण भी लिखा होना चाहिये। लेकिन अभी जो प्रश्न थे, उनके उत्तर में कारण नहीं दिये गये। मैं आरोप लगाता हूं कि मा0 शिक्षा मंत्री जी ने कोई कारण नहीं दिये हैं, यह उनकी अक्षमता का द्योतक है और मैं चाहता हूं कि ऐसे शिक्षा मंत्री अपने पद से त्याग-पत्र दे दें या गलत सूचना देने के लिये माफी मांगें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, श्री राम आसरे वर्मा, श्री राजेन्द्र गुप्त, मा0 द्विवेदी जी और मा0 विजय सिंह राणा, हमारे गिने-चुने सदस्यों में से हैं, आपने औचित्य के प्रश्न के रूप में इस आशय की चिन्ता व्यक्त की कि बार-बार "सूचना एकत्रित की जा रही है" के आधार पर प्रश्नों को स्थगित किया जाता है, यह सही नहीं है। मैं सहमत हूं कि मा0 सदस्यों के पास एक ही हथियार है, अगर वह भी कुंठित कर दिया गया तो कुछ नहीं रह जाता। प्रश्नों को बार-बार स्थगित कराना उचित नहीं है। लेकिन कभी-कभी कठिनाई पड़ती है जब मा0 मंत्रीगण, जो प्राप्त सूचनायें हैं या उत्तर हैं, उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। यह सही है कि जब दुबारा स्थगित करने की बात हो, तो उसके साथ कारण दिये जाने चाहिये। मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं और प्रयास करूंगा कि आगे से ऐसी नौबत न आने पाये।

(श्री मुहम्मद आजम खां और श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने से --घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया . . .।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 राज्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, आप लोग बैठ जायं।

श्री विजय सिंह राणा–

मैंने मा0 मुख्य मंत्री को 18 तारीख को पत्र दिया, स्वयं मिला और पत्र दिया। जो रजिस्टर है, उस पर पत्र चढ़ा हुआ है, उसका उत्तर आया कि पत्र ही नहीं मिला। तो ये गलत उत्तर दे रहे हैं इसका क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आप इसकी अलग से नोटिस दे दें।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था चल रही थी, मैं अभी-अभी आ रहा हूं, अभी हाजिर हुआ हूं। मेरा प्रश्न 163 है अतारांकित में।

श्री अधिष्ठाता–

अभी मैंने क्या कहा, क्या आपने सुना नहीं?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मेरा अतारांकित में प्रश्न संख्या 163 है जो कि कई बार स्थगित हो चुका है जिसमें मैंने पूछा था कि क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी0 आई0 सी0 शाहाबाद जिला रामपुर के सहायक अध्यापक श्री साबिर हसन खां जो कि दिनांक 7-6-79 को रिटायर हुए हैं, को किन कारणों से जी0 पी0 एफ0 और पेंशन की अदायगी अभी तक नहीं हुई। सन् 79 में वे रिटायर हुए और आज तक उन्हें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिली है। यदि वो इस बीच में मर जाते हैं तो फिर इस सिलसिले में आपकी क्या व्यवस्था होगी? ग्रेच्युटी और पेंशन मिली नहीं और सवाल का जवाब भी नहीं मिला, फिर नहीं मिला, फिर नहीं मिला, फिर नहीं मिला। आपके पास क्या तरीका है कि जिससे आप इन्साफ दिला सकें, मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। तीन बार प्रश्न करने पर भी कोई सूचना नहीं मिली है। इसका मतलब यह है कि आप उसको पेंशन देना ही नहीं चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

जैसा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह प्रश्न पुनः आयेगा आप थोड़ा धैर्य रखें, जवाब आयेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

79 से धैर्य ही रख रहे हैं। जब वह मर जायेगा तब आप दिला दीजियेगा। इसका ही आश्वासन दिला दीजिए।

नियम 301 की सूचना का समय से उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री फजलुल बारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 301 के अन्दर हम उसका अधिकार है कि अपने इलाके की समस्याओं को जो कि बहुत ही गम्भीर हों और अविलम्बनीय लोक महत्व की हों, इस सदन के जरिये से उनको उठाने का और उस पर मा0 मंत्री जी का ध्यान दिलाने का। इस सम्बन्ध में आपकी पीठ से फैसला हुआ है, आप करण के 14(1) को देखें उसमें साफ लिखा हुआ है कि संबंधित मंत्री 7 दिन के अन्दर उत्तर देंगे और यदि 7 दिन में सूचना न दी जा सके तो मंत्री सम्बन्धित सदस्य को कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तरिम उत्तर देंगे परन्तु उसका अन्तिम उत्तर अधिक से अधिक एक माह के अन्दर अवश्य मा0 सदस्य को भेज देंगे। मैंने इस बजट सेशन में दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल 301 के अन्तर्गत उठाये थे जिसका समय 7 दिन से ज्यादा का हो गया। अन्तरिम रिप्लाई भी अभी तक नहीं आया है। सवाल था कि कश्ती डूब गयी थी और दूसरा था नदी के कटाव से गांव की जिन्दगी खतरे में पड़ी हुई है। मुझे आज तक नहीं पता चल पाया कि इस सिलसिले में क्या कार्य हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री सदन का सामना नहीं कर पाते हैं, कहा जाता है कि बीमार हैं और बीमारी भी ऐसी कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ही रहती है उसके बाद वे काउंसिल हाउस में टहलते हुए देखे जाते हैं। इस तरह से यह सदन का अवमान है। नियम 301 के तहत उत्तर मिलने के लिए जो मा0 सदस्यों को समय दिया गया है उसको आप वापस ले लें क्योंकि अब उसका कोई फायदा नहीं रह गया है। इसलिए आप इस पर व्यवस्था दें कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री यदि काम को नहीं कर रहे हैं तो आप मुख्य मंत्री जी से कहें कि आप कोई दूसरे को नियुक्त कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डुमरियागंज, बस्ती में जलभराव से आवागमन अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 301 के अन्तर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जो सर्वश्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, राम सजीवन, रघुवर दयाल वर्मा, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, रवीन्द्र नाथ तिवारी, हृदय नारायण दीक्षित, मित्रसेन, शारदा प्रताप, डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा, राज किशोर सिंह, सूर्य प्रताप शाही, राजेन्द्र गुप्त, शफीकुर्रहमान बर्क, राम चन्द्र बख्श सिंह, शारदानन्द अंचल, मनोहर लाल, दीप नारायण, सुखपाल पाण्डे, बदन सिंह, मनोहर लाल, श्री प्रकाश और कनक सिंह की हैं, परन्तु इनमें से प्रथम 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं और शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

महोदय, मैं आपकी आज्ञा और इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान बस्ती जनपद के डुमरियागंज कस्बे के अन्दर जल भराव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। डुमरियागंज कस्बे के रहने वाले कई हजार लोगों की जिन्दगी नरकमय हो गयी है। कस्बे के अन्दर आखिरी छोर पर अस्पताल, स्टेट बैंक, पशु अस्पताल, कोआपरेटिव बैंक, स्कूल, थाना, रोडवेज, चकबन्दी कार्यालय इत्यादि स्थित हैं। प्रमुख सड़क के कट जाने से 4-5 फिट पानी लगा हुआ है और आज तक उसे ठीक नहीं किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की पत्थर गिट्टी सड़क के दोनों किनारों पर पड़ी हुई है, जिससे कि पानी और भी ज्यादा भरा हुआ है। आवागमन की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी है। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब एक सप्ताह के अन्दर कस्बे की सड़क पर गिट्टी कुटाई का कार्य कराया जाये ताकि आवागमन का साधन ठीक हो सके। इसके न होने से कस्बे के तथा बाहर से आने जाने वालों को तमाम लोगों को रोष है तथा सरकार के उदासीन रवैये के प्रति काफी गमोगुस्सा है।

बांदा जनपद में पुलिस द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सजीवन–

मा0 अधिष्ठाता, बांदा जिले में विगत लोक सभा और विधान सभा चुनाव के दौरान करबी, रैपुरा, पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ, राजापुर, बदौसा, थानों व शिवरामपुर चौकी के अन्तर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और हमदर्दों को फर्जी और मनगढ़त आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया गया। आज भी उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है उनमें श्री अशर्फी लाल अध्यापक मैनेजर ग्राम मड़ैयन के प्रधान जैसे पचासों प्रतिष्ठित कार्यकर्ता व एडवोकेट व ब्लाक प्रमुख आदि शामिल हैं। जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के सीधे निर्देशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में पुलिस ने ऐसी अनेक उत्पीड़क दमनकारी कार्यवाहियां की हैं। पुलिस बिना किसी रोक-टोक के सीधे लोगों के घर में घुस जाती है। औरतों की बेइज्जती करती और पकड़कर थाने में ले जाती है। अवैध वसूली करती, पचासों लोगों को मनमानी तरीके से 216 आई0 पी0 सी0 के तहत झूठे आरोप लगाकर जेल भेज देती है। लोगों को डराने, धमकाने और चुनाव को प्रभावित करने की षडयंत्रपूर्ण कार्यवाहियां करती है। पुलिस अधीक्षक दमन और उत्पीड़न की ऐसी कार्यवाहियां जातिवादी एवं द्वेषपूर्ण भावना से कराये हैं। उनके विरुद्ध भा0 क0 पा0 ने सत्याग्रह आन्दोलन चलाया। डी0 आई0 जी0 झांसी, श्री जे0 के0 पी0 सिंह ने भी पुलिस अत्याचारों का समर्थन किया जिससे स्थिति और बिगड़ गयी। अभी भी सैकड़ों लोगों के ऊपर झूठे मुकदमें चल रहे हैं। शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किये जा रहे हैं जिससे उनको जानमाल का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे सभी मामलों की जांच किसी निष्पक्ष उच्च अधिकारी की देखरेख में सी0 आई0 डी0 द्वारा दो महीने में कराकर न्याय दिलाया जाय। जांच के दौरान उत्पीड़ित लोगों के मामले पेश किये जायेंगे।

फिरोजाबाद, आगरा में पशुओं की भयंकर बीमारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, गत 4 दिनों से फिरोजाबाद विकास क्षेत्र में पशुओं में घुर्रका एवं गलाघोंटू नामक छूत की भयंकर बीमारी फैल गई है जिससे फिरोजाबाद के हर गांव में फैल गई सैकड़ों की संख्या में पशु इस रोग से बीमार पड़े हैं, किसान अपने पशुओं को लेकर पशु चिकित्सालयों की ओर भाग रहे हैं। ग्राम लालऊ के कास्तकार श्री सियाराम के 5 खेती के दुधारू पशु घुर्रका व गलाघोंटू की बीमारी से एक दिन में ही एक-एक घन्टे के भीतर मर गये। डाक्टरों को सूचना दी, डाक्टरों ने कहा कि दवायें नहीं हैं जिससे इस बीमारी का इलाज हो सके।

मान्यवर, खेती और पशुओं का सीधा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। पशु बीमार हैं तो खेती बीमार हो गयी और किसान परेशान होने लगा। खेद है कि सरकार छूत की इस बीमारी की दवायें पशु अस्पताल फिरोजाबाद को उपलब्ध नहीं करा सकी है।

अस्तु आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बीमारी के इलाज का टीका और दवायें तुरन्त उपलब्ध करायी जावे तथा डाक्टरों का एक पैनल भेजकर पशुओं में टीका व दवा दिलाकर इलाज की व्यवस्था की मांग, इस अविलम्बनीय महत्व की सूचना से करता हूं।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

महोदय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि प्रदेश में लगभग ढाई सौ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(राजपत्रित) के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हता पंचवर्षीय डिग्री अथवा चतुर्वर्षीय डिप्लोमा विज्ञापित थी । पंचवर्षीय डिग्री धारकों तथा चतुर्वर्षीय डिप्लोमा धारकों को एक साथ साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना उपयुक्त नहीं है। प्रदेश में अभी तक एक मात्र विद्यालय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ में ही डिग्री कोर्स का पाठ्यक्रम था जिससे निकले हुए लगभग 90 डिग्री धारक चिकित्सक बेरोजगार हैं। प्रदेश में श्रेणी दो के राजपत्रित पदों हेतु डिग्री धारक होना अनिवार्य है।

मान्यवर, इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पदों पर सर्वप्रथम डिग्री धारकों की ही नियुक्ति होनी चाहिए क्योंकि वे अपने उच्चतर पाठ्यक्रमानुकूल अर्जित विस्तृत ज्ञान के कारण श्रेष्ठकर चिकित्सा सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे। यह न केवल लोक हित में होगा परन्तु न्याय संगत भी होगा।

अतएव जनहित के इस महत्वपूर्ण सुनिश्चित प्रश्न पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग है कि पहले सभी लगभग 90 डिग्री धारक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पर नियुक्ति प्रदान करने के उपरान्त ही अवशिष्ट रिक्तियों की पूर्ति साक्षात्कार के आधार पर सुपात्रता को दृष्टिगत रखकर आवेदनकर्ता डिप्लोमा धारकों द्वारा की जाय क्योंकि यह जन स्वास्थ्य के कल्याण का प्रश्न है।

फैजाबाद में थिरुआ नाला के पट जाने से बाढ़ आने एवं करोड़ों की सम्पत्ति की हानि का भय होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

जनपद फैजाबाद में थिरुआ नाला की सफाई न होने के कारण वह कई स्थान पर लगभग पट गया है अथवा बहुत ही उथला हो गया है। इसे साफ और गहरा करने के नाम पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कई लाख रुपया हड़प लिया गया है लेकिन सारा काम केवल कागज पर हुआ है जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी का परिणाम है कि बरसात शुरू होते ही मया ब्लाक के हरदी ग्राम में इस नाले का पानी नाले से न बहकर खेतों में फैलकर बह रहा है और सरैया, कदियापुर, देवरा आदि दर्जनों ग्रामों की कई हजार एकड़ फसल डूब कर नष्ट हो गयी है। यदि शीघ्र ही इसकी कोई समुचित व्यवस्था न की गई तो यह पानी और अधिक बरसात होने पर भयंकर बाढ़ का रूप ले सकता है और इससे मकानों के क्षतिग्रस्त होने और काफी धन व जन की हानि का खतरा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

मौरावां कस्बा, उन्नाव के निकट लखनऊ मार्ग पर गहना पुल की स्थिति दयनीय होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, उन्नाव जिले के मौरावां कस्बे से लखनऊ के लिए प्रतिदिन सैकड़ों बड़ी-छोटी भारी गाड़ियों का आवागमन होता है। मौरावां लखनऊ मार्ग के पहले किलोमीटर पर स्थित गहना का पुल सन् 1980 की बारिश में बह गया था। तब से लगातार उस स्थान पर बालू की बोरियां डालकर पी0 डब्लू0 डी0 के अभियन्ता लाखों रुपये प्रतिवर्ष डकारते हैं।

पहली बारिश ने उक्त स्थान पर पुनः खतरा उत्पन्न कर दिया है बालू की टेम्पोरेरी व्यवस्था किसी भी दिन टूट कर बह सकती है। इससे लाखों रुपये की धन व अमूल्य जीवन हानि की आशंका है।

लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय प्रश्न को मैं आदरणीय सदन की जानकारी में देना चाहता हूं।

शारदा सहायक, फैजाबाद बड़ी परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन–

मान्यवर, फैजाबाद मण्डल के लिए स्वीकृत सबसे बड़ी परियोजना शारदा सहायक में लगभग चार अरब रुपए अब तक व्यय हो चुके हैं जिसकी बहुत बड़ी धनराशि ठेकेदारों, अभियंताओं की जेबों अथवा अपव्यय एवं घोटाले में चली गयी है।

शारदा सहायक खण्ड 43 फैजाबाद में वर्ष 1983-84 एवं 84-85 में स्वीकृत मड़हा नदी की सफाई में 16 लाख रुपये सिर्फ बेहिया काटने के नाम पर खा लिया गया है और फर्जी बाउचर को समायोजित करने के लिए माप पुस्तिका नं0 174 एल0, 175 एल0 तथा 179 सी गायब कर दी गई है। वर्ष 1977 से लगातार मड़हा नदी की बाढ़ रोकने के लिए जन आंदोलन होते रहने के कारण बाढ़ में पानी को रोकने के लिए पिछले वर्ष स्वीकृत साइफन निर्माण हेतु 5 लाख रुपये में भारी घोटाला किया गया, सामान खरीद में सारा धन व्यय कर भारी कमीशन कमाया गया और त्रिवेनी ह्यूम पाइप फर्म इलाहाबाद से चैनल फाइप खरीद कर 50 हजार रुपये की ढुलाई के नाम पर चोट दी गयी। प्रस्तावित रामसरन दास पर गौरियामऊ जल निकासी का नाला अभी भी घपले और खटाई में पड़ा है। इस प्रकार शारदा सहायक खण्ड 43, फैजाबाद के अधीन नन्दौली ड्रेन, कंजी ड्रेन, उधैला ड्रेन पर स्वीकृत पुनर्निर्माण की धनराशि एवं सफाई व खुदाई की बहुत बड़ी धनराशि का आर्थिक घोटाला किया जा रहा है। सभी निर्माण कार्य अधूरे खटाई में पड़े हैं।

जिससे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की जनता में गहरा असंतोष एवं आक्रोश है, क्षेत्र का विशाल जनमानस आंदोलित है।

अतएवं आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध संगीन कार्यवाही कर सार्वजनिक धन की लूट एव जनसुविधा को सुनिश्चित की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जन्म स्थली मीरगंज, इलाहाबाद में वेश्यालय चलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। मैंने लिख कर भेजा है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैंने भी लिख कर भेजा है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है नियम 110 के अंतर्गत आप सुन लें। बड़े दुख के साथ इस माननीय सदन में कहना पड़ रहा है कि जहां भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू पैदा हुए 77 मीरगंज इलाहाबाद वहां पर प्रशासन की लापरवाही की एक विडम्बना है कि उस स्थान पर आज वेश्यालय चल रहा है। जहां पर संग्रहालय और स्मारक है वहां पर यह कार्य हो रहा है इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन का अन्य कार्य स्थगित कर इस पर चर्चा करा दें . .

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है (व्यवधान) आप कृपया बैठें।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज औचित्य के प्रश्न की 7 सूचनाएं प्राप्त हुई। श्री राजेन्द्र गुप्त की दो, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री राम आसरे वर्मा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की। इन सात सूचनाओं में श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने जो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में लिखा है वह यहां की परिधि में नहीं आता। इसलिए इसे अस्वीकार किया जा रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है वह भी औचित्य के प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए अस्वीकार किया गया है। श्री हृदय नारायण दीक्षित जी ने जो प्रश्न उठाया है वह भी इसकी सीमा में नहीं आता है। इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

श्री राजेन्द्र गुप्त ने जो हिन्दी की उपेक्षा के संबंध में उठाया है उसमें भी नियमावली और संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है इस कारण उसे भी अस्वीकार किया जाता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री राम आसरे वर्मा और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी एक एक मिनट में अपने विचार रखेंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मेरा जो हिन्दी के संबंध में सवाल था . .

श्री अधिष्ठाता–

आप गुप्त जी, संविधान और नियमावली के अच्छे ज्ञाता हैं आपने जो सवाल दिया है वह इस परिधि में नहीं आता है (व्यवधान)

विधान सभा की कार्यवाहियों की प्रतियां समय से न मिलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 303-सभा की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट करते हुये कहना चाहता हूं कि 303 (1) में लिखा है–"सचिव, सभा के प्रत्येक उपवेशन की कार्यवाही का संपूर्ण और शुद्ध प्रतिवेदन भी तैयार करायेंगे तथा उनको ऐसे रूप में और ऐसे ढंग से जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दें, प्रकाशित करायेंगे।"

(2) "ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि 6 सप्ताह के भीतर सचिव द्वारा सभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यपाल को भेजी जायेगी।"

लेकिन मुझे स्मरण है कि आज तक इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं हुआ है और छपती तो 1980 से कार्यवाहियां मिल गयीं होती। नियमानुसार 3 महीने के अंदर प्रत्येक उपवेशन की कार्यवाहियां छप जांय। सचिव महोदय को नहीं कहना चाहिए चूंकि वह योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें दिया है कि अध्यक्ष समय समय पर निर्देश देंगे। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय, इधर उधर की बातों में उलझे हैं और इस पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिये तीन महीने में नहीं मिलती हैं और जब आवश्यकता पड़ती है और चर्चा यहां करनी होती है क्योंकि जो आज मंत्री हैं वह जब इस विरोध पक्ष में बैठते थे तो बड़ी लम्बी-लम्बी घोषणाएं करते थे, इसलिये उन तथ्यों को सामने जब रखने की जरूरत पड़ती है तो उन कार्यवाहियों की प्रतियां लाइब्रेरी में नहीं मिलती हैं।

मान्यवर, इनकी नीतियां हर महीने बदलती रहती हैं, इसलिये उनका पर्दाफाश कार्यवाहियां न मिलने से नहीं हो पाता है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि जब विधान सभा में इस तरह से होगा तो हम कैसे ठीक हो सकेंगे। इसलिये निवेदन है कि मेरे औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें और तीन महीने में प्रत्येक उपवेशन की प्रतियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाण्डेय जी जो आपने कहा कि 1980 से कार्यवाहियां नहीं मिल पाईं, तो उसमें काफी कुछ सत्यांश है लेकिन उसका कारण है कि कभी गवर्नमेंट प्रेस से छपकर समय से नहीं मिल पायीं किन्तु 1983 से लगातार यह चेष्टा होती रही है कि यह प्रतिलिपियां हर माननीय सदस्य को वितरित हो जांय और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि यह कार्यवाहियों की प्रतियां छपकर तैयार हो गयी हैं और शीघ्र ही सभी पुरानी प्रतियां एक साथ माननीय सदस्यों को मिल जायेंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती कटोरी देवी के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत उठाई गई सूचना का उत्तर न मिलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनायें सदन में दी जाती हैं उनके बारे में व्यवस्था है कि एक सप्ताह के अंदर अंतरिम उत्तर और एक माह के अंदर अंतिम उत्तर संबंधित सदस्यों के पास पहुंच जाना चाहिए । मान्यवर, एक सूचना दिनांक 22-3-85 को मैंने दी थी कि विधान सभा के सामने चार साल से एक महिला कटोरी देवी धरना दिये पड़ी है । शासन उससे अवगत है और उसको जिस तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ता है वह बड़ी ही दर्दनाक है। इस सिलसिले में मैंने सूचना दी, लेकिन आज तक उस सूचना का न अंतरिम उत्तर और न अंतिम उत्तर ही आया । लेकिन मुझे जो सूचना पटल कार्यालय से मिली उसमें लिखा है कि 6-7-85 को उत्तर भेज दिया गया है ।

तो मान्यवर, वह अभी तक नहीं पहुंचा है । मैं सोच रहा था कि हो सकता है, वह मेरे जिला मुख्यालय पर सूचना पहुंची हो, तो वहां पर भी मालूम करने पर मालूम हुआ कि वहां भी ऐसी कोई सूचना नहीं आई । तो एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर अपेक्षा की जाती है कि आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त उसकी सूचना मिलेगी। किन्तु कई महीने बीत जाने के बाद आवश्यक कार्यवाही की बात भी नहीं कही जा सकती–न कोई पूछतांछ की गई, न कोई उसकी मांगों के बारे में कार्यवाही की गई, तो ऐसी चीज सामने नहीं आई, इससे क्या आशा की जा सकती है । मान्यवर, यदि यही स्थिति बनी रही, तो सदन की ओर से नियमावली के अधीन माननीय सदस्यों को जो अधिकार मिला है, उनके लिए महीनों और सालों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो हम उससे लाभान्वित नहीं हो सकेंगे । बार बार व्यवस्था दी जा चुकी है, उसके बारे में पुनः आप व्यवस्था कर दें कि जो इस प्रकार की सूचना हो, उस पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसका उत्तर माननीय सदस्यों के पास अवश्य भेजा जाए ।

संसदीय कार्य राज्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय वर्मा जी ने जो कहा है, मुझे खेद है कि माननीय वर्मा जी को सूचना नहीं मिल पाई । मैंने इस सबंध में आपकी यह सूचना मिलते ही पत्रावली मंगवाई और पत्रावली देखी, उसमें जो उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार वह सूचना आपके कार्यालय में, आपके कक्ष में किसी व्यक्ति ने आपकी ओर से प्राप्त की है । उसकी प्रति मेरे पास है। फिर भी उसकी प्रति यदि आपसे मिस्प्लेस हो तो उसकी प्रति मैं आपको दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

राम आसरे जी का औचित्य का प्रश्न है, और उस पर माननीय राज्य मंत्री जी ने अपना उत्तर भी दिया है (व्यवधान)

*श्री गौरी शंकर भइया–

हमारा उससे सम्बद्ध नहीं है, उसे आप सुन तो लें । माननीय वर्मा जी ने जो सूचना दी है, विधान सभा के सामने वह महिला 4 साल से धरना दिए हुए है, अनशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किए पड़ी हैं । महीने भर में उस पर कार्यवाही हो जानी थी । वह आज पागल हो गई हैं, लोगों से बुरी बातें, गालियां बकती हैं । मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, उसकी प्राब्लम को चार वर्ष हो गये. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह औचित्य के प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, कृपया बैठें आप ।

श्री गौरी शंकर भइया–

हमारी सरकार के पास उस अबला बेचारी मुसीबतजदा का दर्द सुनने के लिए समय नहीं है । इतनी बेरहम हो गई है यह सरकार । मंत्री लोग रोज बत्ती लगाकर उधर से कार पर गुजरते हैं . . . (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं यह कहना चाहता हूं, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सूचना का जवाब पहुंच गया, लेकिन वह इतना अहम मसला है, चार साल से माननीय सदस्य वहां से गुजर रहे हैं । कटोरी देवी आज विक्षिप्तावस्था में पहुंच गई है । किसी को गाली दे रही है, किसी को कुछ कह रही है । मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और निवेदन करूंगा कि आप स्वयं मंत्री जी से कह दें कि आखिर उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई सदन भी जान ले । बाहर निकलने के बाद तो सारी बातें सुननी ही पड़ती हैं । सदन में वह बता दें।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, आप किसी मंत्री को निर्देशित कर दें कि वह जाकर उस महिला का दर्द जान ले । मुख्य मंत्री जी अपने किसी सहयोगी से इसके लिए कह दें । इससे आपकी लाज भी रह जाएगी । आपके दरवाजे पर एक महिला चार साल से अनशन करते करते पागल हो गई है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माननीय मुख्य मंत्री को हिदायत कर दें कि वह जाकर उससे बात कर लें । वह दिन भर राजीव जी को और तिवारी जी को गाली दे रही है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा, मेरी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने राम गोविन्द चौधरी को बुला लिया है ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि नारियां हमारे राष्ट्र की इज्जत हैं, सभ्यता हैं, गरिमा हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने भी बहुत बार प्रयास किया है। हम लोग रोज आते जाते हैं। यह हमारी नीति हमारी सभ्यता और हमारे संविधान के खिलाफ है । इसका निर्णय तत्काल होना चाहिए। या तो आप कोई उप समिति गठित करके दिखलवा लें। वह न्याय मांग रही है।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं भी अध्यापक रहा हूं। वह कु0 कटोरी देवी मास्टरनी हैं। कई साल से अनशन कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि इसका निर्णय तत्काल किया जाय। उसके साथ घोर अन्याय हुआ है, वह केवल न्याय मांग रही है। उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, अभी जो प्रश्न माननीय राम आसरे वर्मा ने उठाया मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि . . . .

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, आप हाउस में आश्वासन दिलवा दें कि कोई मंत्री जाकर उसको देख ले।

श्री अधिष्ठाता–

एक औचित्य का प्रश्न माननीय राम आसरे वर्मा जी ने उठाया, क्या उसका निर्णय खंड-खंड में होगा। मैं जब उसका निर्णय देने जा रहा था उस समय आपने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न सुन लूं उसके बाद अपेक्षित निर्णय हो जायगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अभी माननीय राम आसरे वर्मा जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था जिसमें उन्होंने कहा कि 4 साल से एक औरत धरने पर है उसी के अनुरूप मैंने औचित्य का प्रश्न रखा था।

श्री अधिष्ठाता–

इसी प्रश्न के संबंध में आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मुझे सुन तो लें। इस सदन के अन्दर मंत्री लोग आश्वासन दिया करते हैं लेकिन आश्वासन का पालन नहीं किया है। आपने वर्मा जी को तो सुन लिया। एक ही विषय से संबंधित है। तो आप एक आदमी को सुनेंगे दूसरे को क्यों नहीं सुनेंगे? अगर आपने उनको सुना है तो मुझे भी सुनना चाहिए। सदन में मंत्री लोग आश्वासन दिया करते हैं कि तत्काल व्यवस्था करेंगे लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिए मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था और आपने मुझे मौका नहीं दिया। मुझे मौका मिलना चाहिए नहीं तो जो वर्मा जी ने सवाल उठाया है उसको वापस करवा लें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह गंभीर मामला है। हम लोग भी परेशान होते हैं, हर दूसरे-तीसरे दिन वह दरवाजे पर आ जाती है। एक महिला है उसके दिमाग में कमी आ गयी है। उसकी समस्या के बारे में आप दिखा लीजिये। अगर आपने उसकी

सेवाओं को नियमित कर दिया है तो मुझे पता चला है कि अभी तक उसको कोई भी आदेश नहीं मिला है। अगर उसका दिमाग विक्षिप्त है तो उसका इलाज होना चाहिए। किसी न किसी दिन वह मरी पड़ी मिलेगी, यह हम लोगों के लिये बड़ी शर्म की बात होगी। 4 साल से वह दारुलशफा को घेरे हुये है। कोई विधायक या मंत्री नहीं बचा होगा जिसके दरवाजे पर वह न गयी हो। मैं चाहूंगा कि इसका आज ही कोई न कोई हल निकालिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठिये। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है। आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके सहयोग से सारा सदन और हम लाभान्वित होंगे। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है, हो सकता है कि आप संतुष्ट हो जायं।

श्री राम सरन–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठ जायं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसे थोड़े ही चलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

एक साथ सभी लोग व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे क्या?

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, क्या आप चाहते हैं कि बिना अनुमति के बोला जाए?

श्री अधिष्ठाता–

आप व्यवस्था का प्रश्न क्या उठा रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न चर्चा का विषय है उस पर माननीय नेता विरोधी दल ने एक सुझाव रखा और उन्होंने खासतौर से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात रखी और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया। ऐसी दशा में नेता सदन इस वक्त मौजूद हैं, उनको इस पर सफाई देनी चाहिए न कि एक जूनियर मंत्री को जवाब देना चाहिए। मान्यवर, ऐसे मंत्री के खड़े होने से झगड़ा पैदा हो जाता है। हम चाहते हैं कि माननीय नेता सदन को इस पर सफाई देनी चाहिए।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)–

श्रीमन्, कोई भी नागरिक है अगर वह किसी प्रकार से अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता है, तो उसके उपाय हैं। अगर कोई अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण . . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

शान्त रहें।

श्री नारायन दत्त–

श्रीमन्, इतनी प्रभावकारी वाणियां एक साथ बोलेंगी, तो मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी बोली जरा कमजोर है।

(हंसी)

श्रीमन् जो मुझे जानकारी है वह है कि 16 जनवरी को इनकी सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति हुई थी इसके बाद यह चार दिन उपस्थित रहीं, फिर विद्यालय नहीं आईं जब यह अनुपस्थित रहीं तो इनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं, 1983 में इनकी फिर नियुक्ति कर दी गयी, इन्होंने फिर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। फिर इनका झगड़ा थानाध्यक्ष के विरुद्ध हो गया, तो इनकी मांगें बदलती रही हैं इस पर कई माननीय सदस्यों ने उनसे बातें की हैं। मैं तो कहूंगा कि उनको समझाया जाए क्योंकि वह मांगें बदलती रही हैं इसलिए उनको समझाया जाए। वह दया की पात्र हैं, लेकिन उनको भी जो आदेश हैं मानने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कमाल यूसुफ जी, बात न करें।

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन की भावनाओं का आदर किया और अपने विचार इस बारे में व्यक्त किए। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनको सेवा में फिर से बहाल कर दिया गया है, लेकिन मैं व्यवस्था का सवाल उठाता हूं कि कटोरी देवी वर्षों-वर्षों से विधान सभा के सामने धरना दे रही हैं, उनको धरना स्थल पर कोई सूचना नहीं दी गई। उनका यह आरोप है कि उनके बारे में जो भी निर्णय लिए गए हैं उसके आदेश उन्हें नहीं दिए गये हैं। पुलिस वाले उसे अपनी हरकतों से चोट पहुंचा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो भी उसके बारे में निर्णय लिए गये हैं उसकी सूचना उसको यहां देनी चाहिए थी या मथुरा में भेजनी चाहिए थी?

श्री नारायन दत्त–

मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा संसदीय कार्य मंत्री से कि उसकी एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य के पास भिजवा दें वह उसको दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

(हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बांदा जनपद में जनता पार्टी कार्यालय में पुलिस द्वारा छापा मारने तथा मारपीट करने के संबंध में निर्धारित वक्तव्य न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, कर्तव्यों के निर्वहन में कभी-कभी पीड़ा का एहसास होता है। मान्यवर, आज मैं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि जब इस माननीय सदन में कोई औचित्य या व्यवस्था का प्रश्न आपके आसन के प्रति या किसी कार्य की ओर उठाना पड़ता है, तो दुःख होता है, भारी मन से वह कार्य करना पड़ता है। मान्यवर, 26 तारीख को एजेंडे पर आखिरी आइटम नम्बर 23 था, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आना था। दिनांक 6/7 जुलाई, 1985 की रात्रि को जनपद बांदा में जनता पार्टी के कार्यालय में पुलिस द्वारा घुस कर छापा मारने तथा मारपीट करने एवं चालान करने के संबंध में श्री रेवती रमण सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आना था। उस दिन 3 वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से आने थे। मान्यवर, दो की प्रतियां वितरित हो गयी थीं, तीसरी की न तो प्रति वितरित की गयी और न वक्तव्य का आइटम नं0 23 ही लिया गया।

मान्यवर, उस दिन अधिष्ठाता महोदय जो आपके आसन पर विराजमान थे, उन्होंने एजेंडे का आइटम नं0 23 पुकारा ही नहीं, वह आज 11 बजे तक के लिए उठ कर सदन से चले गये। मान्यवर, यह सामान्य प्रक्रिया है कि उनको उस एजेंडे के आइटम को पुकारना चाहिए था। मान्यवर, नियम 56 के तहत वह मामला पेश हुआ था, अधिष्ठाता महोदय ने माननीय रेवती रमण सिंह को सुनने के बाद शासन को निर्देश दिये थे कि शासन इसके बारे में वक्तव्य देगा। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से वक्तव्य का न आना और उस आइटम को लिये बिना सदन को स्थगित कर देना, इस तरह से सदन चलेगा, तो हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे होगी और सदन कैसे चलेगा? मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप उस दिन की कार्यवाही मंगा कर देख लें, मेरी चुनौती है, सारा सदन, इस तरफ के और उस तरफ के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय ने कोई घोषणा आइटम नं0 23 के बारे में नहीं किया। मान्यवर, उन्होंने उसको देखा तक भी नहीं। मान्यवर, क्योंकि एक बार जब आपकी पीठ से सरकार को कोई निर्देश हो जाता है, तो वह सारा मामला सदन की सम्पत्ति बन जाती है और उस बारे में माननीय मुख्य मंत्री का बयान आना चाहिए था। तो इस बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आपकी पीठ से जिसके संबंध में सरकार को निर्देश दिया जा चुका था और उसका वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दिनांक 26-7-85 को आना था, जिसे उस दिन नहीं लिया गया, उसके बारे में आप सरकार को निर्देश दें कि वह आइटम आज सदन के उठने से पहले ले लिया जाय और उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आज आ जाना चाहिए।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अभी जो औचित्य का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, जो माननीय मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देना था, उसके लिए मैं सदन में उपस्थित था, मेरी जानकारी के अनुसार जो जानकारी मुझे दी गयी है, हमारी ओर से सारी कापियां पटल कार्यालय को दे दी गयी थीं और मुझे जानकारी दी गयी थी कि सारी कापियां वितरित कर दी गयी हैं। जिनकी सूचना के आधार पर यह वक्तव्य आया था, वह उस वक्त यहां पर उपस्थित नहीं थे। सम्भवतः यह देखते हुए कि वह उपस्थित नहीं थे, इसलिए वह आइटम नहीं लिया गया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा यह सवाल नहीं था। मान्यवर, उस दिन माननीय रेवती रमण सिंह की उपस्थिति या अनुपस्थिति का प्रश्न नहीं है। जब आपकी पीठ से वक्तव्य देने का निर्देश हो गया, तो उस आइटम को लिया जाना चाहिए था। नं0 2 मैं अपने ऊपर नहीं कहता, उधर के माननीय सदस्यों पर मेरी पूरी आस्था है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपने उधर के बैठे हुए सदस्यों से पूछ लें कि क्या उस दिन कापियां वितरित की गयी थीं। अगर मैं अनुपस्थित भी हूं, तो यह कहां से उनको अधिकार मिलेगा कि उस आइटम को टेक-अप ही न करें? यह सारे सवाल प्रक्रिया नियमावली और संविधान से संबंधित हैं। उन पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और निर्देश चाहता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जैसा मान्यवर, तिवारी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है। मैं समझता हूं वह सरकार से संबंधित नहीं है। बल्कि इस सदन की कार्य प्रणाली से संबंधित है, नियम 56 से संबंधित है। नियम 56 में नेता जनता पार्टी ने उपस्थित किया और उस पर वक्तव्य देने की तिथि निर्धारित हो गई। निर्धारित तिथि को वक्तव्य सदन में नहीं आया। मैं चाहूंगा कि एक दो प्रश्न और हैं, उनको भी देख लें। उसके बाद व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता–

इसी तक सीमित रहिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आज या कल में वक्तव्य आने का आदेश दे दें।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा वे वक्तव्य के लिए तैयार थे। यह सही है कि वे तैयार थे, लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि वक्तव्य की प्रतियां वितरित हुईं। जैसा मा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने कहा कोई भी माननीय सदस्य इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि प्रतियां वितरित हुयीं। मैंने पटल कार्यालय में पता किया कोई प्रति पटल कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी, पिजन होल में या टेबुल पर कहीं भी वक्तव्य की प्रति नहीं मिली। तीन वक्तव्य होना था, दो की प्रतियां मिली, तीसरे की प्रति क्यों वितरित नहीं हुई यह कुछ संदेह उत्पन्न करता है। मुझे संदेह है कि जानबूझकर रोक लिया गया। माननीय अधिष्ठाता

महोदय बिना पुकारे उस आइटम को, उठकर चले गये। हम लोग उनका ध्यान आकृष्ट करते रह गये। पता नहीं सुने नहीं या हमारी बात को अनसुनी कर दिये। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में पुलिस का आतंक हर जगह व्याप्त है, कहीं पुलिस का प्रभाव यहां तो नहीं आ गया। मान्यवर, विधान सभा परिसर में पुलिस का प्रवेश वर्जित है, लेकिन पुलिस यहां गेट तक गलियारे तक में आती है। पुलिस को लोहे के गेट के बाहर रहना चाहिये। अगर कोई असुरक्षा की बात हो तो मुख्य मंत्री पुलिस और बढ़ा लें। लेकिन दोनों लोहे के गेट के अन्दर गलियारे में पुलिस नहीं आनी चाहिए। मुझे संदेह है कि पुलिस प्रभाव में वक्तव्य नहीं आ सका।

श्री गौरी शंकर भइया–

जब आइटम टेकअप नहीं हुआ तो कापी वितरित होने का प्रश्न नहीं उठता। माननीय संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह जी अपने झोले में रखकर वितरित कर रहे होंगे।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)–

मैं क्षमा चाहता हूं, जैसा आप अवगत हैं, मुझे देखभाल के सम्बन्ध में उस दिन बाहर जाना पड़ा और उसकी सूचना मैंने सदन में दी थी। हमारी मंशा नहीं थी कि उस पर चर्चा न हो। नियमानुसार कार्यवाही न हो। मैं स्वयं उस दिन अनुपस्थित था। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को अधिग्रहीत किया था। अगर नियमानुसार कार्यवाही नहीं हो सकी, तो किसी दूसरे दिन की तिथि निर्धारित की जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, करण संख्या 211(2) देखने की कृपा करें। इसमें लिखा है कि सदन में कोई भी पत्र अध्यक्ष की आज्ञा के बिना सदस्य को वितरित नहीं किया जायगा । मुझे जो साहित्य पिजन होल में मिलता है, वह आपकी अनुज्ञा से मिलता है। कल मुझे पिजन होल में एक कागज मिला, उसकी प्रतिलिपि मैंने आपको भेज दी है। वह चिट्ठी अंग्रेजी में है। रीजनल मैनेजर, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 आगरा की है।

श्री अधिष्ठाता–

औचित्य का प्रश्न जो अभी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने उठाया है उसी के सम्बन्ध में है। आप इसका निर्णय हो जाने दीजिए।

अभी माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने 16-7-85 को श्री रेवती रमण सिंह की सूचना पर शासन द्वारा जो वक्तव्य निर्धारित था वह दिनांक 26-7-85 के एजेन्डे में मद 23 पर अंकित था, उसको न लिये जाने के बारे में प्रश्न उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, माननीय राज्य-मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है तो इसको कल या परसों ले लिया जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

सदन में अंग्रेजी में छपे साहित्य के वितरण पर औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

सबको एक साथ तो सुना नहीं जा सकता।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, करण संख्या 211(2) को देखने की कृपा करें। इसमें लिखा है कि सदन में कोई भी साहित्य माननीय अध्यक्ष की अनुमति के बिना वितरित नहीं किया जायेगा। इसका अर्थ है कि जो साहित्य हमको मिल रहा है वह आपकी अनुमति से मिल रहा है। कल हमको पिजन होल में एक चिट्ठी मिली जिसकी फोटो स्टेट कापी मैंने आपकी पीठ में भिजवा दिया है। यह रीजनल मैनेजर, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0, आगरा की है।

हमारे संविधान के द्वारा हिन्दी और देवनागरी लिपि यह राज्यभाषा घोषित हो चुकी है। शासन की ओर से भी इस तरह के आदेश बराबर निर्गत किये गये हैं कि शासन का पूरा काम हिन्दी और देवनागरी में किया जायेगा। हिन्दी और उर्दू का झगड़ा अपनी जगह है। लेकिन पूरे प्रशासन का सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है। दूसरी प्रतिलिपि भी है जिसकी भी प्रतिलिपि अध्यक्ष पीठ पर भेज दी है, अंग्रेजी की है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हिन्दी उर्दू का कोई झगड़ा नहीं है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

यह उत्तर प्रदेश सरकार भाषा अनुभाग–1, संख्या 2953/इक्कीस-3(17)-72 लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 1972 है, इसमें लिखा हुआ है, केवल 4 पंक्ति पढ़ूंगा। "उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 की धारा 2 के अधीन 19 फरवरी, 1968 को निर्गत विज्ञप्ति द्वारा 26 जनवरी, 1968 को समस्त राजकीय प्रयोजनों के सम्बन्ध में देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। यह भी आदेश निर्गत किये गये कि हिन्दी प्रयोग से सम्बन्धित आदेशों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जायेगा और उसे कठोर दृष्टि से देखा जायेगा"। मुख्य मंत्री भी आपके काम अंग्रेजी में करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

यदि आप कृपा पूर्वक पिजन होल में प्राप्त पत्र को हमें उपलब्ध करवा दें तो हम देख लेंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मैंने उपलब्ध करवा दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

मूल प्रति दे दें। इस पर मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। अंग्रेजी में अब भी काम शासन का हो रहा है।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड अकबरपुर, फैजाबाद के लाइसेंस के नवीनीकरण एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जनपद में एक सहकारी चीनी मिल लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, अकबरपुर, फैजाबाद के लाइसेंस के नवीनीकरण एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जनपद में एक सहकारी चीनी मिल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, ग्राम ईसापुर, पोस्ट महबूबगंज, जनपद फैजाबाद तथा श्री राम सहाय शुकुल, ग्राम सुकुल पट्टी, पोस्ट पहितीपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन क्रमों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में याचिका

श्री राजेन्द्र गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के वेतनक्रम के पुनरीक्षण विषयक श्री सूरज प्रकाश गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेटर नारी कला मंदिर, 4/6 पार्क रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। एक है लखनऊ में एक साथ कई गायों के मरने के बारे में श्री राम नरेश, श्री शारदा प्रताप की यही सूचना श्री सरदार सिंह, श्री देव कुमार यादव, श्री भगवती सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश व श्री राजेन्द्र गुप्त जी की है। इसके अलावा श्री सत्यपाल सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री मित्रसेन, श्री राम आसरे वर्मा, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री राम सजीवन, श्री चन्द्र भान मौर्य, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा और श्री राम गोविन्द चौधरी की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से सबको सुनना सम्भव नहीं है। पहले श्री शतरुद्र प्रकाश जी बोलें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, परसों जनपद लखनऊ में करीब आधा दर्जन गायों के बारे में जो तथ्य सामने आये हैं, उनसे साफ प्रकट होता है कि यह घटना अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है। यहीं पर लखनऊ में ही करीब 6 गायें इस अवस्था में मरी हैं, जिनसे कई तरह के प्रश्न उपस्थित हो गये हैं। मान्यवर, मैं इस पूरी घटना को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

किसी नजरिया विशेष से नहीं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन एक बात साफ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यह घटना सामने आयी है, उसमें 2-4 बातें साफ नजर आ रही हैं, जो जांच का विषय हो गयी हैं। हालांकि जानकारी मिली है कि शासन इसकी सी0 आई0 डी0 जांच करवा रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इस समय लखनऊ में ही नहीं, पूरे प्रदेश के अन्दर जो जानकारी खास तौर पर सामने आयी उससे यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला बनता है। लखनऊ में 6 गायें मरी थीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तथ्य सामने आया है कि जहर दिया गया है। यह किसी व्यक्ति की साजिश हो सकती है या फिर सरकार की अव्यवस्था भी हो सकती है। प्रशासन की उपेक्षा हो सकती है और प्रशासन का अदूरदर्शिता से संचालन करने का तरीका भी हो सकता है। मान्यवर, जो जानकारी मिली है, उसके बारे में जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें कुछ प्लास्टिक, जहरीले पदार्थ, कूड़ा करकट मिलने की बात सामने आयी है। इसमें मैं 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो सफाई गृह विभाग के द्वारा पेश की गयी है, उससे लगता है कि यह किसी व्यक्ति का काम नहीं, एक स्वाभाविक घटना हो गयी है। मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार की घटना जनपद लखनऊ के ही ग्रामीण अंचल में भी उसी दिन हुई थी, जिसके बारे में माननीय भगौती सिंह जी अपनी बात रखेंगे।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में इस समय गाय भैंस को काटने का काम बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। मान्यवर, बनारस जनपद में पिछले 10 दिन के अंदर अच्छी नस्ल की गायों को निर्यात करने का काम किया गया है। कुछ दिनों पहले जनपद मुरादाबाद से भी यह समाचार आये कि वहां से गायों का निर्यात किया जा रहा है। और, पिछले 6 महीने के अंदर बनारस में मुगलसराय स्टेशन से सैकड़ों गायों को इस सूबे से बाहर भेजा गया है। मथुरा में इसी तरह की घटनाएं घटी हैं।

मान्यवर, जो मेरी जानकारी है, सुबह 8 बजे यह घटना घटी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और लखनऊ महापालिका के प्रशासक जो यहां श्री बाबूराम जी हैं, उन्होंने करीब एक बजे के आसपास जानवर उठाने वाली गाड़ी भेजी। मान्यवर, राजधानी लखनऊ में जगह-जगह कूड़े कचड़े का अम्बार लगा हुआ है। अगर वह सफाई का काम किया गया होता, तो गाय कचड़ा कूड़ा न खा पातीं।

मान्यवर इस समय केवल लखनऊ जनपद ही नहीं बनारस, मथुरा, मुरादाबाद और मुगलसराय, जो पूर्वांचल का इलाका है, इन तमाम जगहों पर गायों को मारने का और उनको निर्यात करने का काम चल रहा है, जो कि निश्चित तौर से एक बड़ी साजिश का परिणाम है। मैं चाहूंगा कि सदन के सारे कार्य रोककर, इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, लखनऊ नगर में जिस प्रकार से आधे दर्जन से ऊपर गायों के मरने का समाचार आया है उससे लखनऊ नगर के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग बहुत ही चिंतित हैं। यह बहुत ही दुख का विषय है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस प्रकार की घटना हो जाय। इससे जो व्यापक असंतोष और रोष पैदा हो गया है,

उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान आना बहुत ही आवश्यक है। इतना ही नहीं जो कारण भी बताये जा रहे हैं, वह यह है कि सड़े गले अनाज का खाया जाना। गन्दगी पूरे नगर में जगह-जगह देखी जा सकती है।

अभी 3-4 दिन पहले चिनहट में पुत्ती नामक एक आदमी पकड़ा गया था उसने स्वीकार किया था कि जहर देने का काम करता हूं। और, जब उसको लाया जा रहा था, तो उसकी हत्या कर दी गयी। इसके पीछे जो भी कारण रहे हों, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन, इन घटनाओं से लोगों के मन में असंतोष व्याप्त हो गया है।

मेरा अनुरोध है कि सदन के सारे कार्य रोक कर इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये। सरकार को तुरन्त ही बयान देना चाहिये ताकि लोगों के मन में जो भ्रांति व्याप्त है, उसका निराकरण हो और यह भी हो कि प्रदेश की दूसरी जगहों पर इस तरह की स्थिति न आने पाये। मैं आपके मध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, यह एक बहुत बड़ा षडयंत्र है। मान्यवर, मेरी जानकारी 8 के बारे में है जबकि सरकार की ओर से इसमें 6 बतायी गयी हैं। सरकार की ओर से जान-बूझकर तथ्यों को छिपाया गया है। 6 गाय जो सरकार बताती हैं उसमें 5 गाय हैं एक उसमें सांड़ भी है। यह वही सांड़ है, जो विधान सभा मार्ग पर मरा था दुर्घटना से। उसको उठाकर ले जाया जा रहा था, भीड़ ने उसको भी गाय समझ लिया। मान्यवर, वह दुर्घटनाग्रस्त सांड़ है, उसके बारे में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगा दी गयी कि जहर खाकर मरा है।

यह स्थिति है प्रशासन की। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर कचड़ा खाकर गायों के मरने की बात है तो दूसरे जानवर भैंस, कुत्ता आदि क्यों नहीं मरे। यह एक बहुत बड़ी साजिश है। शासन को सतर्क रहना चाहिए।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं दूसरी तरफ हमारी पार्टी के नेता श्री रवि दास मेहरोत्रा वहां पहुंचे। वहां भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बहुत नाराज हो रही थी कि गायें 7-8 बजे मर गईं लेकिन 10 बजे तक वे उठाई नहीं गईं। उस अनियंत्रित भीड़ को वह नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें यह कह कर जेल भेज दिया कि वे भीड़ को उत्तेजित कर रहे थे। उनके ऊपर जो दफा लगाई गई और जो एफ0आई0आर0 लगाई गयी है, उसे मैंने पढ़ा। उसमें लिखा गया है कि श्री रवि दास मेहरोत्रा सरकार के खिलाफ भीड़ को एकत्रित कर रहे थे। मान्यवर, इस प्रकार के आरोप हम लोगों पर उस समय लगाये गये थे, जब हमें इमरजेन्सी में जेल भेजा जा रहा था। उस समय यह आरोप लगाये जा रहे थे कि ये इन्दिरा गांधी का तख्ता उलट-पलट रहे थे, झूठी अफवाहें फैला रहे थे। पुलिस उन पर आरोप लगा देती, यदि वे झूठी अफवाहें फैला रहे थे। वहां तो पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए [illegible]

[श्री राजेन्द्र गुप्त]–

मान्यवर, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है आपातकाल के बारे में, इससे तो ऐसा लगता है कि यह आपातकाल लागू किये जाने का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एक आदमी पकड़ा गया चिनहट में जानवरों को जहर देते हुए। मान्यवर, हमारी जो ये दुधारू गायें हैं, वे हिन्दू-मुस्लिम भाइयों की धार्मिक आस्था का केन्द्र हैं। मैं इसके सेन्टीमेंट्स को उभाड़ना नहीं चाहता हूं। सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना फिर न हो पाये, इसकी गंभीरता को देखें। मान्यवर, मैं वहां गया हुआ था। मुझे खुशी है कि वहां पर हमारे हिन्दू-मुस्लिम भाइयों ने शान्ति का व्यवहार कायम किया हुआ है। कल भी वहां दुकानें बंद थीं। शायद इसके विरुद्ध आज भी दुकानें वहां बंद हैं। मेरी मांग है कि श्री रवि मेहरोत्रा को जेल से छोड़ा जाय और इसकी पूरी घटना की जांच की जाय। अतः आज आप सदन की शेष कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करवायें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं भी ग्राह्यता के संदर्भ में अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठ जायं। मैं भगौती सिंह जी को बुला रहा हूं। माननीय सदस्य इसकी ग्राह्यता पर लम्बी-चौड़ी तकरीर देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। आप 1–2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें जिससे सदन की कार्यवाही भी सुचारु रूप से चलेगी।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, संक्षेप में मैं अपनी बात कह रहा हूं। मान्यवर, 26 जुलाई को प्रातः लखनऊ शहर में 6 गायें मरीं। 25/26 की रात को थाना चिनहट के अन्तर्गत गांव मेहौरा में बाबा दीन यादव की भैंस को जहर देते हुए पुत्तीलाल नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। उसने तसलीम किया कि इससे पहले वह 100 से ऊपर जानवरों को जहर दे चुका है और वे सभी दुधारू जानवर रहे हैं। उसके बाद सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए और यह खबर फैली तो यह तथ्य प्रकाश में आया। मान्यवर, गांव जगपाल खेड़ा, हासे मऊ, सिकन्दरपुर, मल्हौर, तखवा, बोधनपुर, दुधरा, मेहौरा, लालाई, जुग्गौर, देवरिया, मरवारा, उतरधौना, उजरियांव में 6 महीनों में 380 दुधारु जानवर मर चुके हैं और इसी प्रक्रिया में मर रहे हैं। शाम को स्वस्थ और सुबह मरे पाये गये। आशंका है कि ये सारे जानवर जहर से मारे गये हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गांव का किसान कर्जा लेकर जानवर खरीदता है, गांव के गांव जानवरों से खाली हो चुके हैं, वह बड़ी विषम परिस्थिति में आ गयी है और आक्रोश व्याप्त है गांवों के लोगों में भीड़ ने क्रोधवश उस पुत्ती लाल नामक आदमी को मार दिया। बड़े पैमाने पर साजिश है, इसके पीछे चमड़ा बेचने वाले, हड्डी का व्यापार करने वाले, चर्बी का रोजगार करने वालों का हाथ है और उनकी साजिश से यह जानवरों की हत्या का काम चल रहा है। अतः आप से अनुरोध है कि सारे काम को रोक कर इस पर विचार करें।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मुझे एक शंका उत्पन्न हो गयी है। अगर सामूहिक हत्या आदमियों की भी शुरू हो गयी जानवरों की तरह तो कहीं यह नारायन दत्त तिवारी को हटाने की चेष्टा तो नहीं हो रही है?

(हंसी)

श्री देव कुमार यादव–

गायों का इस तरह से मरना, यह आकस्मिक घटना प्रतीत नहीं होती बल्कि उत्तर प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था को भंग करने हेतु एक नियोजित षड़यंत्र करने वाली कोई एजेंसी सक्रिय है। जिस दिन यह घटना घटी. . .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, एक निवेदन है, जो बात कही जा चुकी है, उन्हें दोहराने से कोई लाभ नहीं है, समय की बचत कीजिये, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री देव कुमार यादव–

जहां गायें मरती हैं, उसी दिन उसी इलाके में एक बम विस्फोट भी होता है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसी एजेंसियां हैं जो प्रदेश में जानवरों की हत्यायें करके हड्डी और चमड़े का व्यापार कर रहे हैं, शासन इसकी सी0आई0डी0 जांच ही न करावें बल्कि विभिन्न पहलुओं पर इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 में 7वीं नोटिस श्री सूर्य प्रताप शाही की है. . .

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे कुछ कहना है। यह सही है कि गुप्त जी ने कहा कि 5 गायें और एक सांड़ की मृत्यु हुई, सांड़ की एक्सीडेन्ट की वजह से और 5 गायों की जिसका वर्णन किया गया, मृत्यु हुई। जैसे ही यह जानकारी मिली कि 2 गायें मरी हैं और 3 पड़ी हुई हैं, डाक्टर्स को भी लेकर गये, तीन गायें मरीं थीं बाकी जीवित थीं लेकिन वह तड़प रही थीं, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और वे वहीं मर गईं । मान्यवर, गायों की देश में, बड़ी पवित्रता है, निष्ठा के रूप में वे देखी जाती हैं । बाजार में सरे आम उनकी मृत्यु हो जाय तो तनाव स्वाभाविक था, किन्तु अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में किया । 5 गायों का पोस्टमार्टम किया गया । पोस्टमार्टम में उनके पेट से प्लास्टिक, सड़े हुए अनाज, आम के छिलके और गंदी चीजें मिली, जिससे यह हुआ कि गन्दी चीजें खाने से उनकी मृत्यु हुई है । इसमें कई बातें ऐसी आ गयी हैं, जैसा मा0 गुप्त जी ने कहा और शत्रुरुद्र प्रकाश जी ने कहा इस वर्षा के मौसम में जो गन्दगी और कूड़ा-करकट पैदा हो जाता है, वह सड़ जाता है। मा0 राम सरन जी से ज्यादा जानकारी तो गाय, भैंस के बारे में किसी की नहीं है।

(हंसी)

[श्री हुकुम सिंह]–

जंगल में भी कई घासें ऐसी होती हैं कि जो इस वर्षा के मौसम में जहरीली हो जाती हैं और हिदायत दी जाती है कि जानवर उसे न खायें । जहां तक शासन का सवाल है, शासन पूर्णतया सतर्क रहा और उसने स्थिति को नियंत्रित भी किया बावजूद इसके कि कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी । जिस व्यक्ति को दफा 151 में बन्द किया गया है, उसके विषय में भी शासन की सदस्यता में कोई शंका करने की बात नहीं है। गांव का जो जिक्र किया है, यह सही है कि एक व्यक्ति को जहर देते हुए पकड़ा, उसके साथ मारपीट हुई और उसकी मृत्यु हो गयी । यह बात पहले भी प्रकाश में आयी है, कुछ लोग ऐसे हैं । शासन सतर्क है, इस बारे में भी मुकदमा कायम किया गया है। इस सम्बन्ध में आप लोग भी सहयोग करें।

*श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, मैं जो विषय रख रहा हूं, अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस घटना से पुलिस का मनोबल गिरा है, जब कि मा0 मुख्यमंत्री जी संरक्षण दे रहे हैं पुलिस के मनोबल को । वर्ष 1972 की स्थिति पुलिस के भीतर आ गयी है । मैं दो-तीन घटनाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

21-22 जुलाई की रात में आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाने में कांस्टेबिलों–श्री राम नगीना यादव और श्री पंचदेव मिश्र, जिनको गश्ती के लिए रवाना किया गया था और सरकारी राइफल जिनके पास थी, रात को उनकी हत्या कर दी गयी, 22 तारीख को उनकी लाश गड़रिया ग्राम के पास मिली। पुलिस प्रशासन ने इन घटनाओं का पता नहीं किया, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पायी है । पुलिसजनों की ड्यूटी पर हत्या हो रही है । इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक, देवरिया के बंगले पर तैनात कांस्टेबिल की भी हत्या हो गयी । यह घटना 12–13 मई की है, उस व्यक्ति का नाम रामदास था । इस तरह की घटनाओं से सारे पुलिस तंत्र में विद्रोह की भावना फैल रही है, यह चिन्ता का विषय है ।

आजमगढ़ जिले के दो सिपाहियों की हत्या हो जाना और आज तक पता न लग पाना तथा देवरिया में पुलिस अधीक्षक के बंगले पर एक सिपाही की हत्या हो जाना, ये चिन्ता के विषय हैं । गोंडा के डिप्टी एस0पी0 की हत्या के बारे में स्पष्ट हो रहा है कि वह हत्या पुलिस कर्मियों ने करायी । इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का हाथ है। नीचे-नीचे सिपाहियों के अन्दर असन्तोष की भावना पैदा हो रही है। 1972 की स्थिति आ रही है, पुलिस कर्मियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है, विद्रोह भी हो सकता है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सारे कार्यक्रम को स्थगित करके इस पर चर्चा करायी जाय नहीं तो इसका कुपरिणाम सरकार को भोगना पड़ सकता है । मेरा विनम्र निवेदन कि कार्य स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री राम सजीवन–

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जल विवाद बहुत दिनों से उलझा हुआ है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)–

श्रीमन्, माननीय सदस्य जनपद देवरिया के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता–

सबको सुनने के बाद निर्णय बाद में करूंगा ।

श्री नारायन दत्त–

श्रीमन्, उन्होंने अपने कथन के बीच में कुछ ऐसी बात कह दी है, उनका आक्रोश में होना स्वाभाविक है लेकिन उनसे मैं आग्रह करूंगा वे नव-निर्वाचित सदस्य हैं इस-लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उनको वे इस प्रकार का रूप न दें, जिसमें ऐसा न कहा जाय जिससे कि पुलिस में विद्रोह की भावना आ जाय। कभी-कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जो हम यहां कहते हैं उससे रोष पैदा हो जाता है । पुलिस फोर्स केवल शासन की ही नहीं है, वह समाज की भी है । मा0 सदस्यों से मैंने पहले भी कहा था ।

आजमगढ़ की घटना को देखते हुए ही कहा था जब यहां उस पर चर्चा हो रही थी कि पुलिस का मनोबल गिरने नहीं देना चाहिए। वही बात आज मा0 सदस्य कह रहे हैं जिसका कि मैं उल्लेख कर चुका हूं। मैंने तो बहुत सोच-विचार कर इन शब्दों का यहां प्रयोग किया था कि पुलिस का मनोबल नहीं गिरने देना चाहिए। श्रीमन्, दो कांस्टेबिलों की निर्मम हत्या हुई है, जांच जारी है और मुझे पूरा विश्वास है और सदन को सूचित करते हुए सन्तोष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस फोर्स किसी प्रकार से अनुशासनहीन नहीं है बल्कि पूरी तरह से वह दृढ़ संकल्प है, मैं यही कहना चाहता हूं ।

श्री राम सजीवन–

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बीच जल-विवाद कई वर्षों से उलझा पड़ा है और बुन्देलखण्ड की प्रगति एकदम अवरुद्ध है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों के बीच घोषणा की थी कि 12 जून को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच बैठक होगी उसमें जल-विवाद के संबंध में निर्णय किए जायेंगे और समझौता हो जायेगा । वह बैठक हुई या नहीं हुई हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है, सदन को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुए, हम सब अंधकार में हैं ।

उसके बाद 20 जुलाई को सेन्ट्रल जोनल कांउसिल की मीटिंग हुई उसमें भी मध्य जोन काउंसिल की मीटिंग में भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जल-विवाद को और अन्य विवादों के संबंध में भी चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन उसका क्या निष्कर्ष रहा, उसमें क्या निर्णय लिये गये थे उसके संबंध में कोई जानकारी न इस सदन को है, न जनता को है और न हम सबको है । उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच यह जल-विवाद दस-बीस वर्षों से चला आ रहा है, हमारी सरकार इस दिशा में बहुत कमजोर हो रही है और इसीलिए बुन्देलखण्ड जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है जिसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, बांदा और इलाहाबाद व मिर्जापुर का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है वहां के लिए सिंचाई की योजना नहीं बन पा रही है, कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं हो

[श्री राम सजीवन]

पा रही है, पुरानी योजनाओं में काम नहीं शुरू हो पा रहा है। जो कुछ काम शुरू भी हुआ है इन विवादों के कारण उनकी प्रगति बहुत ही धीमी है। निवेदन यह है कि दक्षिणांचल के जिलों में मध्य प्रदेश से पानी आता है। वहां की नदियों का पानी इन जिलों में आता है, चाहे वह छोटी हों या बड़ी हों। बुन्देलखण्ड में चूंकि पथरीला इलाका है, इसके कारण, वहां पर नलकूप सफल नहीं हो पाए हैं, इसलिए सिंचाई और विद्युत उत्पादन नदियों और बांधों के सहारे हो सकता है, लेकिन सारा पानी केवल मध्य प्रदेश के नदी नालों के माध्यम से आता है।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 के अन्तर्गत . . . । अब आप समाप्त करें।

श्री राम सजीवन–

चूंकि समस्या है और 4 दिन से लगातार इस प्रश्न को दे रहा था और आज सचिव विधान सभा के हस्तक्षेप से यह स्वीकार हुआ है और यह बराबर अस्वीकार होता रहा इस सवाल को तो समझने की चेष्टा ही नहीं की गई, वह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे दक्षिणांचल में जिसमें बुन्देलखण्ड का हिस्सा शामिल है, लाखों लोगों की जिन्दगी का सवाल है। वहां पर सिंचाई के साधन अवरुद्ध हैं और पूरा इलाका सूखा-ग्रस्त हो जाता है और अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है।

आप मुख्य मंत्री जी से अभी चर्चा करा दें। 12 जून को हुई मीटिंग में और 20 जुलाई को हुई मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच हुई हैं। इसलिए कार्य को स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें। एक और निवेदन है कि अभी मुख्य मंत्री जी बोलेंगे तो जबानी बता देंगे, लेकिन उन मीटिंगों में जो निर्णय हुए हैं वह उनको इस समय जबानी याद नहीं होंगे, इसलिए बाकायदा तैयार होकर इस पर वक्तव्य दिला दें। साथ ही साथ एक और सूचना देना चाहता हूं कि पैरवनी नहर योजना 1977-78 में 5 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई थी, लेकिन यह योजना अभी तक लागू नहीं की गई है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य विषयान्तर न करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायन दत्त–

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य बांदा जनपद, ने अभी प्रश्न उठाया और केन्द्रीय सरकार की जो क्षेत्रीय परिषद् है, उसका उल्लेख किया। यह एक भारत सरकार द्वारा गठित महत्वपूर्ण परिषद् है, जिसके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सदस्य हैं और इसके बारे में सूचना देना केन्द्रीय सरकार और गृह मंत्रालय का दायित्व है। केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने मेरी उपस्थिति में और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की उपस्थिति में सम्वाददाता सम्मेलन उसी दिन किया और उसके जरिये जो सम्मानित पत्रकार आदि आये थे, उनके अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर दिया और सम्मानित सदस्य ने देखा होगा कि दूसरे दिन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में उसका उल्लेख आया था। श्रीमन्, सम्मानित सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड और मध्य प्रदेश का जो सम्बन्ध है, हमारा यह प्रयास रहा है कि इस सम्बन्ध में विशद् चर्चा की जाये। मुझ सेवक ने स्वयं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह से और वर्तमान

मुख्य मंत्री श्री मोती लाल बोरा जी से इस सिलसिले में बातें की हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो केन्द्रीय जल आयोग के पास लम्बित हैं, उन पर शीघ्र निर्णय के लिए आग्रह किया है। राजघाट बांध परियोजना है, वह इस बात की सूचक है कि दोनों प्रदेश मिलकर बुन्देलखण्ड के विकास के लिये प्रयत्नशील हैं। श्रीमन्, इस वर्ष बेतवा कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक हुई थी उसके लिये आगामी वर्ष में 18 करोड़ रुपये स्वीकृत हुये हैं। उसमें से 10 करोड़ उत्तर प्रदेश और शेष मध्य प्रदेश ने दिये और यह भी उन्होंने आश्वस्त किया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जितना उत्तर प्रदेश बेतवा कन्ट्रोल के बारे में खर्च का प्राविधान रखेगा मध्य प्रदेश उसे भी पूरा करेगा। श्रीमन्, मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय सराहनीय है कि राजघाट के निर्माण के लिये दोनों सरकारें बराबर व्यय करेंगी जो बेतवा कन्ट्रोल बोर्ड के एक्ट में लिखा है। इस संबंध में मैं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं।

जहां तक केन केनाल के जल का सवाल है, यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है और वही इसके बारे में निर्णय लेगी। गंगऊ प्रोजेक्ट पर भी केन्द्रीय सरकार को निर्णय लेना है। यह हमारा भी और उनका भी दोनों का प्रयास है। पैश्वनी के बारे में सन् 75 में एक समझौता हुआ था यू0पी0 प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर। श्रीमन्, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं किन्तु इतना कहना चाहता हूं कि इसको स्थगित कर दिया गया था। दुबारा इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। दोनों का परीक्षण किया जायेगा।

पंचनद बांध के बारे में भी मध्य प्रदेश से बात चल रही है। ओरछा प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में है उसके ढोकवां वायर चैनल के बारे में संयुक्त परीक्षण हो रहा है। इसी तरह दतिया केनाल मध्य प्रदेश में बन रही है। उसमें हमारा पूरा सहयोग है और बात चल रही है। रंगवा बांध के बारे में मध्य प्रदेश हमें अपनी राय देगा। इसी तरह से बांध सागर, विराट सागर, बचई आदि के बारे में मध्य प्रदेश से बात हमारी चल रही है। श्रीमन्, स्थानीय जनता की मांग है कि पहले योजना हमारे यहां बने। उत्तर प्रदेश को इन योजनाओं को चलाने से पहले दूसरे राज्यों से बात करनी पड़ती है। इसलिये हमें चाहिये कि हम यहां पर कोई ऐसा वाक्य न कहें जिससे बुन्देल खण्ड से मिली हुई जो वहां की जनता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मध्य प्रदेश और बुन्देलखण्ड के जो भाग हैं जो उससे मिले हुये हैं उनको समग्र दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है।

इसलिए कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे वहां के जन प्रतिनिधियों के अथवा जनता के हृदय में यह बात पैदा हो कि उत्तर प्रदेश उनका हिस्सा ले रहा है जो उनको मिलना चाहिए या वे हमारा हिस्सा ले रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं होगी। जो हमारा पुराना हिस्सा चला आ रहा है, उसी को मानते हुये और सामान्य लाभ के आधार पर हम नई प्रायोजनायें रख रहे हैं हम किसी प्रकार से मध्य प्रदेश का अहित किये बिना उत्तर प्रदेश का हित करना चाहते हैं। यही हमारा ध्येय है। माननीय सदस्य आश्वस्त रहें बुन्देलखंड विकास परिषद् की बैठक में भी मैंने दो बार इस विषय पर विस्तार से उल्लेख किया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, फैजाबाद में वहां की नगरपालिका में पेय जल सप्लाई की जो पाइप लाइन है वह सन् 25 की है और तब से लेकर आज तक बदली नहीं गयी है। वह सड़ गई है। पानी को ब्लीच करने की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही टंकियों की सफाई की

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

व्यवस्था की गई है। जिसका नतीजा यह है कि लगातार शिकायतें हो रही थीं कि प्रदूषित जल पेयजल के रूप में नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्हीं शिकायतों के आधार पर संचारी रोग शाखा के स्वास्थ्य निरीक्षक श्री एल0एन0 अग्रवाल ने सैम्पुल लिया था । सैम्पुल नं0 100, 461 और 470 के जो नतीजे यहां लखनऊ में विश्लेषण के बाद आये हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो जल सप्लाई किया जा रहा है वह स्वास्थ्य के लिए भयंकर रूप से हानिकारक है और वह मल प्रदूषित है। यह बात इनके विभाग ने एनेलेसिस करने बाद कही है । जब यह एनेलेसिस का रिजल्ट फैजाबाद गया तो वहां के लोगों ने नगर पालिका के प्रभारी अधिकारी एवं कलेक्टर का घेराव किया। अधिकारियों ने लोगों और प्रेस के लोगों से इस बात को स्वीकार किया कि जो पेय जल सप्लाई हो रहा है उसमें बहुत सी जगहों पर मल प्रदूषित पेय जल सप्लाई हो रहा है। अगर इस बात को चैक नहीं किया गया तो निकट भविष्य में वहां महामारी फैल सकती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि चैत और सावन के महीने में हिन्दुस्तान भर से बहुत बड़ी मात्रा में तीर्थ यात्री फैजाबाद और अयोध्या आते हैं। वहां लोग इस स्थिति से चिंतित हैं और इससे ज्यादा भयंकर कोई दूसरी बात हो नहीं सकती है। आज से दो दिन पहले हमारे मित्र कानपुर के जल को दिखा रहे थे और वे केवल रंग दिखा रहे थे और कोई एनेलिसिस के रिजल्ट नहीं थे। मैं जो आज फैजाबाद की बात बता रहा हूं जिसको मैंने आपकी अनुमति से यहां पर नियमों के अनुसार रखा है वह एनेलेसिस का रिजल्ट है जिसमें स्वीकार किया गया है कि वहां मल प्रदूषित जल सप्लाई हो रहा है। तो इससे ज्यादा महत्व का विषय कोई हो नहीं सकता है जिस पर इस सदन में चर्चा हो। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस पर आज चर्चा करा दें नहीं तो कोई दिन निश्चित कर दें जिसमें बयान के साथ-साथ चर्चा भी हो सके।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

हमने एक बहुत अहम मसला उठाया था।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सभी सूचनाओं को पढ़ा और कुछ को सुना भी और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना जो नियम 56 में आई थी उसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है बाकी सभी अस्वीकार हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, हमने जो लखनऊ में गायों के मरने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था उसका क्या हुआ। श्री रविदास मेहरोत्रा को अकारण गिरफ्तार किया गया है। झूठे आरोप उन पर लगाये गये हैं (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो बातें कही हैं। कुछ तथ्य आ गये हैं फिर भी आवश्यक समझा गया तो बाद में गौर किया जा सकता है और आज नहीं किया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

बाद में किस नियम के अन्तर्गत देंगे। जब कार्य स्थगन प्रस्ताव एक विषय में अस्वीकार हो गया तो दुबारा उस सत्र में नहीं लाया जा सकता है। हमें आप गाइड

कर दें कि किस नियम के अन्तर्गत इसे दुबारा लायें। इससे महत्वपूर्ण दूसरा मामला नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति पर झूठे आरोप लगा कर, इमरजेंसी वाली बातें लगा कर जेल में बन्द कर दिया हो और उस पर सदन में चर्चा नहीं होगी तो और क्या होगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब आपकी व्यवस्था हो चुकी तो फिर किस आधार पर बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र गुप्त–

कृपया इस पर आज चर्चा करा दें। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। श्री रविदास मेहरोत्रा को क्यों पकड़ा गया क्या हमारे प्रजातंत्र में यह भी जुल्म है कि सरकार के खिलाफ कोई भाषण दे रहा हो उसको बन्द कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

एक बात सुनने के बाद और उस पर निर्णय हो जाने के बाद माननीय गुप्ता जी आप सहमत होंगे (व्यवधान) आप नियमों के ज्ञाता हैं मेरा निवेदन है कि यदि आप आवश्यक समझें तो नियम 52 के अन्तर्गत सदन में फिर से ला सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री आसान सिंह–

यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

इसके लिए भी आप निर्दिष्ट नहीं करेंगे तो (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यदि आवश्यकता होगी तो नियम 52 के अन्तर्गत इसमें विचार किया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है लेकिन सरकार ने गायों के मामले में वक्तव्य देने की बात नहीं कही और उनका बयान संतोषजनक नहीं है, आज भी बाजार बन्द है, शहर में उत्तेजना है, इसलिए मैं और मेरा दल सरकार की इस नीति के खिलाफ सदन का त्याग करते हैं।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि किसी को भी जिला अधिकारी की संतुष्टि पर रासुका में बन्द कर दिया जाता है, यह इस पर निर्भर करता है कि संबंधित व्यक्ति से समाज को खतरा है। सदन के तीन माननीय सदस्यों को रासुका में बन्द किया गया है जिनके बारे में जिलाधिकारी की संतुष्टि है लेकिन जनादेश से बड़ा लोकतंत्र में कुछ नहीं है। क्या जिलाधिकारी की संतुष्टि जनादेश से बड़ी हो जाती है। सदन के तीन माननीय सदस्य श्री हरि शंकर तिवारी, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही तथा श्री दुर्गा यादव जो जेल में हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर सदन पहले ही विचार कर चुका है, इसलिये इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। मद सं0 10।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जांय।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-
अनुदान संख्या 55-विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55-विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,56,40,000 रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं संक्षेप में ही इस विभाग की एक्टीविटीज के बारे में सदन को कुछ बताना चाहता हूं। विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 6 विभाग कार्यरत हैं। नैनालाल आब्जरवेटरी, रिमोट सेंसिंग सेन्टर, पर्यावरण एवं प्रोद्योगिक परिषद् आदि हैं।

श्रीमन्, सभी लोग जानते हैं कि नैनीताल में आब्जरवेटरी है जो 1961 में वहां स्थापित की गयी थी। इस आब्जरवेटरी में सौर मण्डल तारा मण्डल के कुछ निश्चित क्षेत्रों पर शोध वगैरा किये जाते हैं। विगत वर्षों में 265 के करीब शोध पत्रों का प्रकाशन करवाया गया और 17 शोध प्रबन्ध प्रकाशित करवाये गये।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इस आब्जरवेट्री में 4 दूरबीन हैं। उसमें से 104 से0 मी0 की दूरबीन सबसे बड़ी है। जो माननीय सदस्य इस आब्जरवेट्री को देखने गये होंगे, उन्होंने सम्भवतया इस दूरबीन से तारों को देखा होगा। छुट्टी के अलावा वह दूरबीन शाम के वक्त और कभी-कभी रात के समय दिखाई जाती है। उससे तारा मंडल का प्रदर्शन किया जाता है और उसके संबंध में कुछ समझाया भी जाता है। इस आब्जरवेट्री में छठी पंचवर्षीय योजना में एक 4 मीटर की दूरबीन, जो सम्भवतः भारत में सबसे बड़ी दूरबीन होती, उसके लगाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब उसके स्थान पर 2.34 मीटर की दूरबीन लगाए जाने का प्रस्ताव है और इस वर्ष 15 लोगों को इसके ऊपर रिसर्च करने का अवसर दिया जाएगा।

इसी तरह से जो दूसरा विज्ञान प्रोद्योगिक कौंसिल है, उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं। सभी लोग जानते हैं कि देश के विभिन्न रिसर्च सेन्टर्स में बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, लेकिन उन वैज्ञानिक खोजों को अपने प्रदेश के परिवेश और वातावरण में कैसे लाकर सामाजिक और आर्थिक उन्नति की जाए, इसके लिए यह परिषद् समन्वय का काम करती है। इसके लिए भी इसकी एक्टिविटीज को हम

संक्षेप में समझाने के लिए कई हिस्सों में विभाजित करने है । इसमें जो एग्री-कल्चर के सम्बन्ध में, पेस्टीसाईड्स के सम्बन्ध में और जो बीमारियां लगती है उसके सम्बन्ध में एक है । और उत्पादकता बढ़े इस सबमें बहुत सारे शोध हो रहे है। इन शोध कार्यों को करने के लिए 600 रुपया के करीब यह कौंसिल प्रत्येक छात्र को स्कालरशिप देती है । और यदि दो वर्ष से अधिक का रिसर्च का काम होगा तो दो वर्ष बाद 700 रुपया स्कालरशिप का दिया जाता है। यह कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से, उसके रिसर्च स्कालरों के माध्यम से करवाया जाता है । जैसा कि मैंने पहले कहा, जिन बड़े-बड़े रिसर्च सेन्टर्स में जो तकनीक डेवलप की जाती है, उसको गांवों तक भेजने में, इस सेन्टर के द्वारा प्रयास किया जाता है, समय-समय पर सेमिनार्स लगाए जाते है । बहुत सारा लिटरेचर भी पब्लिश करके उन एरियाज में बांटा जाता है । इसमें कुछ पायलट प्लान लगाने की भी हमारे पास योजना है ।

हमारे प्रदेश में बहुत सारी डिस्टलरीज है । इन डिस्टलरीज से जो वस्ट मेटीरियल निकलता है, उससे मेथिन गैस निकालकर उसका सही उपयोग करने की तकनीक निकाली गई है । इसका खाना पकाने तथा अन्य मशीनों आदि के चलाने में उपयोग किये जाने की स्कीम है । राइस-ब्रान अपने प्रदेश में बहुत सारी जगह निकलता है । काफी मात्रा में भी है । बुन्देलखण्ड में और अतर्रा में बहुत सारी मिलें है । यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि कूड-आयल के बाद इस देश में सबसे अधिक व्यय, लगभग एक हजार करोड़ रुपया खाद्य तेलों के आयात करने पर किया जाता है । तो इस कौंसिलस में, उस राइस ब्रान से जो नान-स्डेबेल आयल बनाया जाता है, उसको खाद्य आयल में कैसे परिवर्तित किया जाए, इसकी एक टेकनिक डेवलप की गई है । और इस तरह से एक टन प्रतिदिन खाद्य तेल बनाने का एक उद्योग लगाने का प्रस्ताव है । इसी तरह से शीरे से एक एफेडीन निकलती है । आज दमे की बीमारी में एफेडीन हाइड्रोक्लोराइड यूज होता है । इसका उत्पादन अपने देश में कहीं नहीं होता है । कुछ ड्रग्स लेबोरेटोज इसको बाहर से आयात करती है । तो शासन ने इसके लिये फिजीबिलिटी रिपोर्ट बनवायी है और एक परियोजना पर अनुसंधान किया गया है । जल्दी से इसकी स्थापना का प्रस्ताव किया जा रहा है । इसी तरह से लोगों में विज्ञान और टेक्नालाजी के प्रति कांशसनेस बढ़ाने के लिये, उनमें समझ बढ़े उसके लिये 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, करीब 25 जनपदों में विज्ञान क्लब खोले जाने का प्रस्ताव है । इस वर्ष 5 जनपदों में यह विज्ञान क्लब खोले जा रहे है । बुन्देलखण्ड में ललितपुर, आगरा में एटा, मिर्जापुर, देवरिया और पिथौरागढ़, इन पांच जिलों में इस वर्ष विज्ञान क्लब खोले जायेंगे । इसके माध्यम से विज्ञान के बारे में व्यवहारिक शोध और उसका प्रचार तथा प्रसार किया जायेगा और लोगों को इसके बारे में समझाया जायेगा और लोगों में इसके प्रति कांशसनेस बढ़े इसके लिए यह सेंटर्स काम करेंगे ।

[श्री ओम प्रकाश रिछारिया]

इसी तरह से लखनऊ में एक प्लेनेटोरियम पर इस वर्ष काम शुरू हो जायेगा । इसके लिये 50 लाख रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है । लखनऊ में ही वैज्ञानिक, तकनीकी संग्रहालय बनाया जा रहा है । इसमें माडल्स के माध्यम से देश में किये जाने वाले रिसर्च को दिखाया जायेगा । प्लेनेटोरियम में नक्षत्र विज्ञान के संबंध में दिखाया जायेगा तारा-मण्डल के बारे में लाइट और साउंड से सारे डिटेल्स बताये जायेंगे । तारा-मंडल केवल इलाहाबाद में था अब लखनऊ में बन रहा है ।

एक सदस्य–

आप केवल भाषण दे रहे हैं या प्रेक्टिकल में कुछ हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, बैठ जायं, टोका-टाकी न करें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसी प्रकार से वैकल्पिक ऊर्जा, सभी लोग जानते हैं जब गल्फ कंट्रीज और ओपेक के देशों ने तेल के दाम कई गुना बढ़ा दिये तो इस तरह दुनिया का ध्यान गया । कोयला और पेट्रोल यह बहुत सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं । यह आवश्यक समझा गया कि इसका आल्टरनेटिव, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत ढूढ़े जायं । तो अभी माननीय सदस्यों ने पत्रिका में पढ़ा होगा कि आज अपने देश में जितने स्रोत पेट्रोलियम के हैं वह सन् 2013 तक चोक हो जायेंगे।यह स्थिति देश की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की है । तेल और कोयले के जो डिपाजिट हैं उनका एक पीरियड होता है, 50 वर्ष या कहीं पर 60 वर्ष, उसके बाद यदि नये स्रोत नहीं मिलते हैं तो ऊर्जा, इनर्जी की समस्या हमारे पास पैदा हो सकती है । तो इस पर सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने सोचा और बहुत सारे गये ऊर्जा के स्रोत ढूंढने की कोशिश की गयी । विंड मिल, सोलर इनरजी, गोबर गैस आदि वैकल्पिक ऊर्जा के साधन हैं । गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस बनाये जाने की योजना है।हम सभी लोग महसूस करते होंगे, प्रत्येक व्यक्ति खास तौर से कमजोर और निर्बल वर्ग के जो लोग हैं, उनकी (इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए) यह स्थिति नहीं होती कि यह अपने घर में एक गोबर गैस प्लांट जो 7 हजार से लेकर 10 हजार की कीमत तक पड़ती है, लगा सकें और किन्हीं कारणों से, कभी-कभी वह फैयोर में लीकेज भी हो जाती है, जैसे यदि उसकी फाउन्डेशन उसने ठीक से नहीं लगाई, तो पता लगेगा कि जो गोबर में पानी मिला कर डाल रहे हैं, उसमें सीपेज कर जाती है।तो इस सबको देखते हुए कम्यूनिटी स्तर से गोबर गैस लगाने का विचार किया गया।उसमें एक बड़ा प्लांट लगाया जायगा और कई घरों को गैस की सप्लाई की जायगी।कहीं पर उससे इंजन चलाया जायगा।अभी जो तकनीक अपने यहां मौजूद हैं, उसमें 80 प्रतिशत गैस और 20 प्रतिशत डीजल का प्रयोग करके इंजन चलाने का है।इसी तरीके से इससे पम्प भी चलाया जायगा और जनरेटर भी कुछ किलो वाट पावर जनरेट करके चलाया जायगा।इसी तरह के प्रोग्राम इसमें लिये जा रहे हैं।इसी तरह से सोलर इनर्जी का है।इससे कूकिंग का काम लिया जायगा,

गर्म पानी सप्लाई किया जायगा। आप लोग यू0पी0 निवास में ठहरते हैं, उसमें सोलर इनर्जी से गर्म पानी सप्लाई होता है। सोलर इनर्जी से कई गेस्ट हाउसों में गर्म पानी सप्लाई किया जा रहा है। यह बड़ा सफल हुआ है।

इस तरह से इसके माध्यम से अब यह कोशिश की जा रही है कि सामूहिक किसी एक गांव में पम्प चलाई जाय, इससे पावर जनरेट की जाय। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाये गये। कई जगह उसका चयन किया गया। 10 ब्लाकों में यह योजना चलाने का विचार है, अभी उन ब्लाकों का चयन नहीं हुआ है, उनका चयन होना है। इसी तरह से श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से रिमोट सेंसिंग की एक्टीविटीज के बारे में बताना चाहता हूं। रिमोट सेंसिंग सेंटर जो अपने यहां है, इसके माध्यम से बुन्देलखण्ड जहां के बारे में यह कहा जाता है कि यह पठारी हिस्सा है और यहां पर जमीन के अन्दर कहीं पानी की उपलब्धि नहीं है और यही कारण है कि शासन स्तर से या प्राइवेट स्तर से वहां पर कभी भी ट्यूब वेल्स को प्रोत्साहित नहीं किया गया। लेकिन रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, सेट लाइट के जरिये कुछ स्थानों को मार्क किया गया और वहां पर ट्यूब वेल लगाये गये और उनकी उपलब्धि एक स्थान के ऊपर 36 हजार लीटर का डिस्चार्ज निकला, कहीं पर 13 हजार निकला। तो उससे जो सबसे बड़ा बुनियादी लाभ हुआ, वह यह है कि बुन्देलखण्ड की भूमि के ऊपर वह स्थान मार्क कर दिया कि जहां पर अन्डर-साउन्ड वाटर बहुत अच्छी कैपेसिटी में है। आगरा और मथुरा जनपद में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है मीठे पानी की। पीने के लिये वहां पर खारी पानी निकलता है। तो सेट-लाइट के माध्यम से जो वहां पर सर्वे करवाया गया और एयर सर्वे के द्वारा यह मालूम हुआ कि वहां पर एक जगह पर मीठा पानी उपलब्ध है। करौली में मीठा पानी निकालने में सफलता मिली है। आगरा में 34 तथा मथुरा में 18 ऐसे स्थान मार्क कर दिये गये हैं, जहां पर मीठा पानी निकलने की सम्भावना है।

श्री बदन सिंह—

आगरा में बता दीजिए।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

आगरा में करौली है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, यह केरावली को करौली बता रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जो क्षेत्र है सेटिलाइट के माध्यम से उसमें भूमि की क्या बनावट है और पानी की उपलब्धिता का सर्वे कराया गया। यह सर्वे लखनऊ से इलाहाबाद तक कराया गया। इसके अलावा जो शारदा सहायक कमाण्ड एरिया है, उसमें सीपेज की बड़ी समस्या थी। उसमें कहा जाता था विभिक सूत्रों से, कि लगभग सीपेज से सात हजार हेक्टेयर की जमीन प्रभावित है, लेकिन देखने से पता लगा कि यह जमीन 35 हजार हेक्टेयर है, जो इससे प्रभावित है। आज मैं सबको एक सूचना देना चाहूंगा, निश्चित रूप से आप लोग जो कटौती का प्रस्ताव लायेंगे वह भी माननीय सदस्य बधाई देंगे।

[श्री ओम प्रकाश रिछारिया]

वह सूचना यह है कि अब आपके शहर लखनऊ में एक अन्तरिक्ष सेन्टर बनाया जा रहा है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 एकड़ जमीन उनको उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। 1986 के मध्य तक जब फ्रांस से सेटिलाइट का लान्च किया जाना है तब तक यह बन जायेगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से मान्यवर, जब हम पर्यावरण की एक्टीविटीज के बारे में बताना चाहते हैं। हम आप सब पर्यावरण की उन स्थितियों से, अभी एक माननीय सदस्य ने औचित्य के प्रश्न में हल्का सा जिक्र किया था, हम आप सभी जानते हैं कि नदियों में प्रदूषण, झीलों में पानी का प्रदूषण इनवारमेन्ट में पर्यावरण की समस्या है, लेकिन इसके लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वह उचित और अच्छे होने के बावजूद भी बहुत कम है। गंगा में ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी में इसके ऊपर काम प्रारम्भ किया जा चुका है। यमुना में आगरा, वृन्दावन, मथुरा में जल निगम के माध्यम से कुछ काम किया जा रहा है, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ है उसमें अत्यधिक किए जाने की आवश्यकता है। इसमें हममें और आपमें मानने में कोई बात नहीं है। लेकिन एक-दो चीजें और बताना चाहता हूं। जैसे आपने प्रदेश के एकोलौजिकल सिस्टम है, एक राय के अनुसार 33 प्रतिशत जंगल देश में होने चाहिए लेकिन हम झाड़ी और जंगल दोनों मिला लें, तो करीब 23 प्रतिशत जमीन ऐसी है। लेकिन विशुद्ध घने वन 11-17 प्रतिशत के करीब हैं। यह इस सदन की जिम्मेदारी है, प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि देश में और प्रदेश में प्रत्येक नागरिक में यह जागरूकता जागृत हो कि एक पेड़ की एक डाल काटने से कितना नुकसान होता है। वृक्षों की क्यों आवश्यकता है, इसको वह समझे। इसके लिये हमारा आपका रोल सुनिश्चित होना चाहिये। इसके लिये और दूसरी चीजें भी की जा रही हैं, जैसे नगर पालिकाओं का जो साढ़े चार सौ के करीब हैं उनका जो सीवर डिसचार्ज नदियों में जाता है, उसको रोकने का। कानपुर में टेनरीज की फिजिबिल्टी बनाई गई है। मैंने आपकी आज्ञा से संक्षेप में विभाग की रूपरेखा प्रस्तुत की और मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य इसको स्वीकार करें।]

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55-विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, आज इस सदन में ऐसे अनुदान पर चर्चा हो रही है जिस पर अभी तक कभी सदन में चर्चा नहीं हुई थी। इसके पहले पर्यावरण की क्या स्थिति है, दूषित और प्रदूषित वातावरण का क्या असर हो रहा है, लगभग 3-4 साल पहले इस विषय की ओर किसी का ध्यान जाता ही नहीं था। इधर 4-5 साल से विशेष ध्यान जाने लगा, जब से पत्र-पत्रिकाओं में विदेशी शहरों की स्थिति प्रकाशित होने लगी। जो अपने देश में गंगा जमुना की स्थिति है उस पर ज्यादा आवाज उठने लगी तो इधर लोगों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान जाने लगा। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा 6 विभाग है इस अनुदान के अन्तर्गत लेकिन उन्होंने कार्य शैली केवल 3 की बताई। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो हम लोगों को पुस्तिका बांटी गई है, पिजन होल्स में विधान सभा के माध्यम से उसमें 84-85 में क्या काम करना था यह बांटी गई है।

85-86 में क्या काम करना है, क्या बजट किस विषय पर है, जो हमेशा दी जाती थी, वह इस वर्ष नहीं दी गई। इसके अन्तर्गत किस विषय पर कितना बजट है यह नहीं दिखता है। इससे दिक्कत हो रही है। विभागीय आंकड़े जो मिलते हैं, उससे काफी अन्दाज लगता है कि सरकार क्या करना चाहती है, स्थिति स्पष्ट होती है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिस हिसाब से चर्चा की है मैं उसी हिसाब से चलने का प्रयास करूंगा। अधिकतर सारा विभाग पर्यावरण से कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। आपने आब्जरवेटरी की बात कही यह बहुत अच्छा काम है। जो 4 मीटर की दूरबीन लगाई जानी थी उसको घटाकर 2-34 मीटर कर दिया। इसके पहले 2-3 साल में आपकी सरकार ने 4 मीटर की दूरबीन लगाने हेतु धन आवंटित की है।

अब आपने उसको घटाकर 2.34 मीटर का कर दिया है। एक तो आपसे यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो पहले आपने 4 मीटर की दूरबीन लगाने पर धन आवंटित किया तो या तो वह धन खर्च नहीं किया गया या तो वह खर्च किया गया और बेकार हो गया और नयी दूरबीन लगाने पर विचार कर रहे हैं। आपने जो सेविन्थ फाइव इअर प्लान स्वीकृत होने के पहले जो ड्राफ्ट बनाया था उसमें लिखा हुआ है कि 24-25 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। इस पर 11 करोड़ रुपया आप दूरबीन लगाने की सोच रहे थे। यह पैसा कहां चला गया इसको आपने अपने भाषण में नहीं बताया आपने जो प्राविधान किया था वह पैसा कहां चला गया। इसके पहले जो आपने दिया था वह पैसा कहां चला गया। 4 मीटर की जगह आपने घटाकर 2.34 कर दिया तो जो पैसा पहले आपने दिया था वह पैसा कहां चला गया। दूसरा कौंसिल आफ साइंस एण्ड टेक्नोलोजी की बात आपने कही।

इसके बारे में जहां तक मुझे ज्ञात है इसकी स्थापना सम्पूर्णानन्द ने की थी इण्डियन साइंस एण्ड टेक्नोलोजी की। इस प्रदेश में उनका इरादा था कि यहां भी इस तरह की एक संस्था होनी चाहिए जो इन विषयों पर अपना भी शोध करें और जो देश के शोध हैं उनको यहां पर लायें। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, उद्योग में अपने देश के परिवेश के आधार पर उसको प्रचलित करें। मान्यवर, यह एक ऐसी संस्था है जिसकी आज तक कोई बैलेन्सशीट इस सदन में प्रस्तुत नहीं की गयी क्योंकि इस संस्था का कोई खर्च इसकी बैलेन्सशीट इस है, जनरलवाडी जिसको कहते हैं, उसके द्वारा आज तक पास ही नहीं हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में कौंसिल आफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी की तरफ से कितने ऐसे शोध किये गये चाहे वह कृषि से सम्बन्धित हों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित हो, चाहे उद्योग से सम्बन्धित हो जिन पर आपने सुझाव सम्बन्धित विभाग को भेजा हो। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह]

भी इस विधान सभा के किसी भी माननीय सदस्य को अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई । चूंकि अबकी बार इस बजट में डिबेट मांगा गया है इसलिए इस पर जिज्ञासा इस बार दिखाई गयी है और उनके विभाग की तरफ से कोई तरीका ऐसा नहीं अपनाया गया है कि इस विधान सभा के माननीय सदस्य जान सके कि कितने-कितने इक्सपैरीमेंट किया और कितनी बार उन्होंने अपनी संस्तुतियां भेजी। जब माननीय सदस्यों को सूचित नहीं किया गया है तो गांवों में कितने लोगों को सूचित किया होगा । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी को इसकी सूचना नहीं दी गयी है । साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी के बारे में एक योजना थी बैलगाड़ियां खरीदकर बांटने के लिए । जिनकी रिसर्च हुई थी ।

अतः पैसा यू0पी0 एग्रो को 3 करोड़ पहले दे दिया गया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बैलगाड़ियां आईं, क्या वह बैलगाड़ियां ब्लाकों को भेजी गयी । जहां तक मेरी जानकारी है, कहीं, कोई बैलगाड़ी नहीं बांटी गयी है । चूंकि इस विभाग की कोई बैलेन्सशीट कोई आडिट रिपोर्ट इस विधान सभा में आज तक प्रस्तुत ही नहीं हुई है । इस विभाग में जो भी धन दिया गया है उसमें सब घोटाला के और कुछ भी नहीं है मेरा यह आरोप है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह अपने उत्तर में आडिट रिपोर्ट या बैलेन्सशीट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे । पिछले वर्ष 80 लाख रुपया इस संस्था को दिया गया है और मेरी जानकारी है कि उसमें से 73 लाख रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ । 80 लाख रुपये जो पिछले वर्ष इस संस्था को दिये गये थे, उसमें से 73 लाख रुपये परसनल लेजर एकाउन्ट में जमा करके सरप्लस एक्सपेंसेज में दिखाए गये हैं और जिन योजनाओं के लिये पैसा स्वीकृत हुआ था, उन पर खर्च नहीं हुआ है । यह मान्यवर, साइन्स एण्ड टैक्नोलोजी की जो कार्य शैली चल रही है, उसके बारे में मैंने बताया है । यह मान्यवर, स्थिति इसके फण्ड की है, जो माननीय मंत्रीजी ने कहा कि इससे तमाम समाज को, गांव वालों को और उद्योगों की बड़ी टैक्नोलोजी बताएंगे। अभी तक जो बताया गया है, उसे मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के समक्ष रखा है । माननीय मंत्रीजी बड़े उससे कह रहे थे प्लेनोटोरियम और साइंस म्यूजियम के बारे में ।

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है उसके विषय में थोड़ी सी, प्लेनोटोरियम पर कुल खर्च जो आपने स्वीकृत किया था, वह 10 लाख रुपये था, मैं 82-83 की बात कर रहा हूं। आज तक कहीं कोई कार्य उसके विषय में नहीं हुआ है। न यह सम्भावना है कि आगे हो जायेगा। इस 10 लाख रुपये की स्वीकृति में से 20 लाख 32 हजार, चार सौ साठ रुपया खर्च किया गया, तो यह दूसरा 10 लाख रुपया कहां से आया। कहां से खर्च किया गया। क्या यह सही नहीं है कि जो धन परियोजनाओं के लिये दिया गया था, प्रोजेक्ट रिसर्च के लिये दिया गया था, उस धन को इस खर्च कर लिया गया। और यह परियोजना ज्यों की त्यों छोड़ दी गयी। उस 20 लाख रुपये को यू0 पी0 राजकीय निर्माण निगम को दे दिया, जबकि भूमि मिली ही नहीं थी, तो भवन निर्माण

के लिये इस 20 लाख रुपये को देने का क्या औचित्य था । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सदन में इसको स्पष्ट करें। इसी तरह से मान्यवर, साइन्स एण्ड टैक्नालाजी म्यूजियम की बात कही। इस पर भी लगभग 50 हजार रुपये 82-83 के बीच में स्वीकृत हुए थे । उसमें से 26 लाख रुपया खर्च कर दिया गया । उस 26 लाख रुपये में से लगभग सवा लाख रुपया नेशनल म्यूजियम आफ साइन्स, कलकत्ता को दिया गया और लगभग 14 लाख रुपया एल0 डी0 ए0 को दिया गया जमीन के लिये । एल0 डी0 ए0 जमीन नहीं दे पाया है, लेकिन पैसा पहले ही हैण्ड ओवर कर दिया गया । मैं पूछना चाहूंगा कि यह धन का दुरुपयोग है या सदुपयोग, माननीय मंत्री जी, स्वयं सदन में बताने की कृपा करें। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। समय ज्यादा लग जायगा। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि साइन्स एण्ड टैक्नालाजी काउन्सिल में कोई हिसाब किताब नहीं है। किसी भी परियोजना का हिसाब नहीं माननीय मंत्रीजी की जहां इच्छा हो, जहां अधिकारी प्रसन्न हों, वहां पैसा खर्च कर दिया गया है।

इसी प्रकार मेरी निश्चित जानकारी है कि इसमें जो 600-700 रुपया अनुदान देने की बात कही गयी है, बच्चों को शोध के लिये देने की, तो उनको 2-2 साल तक पैसा नहीं मिला, कोई भुगतान नहीं हुआ और उनमें से कई शोध कार्य छोड़ कर चले गये। मैं आपसे यही कहूंगा माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से कि इस संस्था द्वारा कितने शोध कार्य, किन किन एजेंसियों को पिछले पांच सालों में दिये गये इसको देखने की कृपा करें। उसमें भी बहुत बड़ा घपला इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो मान्यवर, इस विभाग के 6 में से एक विभाग की यह स्थिति है। मान्यवर, इसमें एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। पर्सनल लेजर एकाउन्ट में सरप्लस मनी है। इस साल 80 लाख रु0 स्वीकृत कर रहे हैं, जबकि पिछले साल का 73 लाख है।

इसलिये जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है इस प्वाइंट पर, वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है।

वैकल्पिक ऊर्जा की बात कही है, बहुत अच्छी चीज है। इसका प्रचार अपने उत्तर प्रदेश से कहीं अधिक अन्य प्रदेशों में है। कुछ चीजें बहुत ज्यादा पापुलर हो चुकी हैं जिनको काफी लोग पसंद करने लग गये हैं लेकिन उस पर अभी आवश्यकता है आपको इस सरकार की तरफ से उनको ज्यादा सुविधा देने की, सबसिडियां देने की, ताकि लोग उनका उपयोग करना शुरू करें। वैकल्पिक ऊर्जा पर्यावरण से इसलिये जुड़ जाती है, क्योंकि ऊर्जा के अन्य स्त्रोत हैं, उन स्त्रोतों से पर्यावरण पर उलटा प्रभाव पड़ रहा है। इकालोजी डिसबेलेंसिंग हो रही है। आप देखें थर्मल पावर से आपका वायु प्रदूषण होता है। वैकल्पिक ऊर्जा इसलिये भी जुड़ जाती है। वैकल्पिक ऊर्जा में अच्छे स्त्रोत निकाल लें, ऐसे स्त्रोतों को कम किया जा सकता है, जिससे परिस्थिति पर प्रदूषित असर पड़ रहा है।

लेकन, इसमें प्रदेश में जो काम हो रहा है, वह बहुत कम है। जो धन आप अपने विभागों को दे रहे हैं और जहां उनकी बंगलिंग दी जा रही है, उससे तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसमें ज्यादा धन देकर, इसको ज्यादा उपयोगी बनाने का कष्ट

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह]-

करें। इससे निश्चित तौर से प्रदेश का लाभ है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस दिशा में जितना काम होना चाहिए, उतना काम नहीं हुआ है। आपके विभाग की तरफ से जो पुस्तिका मिली है वैकल्पिक ऊर्जा की उसमें किसी भी पन्ने को उल्टा जाय, कहां एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है, लखनऊ के किनारे स्थित मोहनलालगंज में या सुल्तानपुर जगदीशपुर में। यदि प्रदेश को यहीं तक सीमित कर दिया है, तो कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपमें इसके प्रति अच्छी भावना है, तो आप प्रदेश के सुदूर गांवों में जायं, जहां आप बिजली नहीं पहुंचा पाये हैं, वहां वैकल्पिक उर्जा का प्रयोग किया जाय, जहां आपको बिजली के खंभे लगवाने में, वहां तक बिजली के लाइन ले जाने में, बहुत ज्यादा खर्च आता है। कर्नाटक में मेढक में किया गया है। मेढक में ऐसे गांवों को चुना गया है जहां बिजली के खम्भों को लगवाने में वहां तक बिजली की लाइन ले जाने में, ज्यादा खर्च बैठ रहा था। वहां उन्होंने वैकल्पिक उर्जा के माध्यम से बिजली दी है। आप ऐसे ही सुदूर गांवों को चुनिये। लेकिन, आप चुन कहां रहे हैं जगदीशपुर में या मोहनलालगंज में, जहां से 11 के0 वी0 की सारी लाइनें जा रही हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, 5 मिनट और लूंगा। रिमोट सेंसिंग की बात कही गयी। बहुत अच्छा काम है। खारे पानी की जगह मीठे पानी का स्त्रोत निकाला है। बुंदेलखण्ड में सिंचाई के लिये पानी का स्टेटा मालूम किया है। रिमोट सेंसिंग से कही ज्यादा काम आप कृषि के क्षेत्र में रोगों की जानकारी के लिये कर सकते हैं। आपकी पुस्तिका में पढ़ रहा था जिसमें फर्रुखाबाद में आलू पर प्लाइड रोग की चर्चा की गयी है। पूरे प्रदेश में धान पर प्लाइड रोग आता है, इसी प्रकार उसकी भी जांच करा सकते हैं कि कितना प्लाइड लग रहा है, कितना पैच इफेकटेड है, वहां तुरन्त आप सुविधा पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार और भी शोध करने की जरूरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाइलेरिया का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ, जिससे बहुत मात्रा में गन्ना खराब हो गया। रिमोट सेंसिंग द्वारा इस दिशा में कार्य किया जा सकता है। अगर कर सकते हैं और पाइरिला का अटैक प्रारम्भ में ही होने पर उसकी जानकारी प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी उस पर नियंत्रण करें ताकि बहुत बड़ा धन जो सरकार का खर्च होता है, जनता का खर्च होता है, वह बच सके। आप इसे केवल लिमिटेड क्षेत्र में न रखकर इसका विस्तारीकरण करें ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। आज अमेरिका में स्टैलाइट पिक्चर और रिमाट सेंसिंग से कई रोगों का पता लगाया जा रहा है।

मान्यवर, मैं फाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। यह बोर्ड तो आपका जल निगम का चारागाह बना हुआ है। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं वह यह कि चाहे आपका यह पाल्युशन कन्ट्रोल एक्ट हो, वाटरक्ट, 1978 हो और चाहे एअर एक्ट, 1980 हो, जब तक इसे कड़ा नहीं किया जायेगा

तब तक यह प्रभावी नहीं हो सकता है। पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड स्वयं मिल मालिकों को आदेशित कर सके कि वह मिल बन्द करे।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। समाचारपत्र "दैनिक जागरण" 24 जुलाई, 1984 का है, जिसमें लिखा गया है कि 1974 से कानपुर के एक टैनरी पर मुकदमा चल रहा है और आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। वह भी मुकदमा लड़ रहा है और आप भी मुकदमा लड़ रहे हैं। वह चकमा आपको दिये जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पेशल कोर्ट बनाने के बात पूर्व में कह दी है लेकिन स्पेशल कोर्ट तभी बनेगा जब तक आप अपने एक्ट में संशोधन करने के लिए यहां से प्रस्ताव पास करके दिल्ली से मांग नहीं करेंगे तब तक एक्ट को कड़ा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि पाल्यूशन बोर्ड का सही काम चले, मंत्री जी इसे आप जल निगम का चारागार न बनने दें। जल निगम से ही डेपुटेशन पर जाने वाली बात है। क्या कोई इसमें विशेष चीज है। क्या पार्यावरण का संबंध सड़क बनाने वाले इन्जीनियरों से है, क्या प्रदूषण का संबंध डैम बनाने वाले इन्जीनियरों से है। मान्यवर, आज डैम बनाने के लिए भी बोटेनिकल साइन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पर्यावरण को बैलेन्स किया जा सके।

मान्यवर, मिसाल के तौर पर ब्राजील और प्रैग क्षेत्र में थाका प्रोजेक्ट जो 12 हजार 600 मेगावाट का बनाया जा रहा है, पर भी बोटेनिकल साइन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है परन्तु हमारे यहां बोटेनिकल साइन्स और एग्रीक्लचरल साइन्स की जगह पर सिविल इन्जीनियर का उपयोग किया जा रहा है।

मान्यवर, पर्यावरण विषयक के बारे में अपनी बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो और जल प्रदूषण हो, वह भी अपने प्रदेश में बहुत बढ़ चुका है। इसमें हम किसी से पीछे नहीं है। यहां कलकत्ता के वायु प्रदूषण से कम हैं, सही है, हम घुघली के जल प्रदूषण से कम है। क्या हम घुघली से इतने कम हैं कि कानपुर को उससे जोड़ नहीं सकते? गंगा एथोरिटी, जो भारत सरकार की है, आपने बनाई है। जहां भारत सरकार ने एक गंगा को लिया है तो क्या आप गोमती नदी को नहीं ले सकते हैं? गोमती नदी सबसे अधिक आबादी वाले गांवों से घिरा हुआ है। जमुना को आप शुद्ध करना नहीं चाहते हैं। अगर एक गंगा को भारत सरकार ने ले लिया है तो बाकी नदियों पर आप अपना प्रोजेक्ट प्रारम्भ करें, उनको शुद्ध करने का प्रयास करें, इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अगर जल निगम के माध्यम से शुद्ध करा लोंगे तो यह कतई सम्भव नहीं है। पिछले वर्ष इसी सदन की आश्वासन समिति आगरा गई थी, जल प्रदूषण को देखने। एक आश्वासन पेंडिंग था, आज भी है, आगरा जाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस कमेटी में जाने का। उस आश्वासन समिति की रिपोर्ट को उठा कर देख लें, इनका जल निगम कितनी तत्परता के साथ काम कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया । अभी माननीय विपक्षी सदस्य जब बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ी तारीफ की इस कदम की जो कांग्रेस शासन ने इस ओर उठाया । उन्होंने इसके महत्व के बारे में भी बताया । यह भी बताया कि आज की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है . .

एक सदस्य–

आप भी तो कुछ कहें ।

एक सदस्य–

वही कहेंगे जो हम कह रहे थे ।

(हंसी)

श्री नरेन्द्र देव–

आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान और तकनीक के बारे में हम आम जनता को बता सकें । इसकी आलोचना वही लोग करते हैं जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते । हम आज कटौती के विरोध में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । अगर यह पुस्तिका ही माननीय सदस्य देखें तो इन्हें यह समझ में आयेगा कि आज वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में हम कितनी प्रगति कर चुके हैं । जो प्रगति हमने पिछले वर्ष की है, जो उपलब्धियां पिछले वर्ष मिली हैं, निश्चित रूप से वह श्लाघनीय हैं । मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण जीवन में विज्ञान और तकनीक के नये-नये प्रयोगों को दे कर ग्रामीण जीवन को सुधारना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे प्रोटो-टाइप बैलगाड़ियां, प्रोटो-टाइप आवासों का विकास है और यह रिसर्च और सीवेज ट्रीटमेंट है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको गांव की छोटी-छोटी बस्तियों और नगरों की ओर ले जाना होगा। छोटे-बड़े शहरों में गंदा पानी जो बहता है, उसके प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में बहुत सी चर्चा उधर के भी माननीय सदस्य और सत्ता पक्ष के भी, कर चुके हैं । आज उन्होंने कहा कि गंगा प्रदूषण के बारे में बहुत ज्यादा चिन्तित नहीं होना चाहिए जितना दूसरी नदियों के बारे में । मैं कहना चाहता हूं कि अगर गंगा प्रदूषण हो चाहे यमुना प्रदूषण, अगर उनके बारे में चिन्तित हुई है तो कांग्रेस शासन चिन्तित हुई है और कांग्रेस के लोगों ने ही कदम उठाया है । दूसरे किसी दल के शासन ने इस पर जरूरत नहीं समझी । आज जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी आलोचना की जाय और उस संबंध में विभिन्न तर्क दिये जाते हैं । हम कहना चाहेंगे कि इसमें उत्तेजित होने कि बात नहीं है । आपको सोचना होगा कि यह परम्परा कब तक चलती रहेगी कि हम आवश्यक आवश्यकताओं पर भी अगर बहस करने के लिए खड़े हों तो उसका भी विरोध किया जाय । आज इस बजट में जो अभी हमारे मा0 मंत्री जी ने रखा, हम सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बधाई मिर्जापुर के लोगों की ओर से देना चाहते हैं क्योंकि हमारा जिला उन 5 जिलों में से एक है जहां विज्ञान क्लब स्थापित किये जाने हैं और हम उनको बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ और भी उपलब्धियों के लिये, जिसके अन्तर्गत यहां पर प्लानीटोरियम तथा तकनीकी संग्रहालय की स्थापना की जा रही है । हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे जिले में ''विण्ड मिल्स'' की बहुत अधिक आवश्यकता है । ''विण्ड मिल्स'' को सिंचाई के साधन के लिये और जैसा कि

हमारे विपक्षी सदस्य ने कहा, जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती वहां पर बिजली देने के लिये इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होना चाहिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो सके। हम दूसरी बात कहना चाहेंगे सौर ऊर्जा (सोलर इनर्जी) के सम्बन्ध में। हमारे शासन ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि धीरे-धीरे इसका जनता के बीच में प्रचार-प्रसार करना चाहिये जैसे सौर ऊर्जा से संचालित चूल्हों की बात है, उनका प्रदर्शन हर जनपद के मुख्यालय पर करना चाहिये जिससे लोग परिचित हो सकें और उसका प्रयोग कर सकें।

अन्त में प्रदूषण के बारे में कहना चाहूंगा। अभी प्रदूषण के बारे में मा0 विपक्षी सदस्य ने सुझाव दिया, हम चाहेंगे कि यदि किसी कारखाने के प्रदूषण से कुछ लोग बीमार पड़ते हैं या उनको कोई घातक बीमारी होती है तो हमारा शासन इस बात के लिये आश्वस्त करे कि पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड या ऐसी कोई संस्था उसे कानूनी सहायता देकर उस फैक्टरी मालिक से उस बीमारी का मुआवजा दिलायेगी। जिस दिन यह कदम उत्तर प्रदेश शासन उठाएगा उस दिन से फैक्टरी मालिक अपने कारखाने से होने वाले प्रदूषण को रोकेंगे। अन्त में मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अशोक बाजपेयी –

भाई दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। साथ ही मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि जिन बिन्दुओं पर चर्चा हुई है, स्वस्थ सुझावों की दृष्टि से उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

आज जल प्रदूषण की चर्चा हो रही है। केन्द्र सरकार गंगा के जल प्रदूषण की योजना कार्यान्वित करने जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन से कहूंगा कि राजधानी लखनऊ में जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती चली जा रही है। हमारी सरकार इस विषय पर गम्भीरता से विचार क्यों नहीं कर रही है? लखनऊ नगर, जो गोमती नदी के किनारे बसा है, गोमती का जल प्रदूषित होता चला जा रहा है। पूरे नगर की जल आपूर्ति गोमती के जल से ही होती है। इस प्रदूषित जल से अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

आज लखनऊ शहर में जितनी बीमारियां होती हैं इतनी शायद अन्य किसी नगर में नहीं होती हैं। यहां पर कैन्सर के संबंध में जो रिपोर्ट आयी है कि यह बीमारी लखनऊ और गाजियाबाद में ज्यादा पायी जाती है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लखनऊ शहर में एक डिस्टलरी स्थापित है बहुत वर्षों से उसमें चीजों को सड़ाकर शराब बनाते हैं। शीरा और ज्वार सड़ा कर शराब बनायी जाती है और भी गन्दगी को पैदा करती है जिससे कि सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। कई बार शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया, सदन में भी इस संबंध में प्रश्न उठाया गया, एक परिवार है यहां पर मोहन मेकिन के नाम से वही परिवार इस डिस्टलरी को, कारखाने को चला रहा है, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि सरकार पर उसकी पैठ मजबूत है। इन सारी चीजों के खिलाफ 1983 में इस कारखाने के विरुद्ध चिन्ता व्यक्त की गयी थी तब यह कारखाना बन्द कर दिया गया था। पता नहीं फिर किन मजबूरियों में आ कर सरकार ने इसे चला

[श्री अशोक बाजपेयी]–

दिया । लखनऊ नगर के प्रदूषण के लिए केवल यही एक उद्योगपति जिम्मेदार है। मेरा सरकार से निवेदन है कि एक उद्योगपति जो कि लाखों लोगों के जीवन की सुरक्षा को तबाह किए हुए है उसके खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठाये जांय जिससे कि लखनऊ शहर प्रदूषण से बच सके, इस कारखाने को शहर के बीच में नहीं चलने देना चाहिए ।

मान्यवर, कारखानों की चिमनियों पर सयंत्र लगाया जाता है जिसके जरिये से धुआं वातावरण से काफी ऊपर चला जाता है परन्तु मोहन मेकिन ने अपने यहां चिमनियों पर वह संयत्र भी नहीं लगाया हुआ है । उनको इस संबंध में कड़े आदेश दिये जाने चाहिए कि वे अपने यहां चिमनी पर उस संयंत्र का प्रयोग अविलम्ब करें और लखनऊ शहर से इस कारखाने को हटाया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार से गाजियाबाद में भी हिन्डन नदी के पानी से जल प्रदूषित हो रहा है। वहां भी लोगों की सरकार में गहरी पैठ है जिसके कारण वहां के कारखानों पर कोई रोक नहीं लगायी जा सकी और दूषित पर्यावरण से लोगों की सुरक्षा नहीं की जा सकी । मैं सरकार से पुरजोर सिफारिश करता हूं कि लखनऊ नगर से यदि मोहन मेकिन अपने कारखाने से प्रदूषण को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय। इन नदियों की सारी मछलियां मर गयी हैं।

इसी तरह से प्रदेश का एक पवित्र तीर्थ स्थान है गोला गोकरन नाथ जो कि लखीमपुर जिले में स्थिति है। वहां सैकड़ों की तादाद में तीर्थ यात्री रोज आते हैं और वहां पर स्थिति कुण्ड में स्नान करते हैं जिससे कि उस कुण्ड का पानी दूषित हो गया है और सड़ांध पैदा हो गयी है। गोला गोकरन नाथ के उस पवित्र कुण्ड के सफाई की व्यवस्था की जाय, उसकी मरम्मत की जाय और वहां की पवित्रता को कायम रखा जाय तथा नगर के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण पर पूरा ध्यान दिया जाय ।

इसी तरह से सीतापुर में नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थान है वहां भी प्रदूषण की समस्या है जो कि लखनऊ नगर के पास ही है। वहां के पानी के कुण्ड में सफाई की आवश्यकता है ताकि वहां का पर्यावरण सुधारा जा सके और प्रदूषण को रोकने के लिए उचित कदम उठाये जा सकें। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री हीरा सिंह विष्ट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे प्रस्ताव के पक्ष में कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, वर्तमान हालात में अन्य सभी विभागों की अपेक्षा विज्ञान और पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब इस पर विचार हो रहा है जो कि भारत का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व का यह अहम सवाल है पर्यावरण जिसका संबंध पानी, जमीन, खनिज, उपज और उद्योग धन्धों सभी से है और यह कृषि से भी संबंधित है। आज विकसित देशों में तुलनात्मक रूप में पर्यावरण का पलड़ा भारी पड़ रहा है। चूंकि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग और दुरुपयोग तेजी से होता जा रहा है । इसका कारण बढ़ती हुयी जनसंख्या है । इसके लिये एक विशेष अधिनियम प्रदेश में बनाना होगा जो कि बढ़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को नियंत्रण कर सके और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सके। मान्यवर,

मैं आपके ज्ञान में कुछ तथ्य देहरादून के संबंध में लाना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे यहां पर प्राकृतिक खादानों के कारण और चूने की खादानों के कारण, यहां की प्रकृति का दोहन किया जा रहा है । सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय देकर वहां के मानव जीवन को व प्राकृतिक-सौन्दर्य को सुरक्षा प्रदान किया है । वहां पर उपलब्ध पानी के स्रोत सूख गये थे, प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हो रहा था तो उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान की । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो खाने अभी खुदनी शेष हैं, उनका नवीनीकरण न किया जाये, क्योंकि इस संबंध में देहरादून में एक मास्टर प्लान प्रस्तावित था, उसी पर पुनर्विचार हेतु भारत सरकार के पर्यावरण विभाग ने देहरादून की प्राकृतिक सौन्दर्य की सुरक्षा के लिये और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक समिति गठित की थी, जिसका नाम एक्पर्ट वर्किंग ग्रुप था। इसका गठन 13 जनवरी, 1983 को किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट उ0 प्र0 शासन को अक्तुबर, 1984 में "दि रिव्यु आफ देहरादून मास्टर प्लान" नाम से दी थी लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस समिति की एक भी संस्तुति उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं मानी।

इस समिति ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देहरादून बहुत ही सेंस्टिव एरिया है और उसकी रक्षा के लिए कृषि भूमि की रक्षा के लिये उद्योगों को नियंत्रित करने के लिये तथा प्राकृतिक सम्पदा को संरक्षण देने के लिये जो सुझाव उस समिति ने दिये थे, उनको हमारी सरकार ने नहीं माना है और न उनको लागू ही किया है । समिति ने यह कहा था कि जो कृषि भूमि अथवा एरिया उपजाऊ हैं, उनका प्रयोग किसी दूसरे काम में न लाया जाये । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां की कृषि भूमि पर गन्ना उत्पन्न होता है और देहरादून का बासमती चावल वहीं पर होता है । सीवरेज का जो पानी जाता है, उसके कारण वहां पर सब्जी बहुत अधिक उत्पन्न होती है, लेकिन उसको मास्टर प्लान में आबादी में परिवर्तित कर दिया गया है, मास्टर प्लान में उस समिति ने यह भी संस्तुति की थी कि शहरी सीमा पर सहस्त्र धारा रोड पर उद्योग न लगाये जायें । यहां का जो टाउन एन्ड प्लानिंग विभाग है, उसने इसके विपरीत निर्णय लिया है संस्तुति में सहस्त्र धारा रोड पर उद्योग न लगाये जायें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण केन्द्र को जाती है लेकिन हमारी सरकार ने वहां पर उद्योग लगाने की अनुमति दे दी है । मान्यवर, ए0 आर0सी0 सीमेंट और आदित्य केमिकल्स फैक्टरी को उस समिति ने तत्काल बन्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका विनियमन कर दिया है । मान्यवर, जितनी संस्तुतियां उस समिति ने की थीं उनको हमारी सरकार ने नहीं माना और प्राकृतिक सौन्दर्य विनाश व पर्यावरण दूषित करने का यह षड्यन्त्र रचा गया है ।

मान्यवर, 1972 के सेंसस के आधार पर मास्टर प्लान बनाया गया, उसको उसी आधार पर उसे मई 1985 में लागू किया गया, जनहित विरोधी होने से जिससे वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। सामाजिक वानिकी के बारे में भी उप-समिति ने उत्तरी क्षेत्र सुरक्षित रखने हेतु शहरी क्षेत्र में पेड़, बाग व वहां पर जो लीची के बाग

[श्री हीरा सिंह बिष्ट]

है उनको न काटा जाये, सरकार को निर्देश दिये थे, परन्तु हमारी सरकार ने उनका उल्लंघन किया और प्रतिबन्ध नहीं लगाया है और उस क्षेत्र को इसके विपरीत उद्योगों और आबादी के लिये सुरक्षित कर दिया है। उस समिति की सभी सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में हमारी सरकार ने डाल दिया है, जिससे वहां के सौन्दर्य का तथा उपजाऊ कृषि भूमि का विनाश हो रहा है और वहां का वातावरण दूषित हो रहा है।

अतएव आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मास्टर प्लान को रोक कर इसका फिर से सर्वे कराया जाये। मान्यवर, मैं इस बात के लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि 45 लाख रुपया पर्यावरण के लिये स्वीकार किया गया है, जिसमें से 15 लाख रुपया पर्वतीय अन्चल को दे दिया गया है। पवित्र नदी गंगा के जल में जो गन्दगी है, उसको दूर करने के लिये जो गंगा विकास प्राधिकरण बनाया गया है, प्रदूषण को ठीक करने के लिये, उसका मैं स्वागत करता हूं। इससे हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता की भावना की सुरक्षा होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुसार शासन का यह दायित्व है कि वह पर्यावरण और प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करे और एक नागरिक होने के नाते हमारा यह मौलिक कर्तव्य है कि हम इसके बारे में जागरूक रहें। माननीय सदस्य हीरा सिंह जी ने जौनपुर की एक महायोजना के संबंध में जो मांग रखी है, मैं समझता हूं कि वह उचित है...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने देहरादून के लिये कहा है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माफी चाहता हूं, कहने में और सुनने में गलती हो गई होगी। सम्मानित सदस्य ने देहरादून की जिस महायोजना के बारे में कहा है, उसे तत्काल निरस्त कर देना चाहिए। मैं उससे इत्तफाक करता हूं। मान्यवर, आज हमारे सामने यह प्रश्न आ गया है कि हम अपने पर्वतों और नदियों को बचा सकें। अगर पहाड़ और नदी नहीं बचाये जायेंगे तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिये, सारे देश का जो विकास है वह अवरुद्ध हो जायेगा। विकास ही अवरुद्ध नहीं होगा बल्कि यहां तक कि यहां की जो प्राकृतिक संरचना है वह नष्ट हो जायेगी।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान जल प्रदूषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जल प्रदूषण के बारे में आप इस समय जल का परीक्षण करा लें। बनारस में, कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में कहीं पर करा लें। जो मानक उत्तर प्रदेश के जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिये हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। वाराणसी में और कानपुर में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे पदार्थ मिल रहे हैं जो कैंसर को साफ तौर पर बढ़ावा देते हैं जो कि अपने आप में जहर है और पूरी की पूरी आने वाली पीढ़ी के लिये अभिशाप है। कानपुर में आप समझ लीजिये 1-12-81 को एक सर्वेक्षण हुआ है और उसकी जो रिपोर्ट है वह दहला देने वाली है। कानपुर की जो अपर स्ट्रीम है उसके लेड से कैंसर होता है और हड्डियों को खोखला कर देता है वह पार्ट्स पर विलियन तथा डाउन स्ट्रीम में 40 पार्ट्स पर विलियन है। इसी हिसाब से 2-1-84 को जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार अपर स्ट्रीम में यह लेड 800 पार्ट्स पर विलियन तथा डाउन स्ट्रीम में 900 पार्ट्स पर विलियन चला गया है। इसी हिसाब से सलफर अपर स्ट्रीम में 10 और डाउन स्ट्रीम में 20 है। मैंगजीन डाउन स्ट्रीम में 320 और कैडमियम डाउन स्ट्रीम में 100 है। तो मान्यवर, यह सब दहला देने वाले आंकड़े हैं। इसका प्रभाव वहां-वहां पड़ेगा जहां-जहां वह बहती है। इस तरह से कानपुर की इसकी तलछटी में पूरी की पूरी पीढ़ी को बरबाद करने वाले पदार्थ पाये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सी0 ओ0 डी0 और बी0 ओ0 डी0 के जो मानक तय किये हैं, उसके मेरे पास आंकड़े हैं। उनके अनुसार बनारस में अस्सी नाला में बी0ओ0डी0 400 और सी0ओ0डी0 600, शिवाला घाट में बी0 ओ0 डी0 300 और सी0ओ0डी0 500, हरिश्चन्द्र घाट में बी0ओ0डी0 300, सी0 ओ0 डी0 500 है। इसी तरह से राजघाट में जो कि एक शाही नाला है वहां पर बी0 ओ0 डी0 900 तथा सी0ओ0डी0 1500 है। मान्यवर, बनारस एक काशी नगरी कही जाती है जहां लोगों को स्वर्ग मिलता है और गंगा अमृत वाहिनी है वह आज सीवर वाहिनी हो गई है। ऐसे-ऐसे पदार्थ हैं जिनकी वजह से साफ जल मिल नहीं सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि 70 सैकड़ा कानपुर में और 70 सैकड़ा बनारस में जो जल प्रदूषण हो रहा है वह केवल म्यूनिसिपल बोर्डों के सीवर बहिश्राव से हो रहा है उसमें कि सरकार के नियंत्रण में है। बड़े-बड़े उद्योगों से जो जल प्रदूषण हो रहा है उसमें तो प्रदूषण बोर्ड लड़ाई लड़ सकता है लेकिन नगरपालिकायें जो सरकार के नियंत्रण में हैं उनको रोकने का काम सरकार का है और जो नगर पालिकाओं के प्रशासक हैं उन पर मुकदमा ठोका जाय। जो लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद आदि के प्रशासक और कर्मचारी हैं वह अपने पदों से विमुक्त हो रहे हैं।

हमारे प्रदेश में दो कानून बने हैं एक तो वायु प्रदूषण और दूसरा जल प्रदूषण। दो मिनट का समय और दे दें और लाल बत्ती बन्द कर दें। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपने वायु प्रदूषण को नहीं रोका तो पूरे के पूरे पहाड़ खत्म हो जायेंगे। अगर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो पूरी की पूरी जलवायु खतम हो जायेगी। बद्रीनाथ, देव प्रयाग आदि से लेकर 10 हजार तक की जो पूरी शिवालिक पहाड़ियां हैं वे नंगी कर दी गयी हैं। तीन चार साल के अंदर सारे पहाड़ों में अंदर भयंकर स्थिति हो जायेगी। आप जल्द से जल्द वहां पेड़ लगाने के काम कीजिये वरना सारा का सारा शिवालिक रेंज देहरादून तक बरबाद हो जायेगा। आज गर्मियों में मंसूरी में इसी कारण से पंखा चलाना पड़ रहा है जब कि मई, जून और जुलाई में देहरादून तक में पंखा नहीं चलाना पड़ता है।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं। आप प्रदूषण रोकने की बात कर रहे हैं। नरोरा में जो आटोमिक पावर स्टेशन लगा रहे हैं उससे भी जबरदस्त प्रदूषण आने वाले समय में होगा जिसका आपके पास कोई इलाज नहीं होगा। दो तीन उदाहरण मैं और देना चाहता हूं । बनारस जनपद में प्रदूषण को रोकने के लिए 65 लाख रुपये की योजना बनाई गयी है। वहां पर अस्सी नाले को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस योजना में अस्सी नाले में एक प्लेटफार्म बनेगा ताकि रामनगर से गंगा सीधे बहकर जो आयेगी वह असीघाट पर बने प्लेटफार्म पर चली आये। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस 15 दिन की वर्षा में 65 लाख रु0 की योजना का लाखों रुपये का सामान गंगा में बह गया है और योजना वहीं की वहीं रह गयी है। यह योजना वर्षात से पहले पूरी हो जानी चाहिये थी लेकिन वर्षात में काम शुरू किया गया। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की योजनाओं को समय से अंदर पूरा कर दिया जाय वर्ना इनका कोई महत्व नहीं रह जायेगा। मैं निवेदन करूंगा कि गंगा के उस पार पर्यटक स्थल विकसित करें तभी आपका प्रदूषण रोकने का काम चल सकता है।

एक और बुरा काम इस प्रदेश में हो रहा है केन्द्र सरकार के जरिये एक योजना कलकत्ता से लेकर इलाहाबाद तक चलाई जा रही है कि गंगा में आवागमन के लिए स्ट्रीमर चलाये जायेंगे। मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। अगर जल परिवहन को विकसित करना है और सड़कों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है तो परम्परागत नावों का प्रयोग करिये जो श्रम शक्ति से चलते हैं। अगर गंगा में स्ट्रीमर चलायेंगे तो गंगाजल जिसे आप पीते हैं और नहाते हैं वह पीने और नहाने लायक नहीं रह जायेगा और जो गंगा जल से आचमन करते हैं वह भी नहीं कर पायेंगे। इसलिए जरूरी है कि केन्द्र सरकार को इस संबंध में प्रदेश सरकार कड़ा विरोध पत्र लिखे और गंगा में स्ट्रीमर के बदले नाव चलायें।

श्री रजनी कान्त–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र से संबंधित है इसलिये मैं कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

बैठ जायं, यह प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। बैठ जायं।

*श्री किशन सिंह तड़ागी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए समय दिया। मान्यवर, साइंस और टेक्नोलोजी एवं इससे संबंधित अनुसंधान का विषय इस समय सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे सारी दुनिया ने तरक्की किया है। आज मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि आपने नैनीताल आब्जरवेटरी में साधन जुटाने का जो काम किया है वह सराहनीय है। यह आब्जरवेटरी एशिया की मानी हुई आब्जरवेटरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। यह उन लोगों के लिए है जो साइंस नहीं पढ़ सकते हैं वह वहां जाकर तारों और सेटलाइट के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साइन्टिस्ट आब्जरवेटरी में लगे रहते हैं और उनका सम्पर्क इस समय अमेरिका की अच्छी आब्जरवेटरी से है जिससे कि वहां के विषय में और यहां के स्टार्स के मूवमेंट के बारे में ज्ञान रखते हैं। मान्यवर, आब्जरवेटरी में जो इस समय 2.34 मीटर की दूरबीन लगाने की कोशिश किया है, मैं चाहूंगा कि कम से कम 4 मीटर की दूरबीन लग जाये तो अच्छा होगा जिससे स्टार्स अच्छी तरह से दिखाई दें। यह भी कहा जाता है कि जो हमारा चन्द्रमा है, एक-दो सूर्य हैं, जो आज तक पता नहीं था। रात में आब्जरवेटरी के साइंटिस्ट बताते हैं कि वहां सूर्य हैं। इस प्रकार इससे प्रैक्टिल ज्ञान लोगों का बढ़ सकता है।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि साइंस क्लब पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में खोलेंगे जिससे उन लोगों को सहायता मिलेगी जो वहां पढ़ना चाहते हैं। जो मैगजींस वहां होंगी उनसे दुनिया का ज्ञान मालूम हो सकता है। प्लेनोटोरियम जो लखनऊ में खोला जा रहा है वह बड़े बड़े शहरों जैसे बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में अभी तक थे लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला जा रहा है जिससे लोगों को ज्ञान बढ़ाने का मौका मिलेगा और हमारे बच्चे उससे फायदा उठायेंगे।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान अपने नैनीताल क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां जो झील है, वह पीने के पानी का एक मात्र स्त्रोत है, जहां प्रदूषण होता जा रहा है, छोटे बड़े गंदे नाले उस नैनी झील में आ रहे हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रदूषण को रोकने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि नैनी झील में सिल्ट जमा हो रही है जिससे झील का पानी का स्तर घटता जा रहा है, और यदि यही स्थिति रही तो वहां जो 40 हजार आबादी है और जो वहां लाख-सवा लाख पर्यटक आते रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर इस प्रदूषण का बुरा असर पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि इस नैनी झील के बारे में मंत्री जी सोचें और वहां जो प्रदूषण एवं सिल्ट झील में पड़ा है उसको हटाने का प्रबंध करें।

साथ ही साथ, मैं आपका ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसका जिक्र उधर से अभी हमारे एक मित्र ने किया है और वह वास्तव में सही कह रहे थे कि पहाड़ों में पेड़ों का अन्धाधुन्ध कटान हो रहा है। उसकी वजह से केवल पहाड़ों को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि मैदानी क्षेत्र में भी उसका भारी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी पहाड़ों के पेड़ों का असर पड़ता है, क्योंकि हर नदी वहां से बहती हुई आती है, जिससे सिंचाई हेतु और पीने का पानी मिलता है। अगर पेड़ों का कटान ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर पहाड़ कट जाएंगे और नीचे आने वाले पानी का रास्ता रुक जाएगा और वहां पानी भी कम बरसेगा। मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि पहाड़ रुक सकें और लोगों को पानी मिल सके। इसके साथ मैं मंत्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, जो आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभारी हूं और मंत्री जी ने जो एक महत्वपूर्ण बजट विज्ञान और तकनीक पर पेश किया है, यह उसी तरह से किया है, जिस तरह से क्रिकेट मैच में एक दर्शक वर्नाक्युलर से गावस्कर को बैटिंग करते हुए देख रहा था तो उसको यह आभास हुआ कि गावस्कर उसके पास आ गया है तो उसने उसको कहा 'हलो गावस्कर'। तो आसपास के लोग यह सुनकर चकित हो गये कि यह किसको हलो कर रहा है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में मंत्री जी ने जो आंकड़े पेश किये हैं, उसमें उन्होंने मनगढ़न्त तरक्की की बात कही है। यह एक मिथ्या है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो आब्जरवेटरी की बात कही है, उसमें आपने कहा है कि रिसर्च सेन्टर्स खोल दिए गये हैं और यहां पर टेलिस्कोप के माध्यम से वायु-मंडल और अन्तरिक्ष के बारे में बड़े-बड़े अध्ययन किये जा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह आपकी विफलता है कि वहां पर चार मीटर की जो दूरबीन लगाने की बात थी, उसको अब खतम कर दिया गया है। चार मीटर की दूरबीन लगाने के कार्य में न जाने कितने पैसे का दुरुपयोग किया गया है, और जब यहां के वैज्ञानिक 4 मीटर की टेलिस्कोप लगाने में सफलता नहीं पा सके, तो यह छोटी दूरबीन 2.34 मीटर की लगाने का निर्णय लिया गया है। यह उसी तरह की बात है, जैसे बड़ा पुल बनाने में जब इंजीनियर लोग खम्भे नहीं स्थापित कर पाते हैं, तो उसे छोड़ देते हैं और दूसरा स्थान लेते हैं। उसके बाद साइंस क्लब की बात कही गई है, किन्तु उसमें भी कुछ होना नहीं है। इलाहाबाद के अन्दर आपको मालूम होना चाहिए कि दो साल बाद वहां पर विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह होने जा रहा है। वहां पर विज्ञान टेक्नोलाजी के लिए बी0 टेक0 और एम0 टेक0 खोले गये हैं। लेकिन उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी गई है। दूसरे इन रिसर्च सेन्टरों को और उनमें काम करने वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है।

मंत्री जी ने जो प्लेनोटोरियम की बात कही है, प्लेनोटोरियम के संबंध में जो मैंने एक सवाल किया था कि क्या इलाहाबाद में यह खोला गया है तो मंत्री जी ने कहा था कि वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री जी का यह जवाब सही नहीं है, इसका प्रयास आनन्द भवन में किया गया था। प्लेनोटोरियम के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद के ही भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे, अतः उनके नाम पर इसकी स्थापना इलाहाबाद में की जाए। इसके लिए वहां स्थान भी है और एक बार प्रयास भी किया जा चुका है।

यहां पर जो अन्तरिक्ष केन्द्र की बात कही गई है, आज वैज्ञानिकों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है और जो नामी वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर कोई अंतरिक्ष केन्द्र भारत में कहीं नहीं खोला गया है। मेरा कहना है कि इसे इन नेताओं के नाम पर और जो परिवारवाद चल रहा है, उसके नाम पर नहीं खुलना चाहिए, उसे किसी वैज्ञानिक के नाम पर खोला जाना चाहिए। इससे हमारे वैज्ञानिकों को

इंसेंटिव मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ मैं कटमोशन का स्वागत और समर्थन करता हूं और मंत्री जी ने जो यहां पर अनुदान पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे भी इस बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। एक छोटे से विभाग का छोटा सा यह बजट है परन्तु यह जो विभाग है इनका इतना व्यापक महत्व है, इतना व्यापक प्रभाव है उसके बारे में मैं दो-एक सुझाव आपके याध्यय से याननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। श्रीमन्, अभी वैसे तो 6 अलग-अलग अनुभागों के, अलग-अलग संस्थाओं के जो मुद्दे थे उनका मंत्री जी ने उल्लेख किया और उनमें बहुत सी बातों पर माननीय सदस्यों के विचार आ चुके हैं। कुछ बातें मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। सबसे प्रथम यह जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, जब हम विज्ञान और प्रोद्योगिकी या तकनीक या टेक्नालोजी की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है उसके बाद उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है इसके लिये तकनीक की जरूरत पड़ती है। अगर असीम ज्ञान हो और तकनीक हमारे पास न हो या मंहगी हो या उसको लागू करने के लिये खर्च बहुत अधिक हो और लाभ कम हो तो वह बेकार की चीज हो जाती है और ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता है।

परन्तु रिमोट सेंसिंग यह एक ऐसा अंकुश हमारे पास है जिससे माननीय मंत्री जी अपने ही विभाग के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य जो विभाग हैं उन पर भी अंकुश रख सकते हैं। क्योंकि इसका कार्य ऐसा है, रिमोट सेंसिंग से आप आंकड़े इकठ्ठे कर सकते हैं क्योंकि उपग्रह की जो फोटोग्राफिक फिल्म है, उसकी जो आंख है उसका कोई राजनैतिक रंग नहीं है। किसी पार्टी का किसी पक्ष का कोई पूर्वाग्रह उसमें नहीं है। वह सही जानकारी देता है। हमारे वन विभाग के आंकड़े आते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि 17 या 23 प्रतिशत वन हैं झाड़ियों को मिलाकर जबकि वन 33 प्रतिशत होने चाहिये। लेकिन यदि वहां पर जाकर देखें तो पता चलता है कि वन नाममात्र को हैं। वनों का जो गुणात्मक स्वरूप होना चाहिये, वन आच्छादित होने चाहिये, वन कितने आच्छादित हैं, उनमें कितनी लकड़ी है यह उपग्रह की आंख बता सकती है। उपग्रह बता सकता है कि हमारे गन्ने का क्षेत्र कितना है। गन्ने की कितनी पैदावार होगी यह उपग्रह की आंख बता सकती है। हमारे पास आने वाले सीजन में कितना गन्ना पेराई के लिये उपलब्ध होगा इसके आंकड़े उपग्रह के जरिये पता लगाये जा सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यह एक ऐसी संस्था है कि इसको मजबूत बनाया जाना चाहिये। मैंने पुस्तिका देखी है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के बारे में जो चीजें पिछले 2-3 सालों पहले उसमें थीं उन्हीं चीजों का आज भी उल्लेख कर रहे हैं। उससे कोई जानकारी नाम मात्र को नहीं मिली कि उन्होंने क्या किया। दूसरी चीज मैं इसी रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जल प्लावित क्षेत्र कितना है, वाटर लागिंग जो होती है यह चीज हमारे पर्यावरण से जुड़ी है। हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जल-प्लावित है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, हम अपनी जमीन को बरबाद करने के लिये पैसा खर्च कर रहे हैं सरकारी खजाने से। क्योंकि योजनायें सही तरीके से नहीं बनती हैं और तमाम क्षेत्र जल-प्लावित हो जाता है। अगर एक लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, उसकी उपज बढ़ती है तो 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा पैदा हो जाता है जिसकी उपज बढ़ने के बजाय घट जाती है। तो यह जो पैसा खर्च किया जाता है उसका उतना लाभ नहीं होता है। पर्यावरण के बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण में जो खराबी आ गई है उस पर गम्भीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हमारी कानून व्यवस्था अगर बिगड़ जाय तो उसको सुधार सकते हैं। नहर अगर टूट जाय तो उसकी मरम्मत कर सकते हैं लेकिन पर्यावरण में जो चेंज आ जाता है वह इतना दीर्घकालिक और नान-रिवर्सिबिल होता है कि उसको परिवर्तित दोबारा नहीं कर सकते हैं। उसके सुधार के लिए बीसियों साल चाहिए और अपार धनराशि चाहिए। यदि समय पर उसके बारे में नीति निर्धारित नहीं करते हैं, सही तरीके से विचार नहीं करते हैं, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहाड़ों में पेड़ काट लिए गए हैं, पेड़ों के काटने से पर्यावरण में डिसबैलेंस पैदा हो गया है, हम सभी जानते हैं परन्तु उससे बड़ी बात यह है कि हमारे पहाड़ों के ऊपर जो वर्षा हो रही है, तेजाबी वर्षा से मिट्टी की अम्लीयता बढ़ रही है, आर्मी को लगाकर वन लगाने की जो बात है तो वृक्ष पनपेंगे ही नहीं क्योंकि उसी भूमि में एक ऐसा परिवर्तन आ गया होगा, जिसको दुबारा से सही हम नहीं कर पायेंगे। इसलिए जो तापीय विद्युत गृह हैं, उनमें से निकलने वाली सल्फर डाई एक्साइड इतनी घातक है, अमेरिका जैसे देश वह तेल खरीदते हैं, जिसमें सल्फर कम है, चाहे वह जेल 2-3 डालर महंगा मिले। उसके बारे में हम चिन्तित नहीं हो रहे हैं। तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ी महत्वपूर्ण विभाग है इसको छोटे से बजट से न अंदाजा लगायें, पर्यावरण के संबंध में जनता को जानकारी देना मात्र सदस्यों की ही जिम्मेदारी नहीं है, शासन को यह भी करना होगा कि जितने विश्वविद्यालय हैं, उनमें पर्यावरण और परिस्थितिकीय विज्ञान एक आवश्यक विषय बनाना होगा। वैकल्पिक ऊर्जा के संबंध में जो शोध आप कर रहे हैं, वह सिर्फ इसी संस्थान के माध्यम से न करायें, बल्कि कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी करायें। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लिये हैं इस पक्ष के और उस पक्ष के, मैं सभी लोगों का आभारी हूं। मान्यवर, सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य बंधुवा मजदूर की तरह से बाध्य हैं.....

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्रीमन्, मेरी पूरी बात सुन लें, अगर उसमें कोई व्यवस्था की बात उठे, तब माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठायें।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को बंधुआ मजदूर कहा है।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े हो गए)

मान्यवर, किसी की नियत पर कोई भी माननीय सदस्य आक्षेप नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

श्रीमन्, मेरी पूरी बात सुन लें, तब आप व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था यह है कि माननीय सदस्य का यह आशय नहीं था।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि कोई सदस्य बंधुआ मजदूर है, बल्कि मैंने यह कहा कि बंधुआ मजदूर की तरह से उधर के माननीय सदस्य बाध्य हैं।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय सदस्य ने स्पष्ट कर दिया है कि हम बाध्य हैं श्रीमन्। अभी तक यह था कि बात अधूरी थी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठिये, मैं इसमें व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग बाध्य हैं। अतः माननीय सदस्य अपने शब्द वापस लें।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस पर हमको भी एक मिनट सुन लें मान्यवर। आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है और जब एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित हो गया है, तो इस पर सदन की राय भी सुन लें।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है, इस पर मेरी भी राय सुन लें। आप निर्णय देने से पहले सुनेंगे। क्योंकि निर्णय देने के बाद आप सुन नहीं सकते हैं। मान्यवर मेरा कहना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बंधुआ मजदूर असंसदीय शब्द है। अगर बंधुआ मजदूर असंसदीय शब्द है, तो आप उसको संसदीय कार्यवाही से निकाल सकते हैं, मान्यवर, लोकसभा में जो व्यवस्था

[श्री शतरुद्र प्रकाश]
के प्रश्न उठाए गए हैं उनको आप देख लें मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में है कि नहीं, उसको आप देख लें।

(व्यवधान)

अगर कोई बंधुआ मजदूर की तरह आचरण करेगा, तो उसको क्या कहेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

या तो इनको आप न सुनते, जब इनके विचार आपने सुने हैं, तो आप हमारे विचार भी सुनें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हमारे विचार भी सुनें। मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपत्ति प्रकट की, बंधुआ मजदूर पर। आपने सुन लिया और आप निर्णय भी देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि बंधुवा मजदूर मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में है कि नहीं ? यदि हो तो निकाल दीजिए। मान्यवर, उसमें तो बेवकूफ भी हैं, हत्यारा भी है, सवाल इस बात का नहीं है कि क्या कहा गया है। सवाल यह है कि अगर मैं भी इनको वही सब कहूं तो क्या इनको बुरा नहीं लगेगा।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह शब्द असंसदीय हो या न हो "सत्यं ब्रूयात्, प्रियम् ब्रूयात्" इसको वापस ले लें।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सदस्य ने कहा है अगर सत्य बुरा लगा है तो मैं वापस ले लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

हमें आपत्ति है।

श्री अधिष्ठाता–

जब इन्होंने कह दिया वापस लेते हैं, तो क्यों आपत्ति हो रही है?

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस बजट में जो भी माननीय सदस्य, श्री हीरा सिंह जी, जयदीप सिंह बरार जी, तथा शतरुद्र प्रकाश जी ने जो बात कही, चूंकि समय बहुत कम था और मेरे लिए यह संभव नहीं था कि मैं सारी बातों को विस्तारपूर्वक

कटौती के प्रस्ताव में कहता, तो जो छूट गया वह माननीय सदस्यों ने पूरा कर दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो बरार जी ने सुझाव दिए थे वह जो मुझसे अधूरे रह गये थे, उसको पूरा उन्होंने किया है। रिमोट सेंसिंग का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। वायु प्रदूषण की बात आयी। वायु प्रदूषण की स्थिति अपने यहां के स्थानों पर बहुत बढ़ती जा रही है। इसकी स्थिति पश्चिम जर्मनी में अधिक हो चुकी है, अमेरिका में बहुत अधिक हो चुकी है, यूरोप में बहुत अधिक हो चुकी है लेकिन वहां पर इस पर कन्ट्रोल भी बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। आपके यहां हालांकि एयर एक्ट पास हो चुका है लेकिन कोई विशेष काम नहीं हो रहा है। आपके जितने थर्मल पावर हाउस लगे हैं, वही सही इलेक्ट्रो स्टैटिक्स प्रेसीपिटेटर का काम नहीं कर रहे हैं। इन्द्रप्रस्थ पावर हाउस में एक यूनिट काम नहीं कर रही है, जो 3 यूनिट काम कर रही है वह 40-50 प्रतिशत कर रही है। उत्तर प्रदेश में जितने थर्मल पावर हाउस हैं, उनमें किसी में इलेक्ट्रो स्टैटिक्स प्रेसीपिटेटर का काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो निगम हैं यू0पी0 एस0ई0बी0, यू0पी0 एस0आर0टी0सी0 इन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। नगरपालिकाओं पर ध्यान जाना चाहिये। इन पर आप क्यों नियंत्रण नहीं लगा पा रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आ रही है। प्रदूषण नियंत्रण में अमेरिका और यूरोप की बात छोड़ दीजिये। अगर जो 50 प्रतिशत सिंगापुर में किया जा रहा है, उतना ही हमारी सरकार करने को तैयार हो जाय तो जो प्रदूषण बिगड़ना शुरू हुआ है, वायु प्रदूषण इस पर तुरन्त कंट्रोल किया जा सकता है। वरना अगर यह चीज हाथ से निकल जायेगी तो करोड़ों रुपया व्यय करना पड़ेगा अभी थोड़े से धन से नियंत्रण किया जा सकता है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, अभी दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस नवोदित विभाग की ओर देश में पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित पैदा होने वाली समस्याओं पर गम्भीरता से चर्चा की रिमोट सेंसिंग पर काफी विचार व्यक्त किये लेकिन लखनऊ में जो टेलीमेटरी ट्रेकिंग एण्ड कमाण्ड केन्द्र स्थापित किया जा रहा है, उसके लिये शासन को बधाई नहीं दी। फ्रांस में लांच किया जा रहा है सेटेलाइट। उसके लांच के बाद वह बन, पानी की उपलब्धता, भूमि की बनावट इन सारे मामलों का सर्वेक्षण करके फोटोग्राफ करके भेजेगा। इसी सेंटर में उसकी स्टडी की जायेगी। यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे नार्दन इण्डिया के लिये बड़ी शुभ सूचना है। यह पहला अन्तरिक्ष केन्द्र उत्तर भारत में स्थापित किया जा रहा है। सभी माननीय सदस्य उन्हीं बातों से सहमत हुये, जो मैंने बातें की थीं। माननीय सदस्य ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुये कहा 4 मीटर की जगह 2-3 मीटर की दूरबीन लगाई जा रही है। उन्होंने लैप्सेज की ओर इशारा किया। जो धन इस कार्य के लिये आवंटित किया गया था उससे विभिन्न स्थानों पर पहाड़ की वायु में धूल के कण मौसम, तापमान, वायुवेग के परीक्षण के लिए कुछ उपकरण आदि लिए गये हैं। भारत सरकार का एटोमिक प्लान्ट जो ट्राम्बे में है, वहां के साइंटिस्टों ने धूल के कणों पर काम किया है। इसलिये 4 मीटर की जगह 2-3 मीटर करने से जो धन पहले खर्च हुआ है, उसका अपव्यय नहीं हुआ है। जो स्वीकृति दी

[श्री ओम प्रकाश रिछारिया]

है वह 2.34 मीटर की है इससे उत्तर प्रदेश सहमत नहीं है। उसमें एक बार और प्रयास किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन पुनः प्रयास फिर किया जा रहा है कि वह 4 मीटर की हमको दूरबीन लगाने की दिया जाय। चूंकि समय ज्यादा हो गया इसलिए संक्षेप में ही कहूंगा। जो विशेष न्यायालयों के गठन की बात कही गयी मैं पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में इस सदन में सूचित कर चुका हूं कि विशेष न्यायालयों का गठन किया जा रहा है। इस पर शतरूद्र प्रकाश ने आई0पी0सी0 में जो क्लाज है और दूसरी जो कमी है, कहा है उस पर भी विचार किया जायेगा। जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके तो यह सारा प्राविधान किया जा रहा है। जो पानी है गंगा या यमुना का और लखनऊ में जो नालों के प्रदूषण की बात है उनको डाइवर्ड की योजना स्वीकृत हो चुकी है और उनको डाइवर्ट किया जाना है। दूसरा बजट भी पास होना है इसलिये मैं सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। चूंकि माननीय दिवाकर विक्रम जी ने हमारी बातों का समर्थन किया इसलिए उनसे निवेदन है कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जो मैंने सी0एस0डी0 के बारे में कहा था, उस पर जवाब नहीं दिया है। मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55-विज्ञान एवं प्राद्योग विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55-विज्ञान एवं प्राद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,56,40,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या 61–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर), अनुदान संख्या 62–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) तथा अनुदान संख्या 63–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—
'अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर), अनुदान संख्या 62 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) तथा अनुदान संख्या 63—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या-61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,82,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,78,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, संस्थागत वित्त विभाग में मुख्यतः बिक्रीकर, मनोरंजन कर, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन और संस्थागत वित्त निदेशालय की एक्टिविटीज हैं। बिक्रीकर में 1984 85 के वर्ष में 530 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। जो वर्ष 1983-84 से 14.6 प्रतिशत अधिक है। यह किन परिस्थितियों में है, इसमें आप कह सकते हैं, जब माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेंगे, कि मूल्य बढ़ गए, इसलिए यह उपलब्धि हुई। लेकिन, मैं बताना चाहता हूं कि इसी सदन में यह घोषणा की गई थी 1984 में कि यह जो नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जो नई यूनिट्स इण्डस्ट्रीज की लगाई जा रही हैं, उनको सन् 1990 तक बिक्रीकर से छूट दी जायेगी। इसकी मंशा यह थी कि प्रदेश का औद्योगीकरण प्रोत्साहित हो सके, तेजी से हो सके, इसके लिए किया गया था। उनको कच्चा माल जो परचेज करेंगे, उस पर भी छूट है और जो मूल उत्पादन है उस पर से भी बिक्रीकर की छूट की घोषणा की गई थी। इसी प्रकार एग्री-कल्चर से संबंधित जितने इम्प्लीमेंट्स हैं, उन पर भी छूट दी गई थी। इन सारी छूटों के बावजूद इस तरह की उपलब्धि कर लेना इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से विभाग में तेजी से कार्य किया गया। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष सेल्स-टैक्स में एक नया प्रयोग किया गया था। कम्प्यूटर से कुछ कवरेज की गयी और उसी से सेल्स-टैक्स विभाग में नियंत्रक भी किया गया। देखा यह गया कि आपके एक चेक पोस्ट से ट्रक पास हुआ। उसको पास होना था अपने प्रदेश के बार्डर से दूसरे प्रदेश जाना था। यह शिकायत विभिन्न स्रोतों से, और माननीय विधायकों से प्राप्त हुई कि ये जो ट्रक पास होते हैं, इनको बीच में रोक करके माल अनलोड किया जाता है, जब कि वहां से बहली कटवाते हैं। जब कम्प्यूटर से यह चेक किया गया तो लैप्सेज आए।

[श्री ओम प्रकाश रिछारिया]

ट्रक गाजियाबाद से पास हुआ और पटना नहीं पहुंचा और बीच में माल अनलोड किया गया। इस तरह के कामों पर कम्प्यूटर के माध्यम से चेक किया गया और उसमें काफी सख्ती की गई। इस प्रकार रिजल्ट में 14.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जो आपके सामने है।

इसी तरह से मनोरंजन कर है। इसमें विगत वर्षों में 51 करोड़ 32 लाख 27 हजार रुपये की आय हुई। 3 या 4 परसेंट के करीब अधिक है। अभी माननीय सदस्य कह रहे कि थिएटर पिक्चर वाले बहुत ज्यादा घपले करते हैं टिकटों में। इसमें भी चेकिंग की गई, कइयों के लाइसेंस कैंसिल किए गए। दण्ड के रूप में 2 करोड़ के लगभग धनराशि इसमें प्राप्त की गयी। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में 84-85 में 126.57 करोड़ की आय हुई है। विगत वर्षों में 111 करोड़ की आय हुई थी।

संस्थागत वित्त निदेशालय जो है, वह केवल समन्वय का काम करता है। जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, लीड बैंक्स हैं, लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन है, नाबार्ड है, इन सबको प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें, ताकि उत्तर प्रदेश विकासोन्मुख हो सके, विकास की गति तेज हो सके। 1984--85 के लिए जो अनुमान किया गया था वह 1114करोड़ रुपया था-संस्थागत वित्त विभाग के माध्यम से इंस्टीट्यूशन फाइनेन्स का इन्वाल्व किया जायेगा। यह एक अनुमान तय किया गया था, लेकिन उसकी जगह मार्च, 1985 तक 1419 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करवाया गया। यह सब उस समन्वय का परिणाम है। सितम्बर, 1984 में माननीय मुख्य-मंत्री जी ने लीड्स बैंकों के अध्यक्षों को बुलाकर उनसे मीटिंग की थी, इंश्योरेंस वालों के साथ मीटिंग की थी, नाबार्ड के लोग आए थे, उनसे मीटिंग हुई। कुछ समझौते तय किए गए, उससे यह सब प्रतिफल हुआ। यही लाभ स्वतः रोजगार योजना की बाबत हुआ, ज्यादा वित्त की व्यवस्था की जा सकी। जो गन्ने का बकाया था, उसका भुगतान कराया गया। मिलों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दिलवाया गया।

मान्यवर, ज्यादा समय न लेकर, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने सुझावों और विचारों से हमें अवगत करायें और इस बजट को पारित करें। धन्यवाद !

श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–60 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–61 संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–62 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक

रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-63 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की अलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी सरलता के साथ संस्थागत वित्त विभाग का बजट प्रस्तुत किया और विभाग से संबंधित बातें कहीं। बिक्रीकर आय की वृद्धि के बारे में कहा । मान्यवर, यह जो पुस्तिका दी हुई है 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हो गई और डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है। मान्यवर, डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है और डिपार्टमेन्ट ठीक काम कर रहा है, इस बात पर बहस करने के लिए हम लोग यहां पर नहीं बैठे हैं । यहां पर हम नीति निर्धारण करने के लिए बैठे हैं । वित्त विभाग का जो सबसे बड़ा काम है वह यह है कि कर कैसा लगे, और वे टैक्स किस ढंग के हैं। पब्लिक पर उनका क्या असर है, गरीब लोगों को उससे क्या लाभ है और उससे विकास के कार्यों में क्या असर पड़ रहा है ।

मान्यवर, टैक्स का ऐसा मामला है, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं इसके ढांचे पर विचार करना चाहता हूं और साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे प्रदेश में और इस देश में जो कर लगाए गए हैं, उनमें 80 से 82 फीसदी कर इन्डाइरेक्ट कर लगाए गए हैं जबकि जो प्रगतिशील मुल्क हैं, वहां पर अप्रत्यक्ष कर कम लगाए जाते हैं और डाइरेक्ट कर ज्यादा लगाए जाते हैं । मैं आपको जापान का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां पर प्रत्यक्ष कर 80 प्रतिशत है और शेष 20 प्रतिशत कर अप्रत्यक्ष हैं । इसका उल्टा हिन्दुस्तान में है । यहां पर 83 प्रतिशत कर अप्रत्यक्ष और शेष 17 प्रतिशत कर प्रत्यक्ष हैं।डाइरेक्ट कर जिस पर लगता है, उसी को देना पड़ता है, परन्तु इनडाइरेक्ट कर हमेशा दूसरों पर पड़ता है।इन्डाइरेक्ट कर की चोट अन्ततोगत्वा उपभोक्ता पर पड़ती है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं।हमने बहुत कलेक्शन किया है।जब जरा आप आंकड़ों को देखिए ।

मान्यवर, 1968-69 में 4.97 पैसा एक आदमी पर कर आता था बिक्रीकर के नाम पर, 1970-71 में वह 5.94 पैसा हो गया और 1984-85 में वह 44.5 पैसे हो गया । क्या यह पूंजीपतियों की जेब से आता है ? यह गरीबों के जेब से आता है। कैसे आता है, इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे गुड़ है। कोई बड़ा आदमी गुड़ नहीं खाता है। छोटा आदमी उसे खाता है। जब वह गुड़ अपने स्टेट में खरीदता है तो उसे परचेज टैक्स देना पड़ता है 8 परसेन्ट। यदि वह गुड़ मध्य प्रदेश गया तो 8 परसेन्ट उसे बिक्री कर देना पड़ता है, 2 परसेन्ट उसे सी0एम0टी0 देनी पड़ती है और 2 परसेन्ट उसे चुंगी देनी पड़ती है । यदि उसकी

[श्री त्रिलोक चन्द्र]–

कीमत 100 रुपए क्विंटल है तो अब वह 120 रुपए क्विंटल हो जायेगी । इसे अब कौन खा पायेगा । कोई टाटा-बिड़ला तो इसे खायेंगे नहीं । गुड़ की कीमत से उनको क्या मतलब । और इसकी कीमत बढ़ने से उनको क्या फर्क पड़ता है । लेकिन गरीब आदमी पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है 530 करोड़ रुपए जो आप वसूल करते हैं, इसको आप ठीक कर दीजिए तो आप प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपये टैक्स के रुपए में वसूल कर सकते हैं । आपके जो टैक्सेज हैं, उससे हमारे व्यापारी भी परेशान हैं और उपभोक्ता भी परेशान है। अफसरों के बारे में क्या कहना । लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि सभी आफिसर्स बेकार हैं, कुछ अच्छे भी हैं। यदि पूरा डिपार्टमेंट बेकार होता तो मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट एक दिन भी नहीं चलता और न ही उसका कोई काम चल पायेगा। इसके बारे में हमारे विधायकों ने और हमारी असेम्बली तथा सेन्टर पार्लियामेंट में चर्चा रही और इतना ही नहीं 1980-81 के घोषणा पत्र में भी एलान कर दिया कि हमारी पार्टी पावर में आयेगी तो सेल्स टैक्स समाप्त करेंगे। 80,84 का चुनाव बीत गया लेकिन वह हुआ नहीं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

(बैठे-बैठे) हमारे में नहीं था, आपके में था।

श्री त्रिलोक चन्द्र–

हमारे में था? मान गये। लेकिन वह सेल्स टैक्स समाप्त नहीं हुआ। बीच-बीच में जो-जो कमेटियां बैठायीं 1977 में, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर सरलीकरण समिति 27 अगस्त, 77 को जिसकी शकुन्तला नायर चेयरमैन थीं, उसने भी सुझाव दिये लेकिन उन को लागू नहीं किया गया उसके बाद 29 नवम्बर 1979 में कराधान जांच समिति बैठी जिसके अध्यक्ष चेलैय्या साहब थे। उन्होंने भी सुझाव दिया लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं कुछ, उन पर विचार ही नहीं किया गया। कमला पति त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी लेकिन उस पर भी विचार न पार्लियामेंट में हुआ और न कहीं सोचा गया। जहां तक यह सवाल है कि आय का सबसे बड़ा स्रोत है सेल्स टैक्स, तो यह सही है लेकिन इसकी खामियों को भी देखना होगा कि इनका कैसे सुधार होगा। जो टैक्स लेते हैं वह सीधे-सीधे गरीबों पर लगता है, उससे मंहगाई बढ़ती है और उसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

व्यापारियों के संबंध में, सेल्स टैक्स, रोजाना हल्ला होता है और इसमें कोई सुधार होना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि क्यों बिक्री कर बढ़ सकता है, बिक्री कर सुधारना क्यों जरूरी है। आंकड़े देखें आप, जो 35 हजार से कम का टर्न ओवर वाले व्यापारी हैं इस प्रदेश में उनकी संख्या 36.8 प्रतिशत है और उनका रेवेन्यू 2.2 प्राप्त होता है। 35 से 50 हजार वाले जो हैं उनकी संख्या 6.6 है और जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वह है 2.41 और 50 हजार से 80 हजार वाले जो व्यापारी हैं उनकी संख्या है 15.3 प्रतिशत और जो इनकम होती है वह है 3.3 प्रतिशत। 80 हजार से 125 हजार तक के जो हैं उनकी

संख्या है 10.2 प्रतिशत और उनकी इनकम है 4 फीसदी। और दो सौ हजार से 5 सौ हजार तक के 7.6 प्रतिशत हैं और उनकी इनकम है 7.5 । 5 सौ हजार से 10 सौ हजार तक के जो हैं वह हैं 7.9 और उनकी इनकम है 3.5 । इसके ऊपर के जो हैं उनका परसेन्टेज 0.5 है। आधे लोगों से 50 फीसदी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उसके विपरीत जो 40 फीसदी आदमी हैं उनसे 2.2 प्राप्त करते हैं। अगर छोटे व्यापारियों को छोड़ दिया जाये तो मैं समझता हूं कि आपके रेवेन्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। इससे जो रोजाना का हल्ला गुल्ला है, वह कम हो जायेगा। जब 40 प्रतिशत व्यापारियों से हट जायगा तो रेवेन्यू पर 2 प्रतिशत का फर्क पड़ेगा। आधा प्रतिशत लोगों से 50 प्रतिशत रेवेन्यू उत्पन्न होता है, उसे हटा देंगे तो व्यापारियों को राहत महसूस होगी। जहां तक टैक्स की चोरी का सवाल है, उसका एक कारण है। किसी की नीयत नहीं है कि चोरी करे। अगर व्यापारी की नीयत होगी भी तो वह व्यापारी है, वह पैसा पैदा करने के लिए व्यापार कर रहा है। वह हमारी आपकी तरह विधान सभा में बैठने वाला नहीं है। अगर वह थोड़ा बहुत करता भी है तो उसे आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। ज्यादा संख्या जिन व्यापारियों की है, उनसे हटा देना चाहिए। यहां पर एक विसंगति है, 203 वस्तुएं ऐसी हैं, जिन पर सेल्सटैक्स लगता है 1 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक, ये 203 वस्तुएं कौन सी हैं मैंने बहुत से व्यापारियों से पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं है, जितने आइटम्स वह रखता है, उसे केवल उन्हीं के बारे में मालूम है। आपके इस लिट्रेचर में भी, जो आपने दिया है, कोई लिस्ट नहीं है कि कितनी वस्तुओं पर सेल्सटैक्स लगता है। एक दुकानदार ने मुझसे कहा कि वनस्पति घी पर भी टैक्स लगेगा। बाद में पता चला कि वनस्पति घी पर टैक्स ही नहीं है। आम जनता को पता ही नहीं है कि किन वस्तुओं पर सेल्सटैक्स लगेगा, विडम्बना बड़ी अजीब है सेल्सटैक्स की। गुड़ पर, जैसा मैंने बताया कि 8 प्रतिशत यहां लिया, 8 प्रतिशत दूसरी स्टेट में जाने के बाद लिया। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो अजीब हैं।

आपने छूट दे रखी है कुछ आइटम्स में जो लड़कों के पढ़ने की चीजें हैं साइन्टिफिक गुड्स पर, विद्वान अफसरों ने उन पर सेल्सटैक्स नहीं लगाया, लेकिन जो बच्चे टाट की पट्टी पर पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ा हूं आपका पता नहीं पढ़े हैं या नहीं, उस पर 6 प्रतिशत सेल्सटैक्स और 4 प्रतिशत सेण्ट्रल सेल्सटैक्स है। इस प्रकार उस पर 10 प्रतिशत का सेल्सटैक्स हो गया। इसी प्रकार, कण्ट्रोल की कापियां हैं, पेन्सिल हैं, पैमाने हैं, उन पर भी 10 प्रतिशत का सेल्सटैक्स है, 6 प्रतिशत और 4 प्रतिशत, केवल साइन्टिफिक गुड्स करमुक्त हैं। जहां तक इस बात का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार गरीबों की दुहाई देती है कभी 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कभी किसी और प्रोग्राम के अन्तर्गत कि गरीबों की दशा सुधारेंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। एक आदमी को कम से कम 45/- रु0

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

टैक्स के रूप में देने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस सेल्सटैक्स से इनकम जितनी है, उससे यह प्रदेश कुछ दिनों के बाद दिवालिया हो जायेगा, इस सेल्सटैक्स की बदौलत। सेल्स टैक्स की वजह से आज यहां से उद्योग निकले जा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहां पहले दाल का उद्योग था। कानपुर में 100-200 यूनिटें दाल की थीं जो कि आज सेल्सटैक्स की वजह से उखड़ कर खुर्जा व दिल्ली चली गयी हैं। यहां आज दाल मिल नाम की कोई चीज ही नहीं रह गयी है। आप दाल पर टैक्स दो बार लेते हैं एक तो पहले जब अरहर, मूंग या मसूर आदि दलहन पर आप टैक्स लगायेंगे उसके बाद उसकी दाल बनने के बाद भी टैक्स लगायेंगे। तो फैक्ट्री वाले भी सोचते हैं कि क्यों फैक्ट्री लगायी जाय जब उससे लाभ ही नहीं होना है? वही फैक्ट्री जब दिल्ली में लगाते हैं तो पहले के तीन वर्ष तो फ्री और उसके बाद केवल 4 परसेन्ट का टैक्स, तो फिर आप ही सोचिये कि कौन आपके यहां फैक्ट्री लगाना पसन्द करेगा?

इसी प्रकार से लोहा उद्योग की भी हालत है, वह भी आपके हाथ से जा रहा है क्योंकि इसमें भी आपके यहां मशीनरी पर सेल्स टैक्स है और उत्तर प्रदेश के हिसाब से सेल्स टैक्स 12 परसेंट है और सेंटर में 4 परसेंट है। आपके यहां की तरह तो हरियाणा और पंजाब में भी सेल्स टैक्स नहीं है, आज जो लोहे की फैक्ट्रियां कानपुर और गाजियाबाद में हैं वे भी उखड़ कर फरीदाबाद और दिल्ली चली गयी हैं। आप यहां लोहे का सामान बनाते हैं वह नोयडा में इकट्ठा हो रहा है, वहां गोदाम बन गया है। सेल्स टैक्स बचाने के लिये आपका लोहे का सामान नोयडा में इकट्ठा हो रहा है और दिखाते हैं कि यह दिल्ली में पैदा किया गया है। नोयडा का गोदाम चलाने के लिये चोरी हो रही है और यहां का कोई उद्योग आगे नहीं बढ़ रहा है, जो सामान बनेगा भी वह नोयडा में इकट्ठा हो रहा है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे 5 मिनट और दें। मैंने तो अब बोलना शुरू ही किया है। मैं पहली बार तो खड़ा हुआ हूं बजट पर बोलने के लिये, कुछ समय और दें। तो मैं कह रहा था कि इस सेल्स टैक्स की खामियों को देखना होगा। जब तक आपका विभाग इसको नहीं देखेगा तो आगे चल कर शायद आपको और मुसीबत उठानी पड़ेगी और तब आप सोचेंगे कि आपने क्या गलत काम किया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सेल्स टैक्स की स्थितियों में अब आप फर्क देखिये- आपके यहां दलहन पर, अनाज पर सेल्स टैक्स है चार परसेन्ट। भले ही उस पर दिल्ली में 4 परसेन्ट सेल्स टैक्स भी नहीं है, वह वहां पर फ्री है। आपकी हजामत बनाने का जो ब्लेड है उस पर दिल्ली में 5 परसेन्ट सेल्स टैक्स है और यहां पर 126 परसेन्ट है। यदि आपके यहां कोई उद्योग लगाने की सोचे भी तो कैसे, वह क्यों यहां उद्योग लगायेगा? वह जानता है कि यहां उसका माल नहीं बिकेगा।

आप समझते हैं कि इससे आपकी इनकम हो रही है लेकिन यह नहीं देखते कि इण्डस्ट्रीज आपके यहां से निकल कर बाहर चली जा रही हैं। आप यह क्यों नहीं

करते कि आपके यहां व्यापारियों का लाभ हो, उन्हें राहत मिले? लेकिन जब उनको लाभ नहीं होगा दूसरे राज्यों के मुकाबिले में तो वह यहां पर अपना उद्योग क्यों लगायें। जब आपके यहां पर उद्योग लगाने से वह पीछे रह जायेंगे तो आपके यहां पर क्यों लगायें। मान्यवर, टैक्स देने से कोई भी व्यापारी घबराता नहीं है, लेकिन जहां पर उसको लाभ होगा, वहीं पर वह अपना उद्योग स्थापित करेगा। जब तक आप सेल्स टैक्स को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप के यहां पर उद्योग नहीं लगेंगे। मान्यवर, हिन्डालको फैक्टरी है, वह अपना माल पहले दिल्ली ले जाते हैं, फिर उसको वितरित करते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि आपका जो सेल्स टैक्स है, वह ठीक नहीं है। पूंजीपति अपना उद्योग कहीं जाकर लगा लेगा परन्तु उत्तर प्रदेश में नहीं लगाता है। वह यहां से भाग रहे हैं। मान्यवर, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सेल्स टैक्स का सरलीकरण करें। जो इस सम्बन्ध में कमेटियां बनी हैं, उनकी जो रिपोर्ट हैं और प्रतिवेदन हैं उनके आधार पर आप कोई ऐसी नीति बनायें जिससे सेल्स टैक्स का सरलीकरण हो सके और प्रदेश में उद्योग लग सकें।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पंजीकरण और मनोरंजन कर के मसले हैं, इनमें आपको खर्च कम करना पड़ता है। मनोरंजन कर के बारे में मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसको टिकट लगाकर वसूल करते हैं। यह तो एक ऐसी चीज है कि आप साल भर का एक टैक्स वसूल कर सकते हैं। इससे सिनेमा वालों को भी सुविधा होगी और सरकार को भी सुविधा होगी।

मान्यवर, भट्ठा वालों से आप सेल्स टैक्स लेते हैं, उनकी मिट्टी की नाप करते हैं, इससे उनको बड़ी दिक्कत होती है। आप उनका ग्रेड बना दें और सालाना टैक्स निश्चित कर दें तो उनको सुविधा होगी, मेरी उन लोगों से बात हुई है और वह इसके लिये तत्पर हैं, जो भट्ठे शहर के निकट हैं उनको ए-ग्रेड में रख दें और कुछ अधिक टैक्स उनसे ले लें। वह लोग टैक्स देने के लिये तैयार हैं और जितना टैक्स आजकल आप एकत्र कर रहे हैं उससे तीन गुना टैक्स आपको मिल जायेगा। मान्यवर, जब व्यापारी अपना हिसाब दाखिल करता है तो कर्मचारी उनकी नियत पर शंका करता है और वह ऐसा समझता है कि उसका हिसाब सही नहीं है।

मान्यवर, 1984-85 में आपने एक स्वतः कर निर्धारण योजना को चालू किया। इसका अगर ठीक प्रकार से संचालन किया जाता तो इसके परिणाम अच्छे निकल सकते थे। मान्यवर, 43026 वाद निस्तारण के लिये थे, जिनमें से 10913 वाद निस्तारित हो गये और 32,113 वाद अभी निस्तारण के लिये शेष हैं। तो इस प्रकार से आपकी स्वतः कर निर्धारण योजना सफल नहीं हुई है। सफलता तो तभी मिलेगी जब कम से कम लोगों पर कर लगें और कम से कम लोग उससे

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

प्रभावित हों। अब मैं स्टाम्प कर के बारे में कहना चाहता हूं और जो आपका पंजीकरण विभाग है उसके बारे में कहना चाहता हूं। इनके अधिकारियों को आपने महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक आदि बना दिया लेकिन आपने उनको पावर नहीं दी। जिले में जो ए0 डी0 एम0 हैं उनके अधीन उनको कर दिया। वे लोग पावरलेस हैं। रजिस्ट्री से आप इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा मिलता है लेकिन वहां पर बैठने के लिये जगह नहीं है। बिल्डिंग भी टूटी हुई है। जो है भी उनकी हालत खराब है। इसलिये आप किसानों के लिये तो उनके बैठने के लिये थोड़ा-बहुत इन्तजाम करें। यह तो मोटी सी बात है कि आज गरीब किसान एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। कोई आदमी यदि अपनी कार बेचता है तो आप 10 पैसे के टिकट में उसकी कार ट्रांसफर कर देते हैं। एक लाख की कार 10 पैसे के टिकट में ट्रांसफर हो जाती है लेकिन यदि किसान अपनी एक बीघा जमीन बेचे तो आप सवा दो, ढाई सौ रुपया टैक्स लगा देते हैं। इसलिये मैं कह रहा था कि आपका बजट तो ठीक है लेकिन गरीबों के प्रति भी कुछ आपको सोचना चाहिए। यह तो एक दुधारू गाय है। यदि चोरी रुके और इमानदारी से इस विभाग में काम होने लगे तो मैं समझता हूं कि आपका 1500 करोड़ रुपया निकल सकता है। आपके प्रदेश में रेवेन्यू सबसे कम है और राज्यों के मुकाबले में। आपका स्थान 15वें या 16वें नम्बर पर है। मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। दुबारा भी आपको समय मिलेगा।

श्री रजनी कान्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संस्थागत वित्त अनुदान संख्या 61, 62, 63, जो वर्ष 1985-86 के लिये है उसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैं इसे पिछले वर्ष की उपलब्धियों का वर्ष मानते हुये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव मेरा यह है कि हस्तकला कुटीर उद्योग में काम आने वाले कच्चे माल पर से आप बिलकुल सेल्स टैक्स हटा दें। यहां पर मैं आपका ध्यान रा सिल्क फ्लेचर यार्न, बनारसी साड़ी, बनारसी वस्त्र उद्योग के निर्माण में जो आधारभूत इकाई है, उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर कुछ विसंगतियां हैं जिनका मैं वर्णन करूंगा कि आप उन पूंजीपति मास्टर वीवर्स के ऊपर जो रेशम बाहर से मंगाते हैं, कोई टैक्स नहीं लगाते हैं लेकिन जो गरीब बुनकर है जब वह उस रेशम को खरीदने के लिये खुदरा बाजार में जाता है तो उसको दो प्रतिशत सेल्स टैक्स धन 50 पैसा सरचार्ज देना पड़ता है। निर्यात नीति के अन्तर्गत जो इम्पोर्टर्स आयात लाइसेन्स के माध्यम से रेशम मंगाते हैं वे आपके सेल्स टैक्स की वजह से दूसरे प्रान्तों में चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में रा सिल्क फ्लेचर यार्न के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आपने फैक्ट्रीज को एग्जम्पशन दिया है। नयी फैक्ट्रीज को सेल्स टैक्स में एक्जैम्पसन दिया गया है लेकिन क्या वजह है कि दूसरे प्रांतों में फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में इस इंसेन्टिव के होते

हुए फैक्ट्रीज नहीं लग रही हैं। उसका एक मात्र कारण यह है कि उनमें काम आने वाले कच्चे माल पर भी सेल्स टैक्स आपको हटाना होगा।

मैं अब फार्म 31 के संबंध में कहना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि इसकी कापी जो सेल्स टैक्स आफिस में रखी जाती है उसकी कापी आम इनकम टैक्स आफिस में भी भेज दें। जो आपके बैरियर्स में पैनल्टी लगती है उसे बिल्कुल एबालिश कर दें इस तरह से फार्म 31 की ब्लैक में बिक्री बिल्कुल बंद हो जायेगी। आप एक बात और कैलकुलेट कर लें कि एक ट्रक माल पर एक आदमी को कितना सेल्स टैक्स देना होगा तो उस हिसाब से टैक्स लगा लें। इसमें हो सकता है कि लोग इतराज करें बिना बिके माल का भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उनसे आप यह कर सकते हैं कि जो माल आयेगा उसका सम्भावित टैक्स आप सिक्योरिटी के रूप में जमा करा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी बिक्री मूल्य से बहुत अधिक है लेकिन लाभ प्रतिशत व मूल्य के अनुपात में नामिनल है जैसे सोना चांदी या जवाहरात है उनका शुद्ध मुनाफा कितना टैक्स लिमिट में आयेगा और कितना नान-टैक्स लिमिट में आयेगा। विचार करते समय जिस तरह से इनकम टैक्स में शुद्ध मुनाफा रखा जाता है उसी तरह से आप भी शुद्ध मुनाफे को टैक्स का क्राइटेरिया रख लिजिये।

इसके अलावा जो टैक्स पेयर टैक्स जमा करता है उसके पास कोई सबूत नहीं होता है कि टैक्स जमा कर दिया है या नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि जब भी बिक्री कर जमा करने वाले व्यापारी आपके यहां जायं उनके पास आपकी तरफ से प्रमाण पत्र होना चाहिये कि टैक्स जमा कर दिया है।

मैं मनोरंजन कर के संबंध में कहना चाहता हूं। वी0डी0ओ0 और टेलीवीजन का जब से प्रादुर्भाव हुआ है सिनेमा इंडस्ट्री इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो आप इसको सबसिडी समझिये या मदद समझिये ताकि सिनेमा उद्योग मर न जायं आपको मनोरंजन कर के ऊपर विवेकपूर्ण रिलीफ देना होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता जी माननीय त्रिलोक चन्द्र जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। बड़े विस्तार में उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिये मैं समय कम होने के कारण उनको न दोहराता हुआ दो चार सुझाव देकर शासन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

मान्यवर, बिक्री कर को समाप्त करने की बात सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी जगह पर की लेकिन कोई समाप्त नहीं कर पाये। लेकिन वह अलग विषय है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके इस विभाग में इतना भ्रष्टा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र गुप्त]

चार व्याप्त है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मैं नीचे स्तर की बात नहीं कर रहा हूं । इसके मैं दो उदाहरण दूंगा जो आपके टाप के हैं उनकी बात कहूंगा । इनके विभाग का एक सरकुलर है जिसकी कापी मेरे पास है, मूल प्रतिलिपि मैंने आपके पास भेज दी है । विभाग से एक आदेश जारी हुआ है इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें-परिचय पत्र संख्या 33/1985 चैक पोस्ट-7 भाग-2 (85-86) 497 बिक्री कर दिनांक 23 मई 1985 । यह उसी संबंध में है जिसका जिक्र माननीय सदस्य वाराणसी अभी कर रहे थे । इसमें लिखा है अतएव आयुक्त महोदय ने यह निर्देश दिये हैं कि भविष्य में व्यापारियों/व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले फार्म 31/32 में कार्यालय द्वारा की जाने वाली प्रमुख प्रविष्टियां पाइलेट साइन पेन से ही की जायं। उपरोक्त आदेशों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन सुनिश्चित किया जाय । यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

आदेश में है कि फार्म पाइलेट साइन पेन से भरा जाये और आदेश का पालन किया जाये । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया । मान्यवर, पाइलेट साइन पेन एक जापानी फर्म है जो हिन्दुस्तान की एक फर्म के कोलोबरेशन से बना रही है । मैंने भी उस पेन को देखा है । उसकी कीमत बढ़ती गयी । मान्यवर, उसकी स्याही फैल जायेगी किन्तु जो चार आने की रिफिल वाला डाट पेन है उसकी इंक नहीं फैलती है। तो यह किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये किया गया है । तो इससे बढ़कर और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है ।

मान्यवर, एक 34 नम्बर फार्म होता है । जैसे फार्म नं0 31 में व्यापारी है । दूसरे स्टेट से माल लेना है तो फार्म नं0 34 लेकर जायेगा और माल लायेगा। यदि उसने फार्म नं0 31 नहीं लिया और ट्रक चला आया उत्तर प्रदेश में तो उसने कर वंचना कर ली। नियम है ट्रक के मालिक के ऊपर टैक्स लगाया जायेगा। मेरी जानकारी है 18 मई 1985 को एक शासनादेश जारी किया, फार्म नं0 34 के तहत तो इतने मामले पेंडिंग थे कि उसने 700 करोड़ रुपये का बकाया खटाई में पड़ गया, क्यों ? एक चेकपोस्ट पर फार्म नं0 34 चेक होता है वह न चेक करके कम्पनी का नाम लिख लिया और धारा 30 के अंतर्गत रि-ओपेन की सुविधा होती है लेकिन टाइमबार्ड से छूट दे दिया । इस प्रकार 5 वर्षों में 700 करोड़ रुपये का बकाया आपने माफ कर दिया, यह क्यों, इसको हम जानना चाहते हैं ।

मान्यवर, बिक्री कर बकाया होता है तो व्यापारी को जेल में बंद कर देते हैं लेकिन इसको क्यों माफ कर दिया ।

मान्यवर, अब मैं अव्यवहारिकता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक जून से बिक्री कर की दरें बढ़ाई हैं । यह दरें बताशे, मिश्री, ब्रेड, केक, इलायचीदाना, जो भगवान के पूजा में प्रयोग होता है उसमें भी टैक्स लगा दिया, तेल में लगा दिया । यह टैक्स एक जून से लगाया और दो जून को अखबार में निकला। इस प्रकार एक दिन का टैक्स रिलाइज नहीं किया और आप हमसे ले लेंगे तो यह कौन सा न्याय है ।

मान्यवर, बिक्री कर से नये उद्योगों को छूट देने से उद्योगों को लाभ होता है। छूट देने की बात सही है। लेकिन अव्यवहारिक है। मान्यवर, मैं सीतापुर का उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे यहां 122 तेल यूनिटें थीं लेकिन मूंगफली समाप्त होने से वह यूनिटें मर गयीं और किसी यूनिट ने अपने यार्ड का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को बेच दिया और नई यूनिट लगा दिया किन्तु पुराना माल उसके सहारे बेच रहा है और छूट भी ले रहा है, इस प्रकार 25-30 यूनिटें जो चल रही हैं वह भी समाप्त हो रही हैं। यदि प्लास्टिक के खिलौने की फैक्ट्री लगाता और छूट लेता तो ठीक था। इसी प्रकार राइस यार्ड पर छूट देते हैं। मुझे बताया गया है कि 30 करोड़ रुपये का लाभ है, नई यूनिटें लगायेंगे और पुरानी सत्यानाश हो जायेंगी। तो इस तरह से अगर आपको रिलीफ देनी है इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो आप नई इकाइयों को छूट देने पर विचार कीजिए और जो सिक यूनिट्स हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिलीफ दें तो उत्तर प्रदेश का विकास हो सकेगा।

अभी कम्प्यूटर की चर्चा हुई, लेकिन इससे बढ़कर कोई दूसरा मजाक नहीं है। मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं कि कम्प्यूटर का फार्म आपने छाप दिया एक्ट में संशोधन किये बगैर। आपकी यह शिथिलता है, आपने कह दिया कि एक जून से जितने भी लोगों को रजिस्टर नम्बर दिए गये हैं वह अवैध हो जायेंगे। एक जून से कम्प्यूटर नम्बर मिलने को आपने कह दिया, अब अगस्त आने वाला है, क्या आपने अभी तक किसी को नया नम्बर दिया। इस तरह से और न जाने कितने अन्य तरीकों से आप व्यापारियों को परेशान करते हैं।

एक बात रिफण्ड के बारे में है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब से सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट चालू हुआ है, क्या आपने ब्याज सहित एक व्यक्ति को भी रिफण्ड दिया है? दिया हो तो आप बता दें? रिफण्ड में आप ब्याज कतई नहीं देते हैं, क्योंकि रिफण्ड में ब्याज देने के सम्बन्ध में नियम यह है कि यदि ब्याज दिया जायेगा तो वह ब्याज अधिकारी से वसूल करके दिया जाएगा। तो क्या अधिकारी आपको ब्याज वसूलने देंगे या क्या आप उनसे ब्याज वसूल कर पायेंगे?

तहसील में जो पैसा जमा करते हैं, तो उसकी एक रसीद मिलती है, उसमें यह लिखा होता है कि यह रसीद नहीं है। जो भी उसको ले जाकर बिक्री-कर विभाग में देता है तो वह कहते हैं कि यह रसीद नहीं है, हम फिर से इसको तहसील से वैरीफाई करायेंगे। तो इससे लोगों को बेवजह परेशानी होती है और उसका समय भी बर्बाद होता है।

अब मैं एक बात लोकल समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। अगर कोई आदमी आयल-सीड खरीदे सरसों का तेल बनाने के लिए तो चार परसेंट परचेज टैक्स है। उसका तेल बनाकर बेचना चाहे तो उस पर दो परसेंट की रिलीफ है।

[श्री राजेन्द्र गुप्त]

मैंने तेल बनाया तो वह सीतापुर में नहीं बिका तो हम उसका कंसाइनमेंट सेल कर देंगे, तो उसकी छूट रुक जानी चाहिए । सीतापुर में जो एस0डी0ओ0 थे वह सब ऐसे केसेज चलाते गये, लेकिन एक एस0डी0ओ0 आए हैं वह कहते हैं कि 4-डी में अब यह पिनाल्टी लगेगी, क्योंकि आपने जिस काम के लिए लिया, उसको नहीं किया है । तो आप सोचें कि यह केसेज कैसे ओपेन हो रहे हैं । दो परसेंट की उसने करवंचना नहीं की, वह कंसाईनमेंट सेल कर रहा है, तो आप उससे दो परसेंट वह ले लीजिए और दो परसेंट का एक्स्ट्रा ब्याज ले लीजिए, लेकिन अब यह 8/10 गुना अधिक इस तरह से लेना कतई उचित नहीं है ।

अब आखिरी बात है, आपने सालवेन्ट के जो बड़े प्लान्ट हैं, उनको आपने मैटेरियल पर छूट दे दी-खली है, साईस यार्न है, लेकिन आपने आयल सीड पर छूट दे दी है, तो करोड़ों के प्लान्ट पर तो आपने छूट दे दी है, लेकिन अगर कोई 20/25 हजार रुपये की लागत से एक्सपेलर लगाता है तो उसको आप इस तरह की कोई छूट नहीं देते हैं । इस तरह से जिसने 20/25 हजार लोन लेकर एक्सपेलर लगाया है, उसका उद्योग तो उस करोड़ों रुपये वाले उद्योग के मुकाबले में चौपट हो जाएगा, डूब जाएगा । वह तो मिट जाएगा, वह ऋण भी वापस नहीं कर पायेगा ।

मनोरंजन कर के बारे में यह कहना चाहता हूं, 3 परसेंट की इसमें आय बढ़ी है, लेकिन हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा इन्टरटेनमेंट टैक्स आप ले रहे हैं । आप आंकड़े देख लीजिए । आपने इस अवधि में टैक्स बढ़ा दिया है ढ़ाई गुने लेकिन आपकी आमदनी केवल 3 प्रतिशत बढ़ी है तो मेरा कहना है कि देखने वाले कम हो गये हैं, इस पर विचार कीजिये और इंटरटेनमेंट टैक्स के रेट कम कर दीजिये तो आपकी आमदनी बढ़ जायगी । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे । मैं माननीय त्रिलोक चन्द द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती कुदसिया बेगम–

जनाबेवाला, माननीय मंत्री जी ने अभी अपनी मांगे पेश की हैं उसके समर्थन के लिए मैं खड़ी हुई हूं । मैं संस्थागत वित्त के सिलसिले में दो बातें अर्ज करना चाहती हूं । सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं अपनी सरकार का कि उन्होंने माइनारिटीज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना की है । यह हमारी मरहूमा प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय प्रोग्राम में एक हिदायत थी और मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने उस हिदायत के ऊपर अमल किया । जनाबेवाला यह कारपोरेशन जिस मकसद के लिये बनाया गया है, मैं उम्मीद करती हूं कि इससे पूरे तरीके से अकलियतों को फायदा पहुंचेगा । इसकी धनराशि इस वक्त 85 लाख की है । इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे-जैसे इसका काम आगे बढ़ेगा इसकी धनराशि बढ़ती जायेगी ।

मैं उम्मीद करती हूं कि बैंक जिस तरह से शेड्यूलकास्ट कारपोरेशन को रुपया दे रहे हैं उसी तरह से नेशनलाइज्ड बैंक इस कारपोरेशन को भी कर्जा देंगे और जो सूद का रेट है वह भी 4 प्रतिशत होगा जैसा कि और जगह लेते हैं। इन अल्फाज के साथ दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहती हूं कि रजिस्ट्रार आफ फर्म्स एण्ड सोसाइटीज

एतराज कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि वह किसी ऐसी संस्था जिसके अन्दर किसी व्यक्ति का नाम है, उसका रजिस्ट्रेशन करने से इन्कार कर रहे हैं। जनाबेवाला, यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है क्योंकि यह कोई साम्प्रदायिकता या किसी फिरकावाराना उसूल के ऊपर कोई चीज नहीं बनी है, कोई सोसाइटी अपनी बढ़ोत्तरी के लिये कोई चीज बनाना चाहती है तो अगर उसका नाम मुस्लिम या बुडिस्ट या सिक्ख नाम के ऊपर है तो उसके लिये इन्कार नहीं होना चाहिये क्योंकि यह हमारे संविधान के अन्तर्गत हमको अधिकार है। आर्टिकिल 30(1) के जरिये अकलियतों को यह अधिकार है कि वह अपनी संस्था कायम कर सकते हैं। इसलिये रजिस्ट्रार इस बिना पर रद्द नहीं कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि इसको हटाया जायगा वरना कोई भी अल्पसंख्यकों की संस्था रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगी और वह अपनी वहबूदी के लिये कोई संस्था कायम नहीं कर सकेंगे।

मुझे मालूम हुआ है कि लखनऊ में मुसलमानों की एक तालीम की सोसाइटी कायम की गयी है उसका रजिस्ट्रेशन करने से इन्कार कर दिया गया है और कहा गया है कि मुस्लिम नाम निकाल दिया जाय। इसलिये मैं अर्ज करना चाहती हूं कि इस पर गौर करके इसके बारे में हिदायत दी जाय ताकि यह जो अधिकार मिला हुआ है, कांस्टीट्यूशन के जरिये उससे वह महरूम न हों और ऐसी संस्था कायम हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय त्रिलोक चन्द्र जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ बातें माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं। मान्यवर, सेल्स टैक्स (बिक्रीकर) का मामला है, जिस प्रकार से यह पूरा महकमा भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है उसकी कोई दूसरी मिसाल ढूढने से नहीं मिलेगी। इनका सबसे छोटा अफसर एस0टी0ओ0 जो होता है वह अपने विवेक से अगले साल का कर एसेस करता है कि बिक्री कितनी दूकानदार की हुई। ए0एस0टी0ओ0 जो सबसे छोटा अफसर होता है, वही असेस करेगा, उसके बाद अपीलें दायर होती हैं। तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिक्री कर के मामले में हर पार्टियों ने अपने-अपने घोषणापत्र में कहा कि हमारी सरकार आने पर हम बिक्री कर समाप्त करेंगे। बिक्री कर के सरलीकरण के बारे में जनता शासन के दौरान सरलीकरण समिति बनी थी, और उसकी संस्तुतियां आई थी। मान्यवर, व्यापारी तो बिक्री कर वसूल करता है और ये उसका कस्टोडियन है। उपभोक्ता तो बिक्री कर देता है और उस इकट्ठे बिक्री कर को वसूलने का काम बिक्री कर महकमा करता है। व्यापारी को छूट दी गयी है कि इतना तक, एक लाख की सीमा तक या 50 हजार की सीमा तक बिक्री पर छूट रहेगी, लेकिन कोई भी व्यापारी एक इंच वस्तु बिना सेल्स टैक्स के नहीं बेचता, सेल्स टैक्स वसूल कर लेता है। यही सबसे बड़ी विसंगति है। इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

कुछ व्यापारी पंजीकृत होते हैं और कुछ व्यापारी गैर पंजीकृत होते हैं। पक्का पर्चा लाने के लिए उसे पंजीकृत व्यापारी के यहां जाना पड़ता है और वहां पर एक परसेंट की जो दर निर्धारित है, वह उसे देनी पड़ती है। फिरोजाबाद में इसी प्रकार के व्यापारियों को बहुत बड़ी बेचैनी है और यह बहुत बड़ा घपला है। यह जो माल बाहर जाता है ठेलों से या रेल से तो उसे फार्म 31, फार्म 34, फार्म (ख) आदि भरने पड़ते हैं। वह व्यापारी जो 4-5 हजार की लागत पर अपना काम चलाता है या उसने 20 तोड़ा रोजाना बेचे हैं, तो उसे भी बड़े व्यापारी से पर्चा लाना होगा और उसे वह निर्धारित परसेंटेज देना पड़ता है। वह अगर परसेंटेज नहीं देगा, तो वह बड़ा व्यापारी पर्चा देगा नहीं, और उसके यहां से कोई सामान खरीदेगा भी नहीं और उसकी बिक्री भी नहीं होगी। तो मान्यवर, पंजीकृत या गैर पंजीकृत व्यापारी की विसंगति समाप्त कीजिए। हर व्यापारी जो 3 हजार, 4 हजार की लागत वाला व्यापारी है, वह कहां से पर्चा लायेगा? तो उसकी बिक्री नहीं होगी और वह बरबाद हो जायेगा। जैसे चेक पोस्ट पर पहुंचे, तो वहां ठेले पर 50 रु0 प्रति व्यापारी के हिसाब से पैसा लेकर ही माल को पास करते हैं कि हां माल को देख लिया, माल जा सकता है। इस विसंगति के कारण महाराष्ट्र का प्लास्टिक का चूड़ी उद्योग प्रगति पर है,, क्योंकि उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। कांच की चूड़ी पर उत्पादन घटता जा रहा है क्योंकि उस पर बिक्री कर की मार ज्यादा है और उसकी बिक्री में रोजाना बाधा पड़ रही है और जो चेक पोस्टों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाये हैं, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल बाहर भेजेगा, तो उसे बगैर पैसा दिये, पास नहीं किया जायेगा। इससे व्यापारी परेशान है और उसका व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। ए0एस0टी0ओ0 उस माल को बिना पैसा लिये पास नहीं करेगा। चूड़ी ऐसा सामान है, जोकि एक दिन भी वर्षा में भीग जाय या धूप में पड़ा रहे, तो खराब हो जाता है। माल की चेकिंग के लिए माल को उठाने पर टूट-फूट हो जाती है और माल बरबाद हो जाता है। इसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र का प्लास्टिक चूड़ी का कारोबार बढ़ रहा है। यदि कांच की चूड़ी का कारोबार इस तरह से कमजोर होता है और महाराष्ट्र का प्लास्टिक का बढ़ता है, तो हजारों मजदूर फिरोजाबाद के बेकारी के मुंह में चले जायेंगे और यह जो भारत की संस्कृति का सोहाग द्योतक है, यह भी चला जायेगा। तो मेरा निवेदन है कि इस विसंगति की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए और चूड़ी को बिक्री कर से मुक्त करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के बारे में जो आपके महकमें की स्थिति है, वह दिन प्रति दिन भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत है।

अन्त में मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा (लाल बत्ती होने पर)

आपने बड़ी जल्दी मेरा समय समाप्त कर दिया . .

श्री अधिष्ठाता–

मैं ऐसे कैसे समय जल्दी समाप्त कर सकता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

बिक्री कर की जो स्थिति है, उसमें जो नियम हैं जहां कड़ाई के प्राविधान हैं, वहीं जो आपने अधिकारी के विवेक के बारे में आपने लिखा है, उसमें अन्तर है, मान्यवर, महाराष्ट्र में मैं गया था वहां हमने देखा था कि कोई असिसमेंट करते हैं तो

बिना डाकुमेन्ट्स के देखे और पकड़े बिना आमदनी साल का बिक्री कर असेस करते नहीं हैं, लेकिन हमारे यहां बिक्री कर का तरीका दूसरा है। बिक्री-कर का असेसमेन्ट विवेक के आधार पर लगाया जा सकता है। मान्यवर, विवेक एक भ्रष्टाचार की जननी बन गई है, तो मैं तो कहूंगा कि कानून में विवेकाधीन जो लिखा है, उसको आप देखें, क्योंकि यह भ्रष्टाचार की जननी है। मान्यवर, फिरोजाबाद में चूड़ी की जो स्थिति है उसको आप देखें, झाड़-फानूस की स्थिति है, उसको आप देखें तथा जो कुटीर उद्योग है उसको बचाने के लिए भी कदम उठाना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि आप स्वयं वहां की स्थिति को देखेंगे, तो स्वयं पायेंगे कि बिक्री का महकमा वहां गड़बड़ी कर रहा है। वह भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत है मैं कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में चलकर आप देखें। कितनी फर्जी टिकट आपके अधिकारी और जिलाधिकारी की देखरेख में बिक रही हैं। मान्यवर, कम से कम 200 टिकट रोजाना सिनेमाघरों में ऐसी बिकती हैं, जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं होता है। वहां मनोरंजन कर की चोरी हो रही है। वहां सबके परसेन्टेज बधे हुए हैं। आप ऐसे टिकटों का सर्वेक्षण कराइए। आकस्मिक निरीक्षण कराइए। और जो निरीक्षण हो वह दंड देने के लिए निरीक्षण होना चाहिए और मनोरंजन कर भरने के लिए। तो मैं निश्चित रुप से निवेदन करना चाहूंगा मनोरंजन कर से एक उपलब्धि हो सकती है और उस उपलब्धि के सहारे आपको एक अच्छी रकम मिल सकती है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब समय नहीं है मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन मेरी यह प्रार्थना है कि जो सुझाव रखा है इनको आप देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थना करता हूं।

चौधरी श्याम लाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मेरे कुछ सुझाव भी हैं जैसे गवर्नमेंट आंफ इण्डिया की आयात-निर्यात नीति को देखें। मान्यवर, हस्त शिल्प कला के आइटम हैं इन पर सेल्स टैक्स हटाना चाहिए। क्योंकि यह बहुत अहम है। हमारे मिर्जापुर में, भदोही में कारपेट तथा बुन्देलखण्ड में स्टोन वर्क, तथा कारपेट का काम होता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हैन्डी क्राफ्ट जो है, यह अपना विशिष्ट स्थान रखता है, तो हमारा निवेदन है कि जितने भी हैन्डीक्राफ्ट आइटम हैं, उन पर सेल्स टैक्स खतम कर दिया जाए।

दूसरा सुझाव मैं देना चाहूंगा स्वतः रोजगार योजना के बारे में। हमने यह देखा है हमारी व्यवस्था जो होती है उसका प्रोसीजर इतना जटिल होता है, मौलिक रूप से जो हम व्यवस्था देते हैं वह कारगर सिद्ध नहीं होती है। जैसा स्वतः रोजगार योजना में हमने देखा कि अराजक तत्वों को लोन मिला है। इसमें एक समिति होनी चाहिए जिसमें पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव होना चाहिए। पात्रता की एक सूची बनाई जाय, और वह देखें कि किसको किस शिल्प में महारत हासिल है, कौन सा उद्योग

[चौधरी श्याम लाल]

लगाना चाहता है, वह सूची बैंक में भेज दी जाय और यह निश्चित कर दिया जाय कि एक महीने में रुपया दे दिया जाय । मेरा अनुभव है कि 3 महीने से उद्योग विभाग से सूची पहुंच गई है लेकिन बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं । न देने में उनका निहित स्वार्थ है ।

स्वतः रोजगार योजना में निर्बल वर्ग के लोगों को, महिलाओं को उपेक्षित किया गया । जिन लोगों को स्वतः रोजगार योजना में लोन दिया जा रहा है, उसमें यह भी देखा जाय और यह निश्चित कर दिया जाय कि एक महीने दो महीने में अगर उद्योग नहीं लगाते हैं, तो सारा रुपया एक मुस्त वसूल कर लिया जाय । स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत जो आदमी लोन लिये हैं, उसी को इंप्लायमेंट में भी मौका दिया जा रहा है । हर सर्विस के फार्म में कालम होना चाहिए कि रोजगार योजना में लोन मिला है या नहीं । बेरोजगारी की समस्या हमारे प्रदेश में नहीं सब जगह बढ़ रही है । उन लोगों को मौका मिले इसलिये फार्म में एक स्थान इसका भी बनाया जाय । एक बात रजिस्ट्रेशन के संबंध में कहना चाहता हूं । हमारी स्टाम्प के जरिये आमदनी है । हमारे यहां दो तरह से स्टाम्प बिकते हैं । एक तो प्राइवेट लोग बेचते हैं और दूसरा ट्रेजरी के माध्यम से बेचे जाते हैं। या तो यह व्यवस्था एक को दे दी जाय या तो इनकी जो सीमा ढाई सौ और पांच सौ की है इसको बढ़ाया जाय । हमारे यहां एक एकड़ जमीन 15 हजार 10 हजार में बिकती है । एक एकड़ पर कितना स्टाम्प अपेक्षित है, बेचने की पावर 5 सौ की है, उनकी सीमा बढ़ाकर 5 हजार कर दी जाय । इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थना करता हूं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं त्रिलोक चन्द्र जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं भाषण न देकर कुछ सुझाव देना चाहता था लेकिन हमारे मंत्री जी सुझाव सुन सकते हैं, उनको क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं । यह मुख्यमंत्री की, कार, बंगला, शैडो के नाते, मजदूरी करते हैं । लेकिन फिर भी कह रहा हूं अगर क्रियान्वित करा पाईयेगा तो करा दीजियेगा । मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में जमीन की बिक्री में स्टाम्प पेपर और ड्यूटी में कुछ विसंगतियां है । होता यह है कि कोई सर्वमान्य फार्मूला नहीं बना है । होता यह है कि किसी गांव के किसी आदमी ने जिस रेट से जमीन बेची, उसी रेट से दूसरी जमीन पर स्टाम्प लगा लिया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि किसी गरीब ने 10 हजार की जमीन खरीदी तो 75 हजार स्टाम्प लग जाता है । क्योंकि कोई सरकिल रेट नहीं है । इस विसंगित को दूर करने के लिये आप पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण कराकर जमीन के हिसाब से वैल्यूयेशन के हिसाब से, लगान के हिसाब से मानक बना दें ।

जब तक एक निश्चित फार्मूला नहीं बन जायेगा, जो गरीब है वह एक विसवा भी जमीन नहीं खरीद सकेगा । रजिस्ट्रार के यहां जब रजिस्ट्री के लिए ले जाते हैं तो उसमें तो कुछ नहीं पड़ता है और आपको भी नहीं पता होगा और मुझे भी नहीं पता होगा कि कैसे-कैसे रजिस्ट्री करते हैं । अगर रजिस्ट्रार को पैसा नहीं दिया तो 15

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिन के बाद एक नोटिस ए0 डी0 एम0 के यहां से जायेंगी कि आपने जो जमीन खरीदी उसकी वैलुएशन के हिसाब से इतना रुपया स्टाम्प शुल्क कम है। अगर ए0 डी0 एम0 के यहां यदि वह किसी तरह से पैरवी करने में चूक गया तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जितनी है उतना ही जुर्माना लगाकर तहसील में भेज दिया जाता है और कभी-कभी तो आदमी को पता भी नहीं होता है और वसूली जारी हो जाती है । और यदि मुकदमा चल गया तो उसका निस्तारण 4-4 वर्ष तक नहीं होता है। होना यह चाहिए कि रजिस्ट्रार के स्तर पर ही पूरी छानबीन करके अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए कि उसकी स्टैम्प ड्यूटी क्या है जिससे बाद में क्रेता को कोई परेशानी न हो ।

यह जो सेल्स टैक्स है इसमें जिस तरह से इसका निस्तारण होता है उसमें बड़ी विसंगतियां हैं । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे तहसील में जितना भू-राजस्व है उससे ज्यादा अकेले एक वित्तीय वर्ष में भट्ठे का सेल्स टैक्स था । भूराजस्व तो वसूल हो गया पूरा का पूरा परन्तु सेल्स टैक्स कमीशनर, एडीशनल कमिशनर के यहां से अपील करके और कुछ धनराशि उनको कमीशन के रूप में देकर सेल्स टैक्स माफ करा लिया । हमारी तहसील डुमरियागंज में एक परिवार के ऊपर 17 लाख रुपए सेल्स टैक्स की वसूली का तहसील में भेजा गया परन्तु उसकी वसूली नहीं हो सकी और अब ज्ञात हुआ है कि अपील दायर करके वह माफ करा लिया गया । छोटे-छोटे किसानों को भू-राजस्व में बन्द कर दिया जाता है और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यदि ईमानदारी से इसका निस्तारण हो तो यह जो 5 अरब 30 करोड़ रु0 है यह बढ़कर 7 अरब हो सकता है । बशर्ते की यह जो आपके भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है । एक कमिशनर, एडीशनल कमिशनर और सेल्स टैक्स आफिसर जो एक अधिकारी ही है किस हिसाब से रहते हैं इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है । करवंचना में कमिशनर, एडीशनल कमिशनर, सेल्स टैक्स कमिशनर सब सहायक होते हैं । एक मंत्री जी हमारे जिले की डुमरियागंज तहसील में एक परिवार को सेल्स टैक्स से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और उनसे धन ले करके उसको सेल्स टैक्स से मुक्त कराने के लिए अफसरों पर दबाव डाला।

तीसरी बात यह है कि हमारे निबंधक को गोरखपुर की जगह बनारस कर दिया तो हम बस्ती के लोगों को बनारस नजदीक है या लखनऊ । विकेन्द्रीकरण का जो तरीका है उसमें गोरखपुर प्रस्तावित था हमारे मण्डल का । अगर किसी को रजिस्ट्री भी करानी है तो वह बनारस जाता है और वहां उसे कुछ पता नहीं चलता है । मेरा निवेदन है कि बनारस जो आपने किया है उसका विकेन्द्रीकरण कर गोरखपुर कर दीजिए। और मण्डलीय स्तर पर एक रजिस्ट्री आफिस कायम करवाइये ।

उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन-तिथि की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

एक सूचना देनी है । उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–9(1)

[श्री अधिष्ठाता]

के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को उक्त निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित करनी थी । तदनुसार उन्होंने इस हेतु गुरुवार, 8 अगस्त, 1985 की तिथि निर्धारित की है। अतः उक्त निर्वाचन 8 अगस्त, 1985 को प्रश्नोत्तर काल के बाद होगा। उक्त नियमावली के नियम 9 (2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिए नाम-निर्देशन-पत्र नियमानुसार बुद्धवार 7 अगस्त, 1985 को मध्यान्ह 12 बजे से पहले सचिव, विधान सभा को दिए जा सकते हैं । नाम-निर्देशन-पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक से भेजा जायेगा ।

अनुदान संख्या 60-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या-61-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर), अनुदान संख्या 62-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर) तथा अनुदान संख्या 63-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

(क्रमागत)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इस विषय पर काफी चर्चा हुई। मैं स्टाम्प की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिला केन्द्रों पर स्टाम्पों का बड़ा अभाव रहता है। और जो कोर्ट फीस के टिकट हैं, उनका भी बड़ा अभाव रहता है और व्यवस्था के रूप में उनके द्वारा ही प्रचलित शब्द बंटते हैं। यदि पांच रुपये के कोर्ट फीस के टिकट खरीदने हैं या स्टाम्प खरीदने हैं तो स्टाम्प वेण्डर को बीच में कुछ देना होगा। मेरा अनुरोध है कि इसको बन्द करें। यदि वह पैसा सरकारी तौर पर लिया जाता हो तो ठीक है, लेकिन यह रवैया ठीक नहीं है। इसको खत्म किया जाय। अभी माता प्रसाद पाण्डेय जी ने सुझाव दिया कि रजिस्ट्री फीस में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय। तो मान्यवर, वहां बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूं कि यह आय का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन जितना बड़ा स्रोत है, उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार है। पचास हजार से ऊपर वाले बैनामों में इन्कम टैक्स विभाग से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन वहां रजिस्ट्रार आफिस में बैठे हुए अधिकारी को 10 परसेंट वैल्यू का कमीश्न दे दिया जाय तो बिना नो ड्यूज सर्टिफिकेट के ही काम हो जाता है। इस तरह से मान्यवर, प्रदेश में करोड़ों रुपये की कर वंचना और हर जिले में लाखों रुपये की हर माह में हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस कर वंचना को रोकें। इसलिये कि यह एक जनहित का मामला है। टेन परसेंट लेने की प्रणाली को पूर्ण रूप से खत्म करें। सडन छापे मारे जांय। रजिस्ट्री तब तक नहीं हो सकती जब तक 10 परसेंट न दे दिये जांय। इस बात को लेकर देवरिया में एक वकील साहब का विवाद हो गया। वह अपने मामले के लिये गये थे, उनसे 10 परसेंट मांगा गया और उस पर विवाद हुआ। मैंने स्वयं उसके लिये अतिरिक्त जिलाधिकारी को लिख कर दिया लेकिन आज एक माह के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। उनकी एक-एक दिन की 20 हजार की आमदनी है। तो इस स्टैम्प की व्यवस्था को ठीक करें, रजिस्ट्री की व्यवस्था को ठीक करें।

दूसरे मान्यवर चेक पोस्ट की बात है । जहां भी यहां से सामान बाहर जाता है, कई बार लांग रूट की बसों को रोक कर हरेसमेंट किया जाता है। एक दो दिन तक

कमीशन पहुंचाए बिना उसे रिलीज नहीं करते हैं। आपको वार्डर चेक पोस्ट पर तो बहुत ही नियंत्रण करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि वे इन सुझावों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे। जिससे जनता को सुविधा मिलेगी और सरकार की छवि निखरेगी।

श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, मैं उन सभी साथियों का जो इधर से या उधर से बोले, उधर वालों ने समर्थन तो किसी ने भी नहीं किया, लेकिन बात सबने वही कही जो इधर के लोगों ने कही, सबने सेल्स टैक्स के संबंध में उसकी कमियों के बारे में विचार व्यक्त किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि स्थिति कहां तक बढ़ जाती है कभी-कभी। आपका एक फार्म-31 है, जो व्यापारियों के लिये बड़ी महत्व की चीज है क्योंकि उसी पर सारा हिसाब किताब होता है पिछले साल तीन बार फार्म 31 बदला गया। क्यों बदला गया क्योंकि उनकी चोरी हो गयी। इनके दफ्तर से उनकी चोरी हो गयी और जब चोरी हो गयी तो डुप्लीकेट न छप जांय, इसलिये बदले गये। छपे भी और पकड़े भी गये। उस फार्म नं0-31 को तीन बार बदला गया। लाखों रुपये विभाग के बरबाद हुए, जरा सी भूल की वजह से। मैंने उस फार्म को देखा, उसमें 6 मोहरें थीं और दो हस्ताक्षर थे। जितना महत्व उस फार्म का है, उतना महत्व नोट का नहीं है। मैंने व्यापारियों से भी बात की थी। पता चला कि उस फार्म 31 को लेना खुद में समस्या है। तमाम रिश्वत देने के बाद कहीं वह मिल पाता है।

माननीय मंत्री जी ने विभाग की इनकम पर संतोष किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं यदि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय और कड़ाई से टैक्स वसूला जाय, तो इनकम इससे तिगुनी हो सकती है।

मान्यवर, अन्त में, अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव का इधर से खुल कर और उधर से इनडायरेक्टली समर्थन हुआ है, आप छोटे-छोटे गरीब आदमियों के उपयोग की जो वस्तुएं हैं, उन पर से टैक्स पूरी तरह से माफ करेंगे।

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं उन सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस प्रस्तुत बजट पर अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव रखे।

माननीय माता प्रसाद जी ने कहा एग्रीकल्चर लैंड के लिये स्टाम्प का सुनिश्चित किया जाना प्रचलित नहीं है, जबकि उसका जो राजस्व होता है, उसका 800 गुना करके उसकी वैल्यू मूल्यांकित की जाती है। जब स्टाम्पों का प्रयोग कर लेते हैं, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ए0डी0एम0 (आर0) उसको देखता है और यदि उसमें कुछ वैल्यू कम होती है तो वह बाद में उसकी रिकवरी की जाती है। यह प्रोसेस इसमें है।

[श्री ओम प्रकाश रिछारिया]—

माननीय गुप्त जी ने फार्म-31 की बाबत विशेष पेन का उल्लेख किया। मान्यवर, यह बताना चाहूंगा कि बहुत सारे एसे केसेज आये थे, इंक रिमूवर से, पत्रावली में जो भरा गया था, बिगाड़कर के उसको फिर से भरा था। इसलिये इसका प्रयोग किया गया, यह देखा गया कि इसकी इंक, इंकरिमूवर से आसानी से खत्म नहीं होती, जैसे कि अन्य सामान्य पेनों के प्रयोग से होती है। कम्पयूटर के माध्यम से किये जाने की जो बात थी, उसे सितम्बर माह तक रोक लिया गया है, जब सारी व्यवस्थायें कर ली जायेंगी, इसके बाद वह किया जायेगा।

माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए उस लिस्ट का जिक्र किया, जिन पर सेल्स टैक्स लगता है। वह लिस्ट न तो व्यापारियों के पास है, न माननीय सदस्य के पास है। श्रीमन्, जो व्यवस्था है, आप जानते हैं कि कोई कर लगता है या कर में छूट दी जाती है, उसको गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है और वह जो गजट होता है, वह सूचना मानी जाती है। जैसे आप कहते हैं कि किसी का कत्ल होने पर दफा 302 में क्या दण्ड है, किसी के पास इसकी लिखित सूचना नहीं है, यह एक अजीब सी बात है। कुछ चीजें अन्डरस्टुड होती हैं। बहुत सारे सुझाव आये। माननीय श्री गुप्त जी ने कहा कि विद्यार्थियों की कापियों के ऊपर से सेल्स-टैक्स को हटा दिया जाय। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि पैन्सिल, स्केल, नक्शा और चार्ट आदि इन सब पर छूट दी गई है। केवल कापियों के ऊपर 6 परसेन्ट सेल्स टैक्स लगा है। जो पेपर खरीदा जाता है, उसे टैक्स से मुक्त रखा गया है। इस तरह से बहुत सी चीजों पर सहूलियतें दी गई हैं। 2 परसेंट लोगों को टैक्स पर छूट देने की बात कही गई। इससे हटकर आप दूसरी व्यवस्था पर आयें। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि टैक्स कम किये जांय, उगाही न की जाय। दूसरी तरफ मांग हो रही है कि अनुदान अत्यधिक दिये जांय। पेस्टी साइड पर छूट दे दी जाय, गन्ने के किसानों को छूट दे दी जाय, निर्बल वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए बिना ब्याज के पैसा दिये जायं और टैक्स में 2 परसेंट से कम टैक्स वाले लोगों को छूट दे दी जाय। यदि हम सब छूट दे देंगे तो यह स्थिति हो जायेगी कि हमारे पास संसाधन की कमी हो जायेगी और व्यय एकदम बढ़ जायेगा। यह स्थिति फिलहाल संभव प्रतीत नहीं होती है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मैंने एक या 2 परसेंट छूट देने की बात नहीं कही थी। मेरा कहना यह था कि आपने यह टैक्स साइन्टिफिक चीजों पर तो नहीं लगाई, टाट-पट्टी वालों पर यह कर लगाया है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

सेल्स-टैक्स में सरलीकरण की बात कही गयी थी। पपोला जी की अध्यक्षता में टैक्स रिव्यू कमीशन इस पर वर्क कर रहा है। संभवतः समय अधिक हो गया है। संक्षेप में सभी बातें आ गई हैं। श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने और श्री गुप्त जी ने अपने क्लोजिंग भाषण में भ्रष्टाचार पर बहुत चर्चा की। मैं इस पर ज्यादा न कह कर उसकी जड़ में आपको किसी की लिखी ही क्षणिका सुनाना चाहता हूं। यह गुप्ता जी के लिए समर्पित है। "अपनी लड़की की शादी के लिए ऊपरी कमाई का लड़का ढूंढना। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का अस्तित्व, औरों में खोजना, कुछ ऐसा ही है

जैसे सूर्य के अस्तित्व के लिए गर्म चट्टानों की पर्तों को उधेड़ना। इसके साथ ही धन्यवाद, और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण है। मान्यवर, मैंने 700 करोड़ का मामला जो उठाया था, उसका जवाब नहीं आया।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, जब मैंने भाषण प्रारम्भ किया था, तो माननीय गुप्त जी ने एक बात कही थी। जब इस तरह की कम्पलेन्ट प्राप्त हुई कि ट्रक्स और ट्रान्सपोर्ट्स चेक-पोस्ट्स से सेल्स-टैक्स चोरी कर रहे हैं तो इस मामले को दिखवाने के लिए गंभीरता से कदम उठाये गये। एक महीने में 35 हजार ट्रक्स बहती कटाव के पास हुए। जब कम्पयूटराइज करके देखा गया तो उसमें 9 हजार ट्रक ऐसे थे, जो बाहर गये थे, शेष सभी ट्रक प्रदेश के अंदर ही गये थे। एक लाख ट्रक चेक किये गये। 69 हजार मोबाइल यूनिट से चेक कराये गये, सिर्फ इसको देखने के लिए कि कहां से और किस तरह से यह घपला हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी का सुझाव आप मान रहे हैं?

श्री त्रिलोक चन्द्र–

मैं तो अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं क्योंकि मंत्री जी ने उसे तो समझा ही नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,62,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62- संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धन-राशि के अतिरिक्त 46,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,78,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 29-7-85 को 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री देव कुमार यादव, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचनाओं में से श्री राजेन्द्र गुप्त जी की सूचना जो सीतापुर जिले में तम्बौर से बिसवां आ रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के सम्बन्ध में है, स्वीकार हुई, बाकी अस्वीकार हुई।

लखनऊ के थाना हुसैनगंज के अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक रिक्शा चालक के शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर जला देने के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य

(इस समय 5 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पुनः पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता–

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(किसी सदस्य के आपत्ति न करने पर वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20-7-85 को हेड कान्स्टबेल श्री जगमोहन सिंह ने हुसेनगंज थाने पर सूचना अंकित कराई कि जब वह तथा सिपाही श्री राम सागर यादव दिनांक 19-7-85 की रात्रि गश्त में लगभग 9 बजे रात कान्यकुब्ज कालेज तिराहे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमला पंडित होटल के सामने एक लड़का सड़क के किनारे जली हुई हालत में पड़ा छटपटा रहा था। सिपाहीगण उसे तुरन्त रिक्शा द्वारा सिविल अस्पताल, हजरतगंज ले गये। रास्ते में पूछने पर घायल लड़के ने अपना नाम सुरेश पुत्र रमाशंकर, निवासी ग्राम करन्दा, थाना मिसौली, जिला खीरी बताते हुए यह कहा कि शाम 5 बजे उसे राम नरेश, बैकुन्ठ, कमला पंडित तथा उनका नौकर घनश्याम चार-बाग स्थित नात्था होटल के सामने से पकड़ लाये थे और कोठरी में बंद करके मार-पीट कर पूछ रहे थे कि क्या वह उनका रिक्शा चुरा ले गया है। सुरेश के मना करने पर कमला पंडित ने कहा कि उसे तेल डाल कर जला कर मार डालो। इस पर राम नरेश ने सुरेश पर मिट्टी का तेल डाला और घनश्याम ने माचिस से आग लगा दी। पर किसी तरह वह चिल्लाता एवं जलता हुआ कमरे से निकल भागा। मुल्जिमान भी भाग गये। सिविल अस्पताल, हजरतगंज पहुंचने पर घायल सुरेश को मेडिकल कालेज भेजा और उसे मेडिकल कालेज दाखिल करा दिया गया।

इस सूचना के आधार पर थाना हुसेनगंज पर अभियुक्त राम नरेश, कमला कान्त, बैकुण्ठ प्रसाद पाण्डेय तथा घनश्याम के विरुद्ध अभियोग धारा 342/307 भा0दं0वि0 पंजीकृत कर विवेचना तत्काल आरम्भ की गयी तथा अभियुक्तों की तलाश की गयी, जो भागे हुये थे। दिनांक 20-7-85 को ही मेडिकल कालेज में सुरेश की मृत्यु की सूचना पर दिनांक 21-7-85 को उक्त अभियोग धारा 342/307/302 भा0 दं0वि0 में परिवर्तित किया गया तथा मृतक का पंचायतनामा भरकर शव का पोस्ट मार्टम कराया गया। मृतक के परिवारजनों को सूचना दी गयी थी और उनके आने पर शव को अंतिम संस्कार हेतु उन्हें सौंपा गया।

दिनांक 20-7-85 को ही अभियुक्त घनश्याम को बंदी बनाकर दिनांक 21-7-85 को उसे जेल भेजा गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप शेष तीन अभियुक्तों ने दिनांक 23-7-85 को न्यायालय में आत्मसम्पर्ण किया। वर्त-

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री जफर अली नकवी]

मान में इस अभियोग के सभी अभियुक्त जेल में हैं। यह कहना सही नहीं है कि इस कारण पूरे क्षेत्र में आतंक फैल गया है और जनाक्रोश उमड़ पड़ा है।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जो आयी है और उस समय जब वह दाखिल किया गया, उस समय जो इन्जरीज दर्ज हैं, दोनों में क्या कोई अन्तर है? यदि हां, तो क्या?

श्री जफर अली नकवी–

पोस्टमार्टम में जलने की रिपोर्ट आयी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं समझ नहीं पाया। क्या पोस्टमार्टम में मारपीट से चोट की इन्जरी की रिपोर्ट है? या केवल जलने की रिपोर्ट है?

श्री जफर अली नकवी–

पोस्टमार्टम में जो "काज आफ डैथ" लिखा है, उसमें जलने की ही रिपोर्ट है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या मृतक के मृत्यु से पूर्व के बयान लिये गये थे?

श्री जफर अली नकवी–

इसमें डाक्टर के विवेक की बात थी, "डाइंग डिक्लेरेशन" नहीं था।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

यह एक बड़ी दर्दनाक घटना है, जिसमें समाज के कमजोर वर्ग के एक व्यक्ति को सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने इस शक में जलाकर मार डाला कि उसने रिक्शा चुराया था। जुर्म की इससे बड़ी घटना नहीं होगी। मान्यवर, आपके जिले का मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दया के आधार पर इस मृतक के परिवार वालों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी गयी है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्या इसको देने की कृपा करेंगे?

श्री जफर अली नकवी–

अभी जैसा मा0 सदस्य ने बताया कि इस सम्बन्ध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, दो की तलाश जारी है। अभी तक सहायता दी नहीं गयी है, विचार कर लिया जायगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

जिस समय यह व्यक्ति हास्पिटलाइज किया गया उस समय होश में था या बेहोश था? अगर होश में था तो कितनी देर बाद बेहोशी में गया? इसका "डाइंग डिक्लेरेशन" कराने की व्यवस्था की गयी या नहीं?

श्री जफर अली नकवी–

जब उसको ले जाया गया उस समय होश में था और उसने बताया कि कैसे घटना हुई, लेकिन जब मरा है तो उससे पहले किसी डाक्टर ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी कि मरने वाला है, इसलिए "डाइंग डिक्लेरेशन" नहीं हुआ।

(मद संख्या–13 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल रह गया है, शासन की साजिश रहती है अभियुक्तों को बचाने की, मान्यवर, यह बात सही है कि जिस समय वह घायल हुआ, जब पुलिस के लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में उससे वे लोग पूछ भी रहे थे, उस समय उसने उन गुण्डों के नाम बतला दिये। बाद में वह अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी मृत्यु के पहले डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लिया गया। आप भी वकील रह चुके हैं और सब बातें जानते हैं कि इसमें भी कोई दोषी है। तो जो दोषी है क्या उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री जफर अली नकवी–

डाक्टर ने डाइंग डिक्लेरेशन लेने के लिए नहीं कहा, इसलिये वह नहीं लिया गया।

लखनऊ के थाना तालकटोरा के प्रभारी पुलिस निरीक्षक द्वारा राजकुमार की पुलिस कस्टडी में निर्मम हत्या करके शव गायब कर देने की घटना के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(किसी सदस्य के आपत्ति न करने पर वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पुरुषोत्तम कुमार पुत्र भुवनेश्वर प्रसाद, निवासी राजाजीपुरम, थाना तालकटोरा ने माह जून के मध्य एक प्रार्थनापत्र प्रेषित किया था कि उसके छोटे भाई राज कुमार जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष है को दिनांक 1-6-85 को थाना तालकटोरा की पुलिस बुला ले गयी। उसी दिन रात्रि लगभग 8 बजे तीन दरोगा जिसमें श्री विष्णु मिश्रा, थानाध्यक्ष भी थे और 10-12 पुलिस कर्मी प्रार्थी के घर पर आये और तलाशी ली। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे प्रार्थी की पत्नी की सोने की नथनी, एक टेप रिकार्डर, मय 25 कैसेट के उठा ले गये। प्रार्थी के अनुसार थाना तालकटोरा की पुलिस उसके भाई राजकुमार को दिनांक 1-6-85 से 5-6-85 तक थाने पर रखे रही और चालान करके उसे न्यायालय नहीं भेजा। प्रार्थी का कथन है कि पुलिस ने उसके भाई को निरापराध इतना अधिक मारा कि उसके बचने की कोई सम्भावना नहीं रही। इस संबंध में प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक (नगर) को 6-6-85 को एक तार भी दिया था प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि थानाध्यक्ष श्री विष्णु मिश्रा ने उसके भाई को अवैध चाकू रखने के आरोप में झूठा बन्दी बनाकर किसी बड़े षड़यंत्र के तहत फर्जी जमानतदारों के द्वारा राजकुमार की फर्जी जमानत कराई और राजकुमार को गायब कर दिया है जिसका आज तक पता नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में जान माल की रक्षा करने के साथ-साथ अपने भाई का शीघ्र ही पता लगाये जाने का अनुरोध किया है।

नोट—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री जफर अली नकवी]

श्री पुरुषोत्तम कुमार के उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक लखनऊ ने क्षेत्राधिकरी से प्रारम्भिक जांच कराई जिसके आधार पर दिनांक 10-7-85 को थाना तालकटोरा, लखनऊ पर एक व्यक्ति को अवैध रोके रखने, गलत अभिलेख तैयार करने, घर में घुसकर सामान उठा ले जाने और अपराध छिपाने से संबंधित, अपराध सं0 169/85 अन्तर्गत धारा 201/218/342/395 भा0दं0वि0 विरुद्ध श्री विष्णु मिश्रा, थानाध्यक्ष, तालकटोरा, दो अन्य उप निरीक्षक तथा 10-12 पुलिस कर्मचारी, थाना तालकटोरा पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोगों की विवेचना क्षेत्राधिकारी, कैसरबाग को सौंपी गयी । घटना से संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया ।

इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच जनहित में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है, ताकि इस मामले के संबंध में सही तथ्य सामने आ सके । यह कहना सही नहीं है कि दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही न किये जाने से जनता में भीषण असन्तोष तथा उत्तेजना व्याप्त है ।]

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, पहले वक्तव्य में जो आशंका मैंने व्यक्त की थी वही आशंका इसमें भी व्यक्त हो रही है । मान्यवर, आप भी सदन में बहुत दिनों से हैं और मुझे बहुत दिनों से इस सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त है कि जैसा सरकार अधिकारियों के गलत कामों को छिपाने और बचाने का काम कर रही है ऐसा न कभी सुना था और देखा था। यदि उसका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हुआ था तो दण्डित किया जाना चाहिये था तो इससे डाक्टर भी भयभीत होते और इस प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति फिर न होती ।

मान्यवर, मैं पहले दो शब्द विषय की स्थिति पर कहूंगा कि इस वक्तव्य के दो हिस्से हैं। इससे राजू या राजकुमार नाम का जो लड़का है उसने क्या दरख्वास्त दी ? उसकी दरख्वास्त मेरे पास है जिसमें उसके मूल हस्ताक्षर हैं उसमें लिखा है कि इतनी क्रूरता से पिटाई की कि उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसके शव को गायब कर दिया । जिन दरोगा जी ने मारा उनके खिलाफ धारा 201, 208, 342, 395 लगायी गयी । इस दरखास्त के हिसाब से 302 में तरमीम होनी चाहिये । इन सब धाराओं के बाद क्या संबंधित सिपाहियों की और दरोगा की गिरफ्तारी हुई है या नहीं ? यदि हुई है तो क्या उन लोगों की जमानत हुई है ?

श्री जफर अली नकवी–

शासन चाहता है कि जिसके खिलाफ जो भी लोग हों, जिन को सताया जा रहा है उसके संबंध में हमारी सरकार ने इस पर इस पर पूरी कार्यवाही की है । इसके खिलाफ जो रिपोर्ट आयी उन पर स्थानान्तरण किये गये, अब सी0 आई0 डी0 की इनक्वायरी सेट-अप की गयी है । आरोप सिद्ध हो जायेंगे तब उन पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैंने केवल यही पूछा कि जिनके खिलाफ अभियोग है उन पर क्या प्राइमाफेसी के तहत कार्यवाही की गयी ? जो लड़का राजकुमार नाम का मारा गया जिसके कारण 25 लोगों के विरुद्ध मामला बना तो क्या उन लोगों ने अपनी जमानत करा ली ? जब कोर्ट

वालों को पता लगा और सरकारी वकील ने भी तस्दीक की, मैजिस्ट्रेट ने भी स्वीकार किया कि जिस लड़के को राजू बता कर कोर्ट में पेश किया गया था वह राजकुमार नहीं था। जब मामला आगे बढ़ा, बेल बान्ड निकाले गये बेल बान्ड भी गायब हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किस चीज की जांच करा रही है। जब नामजद मुलजिम हैं, तो तत्काल उनको गिरफ्तार न करने का कारण क्या है।

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने गिरफ्तारी की बात कही, इसके संबंध में दो लोगों से जांच करायी गयी है। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने मामले की गम्भीरता को देखते हुये सी0आई0डी0 की जांच की संस्तुति की है और स्थानान्तरण की बात कही है, लेकिन जब तक यह बात साबित न हो जाये कि लड़का जो मरा है, वह कैसे मरा है, तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है इसलिये इस मामले को सी0आई0डी0 के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आई0पी0सी0 की धारा 395 में मुलजिम को गिरफ्तार करने का प्राविधान है अथवा नहीं।

श्री जफर अली नकवी–

प्राविधान है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जब 395 धारा लगी है, तो उनको गिरफ्तार न किये जाने का कारण क्या है।

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं और सी0आई0डी0 की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, कागनीजेबिल तथा नान कागनीजेबिल दो प्रकार के आफेन्स होते हैं, कागनीजेबिल आफेन्स में है कि "मे अरेस्ट विदाउट वारेन्ट"। यह प्राविधान है। तो मा0 मंत्री जी किस कानून के तहत कह रहे हैं कि विवेचना पूरी होने के पहले गिरफ्तार करना न्याय संगत न होगा। क्या सरकारी अधिकारियों के लिये कोई दूसरी संहिता बन गयी है और शासन ने दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया है?

श्री जफर अली नकवी–

जब तक जांच चल रही है तब तक कोई आख्या दे सकना संभव नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिना पूरा साक्ष्य एकत्र किये और बिना प्राइमा फेसाई केस बने किसी को गिरफ्तार करना उचित होगा। बिना पूरा साक्ष्य आये और जब तक जांच पूरी हो जाये, उसके पहले क्या कोई कार्यवाही की जा सकती है और उनके विरुद्ध तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जब तक कि 197 की परमीशन न दे दें।

श्री जफर अली नकवी–

माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उससे मैं सहमत हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मुकदमा दर्ज होने के कितने दिन बाद सी0 आई0 डी0 को मामला सौंपा गया, किसके प्रार्थना पत्र पर जांच सी0 आई0 डी0 को दी गयी और जो विवेचना अधिकारी ने रिपोर्ट दी है, वह क्या है सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी–

इसमें दो लोगों ने जांच की है और उन्होंने मामले को गम्भीर बताया है जिसके कारण मामला सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया है। 20-7-1985 को मामला सी0 आई0 डी0 को दिया गया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने बयान में लिखा है कि 10-7-1985 को थाना तालकटोरा पर एक व्यक्ति को अवैध रोक रखने आदि के सम्बन्ध में अपराध पंजीकृत किया गया, उसकी जांच क्षेत्राधिकारी, कैसरबाग को सौंपी गयी और जांच होने के बाद प्राइमा फेसाई केस बन गया और उसके अनुसार थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। 395 काग्निजेबुल आफेन्स-नान बेलेबुल आफेंस है। इसके अनुसार जब अपराध दर्ज हो गया तो प्राइमा फेसाई बन जाने के बाद उसने जमानत क्यों नहीं कराई ?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, जांच अलग चीज है और तफतीश अलग चीज है । जांच पूरी होने के बाद तब केस दर्ज होगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सामान्यतया तफसीश होने के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है या तफसीश होने के बाद ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि काग्निजेबुल आफेन्स में अब यह सरकार एक ऐसा आदेश निर्गत करेगी कि जब तक विवेचनाधीन मामला रहेगा तब तक किसी काग्निजेबुल आफेन्स में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी? यदि नहीं, तो इस मामले में क्यों यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

श्री जफर अली नकवी–

यह तो विवेचना अधिकारी के विवेक पर आधारित है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करके बताना चाहता हूं कि यह सरकार हरिजनों के संरक्षण की बड़ी बात करती है। यह राज कुमार 16 साल का नव युवक था । मेरे पास कोर्ट के कागजात हैं । न्यायिक दण्डाधिकारी श्री एस0 ए0 ए0 हुसैनी की अदालत के सरकारी वकील ने विशेष जांच पुलिस (हरिजन सेल) को अपने द्वारा दिये गये बयान में स्पष्ट बतलाया है कि दिनांक

6-6-85 को जो व्यक्ति न्यायालय में राजकुमार के नाम से प्रस्तुत किया गया था उससे वे पहचान सकते हैं। विशेष जांच अधिकारी उप अधीक्षक श्री टी0 एन0 सिंह द्वारा राजकुमार की फोटो दिखाये जाने पर सरकारी वकील ने इन्कार किया कि यह फोटो उस व्यक्ति की नहीं है जो राजकुमार के नाम से प्रस्तुत किया गया था। यह कोर्ट के कागजात हैं। इस मामले को लेकर सी0 जे0 एम0 के यहां भी यह मामला साबित हो गया एक तो 395 है और जब यह बात इस्टेबलिश हो गई इस जांच से और वहां पर यह भी साबित हो गया कि बैल बॉड गायब है तो यहां पर सरकारी वकील ने बयान दिया था कि जिस समय मामला चल रहा था और जो दरोगा हैं वह बाहर टहल रहे थे, यह सब बातें देखते हुये जान बूझकर सरकार जो पुलिस कर्मी हैं उनको बचाकर पुलिस का हौसला बढ़ा रही है। निरीह और हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या कारण हैं कि जिसकी वजह से यह मामला 395 के आने के बाद 302 में क्यों नहीं किया ?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, मैंने जैसा बताया उन्हीं सब तथ्यों को देखते हुये हमने सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी घोषित की है। जांच जारी है उसके बाद जो कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जायेगा, उसको बचाया नहीं जायेगा।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, पुलिस अत्याचार कर रही है । हरिजनों के साथ कर रही है। यहां तक कि राजू नामक बच्चे की जान ले ली । साक्ष्य प्रस्तुत है। प्राइमा फैसाई केस साबित हो गया । पुलिस को बचाने के लिये यहां पर मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं इससे पुलिस का हौसला बढ़ रहा है और इसी से प्रदेश के अन्दर हरिजन उत्पीड़न हो रहा है । मेरा आरोप है कि यह शासन स्वयं साझीदार है, भागीदार है। स्पष्ट केस होने के बाद भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री कल्यान सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 9 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
29 जुलाई, 1985

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	कच्ची सड़क			पक्की सड़क			
		84–85 में आवंटित धनराशि	वर्ष 84–85 में व्यय की गयी धनराशि	कराया गया निर्माण कार्य किमी0 में	84–85 में आवंटित धनराशि	वर्ष 84–85 में व्यय की गई धनराशि	कराया गया निर्माण कार्य किमी0 में	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देवरिया सदर	162500.00	83114.00	10.527	180000.00	287440.00	3.812	
2	रुद्रपुर	162500.00	146285.00	5.300	130000.00	240834.00	3.690	
3	पथरदेवा	162500.00	136849.00	5.111	180000.00	287138.00	3.600	
4	गौरी बाजार	212500.00	140457.00	12.243	220000.00	231527.00	5.789	
5	बैतालपुर	162500.00	327401.00	35.759	180000.00	108865.00	1.824	
6	देसई देवरिया	162500.00	110975.00	10.911	180000.00	213870.00	3.103	
7	रामपुर कारखाना	162500.00	227608.00	27.982	180000.00	71667.00	1.735	
8	हाटा	212500.00	432023.00	14.719	220000.00	55000.00	0.789	
9	सुकरौरी	162500.00	168030.00	17.632	180000.00	251616.00	3.490	
10	कप्तानगंज	212500.00	418800.00	15.080	220000.00	92590.00	1.300	
11	खड्डा	162500.00	248246.00	28.049	180000.00	..	..	
12	नेबुआ नौरंगिया	115000.00	109892.00	18.040	117500.00	..	..	
13	रामकोला	162500.00	135420.00	12.000	180000.00	489011.00	4.400	
14	मोतीचक	162500.00	20499.00	1.328	180000.00	274384.00	4.484	
15	पडरौना	212500.00	588378.00	36.152	220000.00	..	..	

16	विशुनपुरा	212500.00	488437.00	44.693	220000.00	43400.00	0.850
17	दुधई	162500.00	..	..	180000.00	170329.00	2.583
18	सेवरही	162500.00	371874.00	25.228	180000.00	92948.00	1.000
19	तमकुही	162500.00	169264.00	13.888	180000.00	190508.00	3.521
20	फाजिलनगर	162500.00	299875.00	17.155	180000.00	236059.00	4.040
21	कसया	162500.00	163596.00	12.780	180000.00	240829.00	4.020
22	सलेमपुर	212500.00	105050.00	0.440	220000.00	245201.00	0.778
23	लार	162500.00	..	..	180000.00	404635.00	14.412
24	भाटपाररानी	162500.00	47898.00	8.710	180000.00	138016.00	0.700
25	भागलपुर	162500.00	112216.00	10.267	180000.00	235295.00	3.779
26	बनकटा	162500.00	..	..	180000.00	137034.00	3.197
27	भदनी	162500.00	51336.00	2.500	180000.00	305000.00	2.300
28	भलुअवनी	162500.00	..	..	180000.00	365623.00	5.091
29	बरहज	162500.00	348494.00	10.506	180000.00	74244.00	1.262
	योग	4975000.00	5452017.00	397.000	5397500.00	5483113.00	85.549

अतारांकित प्रश्न विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)
289—दैवी आपदा बाढ़ एवं अति वृष्टि से प्रभावित मार्गों पर व्यय का विवरण
वर्ष 1983–84

क्रम-सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि0मी)	कुल व्यय	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
1	सोनवर्षा शिवपति नगर	2.00	32,518.00	पुलिया मिट्टी का कार्य
2	महोखवा रमवापुर	1.20	2,52,740.00	पुलिया मिट्टी का कार्य
3	मगहर बयारा	1.00	1,90,985.00	सोलिंग पुलिया मिट्टी का कार्य।
4	सिसवा लोहटी	0.78	1,18,892.00	सोलिंग मिट्टी का कार्य।
5	रतनसेन डिग्री कालेज बसन्तपुर	2.00	1,93,922.00	सोलिंग पुलिया मिट्टी का कार्य।
6	उस्का बृजमनगंज रोड से गंगाधरपुर	1.00	83,375.00	पुलिया मिट्टी का कार्य।
7	धौरेहरा सेरही	1.00	1,29,393.00	सोलिंग पुलिया का कार्य।
8	बेलाडी रानीपुर दुबखरा	1.20	1,18,274.00	सोलिंग मिट्टी का कार्य
9	महुआरा बगडीहवा	0.60	56,389.00	सोलिंग मिट्टी का कार्य।
10	बेबा उत्तरौला मार्ग सेहरनी हलौर।	2.50	47,628.00	पुलिया मिट्टी का कार्य
11	डेलहवा चरकैला	0.50	54,938.00	सोलिंग का कार्य
12	गौर टिनीच	0.95	87,615.00	सोलिंग का कार्य
13	दुर्गजोत बखिरा	0.20	74,403.00	सोलिंग का कार्य
14	पिपरा पटखौली हंसुरी	0.65	84,870.00	सोलिंग का कार्य
15	हरैया गनवरिया	1.50	2,557.00	सोलिंग का कार्य
16	बस्ती डुमरियागंज मार्ग से मझौवा राम प्रसाद।	1.20	15,951.00	पुलिया मिट्टी का कार्य
17	मनवापुर मखटिया	1.00	16,596.00	मिट्टी का कार्य
18	संसारीपुर पैकबलिया	5.00	54,528.00	पुलिया का कार्य
19	संसारीपुर मदही	2.50	52,178.00	पुलिया का कार्य
20	इरवाडुमरियागंज मार्ग से पिपरा।	1.00	18,409.00	मिट्टी का कार्य
21	बैदोलिया गांव के पास पुलिया निर्माण।	1.00	13,518.00	पुलिया का कार्य
	योग		16,99,679.00	17,00,000.00

परिषदी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

क्रम-सं0	मद/योजना का नाम	वर्ष 84–85 में आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)	व्यपगत धनराशि (लाख रु0 में)	व्यपगत धनराशि का कारण
1	2	3	4	5
1	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	502.30	25.65	स्वीकृत पदों पर नियुक्ति समय से न हो सकने के कारण पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। यह धनराशि वित्त विभाग को समर्पित की गयी।
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम	255.49	0.57	स्टाफ की कमी के कारण पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
3	निर्बल वर्ग आवास योजना	531.09	..	कोई धनराशि व्यपगत नहीं हुई।
4	पुष्टाहार कार्यक्रम	69.22	..	तदैव
5	हरिजन पेयजल योजना	246.00	..	तदैव
6	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	3431.03	..	तदैव
7	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।	7844.00	..	तदैव
8	बायोगैस कार्यक्रम	602.00	..	तदैव
9	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम।	8025.00	149.75	यह शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार से 80.25 लाख रु0 का पूर्ण आवंटन प्राप्त न होने के कारण 149.75 लाख रु0 वित्त विभाग को समर्पित किया गया।
10	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान	11.66	0.07	पूर्ण स्टाफ न होने के कारण 0.07 लाख रु0 की धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

1	2	3	4	5
11	विकास खण्डों में स्टाफ पर व्यय	3241.70	..	कोई धनराशि व्यपगत नहीं हुई।
12	मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/संग्रहीत जिला कार्यालय के स्टाफ पर व्यय।	424.31	..	तदैव
13	विकास खण्ड भवनों के निर्माण/विशेष मरम्मत/विद्युतीकरण का कार्य।	59.55	6.41	विकास खण्ड भवनों के निर्माण हेतु भूमि न मिलने के कारण 3.61 लाख रु0 तथा विद्युतीकरण कार्य में 1.38 लाख रु0 की बचत कार्य पूर्ण होने के पश्चात् धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण तथा विकास खण्ड भवनों की विशष मरम्मत में अप्रयुक्त 1.42 लाख रु0 की धनराशि वित्त विभाग को समर्पित की गयी।
14	ग्रामीण आवास परिषद के स्टाफ पर व्यय।	1.00	..	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत अवधियों में निम्नांकित पिछड़े तथा निर्बल वर्ग के परिवारो को आवासीय सुविधा प्रदान की गयी—

वर्ष 1982–83	1,045 परिवार
वर्ष 1983–84	677 परिवार
वर्ष 1984–85	294 परिवार

उपरोक्त के अतिरिक्त हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा देवरिया जनपद के ग्रामीण अंचलों में हरिजनों के निमित्त अब तक 165 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। इसके अलावा हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा वर्ष 1984–85 से 200 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। समस्त आवास निर्माणाधीन हैं। इस पर अब तक 47,693 रु0 का व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 1982–83, 1983–84 एवं 1984–85 में पिछड़े तथा निर्बल वर्ग के परिवारों को की गयी भूमि आवंटन सम्बन्धी सूचना निम्नवत् है :—

रूप-पत्र

क्रमांक	नाम तहसील	परिवारों की सं0 जिन्हें भूमि आवंटित किया गया (वर्ष 82–83)	परिवारों की सं0 जिन्हें भूमि आवंटित किया गया (वर्ष 83–84)	परिवारों की सं0 जिन्हें भूमि आवंटित किया गया (वर्ष 84–85)
1	2	3	4	5
1	देवरिया	6,757	127	723
2	सलेमपुर	1,114	491	31
3	हाटा	3,098	125	115
4	पडरौना	1,600	526	43
	योग	1,2569	1,269	912

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

जनपद	साक्षरता प्रतिशत	जनपद	साक्षरता प्रतिशत
1—आगरा	33.45	27—बलिया	28.15
2—मथुरा	29.71	28—आजमगढ़	24.86
3—मैनपुरी	33.08	29—बस्ती	20.19
4—एटा	26.19	30—गोरखपुर	24.41
5—अलीगढ़	31.21	31—देवरिया	23.18
6—फर्रुखाबाद	32.37	32—लखनऊ	40.20
7—इटावा	37.49	33—उन्नाव	25.96
8—कानपुर (देहात)	34.94	34—रायबरेली	23.49
9—फतेहपुर	26.45	35—सीतापुर	21.41
10—इलाहाबाद	28.61	36—हरदोई	23.39
11—बरेली	21.82	37—लखीमपुर खीरी	19.52
12—बदायूं	16.03	38—गोण्डा	17.46
13—शाहजहांपुर	21.56	39—सुल्तानपुर	22.81
14—सहारनपुर	29.47	40—प्रतापगढ़	25.33
15—पीलीभीत	20.97	41—बाराबंकी	19.55
16—मुजफ्फरनगर	29.39	42—बहराइच	16.41
17—मेरठ	34.53	43—फैजाबाद	25.89
18—गाजियाबाद	36.72	44—चमोली	37.60
19—बुलन्दशहर	28.98	45—उत्तरकाशी	28.67
20—मुरादाबाद	20.74	46—पौड़ी गढ़वाल	41.90
21—रामपुर	16.33	47—टिहरी गढ़वाल	27.35
22—बिजनौर	26.80	48—देहरादून	52.02
23—वाराणसी	31.89	49—नैनीताल	37.48
24—मिर्जापुर	24.16	50—अल्मोड़ा	38.90
25—जौनपुर	26.33	51—पिथौरागढ़	37.95
26—गाजीपुर	27.77	52—कानपुर (नगर)	51.61

बुन्देलखण्ड का औसत साक्षरता प्रतिशत 28.69 तथा शेष उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 27.33 है। अतएव औसत में 1.36 प्रतिशत का अन्तर है।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

अनुलग्नक

मिर्जापुर जनपद से आनन्द भ्रमण गए हुए किसानों की सूची

क्रमांक	नाम कृषक	समिति का नाम	ब्लाक	जनपद
1	श्री सत्य नारायण सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति श्रुतिहार ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
2	श्री राकेश कुमार सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति श्रुतिहार ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
3	श्री शोभानाथ सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मतनिया ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
4	श्री शंकर सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सेमरा ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
5	श्री शिव ब्रत सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, खरका ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
6	श्री बाबू लाल सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, नोवो ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
7	श्री जयदेव सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मनउर ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
8	श्री राम बिलास सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मनउर ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
9	श्री कृष्ण कुमार सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ढबरा ।	जमालपुर	मिर्जापुर
10	श्री ब्रज भान सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ढेबरा ।	जमालपुर	मिर्जापुर
11	श्री विजय बहादुर सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भमैरा ।	जमालपुर	मिर्जापुर
12	श्री मारकण्डे सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भमैरा ।	जमालपुर	मिर्जापुर
13	श्री वंश नारायण सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति भुकरोध ।	जमालपुर	मिर्जापुर
14	श्री जय प्रकाश सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पथरौलिया ।	जमालपुर	मिर्जापुर
15	श्री मौनी राम सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, नियामतपुर कलां ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
16	श्री शिवधनी सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, नियामतपुर कलां ।	नारायनपुर	मिर्जापुर

अनुभाग पदुमा

1	2	3	4	5
17	श्री प्रेमनाथ सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, फिरोजपुर ।	चुनार	मिर्जापुर
18	श्री नारायन सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, फिरोजपुर ।	चुनार	मिर्जापुर
19	श्री बाबू नन्दन सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भरैहटा ।	चुनार	मिर्जापुर
20	श्री ज्वाला प्रसाद सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भरैहटा ।	चुनार	मिर्जापुर
21	श्री बेचन सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सझौली ।	चुनार	मिर्जापुर
22	श्री मनीराम सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सझौली ।	चुनार	मिर्जापुर
23	श्री वंश नारायन सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सझौली ।	चुनार	मिर्जापुर
24	श्री बाबू लाल	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, घुरहुपुर।	नारायनपुर	मिर्जापुर
25	श्री नन्द लाल	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बरबकपुर ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
26	श्री राम दुलार	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बरबकपुर।	नारायनपुर	मिर्जापुर
27	श्री विश्राम यादव	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, देवनाथपुर ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
28	श्री राम खेलावन	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पौनी ।	नारायनपुर	मिर्जापुर
29	श्री शिवराज सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, औड़ी ।	जमालपुर	मिर्जापुर
30	श्री परमानन्द सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, औड़ी ।	जमालपुर	मिर्जापुर
31	श्री देवनाथ सिंह	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सहजनी हरदी ।	जमालपुर	मिर्जापुर
32	श्री शंकर	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सहजनी हरदी ।	जमालपुर	मिर्जापुर
33	श्री बटूक बिहारी	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, दीक्षितपुर ।	चुनार	मिर्जापुर

पी0एस0यू0पी0—एल0 195 वि0सभा (338)—1985—813 ।

अवध पत्रकार समिति